अष्टम माला, खंड 14, अंक 16

शुक्रवार, 14 मार्च, 1986
23 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 55
Date 24/9/86

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंशों का कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 14, पांचवा सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 16, शुक्रवार, 14 मार्च, 1986/23 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या :	287, 288, 291 से 293, 296 और 297	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		26—244
तारांकित प्रश्न संख्या :	285, 286, 289, 290, 294, 295 और 298 से 303	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2746 से 2751, 2753 से 2757, 2759, 2760 2762 से 2818, 2820 से 2877, 2879 से 2922, 2924 से 2953 और 2955 से 2978	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		244—251
राज्य सभा से संदेश		252

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

एयर इंडिया के जम्बो जेट "कनिष्क" के 23 जून, 1985 को दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त "न्यायालय" के निष्कर्षों के बारे में वक्तव्य 252

श्री जगदीश टाइटलर 252

सभा का कार्य ... ... 253—258

समिति के लिये निर्वाचन 259

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... ... 259—277

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की क्षमता में कमी करना

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति 259

श्री कृष्ण चन्द्र पंत 269

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1985-86
तथा
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1983-84 ... ... 277—325

श्री पी० नामग्याल 284

श्री बी० एन० रेड्डी 293

कुमारी ममता बनर्जी 294

श्री रामेश्वर नीखरा 298

श्री थम्पन थामस 301

प्रो० नारायण चन्द पराशर 306

श्री नन्दलाल चौधरी 312

चौधरी राम प्रकाश 313

श्री भद्रेश्वर तांती 317

श्री राजकुमार राय 320

श्री विजय एन० पाटिल 321

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 323

विषय				पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	...	...		325
तेहरवां प्रतिवेदन				
चुनाव प्रक्रिया में सुधार सम्बन्धी संकल्प (—जारी)	...	...	...	326—370
डा० गौरीशंकर राजहंस	...	...	...	326
डा० फूलरेणु गुहा	...	...	...	331
श्री ब्रह्म दत्त	...	...	...	334
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	...	...	341
श्री शरद दिघे	...	...	...	252
श्री पी० नामग्याल	...	...	...	356
श्री थम्पन थामस	...	...	...	367
श्री राज मंगल पांडे	...	...	...	369

लोक सभा

शुक्र वार, 14 मार्च, 1986/23 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11.03 म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डागा जी के साथ कोई विशेष वार्तालाप हो रहा है ?

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, आप दोनों से कहिये, हमारे राजा साहब से भी कि श्री मधु दंडवते की नजर से दूर बैठें, जो इनके सामने बैठता है, मुख्य मंत्री हो जाता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कुछ बचकर हूं, शिव शंकर जी सामने हैं।

अध्यक्ष महोदय : बड़ी पारस नजर है इनकी ?

श्री बालकवि बैरागी : इनकी नजर से भगवान बचाये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

भारत तथा जापान के बीच व्यापार

*287. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और जापान के बीच कितना व्यापार हुआ;

(ख) दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या जापान ने भारत को ऋण देने की इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस ऋण का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ?

[अनुवाद]

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत तथा जापान के बीच पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए व्यापार की मात्रा नीचे दी गई है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1982-83	833.61	1087.90
1983-84	825.68	1455.53
1984-85	1060.97	1240.41

(ख) द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं, सरकारी तथा व्यावसायिक स्तरों पर व्यापार की द्विपक्षीय समीक्षा; व्यापारियों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान; दोनों देशों में आयोजित किए जाने वाले व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना; तथा बेहतर बाजार प्रवेश को सुकर बनाना।

(ग) और (घ) जापान ने असम गैस कम्बाइंड साइकिल पावर स्टेशन तथा एसोसिएटिड ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट के लिए विशेष येन ऋण देने की इच्छा व्यक्त की है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी तो आधे पर भी नहीं पहुंचे, थकने शुरू हो गये हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विवरण सदन की मेज पर रखा है उससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हम क्या आयात और क्या निर्यात करते हैं ?

दूसरा, 1984 में जब जापान के प्रधान मंत्री यहां आये और हमारे प्रधान मंत्री जापान गये तो विशेष सम्मान जापान के अन्दर हमारे प्रधान मंत्री को मिला। इससे यह स्पष्ट है कि जापान का रुख हमारे प्रति काफी विनम्र है और हम एक दूसरे के काफी नजदीक आ रहे हैं। जापान ने जिस तरीके से आटो-मोबाइल और इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है, वह सराहनीय है। क्या जापान हमको वह टेक्नालोजी आटो-मोबाइल और इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में देने को तैयार है ?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक टेक्नालोजी की बात है, जब पी०एम० वहां गये थे तो साइंटि-

फिक और टेक्नालिजिकल जो भी सहायता देने की बात है, उसके बारे में बातचीत हुई थी। तफसील में यह बात आफीशल लैवल पर की जायेगी।

भारत और जापान में कितना व्यापार हुआ, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में बताया है कि 1982-83 में निर्यात 833.61 करोड़ का और आयात 1087.90 करोड़ का और 1983-84 में निर्यात 825.68 करोड़ का और आयात 1455.53 करोड़ का, 1984-85 में निर्यात 1060.97 करोड़ रुपये का और आयात 1240.41 करोड़ रुपये का हुआ। जहां तक माननीय सदस्य ने आइटम्स के बारे में पूछा है वह हैं।

[अनुवाद]

लौह अयस्क, समुद्री उत्पाद, हीरे, जर्मन जेवरात, सिले-सिलाए वस्त्र, हैंडलूम के कपड़े, इंजीनियरी सामान, चमड़ा तथा उससे बनी वस्तुएं। इन चीजों के बारे में अधिक व्यापार हुआ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि हमारा निर्यात बढ़ा और आयात कम हुआ है। यह बात काफी उत्साहवर्द्धक है। सरकारी और व्यावसायिक स्तरों पर व्यापार की जो समीक्षा की गई है, उसका भी विवरण देने की कृपा करें।

दूसरा जैसा कि भाग ग और घ में कहा गया है कि जापान ने असम गैस कम्बाइंड साइकिल पावर स्टेशन तथा एसोसिएटिड ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट के लिये विशेष येन ऋण देने की इच्छा व्यक्त की है। क्या इस तरीके के और भी प्रोजेक्ट किसी अन्य राज्य के लिये विचाराधीन हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : और प्रोजेक्ट इस वक्त विचाराधीन नहीं हैं, लेकिन जब प्रधान मन्त्री वहां गये थे तो 30 बिलियन येन जो कि करीब 205 करोड़ रुपये बनते हैं, का ऋण असम गैस कम्बाइन्ड साइकिल पावर स्टेशन के लिये देने की इच्छा व्यक्त की थी। उससे हटकर स्पैसिफिक या स्पष्ट तरीके से कोई ऐसा आइटम नहीं है जिस पर वह हमें क्रेडिट देंगे।

श्री जगदीश अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया निर्यात की अपेक्षा हमारा आयात ज्यादा हो रहा है इसलिए विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च हो रही है। मैं जानना चाहता हूं वे कौन से कदम उठायेंगे जिससे कि हमारा निर्यात बढ़े और आयात कम हो ताकि हमारी विदेशी मुद्रा बढ़ सके ?

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किये जाते हैं। इनमें से कुछ जो मैं अभी बता सकता हूं ये हैं, व्यापार की नियमित पुनरीक्षा, ऐसी वस्तुओं का पता लगाना जिनमें व्यापार की अधिक सम्भावनायें हैं, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेना, उत्पादों का विकास और बाजार के विकास हेतु उपाय। प्रत्येक मद का विस्तृत ब्यौरा है। मैं वे सभी नहीं बताना चाहता। मैं सदन को

केवल उन उपायों से अवगत कराने जा रहा हूं जो जापान के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

श्री अताउर्रहमान : यह बताया गया है कि जापान ने असम गैस कम्बाइन साइकल पावर स्टेशन तथा एसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए येन ऋण देने की इच्छा व्यक्त की है। क्या इस परियोजना का असम में गैस रिसने से कोई सम्बन्ध है, जो कि पिछले 30 वर्षों से रिस रही है और जिससे अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

श्री पी० शिव शंकर : विशेष रूप से प्रश्न यह है कि क्या ये रिसने वाली गैस से सम्बन्धित है। यह राशि रिसने वाली गैस को ऊर्जा में बदलने के लिए नहीं दी गई है। किंतु असम में गैस का उत्पादन होता है और उसके उपयोग की बात है और यह राशि गैस को इस बिजली-घर के लिए उपयोग करने के लिए मांगी गई है।

इस समय, मैं यह बात माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जहां तक रिसाव का प्रश्न है जब हमें एसोसिएटेड गैस प्राप्त होती है और हम उसे कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइ-ऑक्साइड्स अथवा कार्बन ट्राइओक्साइड आदि में अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं, उस समय कुछ गैस रिस जाती है। जब हम कच्चा तेल प्राप्त करते हैं अथवा कच्चे तेल से गैस प्राप्त करते हैं, उस समय भी कुछ गैस रिस जाती है। ऐसा केवल हमारे देश में ही नहीं, वरन् सभी तेल उत्पादक देशों में होता है। किंतु यह सही है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में ऐसा अधिक होता है।

प्रो० एम० जी० रंगा : बहुत अधिक रिसाव होता है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं मानता हूं। किंतु इसे रोकने के लिए पेट्रोलियम मन्त्रालय इस गैस के रिसाव को न्यूनतम रखने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जाते रहे हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं जानना चाहता हूं कि जापान में कौन-कौन सी गैर-परम्परागत वस्तुएं लोकप्रिय हैं। क्या इस संबंध में कोई वाणिज्यिक जानकारी एकत्रित की गई है। यदि हां, तो कब ?

श्री पी० शिव शंकर : सवाल कुछ टेढ़ा लगता है। मेरे मित्र वाणिज्यिक जानकारी के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं और मैं पहले उन वस्तुओं के बारे में बता चुका हूं जिनका अधिक जोर है। उनमें से अधिकांश गैर-परम्परागत हैं। मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूं और सदन की जानकारी के लिए फिर से पढ़ता हूं। यह सही है कि उनमें से कुछ परम्परागत वस्तुएं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने उन वस्तुओं के बारे में भी बता दिया है जो गैर-परम्परागत हैं। मैं पहले ही दोनों के बारे में बता चुका हूं। जहां तक वाणिज्यिक जानकारी का प्रश्न है, वहां पर दूतावास में वाणिज्य मन्त्रालय का एक व्यक्ति है जो स्थिति का अध्ययन करता है और हमें यह सारी जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में विदेशी व्यापार से सम्बन्धित अधिकारी भी हैं। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए जापान में भी ऐसा एक अधिकारी है। गैर-परम्परागत वस्तुओं में, जो मैंने पहले बताया है उसके अतिरिक्त हाथ के औजार, काटने वाले औजार तथा कपड़े की ऐसी चीजें हैं, जिन पर जापान के साथ

व्यापार में अधिक जोर दिया जा रहा है।

फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात में गिरावट

*288. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में भारत के फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान तम्बाकू के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार बीज, उर्वरक, कृमिनाशक दवाइयां उपलब्ध कराकर और तम्बाकू की खेती की आधुनिक तकनीक का प्रचार करके तम्बाकू के निर्यात में सहायता करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से आवश्यकता पर आधारित ऋण उपलब्ध कराने का भी है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) 1985-86 के दौरान तम्बाकू के निर्यात 160 करोड़ रु० मूल्य के होने का अनुमान है।

(घ) तथा (ङ) यह पहले ही किया जा रहा है।

विवरण

1980 से 1984 की अवधि के दौरान भारत के अनिर्मित तथा वी०एफ०सो० तम्बाकू के निर्यात, विश्व निर्यात तथा विश्व व्यापार में भारत का भाग निम्नोक्त प्रकार था :—

(1) **अनिर्मित तम्बाकू**

वर्ष	विश्व निर्यात (एम० कि०ग्रा०)	भारत के निर्यात (एम० कि०ग्रा०)	भारत का भाग प्रतिशत
1	2	3	4
1980	1345.9	73.2	5.44
1981	1480.3	104.8	7.08

1	2	3	4
1982	1461.7	97.9	6.70
1983	1365.8	83.5	6 11
1984	1400.8	80.7	5.76
(2) बी० एफ० सी० तम्बाकू			
1980	616.3	64.5	10.46
1981	668.4	90.0	13.46
1982	694.3	84.6	12.18
1983	641.2	66.3	10.34
1984	673.2	63.1	9 37

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्ष दर वर्ष तम्बाकू का निर्यात कम होता जा रहा है। 1983 में यह 223 करोड़ रुपए था और इस वर्ष कम होकर 160 करोड़ रुपये हो गया है।

क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि इस गिरावट के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि ऐसा घटिया तम्बाकू के कारण हुआ है और विशेषकर चीन जैसे देशों ने हमारे तम्बाकू को अस्वीकार कर दिया है और कुछ देशों में हमारा तम्बाकू बेहद नापसंद किया जाता है।

क्या यह भी सच है कि तम्बाकू बोर्ड ने निर्यात योग्य फ्लू क्योड वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन 900 लाख किलोग्राम तक सीमित कर दिया है जबकि 3 वर्ष पूर्व यह 1830 लाख किलोग्राम था ? क्या मन्त्री महोदय हमें इस बारे में कुछ बतायेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्य के प्रश्न का पहला भाग गिरावट के कारणों के संबंध में है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस संबंध में जिम्बाबवे, ब्राजील, मलावी जैसे देशों से जो ब्रिटेन तथा यूरोपियन आर्थिक समुदाय के अन्य देशों को तम्बाकू का निर्यात करते हैं, कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। हमारे निर्यात में गिरावट का यह मुख्य कारण है। किंतु मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में तम्बाकू का यूनिट मूल्य बढ़ रहा है।

एक अन्य बात जो कुछ हद तक इस प्रश्न से संबंधित है और जिसके कारण हमारे निर्यात में कमी आ रही है, वह है विदेशों में धूम्रपान न करने का जबर्दस्त आंदोलन। इससे भी कुछ हद तक तम्बाकू के निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है··· (व्यवधान)। मैं केवल गिरावट के कारण बता रहा हूं। यही पूछा गया था···

प्रो० मधु दंडवते : हमारे विचार से यह राष्ट्र-विरोधी प्रचार है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपसे सहमत हूं। किंतु अजीब बात है कि हमारे देश में इसकी खपत बढ़ती जा रही है।

माननीय सदस्य ने वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू के निर्यात के बारे में पूछा था। मेरे विचार में वह आंकड़े जानना चाहते हैं। 1982 में निर्यात 846 लाख कि०ग्रा० था। 1983 में यह घटकर 663 लाख कि०ग्रा० और 1984 में 631 लाख किलोग्राम हो गया। किंतु मैं इस संबंध में पहले ही बता चुका हूं और उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। किंतु, मैं यह स्पष्ट करता हूं कि तम्बाकू का यूनिट मूल्य बढ़ रहा है।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : यदि सरकार धूम्रपान पर रोक लगा दे तो मैं इसका स्वागत करूंगा। किंतु यह एक भिन्न बात है।

अब आपको तम्बाकू से उत्पाद शुल्क के रूप में 1500 करोड़ रुपए की आय हो रही है। फिर भी आप तम्बाकू के उत्पादन में सहायता नहीं दे रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में तम्बाकू का उत्पादन विशेष रूप से अच्छी किस्म वाले तम्बाकू का उत्पादन संसार में निम्नतम है। अतः तकनीकी रूप से तथा अन्य प्रकार से भारत सरकार द्वारा तम्बाकू के उत्पादन, विकास तथा उसके गुण में सुधार के लिए क्या निवेश किया गया है ?

श्री पी० शिव शंकर : तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को वित्तीय सहायता दिये जाने के अतिरिक्त कई अन्य तकनीकी कार्यक्रम भी हैं—प्रकारात्मक परीक्षा, समन्वित कीट नियन्त्रण, कठिन समय में तम्बाकू के लिए सहायता। विभिन्न उत्पादन-निवेशों की आपूर्ति, श्रेष्ठतर उत्पादन विधियां, विभिन्न जातियों की ऐसी किस्मों का विकास जिनसे उत्पादन में अच्छा प्रतिफल मिल सके, और फिर नीलामी की प्रणाली को भी प्रारम्भ कर दिया गया है, यही वे विभिन्न कदम हैं जिन्हें उत्पादकों को सहायता पहुंचाने हेतु उठाया गया है ताकि उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके तथा तम्बाकू का भी विकास हो सके।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : महोदय, दरअसल तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रारम्भ की गई नीलामी प्रणाली से उत्पादकों को सहायता नहीं मिली है क्योंकि व्यापारी आपस में मिल जाते हैं। मुझे पता चला है कि निर्यात करते समय व्यापारी कम से कम 15000 रुपया प्रति टन का लाभ कमाते हैं जबकि किसानों को यह लाभ नहीं मिलता। अतः, काफी बोर्ड की तरह ही क्या आप तम्बाकू के मामले में भी तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से 'पूल प्रणाली' की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि वे उसी तम्बाकू को पुनः बेच सकें जैसा कि काफी के मामले में होता है।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य से इस बात में पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि नीलामी की प्रणाली से उत्पादकों को लाभ नहीं पहुंचा है। दरअसल स्थिति यह है कि नीलामी की प्रणाली शुरू करने से पहले, जहां तक निर्यातकों तथा व्यापारियों का संबंध है, वे उत्पादकों को समय पर पैसा नहीं दे रहे थे। दरअसल, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादकों को बकाया राशि दी जानी थी।

अब स्थिति यह है कि जब नीलामी की बात आती है तो स्वयं तम्बाकू बोर्ड ही एक चैक दे देता है—यद्यपि यह चैक 15 दिनों बाद ही भुनाया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादक को अब पूरी राशि 15 दिनों के भीतर ही मिल जाती है। यह इसका एक भाग है। दूसरा भाग यह है कि नीलामी के कारण बोली लगाने वालों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है जिसके फलस्वरूप उचित कीमत मिल जाती है। माननीय सदस्य ने 'पूल' के विषय में भी पूछा है कि क्या काफी बोर्ड की तरह ही कोई प्रस्ताव है। अब, मुझे इसमें कोई मित्व्यता नजर नहीं आती यह समझ में नहीं आता। मैं इस सुझाव के विस्तार में नहीं गया हूं और मैं निश्चय ही इसे ध्यान में रखूंगा, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा हूं लेकिन फिर भी, यह विचार करने लायक है। मैं निश्चय ही ऐसा करूंगा।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मुझे माननीय मन्त्री जी के उत्तर को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन मैं मन्त्री जी से स्पष्ट रूप में एक बात जानना चाहता हूं। वह तकनीकी बात क्या है—कृपया सुनने का प्रयत्न कीजिए।···(व्यवधान)

मैं माननीय मन्त्री जी से उस विषय में सही जानकारी चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों के दौरान तम्बाकू की प्रति टन लागत बीमा तथा भाड़ा तथा पोत पर्यन्त निःशुल्क विक्रय मूल्य क्या रहे हैं तथा उत्पादकों से खरीद का मूल्य प्रति टन कितना रहा है।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे खेद है कि मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं। मैं उन्हें सभा पटल पर रखूंगा।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ से प्रश्न पूछने को पहले ही कहा है।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : तम्बाकू के गिरते बाजार को तथा इस प्रचार को देखते हुए कि तम्बाकू खाना तथा धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या तम्बाकू उत्पादकों को कुछ अन्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा? क्या सरकार उनके लिए ऐसे किसी कार्यक्रम की योजना बना रही है?

श्री पी० शिव शंकर : मैं समझता हूं मेरे माननीय मित्र को उत्तर मालूम है।

[हिन्दी]

श्री तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में तम्बाकू बहुत होता है।

अध्यक्ष महोदय : अभी उन्होंने ही प्रश्न किया है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों संबंधी व्यवस्था

*291. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत†**
श्री आर० एम० भोये } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों संबंधी व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निगम की कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करने हेतु सरकार ने कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय खाद्य निगम की परिचालन कार्यकुशलता में सुधार करने की दृष्टि से निगम के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, एफ०सी०आई० के गोदामों में कितने प्रतिशत अनाज बट्टेखाते डाला जाता है, क्षेत्रीय अधिकारियों से पूछे बिना। मैं यह भी जानना चाहती हूं, 1985-86 में कितना वेस्टेज हुआ ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है, बहुत सारा अनाज गोदामों के बाहर पड़ा रहता है और वास्तविकता यह है कि वह खराब हो रहा है, क्या इस प्रकार का सर्वे आपने करवाया है कितना अनाज गोदामों के बाहर पड़ा हुआ है ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : यह सही नहीं है कि चूंकि वह बाहर खुले में पड़ा है, इसलिए बर्बादी हो

रही हैं, नुकसान हो रहा है, इस समय दो प्रणालियां चल रही हैं एक तो है पक्के गोदामों का निर्माण करके उनमें अनाज रखना और दूसरा है छत्रक प्रणाली, अर्थात ऊपर से ढक देना और प्लिन्थ वाला तरीका, अतः जहां कहीं भी देखा जाता है कि खाद्यान्न खुले में पड़े हैं उन्हें हमेशा ही खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए दिये गये विनिर्देशों के अन्तर्गत ढक कर रखा जाता है, (व्यवधान) जहां तक खराब हो गये हिस्सों की बात है, जब वे मनुष्यों के खाने लायक नहीं रहते तो उनका इस्तेमाल कभी मुर्गियों के चारे के रूप में तथा कभी दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बहुत थोड़ा सा अंश ही बेकार जाता है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं ऐसा कितना अनाज राइट-आफ किया जाता है, वेस्टेज हो जाता है, कितने प्रतिशत होता है, क्या पिछले साल के रिकार्ड आप बता सकते हैं ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : यह प्रश्न इस मुख्य प्रश्न से नहीं निकलता (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह कुप्रबन्ध के कारण निकल रहा है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ? उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री ए० के० पंजा : महोदय, प्रश्न देखने की कृपा करें ।

"क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों सम्बन्धी व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही हैं, ऐसी बात नहीं है ···

श्री पी० शिव शंकर : मैं यह निवेदन करूंगा कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धीरज रखिए। आपको सूचना मिलेगी, सूचना देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसको तरीके से कीजिए। हमें अन्य तरीकों से भी सूचना मिल सकती है। हम प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं।

श्री पी० शिव शंकर : मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर बैठे हुए हम लोग माननीय सदस्यों द्वारा भारतीय खाद्य निगम में जो कुछ भी हो रहा है, उसके सम्बन्ध में प्रकट की गई चिन्ता को समझते हैं। हम प्रत्येक चीज को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन तथ्य तो यह है कि जहां तक बर्बादी के प्रतिशत की बात है वह इस समय उपलब्ध नहीं है। हम उसे सभा पटल पर रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने भी कही। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप पिछले पांच सत्रों अनियत दिन

वाले प्रस्तावों पर गौर करें तो आप पायेंगे कि इस विषय का उल्लेख किया गया है लेकिन इस पर कभी भी कोई चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। आप इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : कृपया इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महोदय से यह जानना चाहती हूं; एफ० सी० आई० के सहकारी गोदामों के अलावा क्या प्राइवेट पार्टीज से भी अनाज रखने के लिए गोदाम लेते हैं ? यदि अपने लिए हैं तो 1985-86 में उन पर कितना व्यय किया गया ? इसके रख-रखाव के लिये जो आपके पास कर्मचारी हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था आपके यहां है ? यदि है तो वह कहां पर होती है ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : जहां तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को, निजी संगठनों द्वारा अपना माल भण्डारण के लिए दिये जाने का प्रश्न है हम इस बात से अनभिज्ञ हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गये अनाज के लिये किराये के गोदाम हैं हमारे अपने गोदाम हैं, राज्य के गोदाम हैं। इन भण्डारों की देखभाल करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है ताकि भण्डारों को स्वस्थ दशा में रखा जा सके तथा यह वास्तविक उपभोक्ता तक उचित ढंग से पहुंचे।

वाणिज्य खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : महोदय, क्या इस बात का उत्तर देने के लिए क्या अनुमति देने की कृपा करेंगे ? मेरे पास अब आंकड़े हैं। उनक पढ़ने पर कुछ दुःख होता है। लेकिन फिर भी जो सूचना मेरे ध्यान में लायी गई है मैं उस बारे में सभा को जानकारी दूंगा।

जहां तक मार्ग में हुई हानि का तथा भण्डारण में हुई हानि का प्रश्न है, दोनों के लिए मेरे पास भिन्न-भिन्न सूचियां हैं। लेकिन मैं कुछ कमी बताउंगा वह है—1980-81 में वह 6.43 लाख टन थी, (व्यवधान) मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

यदि कुछ गलत है, तो हमें रास्ता निकालना चाहिए, इसीलिए मैं सारे तथ्य ला रहा हूं, मैं सभा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहूंगा, (व्यवधान) कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैंने स्वयं ही आंकड़े देने की पेशकश की है।

1980-81 में 6.43 लाख टन के बराबर कमी हुई जिसका मूल्य 100.20 करोड़ रुपये था, 1981-82 में यह कमी 6.51 लाख टन थी जिसका मूल्य 115.91 करोड़ रुपये था।

1982-83 में 113.66 करोड़ रुपये मूल्य का 7.40 लाख टन। 1983-84 में 140.70 करोड़ रुपये मूल्य का 6.74 लाख टन। 1984-85 में 122.76 करोड़ रुपए मूल्य का 5.72 लाख टन।

श्री मूल चन्द डागा : इसलिए अधिक सहायता दी जाती है।

श्री पी० शिव शंकर : डागा जी जो कुछ हो रहा है उसकी हमें भी चिन्ता है। मेरा इरादा किन्हीं आंकड़ों को छिपाने का नहीं है। मैं इसे उस समय भी स्पष्ट कर दूंगा जब खरीद की मात्रा में उस प्रतिशतता का सवाल आयेगा जिसकी हानि हुई है। 1980-81 में यह 2.76 प्रतिशत, 1980-81 2.28 प्रतिशत, 1982-83 में 2.37 प्रतिशत, 1983-84 में 2.11 प्रतिशत तथा 1984-85 में 1.94 प्रतिशय थी।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक हानि और प्रतिशत का सम्बन्ध है 1985 का वर्ष बहुत अच्छा और प्रगतिशील वर्ष रहा है।

श्री थम्पन थामस : इन सब का कारण गलत खरीद है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मालूम नहीं कि क्या केन्द्र सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। केरल में 65000 टन चावल को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। मानवीय उपभोग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह गोदाम में पड़ा हुआ है और केरल के लिए सप्लाई कोयम्बटूर से होती है। मानवीय उपभोग के लिए इस्तेमाल नहीं किये जा सकने वाले इस चावल को नष्ट भी नहीं किया गया है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या सरकार इन सब बातों की जांच कराएगी ताकि मानवीय उपभोग में न आ सकने वाले भण्डार को नष्ट किया जाए और नया माल भेजा जाये। कुप्रबन्ध के कारण ऐसा हो रहा है। खरीद को नियमित करने के लिये क्या कार्यक्रम है ?

श्री अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री थम्पन थामस : वे खरीद को किस तरह विनियमित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह यही तो कह रहे हैं। पिछले साल कुछ सुधार हुआ है वे आगे इसमें और सुधार कर सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : वित्तीय तौर पर यह 150 करोड़ रुपये तक बैठेगा। वित्त मन्त्री जी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है इसमें सुधार होना चाहिए। पिछले वर्ष उससे पिछले साल की तुलना में सुधार हुआ था।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय राज्य मन्त्री का कहना है कि वे अन्य लोगों को भारतीय खाद्य निगम का चावल या खाद्यान्न रखने का अधिकार नहीं देते। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि क्या

कुछ क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के उपाय के रूप में गरीबों, खासकर आदिवासियों को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने का उपाय असफल सिद्ध हुआ है और भारतीय खाद्य निगम तथा खुदरा व्यापारियों के बीच थोक व्यापारियों की नियुक्ति करने से यह सब उपाय आदिवासी उपभोक्ताओं के लिए एक क्रूर मजाक बन कर रह गया है ? ये थोक व्यापारी लोग तथा खुदरा व्यापारियों को गोदाम को बुहारने के बाद निकले चावल और दूसरा घटिया किस्म का चावल देते हैं और भारतीय खाद्य निगम से मिलने वाले बढ़िया किस्म के चावल को खुले बाजार में बेचकर काफी पैसा कमाते हैं। क्या इस विशेष प्रश्न की ओर मन्त्री जी का ध्यान गया है ?

श्री ए० के० पंजा : महोदय, ऐसे किसी कुप्रबन्ध की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया है···

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, इसका मैं जोरदार विरोध करता हूं। मैंने स्वयं सम्बन्धित मन्त्री जी को सारी बात स्पष्ट करते हुए एक पत्र लिखा था। अब वह कह रहे हैं कि उनका ध्यान नहीं दिलाया गया है। कार्यालय के माध्यम से पत्र न भेजकर मैंने स्वयं इसे मन्त्री जी को दिया था। मैंने प्रधान मन्त्री जी का ध्यान भी इस ओर दिलाया था तथा उन्होंने मुझे इसका उत्तर भेजा है। (व्यवधान) मैं इस पर विश्वास नहीं करता।

श्री ए० के० पंजा : महोदय, प्रश्न मुझसे पूछा गया है। क्या मुझे पत्र लिखा गया है।

श्री जी०जी० स्वैल : मैंने मन्त्रालय और मन्त्री को लिखा है। मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिए। मैंने केवल उन्हें उद्धृत किया है। मैंने उन्हें नहीं भेजा था। मैंने मन्त्रालय और मन्त्री जी को भेजा था।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मुझे खेद है कि इस मामले को इतना विवादास्पद नहीं बनाना चाहिए था। हाल ही में माननीय सदस्य ने चिट्ठी मुझे दी थी। उस पर विचार किया जा रहा है। यह चिट्ठी मैं अपने सहयोगी को नहीं दे सका, इसका मुझे खेद है। उन्हें वह बात मालूम नहीं है। इसलिए उन्होंने यह उत्तर दिया है। लेकिन बात यह है कि रियायती दरों पर चावल की सप्लाई के सम्बन्ध में सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि बहुत से क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली उतनी कार्यकुशल नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि इस बारे में मैं जो कुछ कठिनाइयां महसूस करता हूं। मैंने विभिन्न मुख्य मन्त्रियों को भी इस संबंध में लिखा है कि उनके यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आदिवासी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यकुशल ढंग से चलाना होगा। शहरी क्षेत्रों में यह ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कुछ बेहतर है। महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मजबूत न होने के कारण यह कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जहां तक यह सवाल है कि क्या इसकी सप्लाई थोक व्यापरियों को की जानी चाहिए अथवा राज्य के ही नागरिक आपूर्ति विभाग को···

श्री जी० जी० स्वैल : भारतीय खाद्य निगम से सीधे खुदरा व्यापारियों को दिया जाए।

श्री पी० शिव शंकर : भारतीय खाद्य निगम के लिए यह संभव नहीं है कि वह इसकी सीधी सप्लाई खुदरा व्यापारियों को करे। यह बहुत मुश्किल है। वस्तुतः एक उपाय हम यह कर रहे हैं कि राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग को इसकी सप्लाई की जाती है ताकि उसके माध्यम से यह खुदरा व्यापारियों तक पहुंच सके। जहां ऐसा नहीं है वहां थोक व्यापारियों को सप्लाई की जा रही थी।

माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव बहुत प्रासंगिक है। इस पर विचार किया जा सकता है पर ऐसा एक दिन में नहीं किया जा सकता। निश्चय ही इसमें समय लगेगा।

श्री जी० जी० स्वैल : अगर आपने मेरे पत्र की पावती भेजी होती तो यह समस्या न पैदा होती।

श्री पी० शिव शंकर : आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इसकी जांच कर सकूं।

श्री जी० जी० स्वैल : कम से कम आपको पावती तो भेजनी चाहिए थी।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आंकड़े अभी बताए हैं, उनसे साफ जाहिर है कि वहां खराब हो रहा है। इससे आपको भी सैटिस्फैक्शन हो गया है··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अरे भई, सैटिस्फैक्शन नहीं, डिस्सैटिस्फैक्शन हो गया है।

श्री वी० तुलसीराम : वहां खराब हो रहा है, इससे सैटिस्फैक्शन अध्यक्ष महोदय का हो गया है, मैं यह कह रहा हूं।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की जगह पर कोई प्राइवेट पार्टी होती, तो ऐसा खराबा नहीं होता। आप सरकार के मंत्री हैं, अफसर हैं, आपकी मंत्री की पदवी बराबर है, अफसर की पदवी बराबर है। अगर वहां खराबा हुआ है, तो मंत्री जी राजीव गांधी जी द्वारा निकाले जाते, लेकिन यह नहीं होता है, इसीलिए सरकार का नुकसान होता है। अगर इसको आप बराबर नहीं करेंगे, तो इससे हमको भी दुःख होगा ··· (व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए ?

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप क्लियर बता दीजिए कि दो, तीन, चार, पांच, छः या सात महीने अर्थात् कितने दिन के अन्दर रक्षा करने के लिए आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने वाले हैं, यह क्लियर कर दीजिए··· (व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : बस, बस। बहुत हो गया। अब ओवर क्लियर मत करिए।

[अनुवाद[

श्री पी० शिव शंकर : यह प्रश्न से थोड़ा सा सम्बन्धित है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे दूं कि अगर सदन अथवा किसी भी सदस्य को लगे कि मेरी गलती से कुछ गलत हुआ है तो मैं मंत्री पद पर एक दिन भी नहीं रहूंगा। लेकिन बात यह है कि विभिन्न विभागों और संस्थानों में अनेक ऐतिहासिक कारण हैं। ऐसा बहुत समय से चला आ रहा है और मैं खुद इससे क्षुब्ध हूं। मैं और मेरे सहयोगी सारे मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देना

चाहें तो मैं उन पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे उनके पास भेज दीजिए। आपका हर समय उनके कार्यालय में स्वागत है।

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्य के कानूनी सुझावों का मैं सम्मान कर सकता हूं पर मैं व्यावहारिक सुझाव चाहता हूं···(व्यवधान)···

कुछ मामलों पर विचार करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने निवेदन किया। मैं स्वयं भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न पहलुओं को लेकर चिन्तित हूं। हम अपेक्षित उपाय करेंगे, पर यह बताना संभव नहीं है कि हम 6 महीनों में करेंगे या 8 महीनों में। इसका हिसाब लगाना पड़ेगा। इसमें समय लगता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किसानों का गेहूं आप किस भाव खरीदते हैं और फेयर-प्राइस शाप को किस भाव में देते हैं। एक क्विंटल अनाज के ऊपर कितना आपका खर्च होता है और उसके अनुसार कितना घाटा या मुनाफा होता है?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : मंडी प्रभारों से लेकर खरीद के लिए अपेक्षित प्रभार तक के ब्यौरे मेरे पास हैं। यह एक विस्तृत चार्ट है। इसे मैं सभा पटल पर रख सकता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी टोटल बता दें, एक किलो के ऊपर कितना खर्च आप लेते हैं?

नेपाल से सामान की तस्करी

*292. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरन्तर प्रयास करते रहने के बावजूद नेपाल के रास्ते बड़े पैमाने पर सामान तस्करी द्वारा भारत में आ रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का तस्करी का सामान पकड़ा गया; और

(ग) इस क्षेत्र में तस्करी को रोकने हेतु सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किए गए अभिग्रहणों से पता चलता कि है भारत-नेपाल सीमा तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सुगम्य क्षेत्र बनी हुई है।

(ख) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में पकड़े गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य इस प्रकार है : —

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1983	1.93
1984	1.80
1985	6.08 (अनन्तिम)

(ग) भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में तस्करी-रोधी अभियान सामान्य रूप से तेज कर दिया गया है। तस्करी की प्रवृत्तियों और किए गए अभिग्रहणों की सतत् समीक्षा की जाती है ताकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सम्बन्धित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बैठाकर यथा आवश्यक उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जा सके।

[हिन्दी]

प्रो० चन्द्र भानु देवी : मैं जानना चाहती हूं कि भारत-नेपाल सीमा पर किन-किन चीजों की तस्करी होती है ? क्या तस्करी के कारणों का अध्ययन किया गया है जिससे उनको रोकने के लिए कदम उठाये जायें ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमें लोगों को जो सूचना मिली है, उसमें मुख्य चीजें हैं—गांजा, सोना, करेन्सी, गोटस्किन, इलैक्ट्रानिक गुड्ज, टार्चेज, टैक्सटाइल और घड़ियां।

एक माननीय सदस्य : गांजा कितना होता है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गांजा बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है।

मुख्य बातों में एक तो यह है कि करीब 1735 किलोमीटर का हमारा खुला बार्डर है जो 4 राज्यों से मिला है और आने-जाने में कोई रुकावट नहीं है इसलिए राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण भी है कि हम उसमें बाधा नहीं डालना चाहते हैं, उसमें रुकावट करने में जरूर कठिनाई होती है बजाय और देशों के लेकिन जो कदम इस माधने में उठाए गए हैं, वह यह हैं कि और भी मैन-पावर और विजिलेंस बढ़ाया जा रहा है और पहले के मुकाबले में चीजें ज्यादा पकड़ी भी गई हैं।

प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या सरकार को मालूम है कि भारत-नेपाल सीमा पर जो कस्टम अधिकारी तैनात हैं उनको आवास की बहुत दिक्कत है, इस वजह से उनका मनोबल बहुत नीचे रहता है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर आवास की उचित सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सही है, हमारे कस्टम आफिसर्स को आवास की जरूरत है, इसके लिए हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राज कुमार राय : मनोबल उनका गिरा हुआ है, सवाल यह है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मनोबल नहीं गिरा हुआ है। वह कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : रात को पाला गिरता है ऊपर से।

प्रो० मधु दंडवते : एक मकान गिर गया है।

श्री काली प्रसाद पांडेय : नेपाल सीमा का सीमावर्ती जिला पश्चिमी चम्पारन और उत्तर-प्रदेश के देवरिया और गोपालगंज हैं, वहां पर दो-तीन नदियों के चलते, और खोज की अव्यवस्था के चलते बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नदी के इलाके में रोकथाम के लिए कोई विशेष फोर्स का गठन करने जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विशेष फोर्स का नहीं, लेकिन मैन-पावर बढ़ाया जा रहा है।

श्री काली प्रसाद पांडेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि गोपालगंज···

अध्यक्ष महोदय : इनको भेज दीजिए।

श्रीमती कृष्णा साही : मंत्री महोदय ने कहा है कि कस्टम के पदाधिकारियों का मनोबल बहुत ऊंचा है। ठीक ही कहा है कि उनका मनोबल ऊंचा है। आप चम्पारन और उसके सीमावर्ती गांवों में जाइए और जितनी दुकानें वहां हैं, वहां बैठकर आप सामान खरीद लीजिए। आपको वह सामान लाने की जरूरत नहीं है, कस्टम के अधिकारी आप जहां कहेंगे वहीं उस माल को पहुंचा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो मनोबल गिरने की जरूरत नहीं।

श्रीमती कृष्णा साही : इसीलिए मैं जानना चाहती हूं, मैंने पिछले सत्र में भी एक सप्लीमैंटरी पूछा था कि 1000 किलोमीटर से अधिक का जो रास्ता है, जिसके माध्यम से सरकार अवैध माल को कन्ट्रोल करते हैं कस्टमविभाग के पदाधिकारी, लेकिन क्या नदी के लिए कोई अलग मोटर लांच जैसे माध्यम यातायात में रखेंगे जिससे इस तस्करी को कन्ट्रोल किया जा सके और क्या नदी के रास्ते पर कन्ट्रोल के लिए कोई फोर्स रखेंगे ? क्या वैसे पदाधिकारियों के बारे में कोई कार्रवाई करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि वह दुकानों से सामान घर पहुंचा देते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह कहना कि इस तरह के पदाधिकारी हैं, यह मैं स्वीकार नहीं करता हूं। बहुत से ऐसे अधिकारी भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। जहां से भी हमें सूचना मिलती है कि किसी ने गलत काम किया है तो हमने वहां पर कार्यवाही भी की है और आगे भी करेंगे। जहां तक लांचेज का प्रश्न है, वह सुझाव हमने नोट कर लिया है।

[अनुवाद]

चावल का आयात और निर्यात

*293. श्री चिन्तामणि जेना : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की चावल की मांग पूरी करने के लिए वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी मात्रा में चावल का आयात किया गया और वर्ष 1985-86 के दौरान कितने चावल का आयात किए जाने की संभावना है;

(ख) चावल का आयात किस अभिकरण के माध्यम से किया गया और किन देशों से तथा किस दर पर आयात किया गया;

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि चावल का निर्यात किया जा रहा है; यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया; और किन-किन देशों को किन-किन दरों पर इसका निर्यात किया गया; और

(ङ) क्या चावल के सम्बन्ध में वर्ष 1986-87 के लिए अपनी चावल सम्बन्धी निर्यात नीति की पुनरीक्षा करने का सरकार का विचार है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण-1 सभा के पटल पर रखा जाता है। फिलहाल, चावल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, हां। विवरण-2 सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें चावल के निर्यात के बारे में सूचना दी गई है।

(ङ) चावल का निर्यात करने की नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण-1

लोक सभा में 14 मार्च, 1986 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० 293 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित विवरण
1983-84 से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकारी खाते पर चावल के आयात के ब्यौरे बताने वाला विवरण

वर्ष	स्रोत	खरीद करने के लिए ठेकाबद्ध मात्रा (लाख मीटरी टन में)	प्रति मीटरी टन जहाज तक निष्प्रभार औसत कुल मूल्य (अमरीकी डालर)	जहाज तक निष्प्रभार अनुमानित मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
1983-84	थाईलैण्ड	3.70	224.46	83.050
	बर्मा	3.50	194.00	67.900
1984-85	—	—	—	—
1985-86 (अब तक)	—	—	—	—

विवरण-2

लोक सभा में 14-3-1986 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० 293 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित विवरण
1983-84, 1984-85 और 1985-86 (अप्रैल-दिसम्बर, 1985) के दौरान निर्यात किए गए चावल (बासमती) की मात्रा और मूल्य को बताने वाला विवरण

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1983-84	141664	96.12
1984-85	241785	163.03
1985-86 (अप्रैल-दिसम्बर 1985) (अनन्तिम)	183667	132.64

सोवियत रूस और खाड़ी के देश बासमती चावल के निर्यात के लिए प्रमुख मंडिया हैं।

गैर-बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति सीमित सीमा के अन्दर 18-2-1986 से दी गई है बशर्ते कि वर्ष 1985-86 के दौरान जहाज तक निष्प्रभार न्यूनतम निर्यात मूल्य 4,000/- रुपये प्रति मीटरी टन हो।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, मेरे प्रश्न के 'इ' भाग का जवाब देते समय माननीय मन्त्री ने कहा है कि चावल-निर्यात नीति पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता है। अतः क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने हाल में अपनी गैर-बासमती चावल निर्यात नीति पर पुनर्विचार किया है ? यदि ऐसा किया गया है तो कब और उन चावलों को विदेशों में निर्यात करने पर लगाई गई शर्तें कौन-सी हैं ? कौन से देश हमसे गैर-बासमती चावल लेने की आशा करते हैं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ? चालू वर्ष 1986-87 में गैर-बासमती चावल कितनी मात्रा में निर्यात किया जायेगा।

श्री ए० के० पंजा : महोदय, वास्तव में प्रश्न के तीन भाग हैं। जहां तक गैर-बासमती चावलों सम्बन्धी नीति में परिवर्तन और पुनर्विचार का सम्बन्ध है, गैर-बासमती चावलों के निर्यात की नीति में 18 फरवरी, 1986 को परिवर्तन किया गया था। इसके सम्बन्ध में 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति होगी, पर अधिकतम सीमा 100 प्रतिशत अनुमोदित अपरिवर्तनीय साख पत्र पर 4000 रुपये प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर जहाज तक निःशुल्क के अध्यधीन निर्धारित की गई है।

जहां तक गैर-बासमती चावलों के निर्यात का सम्बन्ध है, सोवियत संघ, खाड़ी देश और ब्रिटेन चावल की प्रमुख मंडियां हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ? यह मेरा अन्तिम प्रश्न था।

श्री ए० के० पंजा : अभी इस स्तर पर हम नहीं कह सकते कि कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। यह 18 फरवरी, 1986 को शुरू हुआ था। मैंने कीमत बता दी है।

श्री चिन्तामणि जेना : कितनी मात्रा निर्यात की जानी है ?

श्री ए० के० पंजा : 5 लाख टन मात्रा निर्यात की जानी है। परन्तु यह अनाज की प्राप्यता पर भी निर्भर करती है।

श्री चिन्तामणि जेना : जहां तक प्रथम पूरक प्रश्न का सम्बन्ध है, वे पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं। अब मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न रखना चाहता हूं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सही है कि गैर-बासमती चावल का यह निर्यात इनके खुले बाजार भावों को प्रभावित करता है ? और यदि ऐसा है, तो गैर-बासमती चावलों के खुले बाजार में भावों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री ए० के० पंजा : महोदय, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उपलब्ध

गैर-बासमती चावलों के आधार पर हम निर्यात नीति पर पुनर्विचार करने की सोच रहे हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और खुले बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद निर्यात नीति तय की जाती है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने सोवियत संघ और खाड़ी क्षेत्र को भारतीय चावल के मुख्य बाजारों के रूप में उद्धृत किया है। मुझे सोवियत संघ में सी० आई० एफ० की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परन्तु जहां तक खाड़ी क्षेत्र का सम्बन्ध है, मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे प्रतियोगियों द्वारा प्राप्त मूल्य, माननीय मन्त्री द्वारा हाल ही में उद्धृत मूल्य, बम्बई में जहाज तक निःशुल्क 4000 रुपये की अपेक्षा अधिक है। वास्तव में एफ० ओ० बी० मूल्य भ्रामक है। वास्तविक मूल्य जिस पर विचार किया जाना चाहिए था, सी० आई० एफ० खाड़ी बन्दरगाह वाला मूल्य है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तानी चावल के सी० आई० एफ० मूल्य और भारतीय चावल के सी० आई० एफ० मूल्य में कोई अन्तर नहीं है।

श्री ए० के० पंजा : यह बात ठीक है जिस पर हमें विचार करना पड़ेगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं असलियत जानना चाहता हूं।

श्री ए० के० पंजा : माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ दूसरे देशों ने अधिक से अधिक पैसा कमाया है, परन्तु हमारे द्वारा निर्धारित यह न्यूनतम मूल्य है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : परन्तु आप इसे कैसे निर्धारित करते हैं ?

श्री ए० के० पंजा : यदि कोई दूसरा देश ऐसे कर रहा है और यदि माननीय सदस्य हमें सूचना देते हैं तो हम जांच करेंगे और सभा को जानकारी देंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या बाजार मूल्यों पर विचार किये बिना ही मूल्य निर्धारित कर दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : वे अपने उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही इसे निर्धारित करते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : तब विभिन्न संभरकों द्वारा लिए गए बाजार मूल्य के बारे में यह वास्तविक जानकारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन वस्तुओं के बारे में विचार-विमर्श किये बिना वे इसे कैसे कर सकते हैं ?

श्री ए० के० पंजा : न्यूनतम निर्यात मूल्य मैं पहले ही बता चुका हूं परन्तु माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारा मूल्य कम है। परन्तु इस समय मेरे पास अन्तर के निकार्ड नहीं हैं। मूल्य निर्धारण कैसे हुआ था, यह मैं सभा पटल पर रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 294—श्री हरिहर सोरन अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 295—श्री सरफराज अहमद, अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 296—श्री मनफूल सिंह चौधरी।

[हिन्दी]

आयकर सम्बन्धी छापों से शुद्ध लाभ

*296. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1985, दिसम्बर, 1985 और जनवरी, 1986 में आय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों में कितने मूल्य की लेखा-बाह्य सम्पत्ति पकड़ी गई;

(ख) क्या इन अधिकारियों को नियमानुसार मिलने वाले सामान्य भत्तों के अतिरिक्त, पकड़ी गई सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर नकद अथवा अन्य प्रकार से कोई पुरस्कार दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन छापों पर हुए व्यय को घटाने के बाद कितना शुद्ध लाभ हुआ है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पसल पर रखा गया है।

विवरण

(क) नवम्बर, 1985, दिसम्बर, 1985 और जनवरी, 1986 के महीनों में ली गई तलाशियों के दौरान, आय कर विभाग द्वारा पकड़ी गई लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का प्रथमदृष्ट्या मूल्य इस प्रकार है : —

माह	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
नवम्बर, 1985	376.87
दिसम्बर, 1985	643.28
जनवरी, 1986	643.81

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित तलाशियों के सम्बन्ध में कर्मचारियों को अभी तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है।

(ग) राजस्व में हुए शुद्ध लाभ की जानकारी संगत कर-निर्धारणों के पूरा होने के बाद ही पता चलेगी जिसके लिए सामान्य कानूनी समय-सीमा संगत कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से और परिणामी अपीलीय कार्यवाहियों के पूरा किए जाने की तारीख से दो वर्ष की होती है।

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि आपने बहुत तत्परता से आय कर अधिकारियों को आदेश देकर छापे डलवाए हैं लेकिन उन छापों में कुछ आय कर अधिकारी बीच में गड़बड़ करते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि बम्बई के एक बहुत बड़े करोड़पति हैं, उनके यहां छापा मारा गया, कई करोड़ रुपये वहां पकड़े गए, आय कर अधिकारी और करोड़पति ने मिलकर यह किया कि एक करोड़ रुपया (अनएकाउन्टेड मनी) एनाउन्स करवा देते हैं जिससे अधिकारियों को इनाम भी मिल जायेगा और उसकी बचत भी हो जायेगी। तो इस तरह की बातों को रोकने के लिए जरा मंत्री महोदय कोशिश करने की कृपा करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसी किसी भी बात को रोकने की कोशिश में हम हैं। आप सूचना दे दें तो हम जांच करवा लेंगे।

[अनुवाद]

कृषि पदार्थों का निर्यात

*297. श्री अमर सिंह राठवा
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मूल्य के कृषि पदार्थों का निर्यात किया गया;

(ख) निर्यातित कृषि पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका निर्यात किन-किन देशों को और किन एजेंसियों के माध्यम से किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय कृषि पदार्थों की भारी मांग है; और

(ङ) निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और निर्यात को दिए जा रहे प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों के लिए अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर भारत के कृषि उत्पादों, जिनमें बागान उत्पाद शामिल नहीं हैं, के निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1982-83	1350
1983-84	1400
1984-85	1450

(ख) हालांकि भारत से बड़ी संख्या में कृषि मदें निर्यात की जाती हैं, फिर भी प्रमुख कृषि मदों के समग्र निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(मूल्य, करोड़ रुपये)

क्रमांक	मद	1982-83	1983-84	1984-85
1.	खली	148.59	146.29	132.81
2.	अनिर्मित तम्बाकू तथा तम्बाकू रिफ्यूज	214.44	149.61	148.63
3.	काजू गिरी	135.36	156.62	174.48
4.	मसाले	94·55	109.26	174.06
5.	चीनी तथा चीनी से तैयार चीजें	67.44	139.86	21.74
6.	चावल	217.90	147.13	121.68
7.	फल तथा सब्जियां (काजू गिरी को छोड़कर)	153.59	155.16	161.78
8.	कपास	107.76	148.95	56.80
9.	मांस तथा मांस से बनी वस्तुएं	80.48	68.32	75.98

1983-84 के बाद के आंकड़े अनन्तिम/प्रारम्भिक हैं और इनमें संशोधन हो सकता है।

(ग) भारत से कृषि मदों के निर्यातों के लिए प्रमुख बाजार हैं पश्चिम एशिया, सोवियत संघ,

यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

कृषि मदों के हमारे निर्यातों का अधिकांश कारोबार निजी व्यापार द्वारा किया जाता है। कृषि क्षेत्र में केवल कुछ ही मदें हैं जो इस समय निर्यात के लिए सरणीबद्ध हैं।

(घ) कृषि उत्पाद अनेक देशों द्वारा जिनमें भारत शामिल है निर्यात किए जाते हैं। भारत से इन उत्पादों के लिए निर्यात मांग किसी विशेष समय में घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलनात्मक स्थिति पर निर्भर करती है।

(ङ) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं जैसे नकद प्रतिपूर्ति सहायता, पंजीकृत निर्यातों को आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क वापसी की सुविधा, बाजार विकास के लिए सहायता, मूल्य वर्धित पैकों में निर्यातों को प्रोत्साहन, निर्यात योग्य कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श आदि। कृषि मदों तथा उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिये कृषि तथा साधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना करके संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान मसाला अधिनियम भी पारित किया गया है जिससे हमें मसाला बोर्ड स्थापित करने में मदद मिलेगी जिसका उद्देश्य विशेष रूप से मूल्य वर्धित रूप में मसालों के निर्यातों का विकास करना होगा।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कपास का निर्यात 1984 में जो था उससे 1985 में बिल्कुल घट गया जिसके कारण सारे देश में, विशेषकर गुजरात में कपास के निर्यात के बारे में बड़ी चिन्ता है तथा कपास का निर्यात न होने के कारण लोग बहुत परेशान हो गए हैं इसलिए क्या इसके निर्यात के लिए मंत्री जी कोई नया बाजार ढूंढ़ रहे हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्य का जो सवाल है उसके सम्बन्ध में सारे डिटेल्स मैंने उत्तर (ई भाग) में दे दिए हैं। आप चाहते हैं तो मैं पढ़कर बता देता हूं :—

[अनुवाद]

"सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं जैसे नकद प्रतिपूर्ति सहायता पंजीकृत निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क वापसी की सुविधा, बाजार विकास के लिए सहायता, मूल्य वर्धित पैकों से निर्यात को प्रोत्साहन, निर्यात योग्य कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ समय समय पर विचार-विमर्श आदि। कृषि मदों तथा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि तथा साधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना करके संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान मसाला अधिनियम भी पारित किया गया है जिससे हमें मसाला बोर्ड स्थापित करने में मदद मिलेगी जिसका उद्देश्य विशेष रूप में मसालों के निर्यातों का विकास करना होगा।"

ये विभिन्न उपाय हैं जो कृषि मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किये गये हैं।

सभापति महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

इंजीनियरी सामान का निर्यात

*285. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में कितने मूल्य के इंजीनियरी सामान का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई; और

(ख) भारत से इंजीनियरी सामान का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान इंजीनियरी माल का निर्यात अनन्तिम रूप से 775 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) भारत 100 से भी अधिक देशों को इंजीनियरी माल का निर्यात कर रहा है। इनमें से भारतीय इंजीनियरी माल के प्रमुख आयातक देश हैं : बंगलादेश, मिस्र, ईरान, इराक, साऊदी अरब, श्रीलंका, यू० ए० ई०, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका तथा सोवियत संघ।

दिल्ली में सुपर बाजारों के माध्यम से खुदरा सामान की दुकानों की संख्या बढ़ाना

*286. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सुपर बाजारों के माध्यम से खुदरा सामान की दुकानों की संख्या बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में सुपर बाजार की कितनी नई शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त वित्तीय वर्ष में खोली जाने वाली खुदरा सामान की दुकानों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) दि कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली, जो सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय है, का वर्ष 1986-87 के दौरान 15 नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1986-87 के दौरान सुपर बाजार का दिल्ली में निम्नलिखित स्थानों पर 15 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है :—

1. "सी" ब्लाक, कालकाजी
2. नेहरू नगर शापिंग सेन्टर
3. ग्राम गढ़ी, "सी" ब्लाक (ईस्ट आफ कैलाश)
4. रघुबीर नगर
5. तिलक नगर
6. बसन्त एन्क्लेव एस० एफ० ग्रुप
7. पंचशील, निकट भारतीय रिजर्व बैंक कालोनी
8. पीतम पुरा पाकेट "आर"
9. मयूर विहार पाकेट-II
10. बोडेला सी० जी० सी० ग्राउंसिंग सोसाइटी
11. बोडेला (विकास पुरी) "जे" ब्लाक, पाकेट जे जी-II
12. स्वास्थ्य विहार
13. सफदरजंग एन्क्लेव
14. यमुना विहार
15. पंजाबी बाग एक्सटेंशन।

[अनुवाद]

विनिमय दर सम्बन्धी नीति के कारण निर्यात में कमी

*289. डा० के० जी० आदियोडी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान विनिमय दर सम्बन्धी नीति के कारण निर्यात में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं का संभरण

*290. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने हेतु राज्य सरकार की गेहूं और चावल की पृथक-पृथक कुल वार्षिक मांग कितनी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान और जनवरी, 1986 में उड़ीसा सरकार को चावल और गेहूं का कुल कितना आबंटन किया और वास्तव में कितनी मात्रा में इसका संभरण किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1983, 1984, 1985 के दौरान और जनवरी, 1986 में उड़ीसा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं की मांग, उसके आबंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान और जनवरी, 1986 में उड़ीसा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल के चावल और गेहूं की मांग, उन्हें किए गए आवंटन और उनके उठान को बताने वाल विवरण ।

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	मांग		आवंटन		उठान	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1983	477.0	282.0	190.0	225.0	153.3	203.4
1984	228.0	278.0	75.0	221.0	42.9	146.1
1985	540.0	480.0	157.0	276.0	73.2	75.5
1986 (जनवरी)	5.0	30.0	20·0	23.0	1.9	2.7

आदिवासी क्षेत्रों में सस्ती दरों पर खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए बिक्री केन्द्र

*294. श्री हरिहर सोरन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सस्ती दरों पर खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कुछ राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में बिक्री केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां ऐसे केन्द्र खोले गए हैं; और

(ग) कौन-कौन से सरकारी अभिकरण सस्ती दरों पर खाद्यान्नों की पूर्ति करने के कार्य कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं जहां पर समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई है।

(ग) यद्यपि भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्यान्नों की आपूर्ति करता है लेकिन लाभभोगियों को उनका खुदरा वितरण करने की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकारों/

संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली निकास और सहकारी समितियों तथा बड़े आकार की बहुउद्देश्यीय समितियों जैसी स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से की जाती है।

विवरण

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और आदिवासी बहुल राज्यों के नाम बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम
1	2
	समन्वित आदि वासी विकास परियोजना वाले राज्य/संघ शासित प्रदेश
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	गुजरात
5.	हिमाचल प्रदेश
6.	कर्नाटक
7.	केरल
8.	मध्य प्रदेश
9.	महाराष्ट्र
10.	मणिपुर
11.	उड़ीसा
12.	राजस्थान
13.	सिक्किम
14.	तमिलनाडु
15.	त्रिपुरा

1	2
16.	उत्तर प्रदेश
17.	पश्चिम बंगाल
18.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
19.	गोआ, दमन और दीव
	आदिवासी बहुल राज्य/संघ शासित प्रदेश
20.	अरूणाचल प्रदेश
21.	मेघालय
22.	मिजोरम
23.	नागालैंड
24.	दादरा तथानगर हवेली
25.	लक्षद्वीप

निर्यात को बढ़ाने के लिए एक समन्वय समिति के गठन का प्रस्ताव

*295. श्री सरफराज अहमद
श्री वी० वी० वैसाई } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठन महासंघ ने निर्यात को बढ़ाने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए वाणिज्य और वित्त मन्त्रालयों तथा निर्यात संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति गठित करने के लिए मांग की है;

(ख) क्या इस महासंघ ने इसके संबंध में उनको कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) निर्यात संवर्धन के प्रति समन्वित दृष्टिकोण के लिए अनेक समितियां तथा जरिए हैं। जैसा कि सुझाव दिया गया है एक और समिति बनाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

आयात नीति को उदार बनाया जाना और भुगतान/संतुलन की स्थिति

*298. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात के सम्बन्ध में हाल में बनाई गई उदार नीति और निर्यात के लिए प्रदान किये गए प्रोत्साहनों से देश की निर्यात संबंधी आय में अपेक्षित वृद्धि हुई है जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रानिकी और रासायनिकों के क्षेत्रों का इस संबंध में कार्य-निष्पादन विशेषत: कैसा रहा है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) निर्यात तथा भुगतान संतुलन स्थिति का निर्धारण अनेक अन्तरिक तथा बाहरी बातों के आधार पर होता है। नीति संबंधी उपाय इस उद्देश्य से तैयार किए गए हैं; निर्यात योग्य वस्तुओं और माल के उत्पादन आधार में वृद्धि करना, भारतीय उत्पादों की क्वालिटी और प्रतियोगिता क्षमता में सुधार लाना; निर्यातों के लिए प्रोत्साहन देना और कुशल आयात प्रतिस्थापन के लिए बढ़ावा देना। इनमें से कुछ नीति संबंधी उपायों का परिणाम निकलने में समय लगेगा।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए उपलब्ध डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर 1986 के दौरान रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात 157.77 करोड़ रु० के हुए। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान इलैक्ट्रानिक्स के निर्यात 75 करोड़ रु० के हुये।

केन्द्रीय भांडागार निगम के नए गोदाम

*299. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय भांडागार निगम का कितने नए गोदाम खोलने का विचार है; और

(ख) इन गोदामों की भंडारण क्षमता अनुमानत: कितनी होगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का 20.00 लाख मीटरी टन का भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस क्षमता में से, 31-1-1986 तक 40

भांडागारों में 3.04 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण किया जा चुका है। 30 भांडागारों में 2.88 लाख मीटरी टन की क्षमता निर्माणाधीन है। निगम उन भांडागारों की संख्या, जिनमें शेष क्षमता का निर्माण किया जाएगा, का निर्धारण कर रहा है।

हथकरघा माल और कपड़ों का निर्यात

*300. श्री वी० तुलसी राम : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा माल और कपड़ों के निर्यात में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10% से अधिक वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) हथकरघा वस्तुओं और कपड़ों के निर्यात में आंध्र प्रदेश का कितना योगदान रहा है और इसने कितने मूल्य के माल का निर्यात किया है; और

(घ) आंध्र प्रदेश से हथकरघा वस्तुओं और कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार का उस राज्य को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1985 में हथकरघा वस्त्र सहित टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग के निर्यात 1984 की अपेक्षा 10% से भी अधिक रहे।

(ख) जिन मदों में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी उनमें परिधान, सिले सिलाए वस्त्र तथा कतिपय हथकरघा उत्पाद शामिल हैं।

(ग) वस्त्र निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) निर्यात प्रोत्साहन राज्य वार नहीं दिए जाते हैं/दिए जा रहे निर्यात प्रोत्साहन का विवरण संलग्न है।

विवरण

वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नोक्त उपाय किए गए हैं:—

(क) वस्त्र उत्पादों के आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण योजना उपलब्ध है।

(ख) स्वदेश में निर्मित न की जाने वाली जटिल वस्त्र मशीनें ओ० जी० एस० पर आयात करने की अनुमति है।

(ग) चौड़े पने वाले शटल रहित करघों तथा रोटर स्पिनिंग मशीनों की निर्यात बाध्याताओं से जुड़े रियायती आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति है।

(घ) पहली जनवरी, 1984 से नकद मुआवजा सहायता की दरें काफी बढ़ा दी गई हैं। ये दरें 1985 के दौरान जारी रही। इन दरों को मार्च, 1986 तक पूरी होने वाली समीक्षा के अध्यधीन 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ा दिया गया है।

(ङ) आयात निर्यात नीति 1985-86 के परिशिष्ट —17 के द्वारा आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात हकदारियों को उदार बनाया गया है। 1985-86 के लिए आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट 21 के द्वारा अग्रिम लाइसेंसिंग योजना और शुल्क मुक्त आर० ई० पी० 19 तथा योजना के अन्तर्गत आयात करने के लिए कच्चे माल/वस्त्रों की कुछ मदों की अनुमति है।

(च) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एक्ट तथा मुक्त व्यापार जोन योजनाओं के अन्तर्गत कई अन्य रियायतों के साथ-साथ अनिवार्य निर्यात दायित्व के साथ पूंजी माल कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं दी जाती हैं।

(छ) घरेलू वस्त्र मशीनों को आधुनिक बनाने के लिये विदेशी सहयोग की अनुमति है ताकि निर्यातक आधुनिक मशीनें प्राप्त कर सकें। ऐसी आधुनिक मशीनों की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति है जिनका देश में विनिर्माण नहीं होता। परिधानों तथा होजरी की वस्तुओं के लिए लगभग 114 मशीनों का खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है, जिनमें से 97 को आयात निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट—1 भाग ख के द्वारा रियायती आयात शुल्क की छूट प्राप्त है।

(ज) नई आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत विनिर्माता-निर्यातकों के लिए सरकार ने नई आयात-निर्यात पास बुक योजनाएं लागू करने की घोषणा की है।

(झ) फैशन, डिजाइन के क्षेत्रों में विशेष रूप से परिधान व्यापार के लिए शिक्षा, अनुसंधान, सेवा तथा प्रशिक्षण के लिए सरकार ने दिल्ली में एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(ञ) सरकार नये उत्पादों तथा नए बाजारों के लिए अतिरिक्त सहायता दे रही है। नए उत्पादों तथा नये बाजारों के लिए 10 प्रतिशत अधिक आर० ई० पी० दी जाती है।

(ट) सरकार बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि जैसी संवर्धनात्मक गतिविधियों के प्रयोजन के लिए तथा उनको धन की व्यवस्था करने के लिए उदार सहायता तथा राजस्व देती रही है।

(ठ) परिधानों के लिए शुल्क वापसी की दरों को उदार बनाया गया है।

भारतीय खाद्य निगम के प्रशासनिक ऊपरी खर्चे

*301. श्री मती किशोरी सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ द्वारा भारतीय खाद्य निगम के प्रशासनिक ऊपरी खर्चों के सम्बन्ध में उक्त निगम के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को देखा है;

(ख) क्या इस निगम की हानि लगभग 1100 करोड़ रुपये है जैसाकि महासंघ द्वारा हिसाब लगाकर बताया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो भंडारण और माल की ढुलाई आदि सहित खाद्यान्नों की उठाई-धराई पर भारतीय खाद्य निगम का कितना ऊपरी व्यय होता है और गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापार की तुलना में यह कितना कम या अधिक है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखे हैं।

(ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुसार "बिना लाभ-बिना हानि" के आधार पर खाद्यान्नों की वसूली और उनका निर्गम करता है। भारतीय खाद्य निगम को उनकी परिचालन लागत और निर्गम मूल्यों के बीच के अन्तर की प्रति पूर्ति राज-सहायता के रूप में की जाती है। सरकार द्वारा 1984-85 में भारतीय खाद्य निगम को 1,100 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी।

(ग) 1984-85 में वसूली विषयक प्रासंगिक खर्चे गेहूं के मामले में 26.31 रुपये प्रति क्विंटल और चावल के लिए 17.32 रुपये प्रति क्विंटल थे। दोनों गेहूं और चावल के मामले में वितरण लागत 51.89 रुपये प्रति क्विंटल थी।

भारतीय खाद्य निगम के परिचालन निजी क्षेत्र के व्यापार के साथ तुलनीय नहीं है।

जापान से रियायती शर्तों पर ऋण

*302. श्री के० वी० शंकर गौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत को रियायती शर्तों पर 200 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में फरवरी, 1986 में कोई करार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(घ) इस ऋण से किन-किन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था की जाएगी ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) आसाम गैस टरबाइन पावर स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन परियोजना के सम्बन्ध में जापान सरकार के साथ 18 फरवरी, 1986 को एक अन्त: सरकारी करार निष्पन्न किया गया था। इस परियोजना के लिए जापान सरकार 30 अरब येन का एक विशेष ऋण दे रही है जो लगभग 206 करोड़ रुपये के बराबर है। इस ऋण की वापसी अदायगी 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 30 वर्षों में छमाही किस्तों में की जाएगी और इस पर 4.25 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

उत्पाद-शुल्क संबंधी राजस्व की चोरी

*303. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन की तुलना में उत्पाद शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली राशि पर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद-शुल्क के रूप में होने वाले राजस्व की चोरी न होने पाये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने औद्योगिक उत्पादन में अभिवृद्धि की तुलना वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व की वसूली के साथ नियमित रूप से की है। बजट अनुमानों में भी, अन्य बातों के साथ-साथ, महत्वपूर्ण राजस्व अर्जक जिन्सों के उत्पादन में विगत और भावी अभिवृद्धि का ध्यान रखा जाता है। वर्ष 1985-86 में अब तक उत्पादन शुल्कों की उगाही से यह पता चलता है कि राजस्व पूरे वित्तीय वर्ष में अनुमानों से कई सौ करोड़ अधिक होगा।

(ख) उत्पादन शुल्क की चोरी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम एक सतत प्रक्रिया है और उत्पादन शुल्क की वसूली की खामियों तथा राजस्व की हानि को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किये जाते रहते हैं जिनमें कानूनी, कार्यविधि संबंधी और प्रशासनिक उपाय भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

आयकर ढांचे को न्याय संगत बनाने का प्रस्ताव

2746. श्री आनन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोई नवीनतम अनुमान है कि औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वेतन-

भोगी वर्ग, व्यापार और व्यवसाय तथा भूमि तथा भवनों से होने वाली कितने प्रतिशत आय पर निर्धा . रण किया जाता है और कितने प्रतिशत आय आयकर के दायरे से बाहर रहती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार के पास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से होने वाली आय, जिनका आयकर निर्धारण होता है, के प्रतिशत-अनुपात के बारे में नवीनतम अनुमान नहीं हैं। तथापि, आयकर विभाग हर वर्ष "आल इंडिया इन्कमटैक्स स्टेटिस्टिक्स" नामक पुस्तक प्रकाशित करता है जिसमें वित्तीय वर्ष 1982-83 में आय की स्थिति (कृषि आय को छोड़कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले आयकर के दायरे से बाहर निम्नानुसार दर्शायी गई है :—

वेतन-आय	18.88%
मकान सम्पत्ति से आय	00.59%
व्यापार या व्यवसाय (औद्योगिक क्षेत्र सहित) से आय	70.91%
अन्य आय (पूंजी अभिलाभ, लाभांश आदि)	9.62%

पब्लिक लि० कम्पनियों के पूंजी निर्गमों के लिए निर्धारित राशि से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होना

2747. डा० बी० एल० शेलेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के पूंजी निर्गमों के लिए निर्धारित राशि से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होने के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और इससे विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने में होने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी विलंब के अतिरिक्त इसकी गैर-सरकारी तौर पर शेयरों आदि के मूल्य में काफी वृद्धि करने में प्रमुख भूमिका रहती है;

(ख) यदि हां, तो कड़ी मेहनत से तैयार की गई साम्य पूंजी व्यवस्था को कायम रखने तथा ऐसे पंजीकृत अंश-धारियों को, जिन्होंने अपने शेयर बेच दिए हों, किन्तु जो क्रेता के नाम अन्तरित न हुए हों, कम्पनियों के लिए साधिकार-शेयर, लाभांश, ब्याज अथवा बोनस न भेजना अनिवार्य बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हाल ही में पूंजी के कुछ सार्वजनिक निर्गमों के सम्बन्ध में अति-अभिदान के मामलों में वृद्धि हुई है। पंजी के सार्वजनिक निर्गमों के अति-अभिदान के परिणामस्वरूप आवेदनों को पूरा करने, आबंटन के आधार को अन्तिम रूप देने, आबंटन पत्रों/धन वापसी आदेश जारी करने आदि जैसे कार्यों से सम्बन्धित अतिरिक्त काम काज बढ़

गया है। अति-अभिदान और अनधिकृत अधिमूल्य के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम करना सम्भव नहीं है।

(ख) सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधन से सम्बन्धित कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है जिनमें लाभांशों की अदायगी तथा शेयरों के वास्तविक धारकों को "आधिकारिक" और "बोनस" शेयर आदि जारी करने के सुझाव भी शामिल हैं।

तिलहनों, दालों और चीनी का आयात

2748. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय तिलहनों, दालों और चीनी का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 में प्रत्येक का कितना आयात किया गया;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इनका आयात किया गया; और

(घ) सरकार का इस संबंध में वर्ष 1986 के लिए क्या प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) विभिन्न मदों के आयात की मात्रा तथा उन देशों के नाम, जहां से आयात किया गया, के सम्बन्ध में आंकड़े अब तक 1982-83 वर्ष तक संकलित किए गए हैं। वर्ष 1985 के दौरान तिलहनों, दालों तथा चीनी के आयातों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) मांग तथा पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके इन वस्तुओं के आयात की नीति की बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

चावल मिलों में चावल की भूसी से तेल निकालना

2749. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पश्चिम बंगाल तथा अन्य चावल उत्पादक राज्यों में स्थापित चावल मिलों में चावल की भूसी से तेल निकालने की सम्भावना का मूल्यांकन करने सम्बन्धी कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य उत्पादकों के क्षेत्र की उपलब्धियां क्या हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) नागरिक पूर्ति विभाग में, चावल मिलों, विलायक निष्कर्षण एककों तथा तेल संसाधन एककों को सम्बद्ध करते हुए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने के लिए चावल की भूसी के तेल का उत्पादन करने के संबंध में एक अन्तर्मन्त्रालय समन्वय समिति गठित की गई है। समिति के एक निर्णय के अनुसार पश्चिम बंगाल तथा अन्य चावल उत्पादक राज्यों में चावल मिलों से क्वालिटी वाली चावल की भूसी के उत्पादन के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया गया था।

इसके अलावा, सरकार द्वारा गठित की गई तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति ने भी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कई चावल मिलों का दौरा किया। समिति ने यह दौरा छिलका उतारने वाली (हुलर) चावल मिलों के उन्नयन/सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करने के लिए किया था, ताकि विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया के जरिये कम खर्च में तेल निकालने के लिए उपयुक्त अच्छी किस्म की चावल की भूसी प्राप्त की जा सके।

(ग) चावल की भूसी के खाद्य तेल का उत्पादन करने के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में हुई उपलब्धियां नीचे दी गई हैं : —

वर्ष	(मात्रा मीटरी टनों में) उत्पादित चावल की भूसी	
	खाद्य	कुल
1981-82	10,000	1,50,000
1982-83	26,000	1,45,000
1983-84	23,000	1,83,000
1984-85	19,200	2,02,000
1985-86	30,000	2,50,000
	(अनुमानित)	(अनुमानित)

चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय राशि की अदायगी

2750. डा० ए० के० पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में वर्ष 1984-85 के गन्ना पिराई मौसम के पश्चात् और 1985-86 के गन्ना पिराई मौसम के प्रारम्भ में तथा 31-12-1985 तक गन्ना उत्पा-

दकों की प्रत्येक चीनी फैक्ट्री की और फैक्ट्री-वार कुल कितनी देय राशि बकाया थी; और

(ख) गन्ना उत्पादकों को इस देय राशि का ब्याज सहित शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा): (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1985-86 पेराई मौसम के आरम्भ में (अर्थात 1-10-1985 को) और 31-12-85 को उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की व्यक्तिगत चीनी फैक्ट्रियों की तरफ गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) गन्ने की मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करवाना और विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज दिलवाना सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखती है और गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान करवाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध करती है। केन्द्रीय सरकार ने उद्योग की तरलता स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी ओर से हाल ही में कई एक उपाय किए हैं ताकि वे बकायों का शीघ्र भुगतान कर सकें। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 1984-85 मौसम के लिए समस्त देश के लिए गन्ने के मूल्य की कुल लगभग 1270 करोड़ रुपए की बकाया राशि में से 31 जनवरी, 1986 को लगभग 2.23 करोड़ रुपए की बकाया राशि शेष रह गई है। प्रतिशततावार, पिछले मौसम के लिए बकाया राशि केवल 0.17 प्रतिशत बैठती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को बताने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

फैक्ट्री का नाम	गन्ने के मूल्य की बकाया राशि					
	निम्न मौसम के लिए 1-10-85 को			निम्न मौसम के लिए 31-12-85 को		
	1984-85 मौसम	1983-84 और पूर्व के मौसम	1985-86 मौसम	1984-85 मौसम	1983-84 और पूर्व के मौसम	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश						
1. मोहिउद्दीनपुर	—	6.18	27.73	—	6.18	
2. खतौली टांडा	98.93	0.28	—	28.93	0.28	

1	2	3	4	5	6	7	
3.	छाता	—	—	30.05	—	—	
4.	बागपत	31.99	—	74.98	—	—	
5.	अनूपशहर	1.09	0.98	37.36	0.25	0.98	
6.	सरसावा	—	—	39.36	—	—	
7.	हरदुआगंज	26.64	2.40	79.95	1.31	2.40	
8.	रमाला	0.96	1.31	97.23*	0.95*	1.31*	22-12-85 को
9.	ननौटा	—	—	119.83	—	—	
10.	मोरना	—	—	33.62	—	—	
11.	मोदीनगर	—	—	39.81	—	—	
12.	*15-9-85 मेरठ	25.66*	0.13*	10.40	18.00	0.13	
13.	दौराला	—	—	18.14	—	—	
14.	मवाना	—	—	—	—	—	
15.	सिम्भावली	—	—	17.48	—	—	
16.	खतौली	—	—	78.45	—	—	
17.	मंसूरपुर	21.21	—	54.53	—	—	
18.	रोहनाकलां	34.96	—	40.08	—	—	
19.	शामली	—	—	48.90	—	—	
20.	बुलन्दशहर	49.85	—	27.01	4.86	—	
21.	देवबन्द	26.80	—	67.05	—	—	
22.	सहारनपुर	5.54	—	56.33	3.54	—	

1	2	3	4	5	6	7	
23.	इकबालपुर	81.40	—	89.33	—	—	
24.	लक्सर	—	13.83	99.47	—	13.83	
25.	डोईवाला	—	—	19.92	—	—	
26.	बिजनौर	16.54	7.58	23.71	—	7.58	
27.	चांदपुर	—	—	24.65	—	—	
28.	अमरोहा	61.43	12.90	13.53	4.98	14.91	
29.	रजा बुलन्द	—	9.72	37.48	—	9.72	
30.	किच्छा	—	—	30.46	—	—	
31.	एक्सपेरिमेंटल	—	—	—	—	—	
32.	बिलासपुर	—	—	29.26	—	—	
33.	बाजपुर	—	—	36.86	—	—	
34.	बिसालपुर	17.68	—	51.12	—	—	
35.	मझोला	63.55	—	53.50	—	—	
36.	कायमगंज	17.97	7.35	60.34	0.37	6.94	
37.	नदेही	2.40	—	108.08	0.84	—	
38.	बदायूं	—	—	15.61	—	—	22-12-85 को
39.	तिलहर	31.87	—	53.81	3.23	—	
40.	बैलरायां	—	—	34.58	—	—	
41.	गजरौला	1.68	—	60.68	—	—	
42.	सीतारगंज	0.57	—	12.31	0.27	—	
43.	सेमीखेरा	3.99	—	32.67	32.67	—	

1	2	3	4	5	6	7
44.	सम्पूर्णनगर	—	—	5.86	—	—
45.	शामपुर	—	—	88.76	—	—
46.	शिवहारा	—	—	56.01	—	—
47.	अजुध्या	—	9.04	53.59	—	9.04
48.	बरेली	34.93	—	24.39	12.70	—
49.	बहेड़ी	—	—	20.02	—	—
50.	रोसा	—	—	25.88	—	—
51.	काशीपुर	20.47	—	55.25	—	—
52.	पीलीभीत	20.44	7.56	91.42	9.59	5.51
53.	नेवली	20.63	—	52.72	0.01	—
54.	गोला	—	—	24.95	—	—
55.	एरा	—	—	3.54	—	—
56.	हरगांव	—	—	15.37	—	—
57.	महोली	—	—	3.24	—	—
58.	हरदोई	23.35	177.01	19.44	—	177.01
59.	पलियाकला					
	*22/5	2.67*	—	16.83	—	—
60.	बाराबंकी	45.43	—	17.89	5.36	—
61.	बुढ़वाल	2.60	—	25.99	—	—
62.	जरवाल रोड	5.37	7.82	11.64	—	7.82
63.	डायमंड	22.11	—	13.51	7.55	—

1	2	3	4	5	6	7	
64.	खड्डा	—	2.94	43.74*	—	2.94	*22-12-85 को
65.	लक्ष्मीगंज	—	—	30.92	—	—	
66.	रामकोला (एमके)	—	—	17.96	—	—	
67.	भटनी	5.92	—	15.81	—	—	
68.	नन्दगंज	19.25	0.68	13.77	3.82	0.59	
69.	दरियापुर	22.70	0.03	39.33	0.17	0.03	
70.	काशी	0.56	0.39	24.33	0.07	0.39	
71.	रसरा	25.53	0.41	14.42	1.47	0.51	
72.	आजमगढ़	22.26	2.08	39.24	22.09	1.98	
73.	सुल्तानपुर	0.79	0.03	शुरू नहीं हुई	0.79	0.03	
74.	महमूदाबाद	11.99	—	57.44	1.00	—	
75.	धोती	0.10	—	14.22	0.07	—	22-12-85 को
76.	नानपारा	—	—	27.72	—	—	
77.	रत्ना	24.04	—	—	24.04	—	
78.	मसोदा	—	—	शुरू नहीं हुई	50.60	—	
79.	बलरामपुर	0.39	—	64.89	—	—	
80.	तुलसीपुर	—	—	31.61	—	—	
81.	नवाबगंज	36.78	—	21.84	34.28	—	

1	2	3	4	5	6	7
82.	वाल्टरगंज	—	—	शुरू नहीं हुई	—	—
83.	बस्ती	—	—	47.73	—	—
84.	मुंडेरवा	7.95	—	8.53	—	—
85.	खलीलाबाद	29.06	—	शुरू नहीं हुई	28.94	—
86.	आनन्दनगर	0.81	—	20.42	—	—
87.	सरदारनगर	—	0.10	40.25	—	0.10
88.	घुघली	21.07	—	34.68	—	—
89.	सिसवाबाजार	—	11.60	52.26	—	11.60
90.	छितौनी	—	3.98	15.90	—	3.99
91.	कैप्टनगंज	—	—	28.55	—	—
92.	रामकोला (पी बी)	—	—	78.19	—	—
93.	पडरौना	41.54	—	78.19	—	—
94.	कठकुइयां	7.95	0.26	41.41	—	0.26
95.	शिवराही	8.82	—	41.87	—	—
96.	बसनान	—	0.11	37.32	—	0.11
97.	बैतालपुर	—	—	11.17	—	—
98.	देवरिया	—	—	18.45	—	—
99.	गौरीबाजार	6.04	—	16.68	—	—
100.	प्रतापपुर	—	—	16.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	
101.	बिस्वान बिहार	—	—	19.16	—	—	
102.	सीतलपुर	9.96	0.43	12.75	0.50	0.43	
103.	रयाम	7.32	3.29	शुरू नहीं हुई	0.19	3.29	
104.	लोहाट	7.42	0.85	—	3.56	0.84	
105.	साकरी	4.17	0.57	6.49	0.13	0.55	
106.	समस्तीपुर	13.27	0.17	14.30	0.39	0.14	
107.	बनमंखी	6.97	0.71	2.98	0.86	0.47	
108.	बिहटा	2.85	1.08	शुरू नहीं हुई	0.12	1.04	
109.	बारिसालीगंज	7.16	1.41	उ०न०	0.56	1.05	
110.	गुरारू	2.27	2.17	शुरू नहीं हुई	0.05	0.91	
111.	बगाह	70.20	84.10	48.58	21.14	0.20	
112.	हरिनगर	1.86	0.38	108.16	0.42	0.36	
113.	नरकटियागंज	2.57	0.14	61.15	1.77	—	
114.	बाराचकिया	20.52	1.62	55.43	1.90	1.51	
115.	लौरिया	—	332.80	34.06	—	167.70	22-12-85 को
116.	मझौलिया	0.59	1.12	81.33	0.29	1.12	
117.	सुगौली	—	159.03	25.99	—	89.42	
118.	मोतीहारी	0.86	1.16	74.86	0.27	—	

1	2	3	4	5	6	7	
119.	चनपतिया	13.51	—	61.78	0.84	—	
120.	रीवा	1.00	0.45	46.21	0.78	0.45	
121.	मोतीपुर	13.75	3.65	शुरू नहीं हुई	0.49	1.80	
122.	हसनपुर	0.26	—	41.44	—	—	
123.	सासामुसा	1.32	—	75.15	0.45	—	
124.	गोपालगंज	1.53	0.04	70.46	0.08	0.02	7-1-86 को
125.	हथुआ	—	366.81	उ०न०	—	375.58	
126.	सिद्धवालिया	1.38	—	37.29	0.61	—	
127.	मढ़ौरा	22.19	0.97	19.26	—	—	
128.	न्यू सवान	10.87	2.88	0.82	0.46	5.02	
129.	पचरुखी	—	11.82	कार्य नहीं किया	—	11.82	
130.	एस०के०जी० सिवान	—	81.09	कार्य नहीं किया	—	81.09	
	महाराष्ट्र						
131.	गिरना	—	—	—	—	—	
132.	निफाद	—	—	106.42	—	—	
133.	संजीवनी	—	—	—	—	—	
134.	कोपरगांव	13.92	—	98.46	—	—	
135.	गणेशनगर	—	16.35	—	—	13.53	
136.	अशोकनगर	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
137.	प्रावरनगर	—	—	—	—	—
138.	राहुड़ी	—	—	50.24	—	—
139.	श्रीगोण्डा	—	0.14	62.03	—	0.14
140.	गंगापुर	—	—	42.53	—	—
141.	नीरा	0.69	5.52	38.33	0.15	5.35
142.	मालेगांव	—	—	74.86	—	—
143.	संसार	—	—	—	—	—
144.	अकलज	—	—	—	—	—
145.	श्रीराम (पी)	—	—	64.70	—	—
146.	कराड	—	—	239.19	—	—
147.	सांगली	—	—	219.59	—	—
148.	बारना	—	—	—	—	—
149.	इचालकरंजी	21.93	—	236.01	5.06	—
150.	भागवती	18.15	—	12.36	18.15	—
151.	कुम्भीकेसरी	—	—	95.48	—	—
152.	तेरना	—	—	116.64	—	—
153.	संगमनेर	—	—	—	—	—
154.	बिदरी	—	—	—	—	—
155.	कलम्बर	0.03	1.62	33.91	0.03	1.58
156.	म्यूर	—	—	43.91	—	—
157.	सदाशिवनगर	—	—	74.20	—	—

1	2	3	4	5	6	7
158.	पंजारखान	3.87	—	52.56	—	—
159.	वाल्वा	—	—	—	—	—
160.	भूइंज	0.14	0.61	47.76	0.26	0.60
161.	विश्वास	—	—	शुरू नहीं हुई	—	—
162.	शिरोल	—	—	—	—	—
163.	जीजामाता	—	0.05	26.23	—	0.05
164.	वसंत	—	—	44.06	—	—
165.	कुमथे	—	—	—	—	—
166.	मराली	—	—	—	—	—
167.	सतपुड़ा	—	—	71.07	—	—
168.	किल्लारी	—	0.05	37.46	—	0.05
169.	सिल्लोद	—	0.65	45.93	—	0.65
170.	डूंगरखाडा	—	—	18.21	—	—
171.	सह्यादरी	—	—	181.43	—	—
172.	कन्नड	—	—	52.88	—	—
173.	परसोदा	—	—	46.21	—	—
174.	भिंडे	—	—	47.16	—	—
175.	अम्बाजोगई	0.02	0.08	48.97	0.02	0.09
176.	कसोडा	—	—	46.73	—	—
177.	दौलत	0.45	0.70	2.52	0.63	0.73
178.	फैजपुर	—	0 07	70.26	—	0.07

1	2	3	4	5	6	7
179.	गेवराई	—	—	48.72	—	—
180.	भोरास	—	—	—	—	—
181.	पिम्पलगांव	—	—	52.59	—	—
182.	जगदम्बा	—	—	35.05	—	—
183.	कर्मवीर	—	—	46.45	—	—
184.	काडवा	—	—	24.82	—	—
185.	भद्रकाली	3.20	—	46.01	—	—
186.	सोनाई	9.06	—	50.70	—	—
187.	काडा	—	—	38.42	—	—
188.	गांधिगलाज	2.74	—	57.94	2.00	3.44
189.	विट्ठल	6.67	—	101.59	—	—
190.	पटास	—	—	66.48	—	—
191.	पैथान	—	—	—	—	—
192.	वैराग	—	—	45.89	—	—
193.	कागल	—	—	—	—	—
194.	भीमा	—	8.59	15.07	—	4.45
195.	पथरी	—	—	99.58	—	—
196.	शंकरनगर	—	0.06	32.97	—	0.06
197.	बास्माथनगर	0.04	0.04	51.34	0.05	0.04
198.	हुतात्मा	—	—	54.97	—	—
199.	विजयनगर	—	—	14.70	—	—

1	2	3	4	5	6	7
200.	शेन्द्रे 31/8	24.26	—	149.58	—	—
201.	विथेवाड़ी	—	—	38.18	—	—
202.	जुन्नार	—	—	19.07	—	—
203.	शिरपुर	—	—	22.69	—	—
204.	परनेर	—	—	13.78	—	—
205.	समरथ	—	—	50.38	—	—
206.	नागेवाड़ी	0.03	—	21.09	0.03	—
207.	नालेगांव	—	—	19.65	—	—
208.	महांकाली	—	—	35.29	—	—
209.	असरूले	—	—	कार्य नहीं किया	—	—
210.	राक्षसगांव 31-8-85	0.15	—	11.15	—	—
211.	शक्करवाडी	—	—	कार्य नहीं किया	—	—
212.	लक्ष्मीवाडी	—	—	कार्य नहीं किया	—	—
213.	पुनतम्बा	—	—	कार्य नहीं किया	—	—
214.	बेलापुर	—	—	82.79	—	—
215.	तिलकनगर	42.66	1.25	111.81	0.10	0.93
216.	बालचन्दनगर	22.58	—	62.89	—	—
217.	मालीनगर	—	—	21.34	—	—

1	2	3	4	5	6	7
218.	बी० महाराष्ट्र	—	74.37	23.05	35.71	56.83
219.	फलतान	—	—	144.87	—	—
220.	कोल्हापुर	8.12	0.55	—	8.68	—

कृत्रिम क्षेत्र के कारण पटसन उद्योग की समस्याएं

2751. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग के बारे में कोई अध्ययन किया है और इस मौसम में पटसन की भारी फसल होने के बावजूद पटसन वस्तु उद्योग में असंतुलन पाया है तथा यह उद्योग अनेक समस्याओं से निरन्तर ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो अनुभव की जा रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पटसन उद्योग को, विशेषकर कृत्रिम क्षेत्र से उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए उनके मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में सरकार ने पटसन उद्योग में असन्तुलन के बारे में कोई भी अध्ययन नहीं किया है। इस समय देश में पटसन माल की मांग तथा पूर्ति के बीच कोई असंतुलन नहीं है क्योंकि अधिक उत्पादन के बावजूद उठान उत्पादन के बराबर रहा है।

(ग) संश्लिष्ट बने हुए थैलों से पटसन उद्योग के खतरे की समस्या पर पटसन उद्योग संबंधी संचालन समिति सहित कई अन्तर्मन्त्रालय बैठकों में विचार विमर्श किया गया। 1986-87 के लिए केन्द्रीय बजट में, पटसन उद्योग के, जिस पर कि लाखों किसानों तथा फैक्ट्री मजदूरों की जीविका निर्भर करती है, हित की रक्षा करने के उद्देश्य से एच०डी०पी०ई० बने हुए थैलों पर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

निर्यात-आयात बैंक के कार्य-दल द्वारा विदेशों के लिए स्वीकृत की गई निर्माण परियोजनाएं

2753. **श्री के० एस० राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात-आयात बैंक के कार्य-दल द्वारा वर्ष 1983, 1984 और 1985 में विदेशों में निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रत्येक देश के लिए स्वीकृत की गई निविदाओं की राशि कितनी है;

(ख) प्रत्येक देश के लिए वर्ष 1983, 1984 और 1985 में प्रत्येक वर्ष के लिए जिन निविदाओं के परिणामस्वरूप ठेके किये गये उनकी राशि कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि सफलता का अनुपात बहुत कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) कार्य-दल ने निर्माण परियोजनाओं संबंधी निविदाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या मानदंड अपनाये हैं और ईराक और लीबिया के मामले में इन मानदण्डों में यदि कोई परिवर्तन किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्यकारी दल द्वारा अनुमोदित विदेशों में स्थित निर्माण परियोजनाओं के कुल मूल्य और इन बिडों में से प्राप्त ठेकों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और 2 में दिया गया है। सफलता के अनुपात का कम होने का मुख्य कारण यह है कि खाड़ी के देशों में परियोजनाओं के लिए भारतीय कम्पनियों द्वारा दी गई बिडों की संख्या सबसे अधिक होती है जबकि निर्माण कार्य वस्तुतः कम हो गया है और परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति के साथ टेंडरों की संख्या घट गई है। भुगतान की कठिनाई की स्थिति में भारतीय ठेकेदारों की क्षमता सीमित होती है। इसके अलावा विकासशील देशों में आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप इन देशों की कम्पनियों, खाड़ी के देशों/अफ्रीकी देशों में काम ढूंढने पर मजबूर हो गई है जिससे भारतीय कम्पनियों को यूरोपीय और जापानी कम्पनियों के साथ कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है।

(घ) कार्यकारी दल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है जिनमें ये शामिल हैं :—

(i) निर्यातक की वित्तीय हैसियत

(ii) परियोजनाओं की वित्तीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता

(iii) भुगतान की शर्तें

(iv) भुगतान की जमानत

(v) संरक्षणात्मक उपबंध

(vi) अपेक्षित वित्तीय सुविधा जैसे उपबंध

(vii) प्रत्येक देश और प्रत्येक कम्पनी के लिये ऋण सम्बन्धी सीमाएं

(viii) निर्यात प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा निर्धारित ऋण का बीमा और सम्बद्ध देश का मूल्यांकन

लीबिया की निर्माण परियोजनाओं के मामले में शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इराक की निर्माण परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारतीय ठेकेदारों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बनाए रखने के लिए आस्थगित अदायगी की शर्तें रख सके हैं।

विवरण-I

भारत के निर्यात आयात बैंक के कार्यकारी दल द्वारा अनुमोदित विदेशी निर्माण परियोजनाओं की बिडों के मूल्यों को दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

1	2	1983 3	1984 4	1985 5
1.	अल्जीरिया	724	607	400
2.	ए०आर०ई०	---	30	—
3.	दिजबोती	-	10	—
4.	इथोपिया	—	45	—
5.	लीबिया	14	403	28
6.	मोजांबीक	—	44	—
7.	शेसल्स	—	17	—
8.	ट्यूनीशिया	—	16	—
9.	उगांडा	—	14	—
10.	जिम्बाब्वे	—	21	—
11.	बंगलादेश	47	42	—
12.	इंडोनेशिया	17	4	—
13.	माल्दीव्स	—	11	30
14.	नेपाल	53	47	77

1	2	3	4	5
15.	श्रीलंका	34	28	7
16.	थाइलैंड	88	12	—
17	बहरीन	—	96	—
18.	ईराक	164	940	1953
19.	जोर्डन	20	24	35
20.	कुवैत	120	15	233
21.	ओमान	60	29	—
22.	कतार	—	13	81
23.	सऊदी अरब	79	244	13
24.	यू०ए० आर०	294	463	31
25.	सोलोमन द्वीप	—	—	10
26.	दक्षिणी यमन	—	—	11
27.	मडागास्कर	—	—	25
28.	ईरान	669	—	314
29.	मारीशस	—	—	7
30.	हांगकांग	—	—	34
31.	लाओस	—	—	3
32.	केनिया	33	—	23
33.	बरूनी	27	—	—
34.	तंजानिया	11	—	—

1	2		3	4	5
35.	मलेशिया		94	—	—
36.	सीरिया		313	—	—
		जोड़	2861	3175	3315

विवरण-2

एक्सिम बैंक के कार्यकारी दल द्वारा अनुमोदित बिडों से प्राप्त किये गये ठेकों के मूल्य को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

		1983	1984	1985
1.	अल्जीरिया	81	—	—
2.	इराक	34	335	214
3.	जोर्डन	—	—	17
4.	कुवैत	58	—	5
5.	लीबिया	5	17	—
6.	नेपाल	7	—	—
7.	कतार	—	—	3
8.	सऊदी अरब	33	—	—
9.	श्रीलंका	7	2	—
10.	वाई०ए०आर०	26	14	—
	जोड़	251	368	237

दिल्ली/नई दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में आयातित शराब की खपत

2754. श्री मूल चन्द डागा : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली स्थित भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जाने वाले होटलों में आयातित और स्वदेशी शराब की खपत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक होटल में किस किस्म की शराब की खपत हुई;

(ख) उक्त अवधि के लिए प्रत्येक मामले में आयातित शराब की कुल वार्षिक लागत क्या थी;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की बचत करने के उद्देश्य से आयातित शराब की खपत को कम करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं; यदि हां, तो कब और क्या तथा उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या इन होटलों में विदेशी शराब केवल विदेशी अतिथियों को परोसी जाती है या सभी को ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में शराब की खपत के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	आयातित	स्वदेशी	आयातित शराब की लागत
	(लीटर लाखों में)		(लाख रुपयों में)
1982-83	0.08	1.35	14.24
1983-84	0.07	1.33	14.20
1984-85	0.08	1.55	18.78

(ग) पर्यटन विभाग ने, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित अनुमोदित होटलों द्वारा शराब आयात करने पर विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा स्कीम के अन्तर्गत सीमा (सीलिंग) निर्धारित की है। यह कदम आयातित शराब के उपभोग में हतोत्साहक है।

(घ) आयातित शराब सभी मेहमानों को, मांग पर, दी जाती है, बशर्ते उपलब्ध हो।

अनधिसूचित चीनी कारखानों को दिये गये ऋण की वसूली

2755. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिगृहित चीनी उपक्रमों को अनधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार अनधिसूचित किए गये सभी चीनी उपक्रमों के मालिकों ने उनका कब्जा ले लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उन उपक्रमों का दर्जा क्या है और उन्हें इस समय कौन चला रहा है; और

(घ) इन कारखानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आठ में से तीन चीनी मिलों के मालिकों ने अपने उपक्रमों का कब्जा ले लिया है और अन्य दो मिलों, जो कि सहकारी क्षेत्र में हैं, को सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंपा दिया गया है। देवरिया और श्री सीताराम चीनी मिलों के मालिकों ने उन्हें पेश की गई शर्तों पर मिलें वापस लेने से इन्कार कर दिया है। अतः पूर्व अभिरक्षक को उस समय तक मिलों की सम्पत्ति की निरन्तर सुरक्षा करते रहने के लिए कहा गया है जब तक कि कानूनी तौर पर प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों द्वारा मिलों को अपने अधिकार में नहीं ले लिया जाता है। सेकसरिया चीनी मिल्ज के मालिकों ने हाल ही में सूचित किया है कि वे अपने उपक्रमों को वापस लेने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तथापि, चूंकि उन्होंने वास्तव में फैक्ट्री को अपने अधिकार में नहीं लिया है, इसलिए तब तक पूर्व अभिरक्षक को वही अनुदेश दिए गए हैं जोकि अन्य दो फैक्ट्रियों के मामले में दिए गए हैं।

(चीनी उपक्रम (प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 की धारा 5 के अन्तर्गत सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सभी अन्य ऋणों की अपेक्षा ऋण की बकाया राशि को प्राथमिकता देती है। तथापि जहां कहीं भी अनुसूचित मिलों को कब्जा लेने के लिए मालिक आगे आते हैं तो उस दशा में उनके साथ किए गए करार सरकार के वित्तीय हितों की पूर्णतः सुरक्षा करते हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा निर्यात

2756. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा 1°84-85 से अब तक प्राप्त निर्यात क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम को किन-किन देशों ने निर्यात क्रयादेश दिए हैं; और

(ग) उक्त निर्यात क्रयादेशों की शर्तें क्या हैं, इनके अन्तर्गत किस किस्म का कपड़ा निर्यात किया जाता है और किस मूल्य पर ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 (जनवरी, 1986 तक) के दौरान एन० टी० सी० द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात आडरों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	मात्रा (मिलियन मीटर)		मूल्य (करोड़ रु०)	
	1984-85	1985-86 (जनवरी 86 तक)	1984-85	1985-86 (जनवरी 86 तक)
फैब्रिक्स	107.43	91.11	61.60	56.10
मैड-अप्स	—	—	4.08	4.02
यार्न	—	—	0.92	0.22
योग :	107.43	91.11	66.60	60.34

(ख) एन० टी० सी० ने निर्यातों के लिए आर्डर मुख्यत: ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी, बंगला देश, तंजानिया से प्राप्त किए।

(ग) एन० टी० सी० अपने उत्पादकों को अधिकांशत: व्यापारिक निर्यातकों की मार्फत करता है। सोवियत संघ को निर्यात मानक शर्तों पर किए जाते हैं जिन्हें टैक्सप्रोसिम द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अन्य सभी देशों के मामले में मात्रा विशिष्टियों के अनुसार तथा ग्राहकों की जरूरत/बाजार अवसर की स्थितियों में प्रत्येक सौदा के लिए कीमतें तय की जाती हैं।

कपास का रक्षित भंडार बनाने का प्रस्ताव

2757. डा० बी० एल० शैलेश
डा० चिन्ता मोहन } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास और सूती धागे का रक्षित भंडार बनाने का निर्णय किया है जैसा कि पटसन के मामले में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर आरम्भ में कितना पूंजी परिव्यय करना होगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)। (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वर्ष 1985-86 के लिए परिधानों का निर्यात

2759. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के लिए परिधान निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये थे;

(ख) तत्सम्बन्धी कार्य निष्पत्ति कहां तक सन्तोषजनक रही है;

(ग) क्या वर्ष 1985 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) सरकार ने वर्ष 1986 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) निर्यात लक्ष्य वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। 1985-86 के लिए परिधानों का निर्यात लक्ष्य 1000 करोड़ रु० का है तथा प्रथम 9 महीनों (अप्रैल-दिसम्बर, 1985) के दौरान 674.10 करोड़ रु० की उपलब्धि हुई है। इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान है कि 1985-86 के लिए लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी।

(घ) 1986-87 के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

अच्छी किस्म की चाय की घरेलू मांग में वृद्धि

2760. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी किस्म की चाय की घरेलू मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप निर्यात के लिए चाय के फालतू भण्डार में कमी आई है;

(ख) उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि घरेलू मांग में वृद्धि से चाय का व्यापार करने वाली कम्पनियां उपभोक्ताओं को मिलावट वाली डिब्बाबन्द चाय बेचने लगी हैं; और

(घ) यदि हां, तो मिलावट रोकने और घरेलू उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) चाय की घरेलू खपत बढ़ रही है। तथापि, उत्पादन के साथ-साथ वृद्धि से गत चार वर्षों के दौरान भारत से चाय के निर्यातों में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(ख) चाय उत्पादन में वृद्धि हेतु किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं। अन्तर्निविष्ट साधनों को अनुकूलतम बनाना, सिंचाई तथा ड्रेनेज, चाय झाड़ियों की भराई तथा कायाकल्प जैसे मध्यावधि उपाय और विस्तार रोपण तथा पुनर्रोपण जैसे दीर्घावधि उपाय।

(ग) और (घ) विगत हाल में प्रमुख पैकेटरों द्वारा मिलावट किए जाने के ऐसे कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाए गए हैं। तथापि, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत विशिष्ट शिकायतों पर राज्य सरकारों के प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा सामान्य रूप से कार्यवाही की जाएगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिगृहीत कपड़ा मिलों के भूतपूर्व कर्मचारियों को उपदान का भुगतान न करना

2762. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कपड़ा मिलों की दीर्घकालीन हड़ताल के पश्चात राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिगृहीत कपड़ा मिलों को छोड़ने वाले कर्मचारियों को, उपदान अधिनियम के भुगतान के सम्बन्ध में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप, जिसमें मासिक मजूरी सीमा 1000 रु० से बढ़ाकर 1600 रुपया कर दी गई है, उपदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपदान की राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपदान का भुगतान कब किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) 1-7-1984 से

प्रभावी 1984 के 22वें अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम में मासिक मजदूरियों की अधिकतम सीमा 1000 रु० से बढ़ाकर 1600 रु० कर दी गई है। उन कर्मचारियो को जो 1-7-1984 से पूर्व ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने के पात्र हो गए, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है जैसा कि इस अधिनियम के उक्त संशोधन से पूर्व व्यवस्था थी। उन कर्मचारियों को जो 1-7-1984 को या उसके बाद ग्रेच्युटी के पात्र हो गए, 1984 के 25वें अधिनियम द्वारा यथासंशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन बम्बई स्थित मिलों के कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में, जैसे और जब वह देय होती है, तदनुसार विनियमित किया जा रहा है।

भारत अमरीकी संयुक्त परियोजनाओं के लिए अमरीका के निर्यात-आयात बैंक के साथ करार

2763. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च तकनीकी पुर्जों का भारत में आयात करने के लिए धन देने तथा अन्य देशों में भारत—अमरीकी संयुक्त परियोजनाओं के लिए अमरीका के निर्यात-आयात बैंक के साथ करार किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और विचाराधीन क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) उक्त बातचीत में भारतीय पार्टियां कौन-कौन सी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) निर्यात और आयात बैंक संयुक्त राज्य अमरीका से की जाने वाली खरीद का वित्त पोषण करता है। इसलिए विभिन्न भारतीय व्यावसायियों ने संयुक्त राज्य अमरीका से अपनी आयात आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण के बारे में इस बैंक से सम्पर्क किया होगा।

उच्च तकनीकी मदों या तीसरे विश्व के देशों में संयुक्त भारत-अमरीकी परियोजनाओं के लिए अमरीका के निर्यात आयात बैंक के साथ सीधे ही करार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केरल में मैसर्स अशोक टूअर्स एण्ड ट्रैवल्स द्वारा कार्यालय का स्थानान्तरण

2764. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कोवलम से अशोक टूअर्स एण्ड ट्रैवल्ज ने अपना कार्यालय स्थानान्तरित कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम में नैमित्तिक कर्मचारी

2765. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में अनेक वर्षों से हजारों कर्मचारी जिन्हें नियमित नहीं किया गया है, नैमित्तिक आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नैमित्तिक/अंशकालिक कर्मचारियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सेवाएं नियमित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात में कमी

2766. डा० सुधीर राय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निर्यातकों के मूल्य अधिक होने के कारण यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के लिए भारतीय वस्त्रों का 32 प्रतिशत निर्यात कोटा व्ययगत हो जाता है;

(ख) क्या निर्यात पोतलदान का 10 से 12 प्रतिशत माल रद्द किए गये माल के रूप में वापस आ जाता है; और

(ग) क्या माल रद्द किए जाने का एक कारण माल का पोतलदान विलम्ब से करना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय को वार्षिक परिधान कोटा का उपयोग उत्तरोत्तर रूप में बढ़ता रहा है। 1983 में 54 प्रतिशत की तुलना में 1985 में उपयोग 9 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) ऐसी कोई जानकारी वस्त्र मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा उपकरणों का आधुनिकीकरण

2767. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राष्ट्रीय कपड़ा निगम को वर्ष-वार कितना घाटा हुआ;

(ख) आधुनिकीकरण पर प्रतिमाह कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण के लिए खरीदे गए सभी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है या बेकार पड़े हैं;

(घ) क्या आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि आधुनिकीकरण के फायदे के अनुरूप होगी; और

(ङ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों का आधुनिकीकरण न करने के बारे में उच्च स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीय वस्त्र निगम की राष्ट्रीयकृत मिलों को हुई वर्ष-वार हानियां नीचे दी जाती हैं।

वर्ष	लाभ/हानि राष्ट्रीयकृत मिलें (करोड़ रु०)
1	2
1974-75	29.99
1975-76	59.85
1976-77	51.53
1977-78	47.81
1978-79	18.31
1979-80	16.74
1980-81	18.56

1	2
1981-82	71.23
1982-83	78.05
1983-84	137.36
1984-85	172.36
1985-86	77.91

(अप्रैल से नवम्बर, 85)

(अनन्तिम)

(ख) राष्ट्रीयकृत वस्त्र निगम की 101 राष्ट्रीयकृत मिलों के आधुनिकीकरण पर वर्ष वार खर्च की गई राशि नीचे दी गई :—

	राशि (करोड़ रु० में)
1974 के अनुसार	9 20
1974-75	7.31
1975-76	10.30
1976-77	22.35
1977-78	19.72
1978-79	15.24
1979-80	16.40
1980-81	44.48
1981-82	63.00
1982-83	48.78
1983-84	23.42
1984-85	20.37

(ग) मिलों के आधुनिकीकरण के लिए खरीदे गए अधिकांश उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) अधिग्रहण के समय, मिलों में पुराने और अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनरी थी जिसके परिणामस्वरूप संस्थापित क्षमता के मुश्किल से 50 प्रतिशत का उपयोग किया जा सका। रूपान्तरण के सन्दर्भ में उत्पादकता केवल 49 ग्राम प्रति तकुआ पारी थी। तथापि, एन० टी० सी० द्वारा चुनिन्दा आधुनिकीकरण से इन मिलों की क्षमता उपयोगिता बढ़कर लगभग 77 प्रतिशत हो गई है और 40 एस० रूपान्तरण के संदर्भ में उत्पादकता बढ़कर लगभग 64.1 ग्राम प्रति तकुआ पारी हो गई है। आधुनिकीकरण के बाद उत्पादन, उत्पादन मूल्य तथा बिक्री वसूलियों आदि में महत्वपूर्ण वृद्धियां हुई हैं। आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन को बारीकी से मानीटर किया जाता है और यथावश्यक उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

वीडियो कैसेट रिकार्डरों की तस्करी

2768. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन से केरल में वीडियो कैसेट रिकार्डरों की बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1986 से अब तक कोचीन से तस्करी किए गए वीडियो कैसेट रिकार्डरों की अनुमानित संख्या और मूल्य क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि वीडियो कैसेट रिकार्डर—भारत में तस्कर-आयात के आकर्षण की वस्तु बनी हुई है, जिसका तस्कर-आयात कोचीन पत्तन के जरिए भी किया जाता है।

(ख) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किया जाने वाला एक धन्धा है, इसलिए कोचीन के जरिए चोरी-छिपे लाए गए वीडियो कैसेट रिकार्डरों की मात्रा और उनके मूल्य का उचित अनुमान लगा पाना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, एक जनवरी, 1986 से 28 जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान-73 वीडियो कैसेट रिकार्डर और एक वीडियो कैसेट प्लेयर पकड़े गए थे जिन सब का मिलाकर मूल्य-9.93 लाख रुपये आंका गया है।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना

2769. श्री के० एन० प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य-वार अब तक वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) इसके लिए बैंक-वार कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों के वास्ते स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग-अलग बैंक-वार आंकड़े नहीं रखे जाते। अलबत्ता, बैंकों ने वर्ष 1983-84 में 401.54 करोड़ रुपये और 1984-85 में 429.53 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए हैं।

विवरण

1983-84, 1984-85 और 1985-86 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों के वास्ते स्व-रोजगार योजना के लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य 1983-84	लक्ष्य 1984-85	लक्ष्य 1985-86
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	20,000	15100	17300
2.	असम	6,700	8200	6200
3.	बिहार	29,000	14500	29600
4.	गुजरात	11,200	10700	10700
5.	हरियाणा	5,300	6300	4600

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	2,000	2500	1600
7.	जम्मू और कश्मीर	1,800	1400	1400
8.	केरल	15,100	13300	13000
9.	मध्य प्रदेश	17,500	19100	17600
10.	कर्नाटक	12,100	12500	12400
11.	महाराष्ट्र	20,800	25000	15500
12.	मणिपुर	1,000	1200	1500
13.	मेघालय	400	400	300
14.	नागालैण्ड	250	200	200
15.	उड़ीसा	8,600	7000	9300
16.	पंजाब	6,700	12000	15000
17.	राजस्थान	10,000	15000	10300
18.	सिक्किम	100	50	100
19.	तमिलनाडु	17,500	21700	18100
20.	उत्तर प्रदेश	36,000	37600	31300
21.	पश्चिम बंगाल	25,500	24100	24300
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	100	100
23.	त्रिपुरा	900	700	900
24.	अरुणाचल प्रदेश	200	50	100
25.	चंडीगढ़	500	300	500

1	2	3	4	5
26.	दादरा और नगर हवेली	100	100	500
27.	गोवा, दमन और दीव	—	300	350
28.	मिजोरम	200	200	200
29.	पांडिचेरी	450	400	450
	कुल	2,50,000	250000	*243000

* बकाया 7000 आवंटित नहीं किया गया

[अनुवाद]

हीरे की खोज

2770. श्रीमती टी० कल्पना देवी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है जैसा कि 18 फरवरी, 1986 के इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि इस स्थिति को आने वाले वर्षों में बनाये रखने और उसमें सुधार लाने हेतु बेहतर औजार, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दस्तकारों और उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाये;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में हीरे की खोज तेज करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हीरा उद्योग में कोई विशेष तेजी नहीं है।

(ख) और (ग) हीरे को तराशने तथा पालिश करने के विभिन्न पहलुओं में शिल्पियों के प्रशिक्षण के अलावा 25 प्रतिशत की रियायती दर से ओ० जी० एल० के अन्तर्गत मशीनरी, उपकरण, औजारों तथा साधनों के आयात को उत्पाद विविधीकरण तथा उत्पादकता में सुधार के लिए सुगम बनाया गया है। ताकि तराशे तथा पालिश किए हुए हीरों के नियंत्रित उत्पादन को केवल बनाए ही न रखा जा सके बल्कि उसमें सुधार भी किया जा सके।

(घ) आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में हीरों की खोज जारी है।

बैंकों के लिए "सेफर अलार्म सिस्टम"

2771. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में बैंक डकैतियों सम्बन्धी अनुसंधान और विकास विंग द्वारा "सेफर अलार्म सिस्टम फार बैंक्स" का आविष्कार किया गया है जैसा कि 19 फरवरी, 1986 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली से पड़ोसियों को खतरे की सूचना मिल जाएगी और बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा मिल जाएगी;

(घ) वर्तमान अलार्म प्रणाली के असफल होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या "सेफर अलार्म सिस्टम" के आविष्कारक को उचित इनाम दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास बैंकों के लिए और अधिक सुरक्षित अलार्म व्यवस्था के विकास के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) अलार्म व्यवस्था की असफलता के अलग-अलग मामलों में यह पाया गया है कि इस प्रकार के उपकरण सप्लाई करने वाली फर्मों के तेजी से बन्द हो जाने का उपकरणों के रखरखाव पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बैंकों में लगे अलार्मों की कार्य कुशलता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से प्रत्येक शाखा में समय-समय पर लगी अलार्म व्यवस्था की जांच करने के लिए कहा गया है। बकों को अलार्म व्यवस्था सप्लाई करने वाली फर्मों के साथ किए गए सेवा सम्बन्धी ठेकों की समीक्षा करने और उन फर्मों को काली सूची में शामिल करने के भी अनुदेश दे दिए गए हैं जिनका काम सन्तोषजनक नहीं है।

फर्श क्षेत्र को सम्पत्ति कर से छूट

2772. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवास के स्थानों के मामले में फर्श क्षेत्र को सम्पत्ति कर से छूट हेतु स्लैब प्रणाली की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं। इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पटना (बिहार) में व्यापारियों के कार्यालयों और घरों पर छापे

2773. श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पटना जिले में उन व्यापारियों की संख्या क्या है जिनके घरों और दफ्तरों पर जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए थे; और

(ख) उनके परिसरों से कितना काला धन बरामद हुआ और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गए हैं और उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कैलेण्डर वर्ष 1985 के दौरान, आयकर विभाग ने बिहार के पटना जिले में 10 व्यापारियों के मामलों में तलाशियां ली थीं और प्रथम दृष्ट्या लगभग 34.32 लाख रुपये मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं। विभाग ने इन व्यापारियों के खिलाफ अभी तक कोई अभियोग नहीं चलाया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा नियंत्रित कपड़े की सप्लाई के लिए मानदण्ड

2774. श्रीमती डी० के भंडारी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को पता है कि गत वर्षों में सिक्किम को आवंटित नियन्त्रित कपड़े का कुछ व्यापारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इस प्रकार के उत्पादों की सप्लाई और वितरण को नियमित करने के लिए कोई मानदण्ड है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) कन्ट्रोल के कपड़े के

वितरण प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। सिक्किम सरकार सिक्किम उपभोक्ता सहकारी समिति लि० सिक्किम, की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बहु-उद्देश्य सहकारी समितियों की मार्फत कंट्रोल के कपड़े के प्रधिकृत व्यापारी इसका उचित वितरण करने में असफल रहे हैं। सिक्किम सरकार द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जब तक जांच पूरी न हो जाए, समिति को और आबंटन रोक दिया गया है।

इस समय कन्ट्रोल के कपड़े का आबंटन विभिन्न राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों को कुल जनसंख्या के लिए 2/3 व गरीबी की रेखा की नीचे वाली जनसंख्या के जिए 1/3 की वैटेज देने वाले एक मिश्रित मानदंड के आधार पर किया जा रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यात्री निवासों के निर्माण करने का प्रस्ताव

2775. श्री गुरूदास कामत : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान यात्री निवासों के निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में ऐसे कितने यात्री निवास बनाने का विचार है और वे किन-किन स्थानों पर होंगे ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान पर्यटन विभाग ने निम्न/मध्य वर्ग के पर्यटकों को आवास जुटाने के लिए यात्री निवासों का निर्माण करने की एक स्कीम प्रारम्भ की है। प्रथम चरण में, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कम से कम एक यात्री निवास करने का प्रस्ताव है। यह एक संयुक्त उद्यम स्कीम है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार एक विकसित भूखंड और अन्य अनुषंगी सुविधाएं जुटाएंगी और केन्द्रीय पर्यटन विभाग निर्माण सम्बन्धी लागत वहन करेगा।

इस आवास में डबल बैड वाले कमरों और 4-6 बैड वाले शयनागारों (डोरमीटरी) के रूप में लगभग 60 बैड होंगे। टैरिफ शयनागार के लिए प्रति बैड प्रति दिन 15 रु० से लेकर डबल कमरे के लिए 60 रु० के बीच की संभावना है। बहु-उद्देश्य हाल, अल्पाहारगृह, रसोईघर, स्वागत क्षेत्र, स्टाफ क्वार्टर, आदि की भी व्यवस्था होगी।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई, पुणे और खेवांव (बुलढाना) में एक यात्री निवास का

निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किया है । राज्य सरकार से योजनाओं/अनुमानों के ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा है ।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बैंक आफ टोक्यो से ऋण

2776. श्री अजीत कुमार मरसिंहराव वाडिकार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बैंक आफ टोक्यो से ऋण लेने का है क्योंकि उस बैंक की ब्याज दर कम है;

(ख) क्या जापान से "येन" ऋण संबंधी कोई प्रस्ताव करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) हर वर्ष जापान, भारत को "एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को दी जाने वाली सहायता के आधार पर जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि की मारफत द्विपार्श्विक सहायता देता है। इस ऋण को "येन" मुद्रा में अभिव्यक्त किया जाता है। समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि के ऋणों की सामान्य शर्तें निम्नलिखित होती हैं :—

(1) वापसी अदायगी की अवधि 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष तक की होती है। और

(2) आधार-भूत ढांचे की परियोजनाओं के लिए 3.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 3.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगता है।

बिजुत करघों को पंजीकृत करने का प्रस्ताव

2777. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सभी बिजुत करघों को पंजीकृत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने यहां के बिजुत करघों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने बिजुतकरघों के बारे में किस तारीख तक की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के साथ पंजीकरण होने के बाद विद्युत करघों का कितना लाभ होगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संघ सरकारों ने राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश जारी नहीं किए हैं। बिना वैध परमिट वाले वर्तमान विद्युत करघा मालिकों से अपेक्षित है कि वे वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में 0-4-86 को या उससे पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें। ये आवेदनपत्र सम्बन्धित राज्य सरकार प्राधिकारी द्वारा इस आशय से प्रमाणित किये जाने चाहिए कि विद्युत करघे 3 -1-1986 को या उससे पूर्व अस्तित्व में थे।

(घ) विद्युत करघों के स्वस्थ्य विकास तथा विनियम के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अपेक्षित आंकड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से अनिवार्य पंजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान नीति में जारी रखी गई है।

आयातकों द्वारा भारतीय सामान आयात किया जाना

2778. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की विभिन्न वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और भारतीय सामान विभिन्न आयातकों द्वारा वर्ष 1985 में तथा फरवरी, 1986 तक कितने मूल्य का कितना सामान अस्वीकार किया गया; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि केवल सामान के एकीकृत नमूनों से मेल खाने वाली वस्तुओं का ही निर्यात हो ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सामान्यत: माल की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति निर्यातकों और आयातकों के बीच का मामला है और इस मन्त्रालय को ऐसे मामलों का पता उस समय चलता जब ये पार्टियां अपनी शिकायतें लेकर उसके पास जाती हैं। इसलिए मांगी गई पूरी जानकारी इस मन्त्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अधीन अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए तथा जो मदें अनुमोदित नमूनों के आधार पर निर्यात की जाती हैं, उनका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निरीक्षण अधिकरणों को लदानपूर्व निरीक्षण करने तथा यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि निर्यातकों द्वारा आफर की गई खेपें अनुमोदित नमूनों तथा उनकी तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप हों। कतिपय मदों को जिनमें सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम अन्तर्निहित होते हैं उन्हें तब तक निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक किये गये मदें भी न्यूनतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप न हो।

बजट के लिए सुझाव आमन्त्रित करने की घोषणा के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझाव

2779. श्री श्रीहरि राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजूलखर्च कम करने और राजस्व प्राप्ति में सुधार हेतु बजट के लिए सुझाव आमंत्रित करने की उनकी घोषणा के प्रत्युत्तर में बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का मुख्यत: स्वरूप क्या है; और

(ग) पुरस्कार की घोषणा किस तारीख को की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां। जनता की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है और बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये सुझाव बजट के लगभग सभी पहलुओं से संबंधित हैं। जांच पड़ताल के पश्चात जो सुझाव उपयोगी पाये जायेंगे, उन पर यथासमय 5,000/—रुपए के पुरस्कार के लिए विचार किया जायेगा।

केरल में गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

2780. श्री के० कुन्जम्बू : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पर्यटन केन्द्रों पर गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 के दौरान केरल को कुल कितनी सहायता दी गई; और

(ग) उक्त राज्य में ऐसे कितने होटलों का निर्माण किया गया ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) केन्द्रीय सरकार अब होटलों के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती। तथापि, पर्यटन विभाग, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा होटलों को प्रदत्त ऋणों पर ब्याज-इमदाद प्रदानकरता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सुपर बाजारों/सहकारी भण्डारों में कम कीमत वाली दवाइयों का रखा जाना

2781. डा० जी० विजय रामाराव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी सुपर बाजारों तथा सरकारी सहकारी विक्रय केन्द्रों में कम कीमत वाली क्षय रोग

निरोधी तथा इसी प्रकार की अन्य दवाइयां रखी जाएंगी ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : कोआपरेटिव स्टोर्स लि० (सुपर बाजार) के सभी 16 दवाई भण्डारों में कम लागत की क्षय रोग-रोधी तथा इसी प्रकार की अन्य दवाइयां बेची जा रही हैं। विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे सहकारी क्षेत्र के कई बड़े आकार के बहुविभागी भण्डार दवाई भण्डार चला रहे हैं जो ऐसी दवाइयां बेचते हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धन का वितरण

2782. श्री अनिल बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना को मंजूर करने और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से राज-सहायता की अपेक्षित राशि प्राप्त करने के पश्चात् भी बैंक काफी लम्बे समय तक योजना के कार्यान्वयन के लिए धन का वितरण नहीं करते हैं और इस प्रकार बैंक जमा राजसहायता का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के अन्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का नियन्त्रण करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से बैंकों की प्रमुख शाखाओं अथवा जिले की ऐसी अन्य आवश्यक मानी जाने वाली शाखाओं में बचत बैंक खाते खोलने तथा आर्थिक सहायता की रकम इन खातों में जमा कराने की अपेक्षा की जाती है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा बकों में रखे जाने वाले इन खातों पर, बचत बैंक खातों के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर ब्याज मिलता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर किए गए ऋणों के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता के हिस्से के समायोजन के अलावा, इन रकमों का किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में, बैंकों द्वारा जमा कराई गई आर्थिक सहायता की रकम का किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद

2783. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम द्वारा वर्ष 1984-85 में कुल कितनी मात्रा में और किस दर पर पटसन की खरीद की गई और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) भारतीय पटसन निगम द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितनी मात्रा में और किस दर पर पटसन की खरीद की गई तथा उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुबोध आचल दा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान

भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदे गए कच्चे पटसन मेस्टा की कुल मात्रा लगभग 10.16 लाख गांठें मूल्य 147.40 करोड़ रु० थी। अधिप्राप्ति कीमत की सीमा नीचे दिये अनुसार थी :—

राज्य	मुख्य किस्म	अधिप्राप्ति कीमत की सीमा रु०/क्विंटल	
		न्यूनतम	अधिकतम
असम	डब्ल्यू-5	575	920
बिहार	डब्ल्यू-5	600	910
मेघालय	मेस्टा बी०ओ०टी०	650	820
उड़ीसा	डब्ल्यू-5	595	965
त्रिपुरा	मेस्टा बी०ओ०टी०	400	800
उत्तर प्रदेश	डब्ल्यू-5	800	800
प० बंगाल	टी०डी०-5	612	980
आन्ध्र प्रदेश	बिम्ली बी०ओ०टी०	570	800

(ख) वर्तमान पटसन मौसम के दौरान 4 मार्च, 1986 तक भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदे गए कच्चे पटसन मेस्टा की कुल मात्रा लगभग 27.32 लाख गांठें मूल्य 115.59 करोड़ रु० है। अधिप्राप्ति कीमत की सीमा नीचे दिये अनुसार है :—

राज्य	मुख्य किस्म	अधिप्राप्ति कीमत की सीमा रु०/क्विंटल	
		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4
असम	डब्ल्यू-5	215	240
बिहार	डब्ल्यू-5	225.50	251
मेघालय	मेस्टा बी०ओ०टी०	189	189
उड़ीसा	डब्ल्यू-5	231	256
त्रिपुरा	मेस्टा बी०ओ०टी०	195.50	195.50

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	डब्ल्यू-5	230.50	230.50
प० बंगाल	टी०डी०-5	235.50	273
आन्ध्र प्रदेश	बिम्ली बी०ओ०टी०	201	201

नोट :—न्यूनतम कीमत न्यूनतम कानूनी कीमत भी है जो सरकार द्वारा पटसन मौसम 1985-86 के लिए निर्धारित की गई है।

खाद्य तेलों का आयात और पामोलिन तेल का उत्पादन

2784. श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेलों के आयात में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या पामोलिन तेल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सरकार ने खाद्य तेलों का आयात कम करने के लिए निम्नलिखित कई उपाय किए हैं :—

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली/छोटे पैकों की योजना के तहत किए जाने वाले तथा वनस्पति उद्योग को किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के आवंटन में भारी कमी की गई है। नवम्बर, 1985 से मार्च, 1986 की अवधि के लिए आयातित तेलों की कुल 4.43 लाख मी० टन मात्रा आवंटित की गई, जबकि गत तेल वर्ष की इसी अवधि में 8.70 लाख मी० टन मात्रा आवंटित की गई थी।

(2) वनस्पति उद्योग को सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य में वृद्धि की गई है, ताकि वनस्पति के उत्पादन में देशीय तेलों का अधिक प्रयोग किया जा सके।

(3) वनस्पति के उत्पादन के लिए वनस्पति उद्योग को उनकी आवश्यकता के 30 प्रतिशत तक एक्सपेलर सरसों के तेल तथा 10 प्रतिशत तक विलायक निष्कर्षित तेल का प्रयोग

करने की अनुमति दी गई है तथा साथ ही अप्रधान तेलों के प्रयोग पर उत्पादन शुल्क में कुछ रियायत दी गई है।

(4) वनस्पति के उत्पादन में 10 प्रतिशत तक साल वसा का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

तिलहनों तथा तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं/कर रही है, जो इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना, जिसमें दूसरे तिलहनों के बारे में गहन विकास कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष परियोजना चलाना शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-पारम्परिक तिलहनों का विकास करना, सिंचित फसलों, विशेष रूप से रबी/गर्मी के मौसम में मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, मूल निवेश उपलब्ध कराना और बड़े पैमाने पर बीज एवं उर्वरक मिनीकिटों का निःशुल्क वितरण करना है।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना—इस परियोजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन ढांचे को नया रूप देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन के लिए सात राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादक संघ गठित किए गए हैं।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

4. तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

5. सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

6. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार-ढांचे सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना।

(ख) और (ग) पामोलीन के तेल का उत्पादन तेल-ताड़ से होता है। इस समय आयल पाम इण्डिया लि०, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनी है और जिसमें केरल सरकार तथा भारत सरकार ने अंश पूंजी लगाई है, ने कुल 3705 हैक्टेयर क्षेत्र में पौध लगाई है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उनके पौधरोपण और वन विकास निगम द्वारा लगभग 1300 हैक्टेयर क्षेत्र में पौध लगाई है। सातवीं योजना में आयल पाम इण्डिया लि० के अधीन तेल-ताड़ का और विकास करने के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

[हिन्दी]

समर्थन मूल्य पर धान की खरीद में राज्य सरकारों को हुआ घाटा

2785. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने में घाटा उठाना पड़ता है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि धान की खरीद समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जानी चाहिए तथा राज्य सरकार की संस्थाएं भारतीय खाद्य निगम के एजेन्ट के रूप में कार्य करें ताकि राज्य सरकार को इस मद पर घाटा न उठाना पड़े;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सुझाव से सहमत हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार समर्थन मूल्य पर धान की खरीद में राज्य सरकारों को होने वाले घाटे की क्षति-पूर्ति करने का है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि भारतीय खाद्य निगम को मूल्य समर्थन के अधीन धान की खरीदारी करना चाहिए और राज्य सरकार की संस्थाओं को भारतीय खाद्य निगम के एजेन्टों के रूप में कार्य करना चाहिए।

किसानों के हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से राज्य सरकारें क्रय केन्द्र खोलकर मूल्य समर्थन परिचालनों का कार्य करती हैं और भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों द्वारा उन्हें आवंटित किए गए केन्द्रों से कार्य करता है। भारत सरकार धान की वसूली करने विषयक कार्यों पर आए सभी उपयुक्त प्रासंगिक खर्चों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की एजेंसियों को करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए धान से चावल तैयार करने पर हुए सभी उपयुक्त कस्टम मिलिंग खर्चों की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र के लिए अधिक बैंक ऋण देने की आवश्यकता

2786. श्री बीरेन्द्र भूति भट्टम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत है कि बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिये अधिक ऋण देना चाहिये;

(ख) बकों द्वारा कृषि क्षेत्र को इस समय कितना ऋण दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी; और

(ङ) क्या इस वृद्धि से कृषि क्षेत्र की ऋण की भारी मांग पूरी होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कृषि ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण माना जाता है और इसलिए प्रत्यक्ष कृषि ऋणों के लिए बैंकों को लक्ष्य दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) सितम्बर, 1985 के अन्तिम शुक्रवार को वाणिज्यिक बैंकों के कुल कृषि अग्रिमों की बकाया राशि 8174 करोड़ रुपए थी। उस तारीख को कृषि को दिए प्रत्यक्ष अग्रिमों की बकाया राशि 6799 करोड़ रुपए थी जो बैंकों के कुल अग्रिमों का 15.1 प्रतिशत बैठती है। बैंकों से मार्च, 1987 तक प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का स्तर कुल अग्रिमों के 16 प्रतिशत तक लाने के लिए कहा गया है ताकि कृषि क्षेत्र की मांग को पूरा किया जा सके।

गन्ने के मूल्यों में वृद्धि

2787. श्री चिरंजी लाल शर्मा
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान संघों ने देश में गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने उन मांगों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि की गई है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) किसानों के संगठन 28 रुपये 50 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में गन्ने के मूल्य की मांग कर रहे हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने 1985-86 के मौसम के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर, लेकिन जिसमें 8 5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी होने पर आनुपातिक प्रीमियम देने की व्यवस्था है, 16.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह मूल्य 1984-85 के मौसम के लिए निर्धारित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्य से 2.50 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

[हिन्दी]

नेपाल से गन्ने की खरीद

2788. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेपाल से गन्ने की खरीद कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नेपाल से कितने रुपए मूल्य के गन्ने की वार्षिक खरीद की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेपाल सीमा के निकट रहने वाले किसानों को अपना गन्ना बेचने में कठिनाई होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनका गन्ना खरीदने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) केन्द्रीय सरकार नेपाल से गन्ने की कोई खरीदारी नहीं कर रही है।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नेपाल सीमा के निकट रह रहे किसानों ने अपना गन्ना बेचने से संबंधित अपनी कठिनाइयों के बारे में अभी तक भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है।

(घ) से (च) ऊपर (ग) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश से कपास का निर्यात

2789. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की भारी फसल को देखते हुए सरकार का विचार इसका विदेशों को निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश से निर्यात की जाने वाली कपास की गुणवत्ता और मात्रा का

ब्यौरा क्या और किन-किन देशों को निर्यात किया जाएगा तथा तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मौजूदा रुई वर्ष के दौरान निर्यात के लिए लम्बी तथा बहुत लम्बी रुई की 10.00 लाख गांठें, बंगाल देशी की 52,000 गांठें तथा पिकिंग यैलो की 25,000 गांठें पहले ही मुक्त कर दी हैं। निर्यात के कोटे राज्यवार मुक्त नहीं किए जाते। विभिन्न अभिकरण रुई के निर्यात में लगे हुए हैं जो निर्यात के लिए विभिन्न स्थानों में रुई की खरीद करते हैं।

(ग) जब तक रुई के वास्तविक निर्यात नहीं होते तब तक यह बताना कठिन है कि कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है।

व्यक्तिगत दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा योजना

2790. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है निर्धन परिवारों के कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर राहत प्रदान करने के लिए सभी राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक व्यक्तिगत दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां यह शुरू नहीं की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) गरीब परिवारों के लिए एक नई व्यक्तिगत दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा स्कीम 1985-86 में आरम्भ की गई थी। वित्त मंत्री जी द्वारा देश के 100 जिलों के लिए इस स्कीम की घोषणा 1985 के बजट भाषण में की गई थी। यह स्कीम 19 राज्यों और 9 संघ राज्य क्षेत्रों के 91 जिलों में पहले ही लागू की जा चुकी है। जिलों का चयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। यह स्कीम 18 से 55 वर्ष तक के उन सभी लोगों पर लागू होती है जो गरीब परिवारों में कमाने वाले सदस्य हैं और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5,000 रुपये से अधिक नहीं होती और जिनकी मृत्यु निर्धारित जिलों में हो जाती है। इस स्कीम का समस्त प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह स्कीम 100 घोषित जिलों में से तमिलनाडु के (7), त्रिपुरा के (1) और नागालैंड के (1) अर्थात् 9 जिलों में क्रियान्वित नहीं की जा सकी। तमिलनाडु सरकार से जिलों के चयन से

सम्बन्धित सिफारिश केवल 10 मार्च, 1986 को ही प्राप्त हुई है, त्रिपुरा सरकार की सिफारिश भी विलम्ब से प्राप्त हुई है जबकि नागालैंड सरकार से अभी सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। सरकार, नागालैंड सरकार से अपनी सिफारिशें जल्द भेजने के वास्ते इस मामले में और आगे कार्रवाई कर रही है ताकि शेष 9 जिलों में भी इस स्कीम को लागू किया जा सके। वित्त मन्त्री ने वर्ष 1986-87 के अपने बजट प्रस्ताओं में देश के 100 और जिलों में इस स्कीम को लागू करने से सम्बन्धित प्रस्ताव की घोषणा की है।

घरेलू मांग पूर्ति करने हेतु अखबारी कागज का आयात

2791. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी अखबारी कागज का मूल्य विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार घरेलू मांग की पूर्ति करने हेतु अखबारी कागज का, जो सस्ता भी पड़ेगा, आयात करने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) घरेलू अखबारी कागज की कीमत क्षायातित अखबरी कागज की कीमत की तुलना में अधिक है।

(ख) घरेलू अखबारी कागज की ऊंची लागत के कारण निम्नलिखित हैं :—

(I) घरेलू विनिर्माताओं की संस्थापित क्षमता का प्रति मे० टन ऊंचा पूंजी निवेश तथा प्रति मे० टन अन्तर्निविष्ट साधनों की ऊंची लागत;

(II) कार्य करने का मानदण्ड तथा भारत तथा विदेशों में अखबारी कागज विनिर्माताओं के बीच कच्चे माल के मिश्रण में अन्तर।

(ग) घरेलू मांग को घरेलू उत्पादन तथा अखबारी कागज के आयात से पूरा किया जाता है।

गेहूं और चावल का निर्यात

2792. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गेहूं और चावल का निर्यात करने की स्थिति में है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान दरों पर प्रतिस्पर्धा करने में भारत की क्या स्थिति है; और

(ग) गेहूं और चावल की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने की आशा है और इसके निर्यात

से कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गेहूं तथा चावल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें नीचे चल रही हैं और हमारे निर्यात के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतियोगिता है। गेहूं तथा चावल की मात्रा और मूल्य, जो व्यापारी निर्यात कर सकेंगे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही कीमत तथा अन्य स्थितियों पर निर्भर करेगी।

बिहार से नेपाल की सीमा को गन्ने की तस्करी

2793. श्रीमती प्रेमावती गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार से नेपाल की सीमा को गन्ने की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि भारत-नेपाल सीमा पर गन्ने की तस्करी का कोई मामला अभी तक नहीं पकड़ा गया है। लेकिन बाल्मीकी नगर के रास्ते भारत से नेपाल को गन्ना भेजे जाने की सम्भावना के बारे में गुप्त रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित निवारक उपाय किये जा रहे हैं।

गेहूं की खरीद

2794. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, स्थापित किए गए क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप, बिक्री के लिए पेश किये गये गेहूं की राज्य सरकारों और/अथवा उनकी एजेंसियों तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये गये समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है।

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग का विकास

2795. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग के विकास तथा इस व्यवसाय में लगे निर्धन परिवारों के आर्थिक उत्थान के संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त उद्योग के विकास का कार्यक्रम क्या है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से कितने व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार की हथकरघा क्षेत्र के विकास के प्रति वचनबद्धता इस बात से स्पष्ट होती है कि निरन्तर पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग के लिए परिव्यय बढ़ता रहा है। परिव्यय जो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मात्र 11.10 करोड़ रुपये था बढ़कर छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में 120 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, राज्य क्षेत्र में लगभग 190.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई। हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन जो 1980-81 में 3100 मिलियन मीटर था, बढ़कर 1984-85 में 3600 मिलियन मीटर हो गया। विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियां, परिशिष्ट में संलग्न हैं। वास्तविक उपलब्धि राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित की गई हैं। एक विवरण संलग्न है।

(ख) परिशिष्ट में दी गई चालू योजनाओं के अलावा कुछ नई योजनाओं को कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया गया है जैसे वर्क-शेड-सह-आवास योजना, ग्रिफ्ट फण्ड योजना, पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान आदि। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 168.00 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

(ग) चूंकि अधिकांश योजनाएं राज्य सरकारों के साथ बराबर बहनता के आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं अतः उनकी कवरेज राज्य सरकारों द्वारा आवंटित निधियों पर निर्भर करेगी। तथापि दो कल्याण योजनाओं के लिए सातवीं योजना के दौरान निम्नलिखित :—

कवरेज का प्रस्ताव है : 5

ग्रिफ्ट फण्ड योजना : 4 लाख बुनकर

वर्क-शेड-सह-आवास :

10,000 ग्रामीण वर्कशेड-सह-आवास

5,000 शहरी वर्कशेड-सह-आवास

35,000 वर्कशेड

(घ) 98 लाख

विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	वित्तीय उपलब्धियां (लाख रु० में)	वास्तविक
1	2	3	4
1.	राज्य हथकरघा निगमों को अंशपूंजी सहायता	1062.23	कारोबार 120.16 खुदरा दुकानों की संख्या 574
3.	प्राथमिक सहकारी समितियों को अंशपूंजी सहायता	1461.42	सहकारी कवरेज 58%
3.	अपैक्स समितियों को अंशपूंजी सहायता	1130.63	बिक्री का कारोबार 300 करोड़ रु०
4.	प्रबन्धकीय उपादान	204.02	नियुक्त किए गए प्रबन्धकों की संख्या 10150
5.	आधुनिकीकरण	476.32	आधुनिक बनाए गए प्रबन्धकों की संख्या 1.15 लाख
6.	संसाधन सुविधाएं	914.43	तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, उड़ीसा, पंजाब आदि राज्यों में स्थापित संसाधित सदन

1	2	3	4	
7.	प्रोत्साहन हथकरघा विकास परियोजनाएं	1979-80 में राज्यों को हस्तांतरित	कवर किए गए करघे	1.72 लाख
8.	निर्यात उत्पादन परियोजनाएं	309.90	कवर किए गए करघे	22,689
9.	बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना	3480.00	नई मिलों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई	20
			विस्तार के लिए सहायता दी गई	6 मिलें
			शीघ्र स्थापित होने वाले अतिरिक्त तकुओं की संख्या	5.84 लाख
10.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन० एन० डी० सी०)	213.53 (भारत सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में दिया गया)	गोहाटी, बम्बई तथा कोयम्बटूर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए गुआहाटी, बिहार शरीफ तथा भागलपुर में यार्न डिपो खोले गए। कई राज्यों को यार्न की सीधी सप्लाई भी की गई। सप्लाई किए गए यार्न का मूल्य :— 1984-85	92.44 लाख रु०

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ को स्वदेश प्रत्यावर्तित करना

2796. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री मालिक रेड्डी } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश प्रत्यावर्तित की जाने वाली लाभ की राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है; और

(ख) सरकार इस असंगत स्थिति को, जिससे भारतीय कम्पनियों के समक्ष बाधा उत्पन्न हो रही है ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1980-81 से 1983-84 की अवधि के सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के चालू खाते के लाभ की प्रेषणाओं और रुपया (भारतीय) कम्पनियों द्वारा प्रेषित लाभांश का ब्यौरा दिया गया है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि 1983-84 में, जिसके सम्बन्ध में सबसे हाल के भुगतान शेष के आंकड़े उपलब्ध हैं, लाभ और लाभांश की प्रेषणाओं में पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा कुछ कमी हुई है हालांकि ये प्रेषणाएं 1980-81 और 1981-82 के मुकाबले में कुछ ज्यादा हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
		(करोड़ रुपये)		
1. विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा प्रेषित चालू खाते का लाभ	5.3	6.4	18.1	15.8
2. निम्नलिखित द्वारा प्रेषित लाभांश :				
(क) विदेशियों द्वारा नियंत्रित रुपया कम्पनियां	30.3	3?.1	25.8	33.5
(ख) गैर-विदेशियों द्वारा नियंत्रित रुपया कम्पनियां	25.6	25.8	44.5	28.6
जोड़ :	61.2	65.3	88.4	77.9

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मूल्य और बचत में वृद्धि

2797. प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री सुरेश कुरूप } क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुमानों की तुलना में मूल्यों में किस दर से वृद्धि हुई; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक बचतों में वृद्धि की कितनी दर का पूर्वानुमान लगाया गया और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में कीमत वृद्धि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, छठी योजना के दौरान थोक कीमत सूचकांक (1970-71 = 100) में वार्षिक वृद्धि नीचे दी गई है :—

	थोक कीमत सूचक अंक में प्रतिशत परिवर्तन (1970-71 = 100) (बिन्दु प्रति-बिन्दु के आधार पर)
1980-81	16.7
1981-82	2.4
1982-83	7.3
1983-84	8.2
1984-85	7.6

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक बचतों के वार्षिक आंकड़ों का अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, दीर्घावधिक राजकोषीय नीति के दस्तावेज में प्रयुक्त अवधारणा के अनुसार केन्द्र की वास्तविक सार्वजनिक बचतें निम्नलिखित हैं :—

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र की सार्वजनिक बचतें

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1980-81	1.7
1981-82	2.8
1982-83	3.2
1983-84	3.2
1984-85 (स० अ०)	3.0

विदेशी ऋणों का अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव

2798. डा० चिन्ता मोहन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम और गैस के मूल्यों में हुई वृद्धि वर्तमान अनुपूर्व वृद्धि ऋणों और उनके ब्याज में भुगतान के कारण करनी पड़ी जैसा कि 1 फरवरी, 1984 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या संसद सदस्यों और अन्य नेताओं ने अतीत में भारत द्वारा लिए जाने वाले विदेशी ऋणों के खतरों से समय-समय पर निरन्तर वित्त मन्त्रियों को आगाह किया था; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान ऋणों का पूरा भुगतान हो जाने तक आगे ऋण लेने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हमारा मूलभूत उद्देश्य आत्मनिर्भरता के जरिए स्वावलम्बी प्रगति करना है। फिर भी, भारत जैसे कम आय वाले विकासशील देश के मामले में निवेश अपेक्षाओं और आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता के बीच के अन्तर को विदेशों से पूंजी प्राप्तियों के जरिए कम करना होगा। हमेशा यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार की पूंजी प्राप्तियां, यथासम्भव, रियायती विदेशी सहायता के रूप में उपलब्ध हों। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि देश में प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता हमारी राष्ट्रीय आयोजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और किसी भी तरह से हमारी विकास नीति और नीति निर्माण के चुनाव के मामले में बाधक न हो। सरकार विदेशी ऋण सम्बन्धी नीति का सावधानीपूर्वक अनुसरण कर रही है। इस समय हमारे विदेशी ऋणों की स्थिति कुल मिलाकर विवेकशील सीमाओं के अन्दर है। देश पर विदेशी ऋणों के स्तर और ऋण परिशोधन के सम्भावित भार पर बराबर निगरानी रखी जाती है ताकि उन्हें प्रबन्ध योग्य सीमाओं के अन्दर रखा जा सके।

भारत-पाकिस्तान सीमा के पार से प्रौषधियों की तस्करी

2799. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सीमा के पार से अफीम, हेरोइन तथा अन्य नशीले पदार्थ बड़े पैमाने पर देश में लाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 के अंत में तथा वर्ष 1986 के प्रारम्भ से अब तक भारत-पाकिस्तान सीमा पर कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य की अफीम, हेरोइन तथा अन्य नशीले पदार्थ पकड़े गए और वर्ष 1984 के अंत तक पकड़े गए इन पदार्थों की मात्रा और मूल्य क्या था?

(ग) यदि इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी की गई है तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए

हैं और नशीले पदार्थों के गैर-कानूनी व्यापार करने वाले व्यक्तियों के इस देश में किन सम्पर्क सूत्रों का पता चला है; और

(घ) भारत-पाकिस्तान सीमा पर से नशीली औषधियों की तस्करी रोकने के लिए त्रुटियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता चलता है कि भारत-पाकिस्तान सीमा के आर-पार स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ तस्करी के आकर्षण की वस्तुएं बने हुए हैं ।

(ख) वर्ष 1984, 1985 और 1986 में फरवरी तक भारत-पाकिस्तान सीमा पर पकड़े गए विभिन्न औषधि द्रव्यों की मात्रा इस प्रकार है :—

पकड़े गए औषधि-द्रव्य
(किलो ग्राम में)

वर्ष	अफीम	हशीश	हेरोइन	गांजा
1984	3118	1541	100	2
1985	882	527	520	49
1986 (फरवरी तक)	—	5	349	—

(वर्ष 1986 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

पकड़े गए औषधि-द्रव्यों के मूल्यों में बहुत अन्तर होता है जो अभिग्रहण के समय और स्थान, औषधि-द्रव्यों की शुद्धता, स्थानीय मांग और पूर्ति की स्थिति आदि पर निर्भर करता है और इस प्रकार अभिगृहीत औषधि-द्रव्यों का मूल्य के अनुसार हिसाब नहीं रखा जाता है ।

(ग) तत्काल उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1984	89
1985	46
1986 (फरवरी तक)	3

स्वापक औषधि-द्रव्य के अभिग्रहण सम्बन्धी मामलों में अच्छी तरह से जांच-पड़ताल की जाती है और कानून के तहत समुचित कार्रवाई की जाती है। उपयुक्त मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के उपबन्धों के तहत नजरबन्द भी किया जाता है।

(घ) भारत पाक सीमा क्षेत्र में तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। इस क्षेत्र में की जाने वाली तस्करी की प्रवृत्तियों और किए गए अभिग्रहणों की सतत् समीक्षा की जाती है ताकि इस क्षेत्र में केन्द्रीय और राज्य सरकार के सम्बन्धित अभिकरणों के साथ घनिष्ठ तालमेल बैठाकर समुचित उपचारी कार्रवाई की जा सके।

विदेश में इलाज के लिए विदेशी मुद्रा का दिया जाना

2800. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि विदेश में इलाज के लिए विदेशी मुद्रा दिए जाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है;

(ख) विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) विदेशों में इलाज के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय में निर्धारित मार्गनिर्देशक सिद्धांतों के अनुसार जांच पड़ताल की जाती है। जो व्यक्ति इलाज के लिए अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से विदेश जाना चाहते हैं उन्हें एक निर्धारित फार्म पर भारतीय रिजर्व बैंक को अनुरोध करना होता है। इस आवेदन-पत्र के साथ इलाज करने वाले चिकित्सक या शल्य-चिकित्सक अथवा जिस क्षेत्र में आवेदक रहता है वहां के प्रजिडेन्सी सर्जन द्वारा एक निर्धारित फार्म पर एक सर्टिफिकेट भी भेजना होता है इस सर्टिफिकेट में बताना होता है कि मरीज की बीमारी ऐसी है जिसका इलाज विदेश में कराना आवश्यक है और जिस देश में मरीज इलाज करवाना चाहता है वहां अच्छे स्तर के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं और अगर सम्भव हो तो यह बता दिया जाए कि इलाज पर अनुमानत: कितना खर्चा होगा और क्या मरीज के साथ किसी परिचारक का जाना भी जरूरी है। इस सर्टिफिकेट पर राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी का, विनिर्दिष्ट ढंग से पृष्ठांकन भी जरूरी है। हाल ही में सरकार ने उन मामलों में, जहां इलाज की सिफारिश निदेशक, आल इन्डिया इन्स्टिट्यूट आफ मैडिकल साइंसिज, नई दिल्ली, पोस्ट ग्रेज्यूएट इन्स्टिट्यूट, चन्डीगढ़ और टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई द्वारा की गई हो, राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की सिफारिश में ढील दे दी है। और उदारता के तौर पर अब सभी कि चिकित्सा कालेजों/मैडिकल काउं-

सल आफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यक्ष (हैड) विदेशों में चिकित्सा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा जारी करने की सिफारिश कर सकते हैं।

सामान्य तौर पर, जिन मामलों में आवेदक द्वारा इलाज के खर्च का अनुमान नहीं दिया जाता शुरू में अधिक से अधिक 5000/—संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तथापि, जिन मामलों में या तो विदेशों में स्थित अस्पतालों द्वारा या उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा खर्च के अनुमान दिए जाते हैं, उन्हें दिए गए अनुमान के आधार पर, बिना किसी उच्चतम सीमा के, परन्तु बाद में यथासमय भारतीय रिजर्व बैंक को इसका हिसाब दिए जाने की शर्त पर विदेशी मुद्रा जारी कर दी जाती है।

यदि विदेश में इलाज के लिए दिया गया आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, तो सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक, जिस दिन आवेदन पत्र प्राप्त होता है, उसी दिन, विदेशी मुद्रा जारी कर देता है।

परन्तु आयातक मामलों, में, जहां विलम्ब मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यभारी अधिकारी, अपने विवेक पर, निर्धारित चिकित्सा अधिकारी के सर्टिफिकेट के बिना भी विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

2801. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवें वित्त आयोग की कुछ सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशों का ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अन्तिम रिपोर्ट में दी गई आठवें वित्त आयोग की मूल सिफारिशों को 1985-86 से कार्यान्वित किया गया है। रेलवे यात्री किरायों पर निरस्त करके बदले में सहायता अनुदान संबंधी सिफारिश पर संसद की रेलवे कन्वेनशन समिति के विचार किए जाने के लिए प्रतीक्षा की जा रही है।

आठवें वित्त आयोग ने, जिससे संविधान के अनुच्छेद 268 और 269 के अन्तर्गत राजस्व जुटाने की गुंजाइश की जांच करने के लिए भी अनुरोध किया गया था, यह बताया कि सामान्य बीमा की पालिसियों के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी की दरों में वृद्धि करने और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रका-

प्रित विज्ञापनों पर कर लगाने की कुछ गुंजाइश है। फिलहाल इस सम्बन्ध में यथा स्थिति में परिवर्तन करने का उचित अवसर नहीं समझा जाता।

हथकरघा क्षेत्र द्वारा जनता कपड़े का उत्पादन

2802. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान (31 दिसम्बर, 1985 तक) हथकरघा क्षेत्र द्वारा जनता कपड़े का कुल कितना उत्पादन किया गया और सारे वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य क्या है;

(ख) वर्ष 1984-85 की तुलना में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या सरकार ने बुनकरों को मूल्यों की घट-बढ़ से बचाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई के लिए 'लागत पर आधारित आदान मूल्य योजना तैयार की है; और,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1985-86 (31 दिसम्बर, 1985 तक) के दौरान हथकरघा क्षेत्र द्वारा जनता कपड़े के कुल उत्पादन का अनन्तिम अनुमान 280 मिलियन वर्ग मीटर का है जबकि संपूर्ण वर्ष के लिए लक्ष्य 420 मिलियन वर्ग मीटर का था।

(ख) 1985-86 (31 दिसम्बर, 1985 तक) में उत्पादन में वृद्धि 1984-85 की तत्संबंधी अवधि की तुलना में लगभग 68 मिलियन वर्ग मीटर की है।

(ग) जी नहीं। तथापि, बिक्री कीमतों और साथ ही जनता कपड़े पर आर्थिक सहायता को उत्पादन की लागत में वृद्धि के संदर्भ में समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुपर बाजार व्यवस्था का विस्तार

2803. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के आरम्भ के समय से उनके द्वारा अर्जित भारी लाभ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 15 नए सुपर बाजार खोले जा रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली में 11 फरवरी, 1986 को हाल ही में आयोजित भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ की विचार गोष्ठी में सुझाव दिया गया था कि सुपर बाजार व्यवस्था को तेजी से

और व्यापक रूप में भारी किसी रियायती व्यवस्था द्वारा भारी पूंजी निवेश किए बिना बढ़ाया जाना चाहिए; और

(ग) उन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा): (क) कोआपरेटिव स्टोर्स लि० (सुपर बाजार), नई दिल्ली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अच्छी क्वालिटी की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुपर बाजार, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 के दौरान शहर के विभिन्न भागों में 15 नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ की नई दिल्ली में 11 फरवरी, 1986 को हुई विचार-गोष्ठी में दिए गए इस सुझाव पर कि सुपर बाजार के विभिन्न बिक्री केन्द्रों को सुविधाग्राही प्रणाली के आधार पर चलाया जाए, उनके द्वारा विचार किया गया है और उसे उपयुक्त नहीं पाया गया।

लघु रबड़ उत्पादकों को लाभ

2804. श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के लघु उत्पादकों को अपना माल विवश होकर बेचने से बचाने के लिए रबड़ बोर्ड उनसे रबड़ खरीदता है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, विशेषकर उस स्थिति में जबकि रबड़ अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है; और

(ग) क्या अब रबड़ बोर्ड का विचार लघु उत्पादकों के हित में रबड़ की खरीद और बिक्री करने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री शिव पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रबड़ की वर्तमान कीमतें लाभकारी स्तर पर हैं अतः बोर्ड लघु उत्पादकर्ताओं से न तो रबड़ खरीदता है और न ही खरीदने का विचार है।

भारत में बसने के लिए अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

2805. श्री चित्त महाता : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बसने के लिये अनिवासी भारतीयों को और अधिक प्रोत्साहन देने का निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वित्त विधेयक 1986 में इस आशय का प्रस्ताव किया गया है कि अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में अपने साथ लाई गई धनराशियों अथवा परिसम्पत्तियों को अथवा भारत में लाई गई ऐसी धनराशियों में से भारत लौटने की तारीख से तुरन्त एक वर्ष पहले और उसके पश्चात किसी भी समय ऐसे अनिवासी भारतीयों द्वारा अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों के मूल्य के सम्बन्ध में, धन कर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सात कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए कर की अदायगी से छूट दी जाएगी। इसके अलावा विदेश में बसने वाले ऐसे अनिवासी भारतीय के खाते में जमा किसी भी राशि को जो कि भारत में स्थाई रूप से बसने के इरादे से भारत लौट आया हो, उस भारतीय के भारत वापस आने की तारीख को, उस के द्वारा उसी दिन भारत में लाई गई धनराशियों के रूप में माना जाएगा और इसी आधार पर उन पर भी धनकर से छूट दी जाएगी।

मिलावट तथा अधिक मूल्यों से उपभोक्ताओं को संरक्षण देने सम्बन्धी योजना

2806. श्री पी० एम० सईद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिलावट तथा अधिक मूल्यों से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कड़े उपाय करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के अन्तर्गत किन-किन विशिष्ट उपभोग्य वस्तुओं को शामिल किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उपर्युक्त योजना का ब्यौरा क्या है और उस योजना को कब तक लागू कर दिया जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 नामक एक कानून बनाया गया है। इस अधिनियम में पहले से ही मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम की पुनरीक्षा की गई है और उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण देने के लिए इसमें संशोधन किए जाने का प्रावधान है।

मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए सरकारी नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप

से जिन वस्तुओं की कमी है, के उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जा रहा है तथा इसका विस्तार किया जा रहा है। देशीय आपूर्ति को पूरा करने के लिए आवश्यकता होने पर कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है। कुछ आवश्यक वस्तुओं का निर्यात प्रतिबंधित और/अथवा विनियमित है। राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत काला बाजारियों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण निर्धन लोगों को विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत सस्ते मूल्यों पर चावल और गेहूं की आपूर्ति की जाती रहेगी।

तम्बाकू के लिए समर्थन मूल्य

2807. **श्री सी० सम्बु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए बुआई कार्य शुरू होने से पहले तम्बाकू के समर्थन मूल्य की घोषणा न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन तम्बाकू उत्पादकों की स्थिति को ध्यान में रखने का है जिनके उत्पादन प्रति हैक्टेयर 3 क्विंटल से कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क)से (ग) तम्बाकू के मामले में न्यूनतम समर्थन कीमत केवल उस फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के सम्बन्ध में निर्धारित की जाती है जो बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए नीलामी मंचों पर बचे हुए तम्बाकू की खरीदारियों के संबंध में तम्बाकू बोर्ड द्वारा आफर किया जाता है। ये कीमतें आम तौर पर विपणन मौसम से पहले घोषित की जाती है क्योंकि जबकि मुख्य ग्रेडों के लिए कीमत कृषि लागत तथा कीमत आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है, अन्य ग्रेडों की कीमतें सामान्य बाजार कीमत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। आंध्र प्रदेश में 1986 विपणन मौसम के लिए, ये कीमतें एल—2 ग्रेड के लिए, 12.00 रु० प्रति किग्रा० तथा एफ—2 ग्रेड के लिए 9.75 रु० प्रति किग्रा० निर्धारित की गई है। इसमें छोटे उपजकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें कि ग्रेडिंग तथा ढुलाई पर अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ सकती है किसानों द्वारा वहन की जाने वाली ढुलाई के रूप में 0.25 रु० प्रति किग्रा० तथा ग्रेडिंग सम्बन्धी लागत के रूप में 0.25 रु० प्रति किग्रा० भी शामिल है।

राज्यों की अर्थ-व्यवस्था पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव

2808. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं के नियन्त्रित मूल्यों में हाल ही में

की गई वृद्धि से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या उत्पाद शुल्क में हाल ही में की गई वृद्धि से राज्यों को संसाधन जुटाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या राज्यों को अतिरिक्त राजस्व का भाग देने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राज्यों की अर्थव्यवस्था पर प्रशासित मूल्यों में परिवर्तन के प्रभाव को बताना कठिन है क्योंकि यह उनके व्यय और राजस्व तथा उनके राजकोषीय प्रबन्ध में होने वाली वृद्धि पर निर्भर करेगा।

(ख) बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क के निवल वृद्धि में संसाधन जुटाने में राज्यों की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई वसूलियों में से उत्पाद शुल्कों के एक उच्चतर अन्तरण से राज्यों को लाभ भी होगा।

(ग) वर्तमान फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से वसूल किए गए कुल राजस्व में से अपना हिस्सा प्राप्त करने का हक है। राज्यों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से उगाहियों में सुधार करने के लिए केन्द्र द्वारा किए गए उपायों से भी लाभ होगा।

इण्डियन ओवरसीज बैंक की राउरकेला शाखा में जाली चैक का जमा किया जाना

2809. डा० वी० वेंकटेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 दिसम्बर, 1985 को पुलिस के पास इण्डियन ओवरसीज बैंक की राउरकेला शाखा में 35 लाख रुपए का जाली चैक जमा कराए जाने के मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसमें एक अन्य बैंक अर्थात् यूनाइटेड कमर्शियल बैंक भी शामिल है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि इसकी राउरकेला शाखा ने दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 को 35,24,647.61 रुपये का एक जाली चैक जमा कराए जाने का मामला दर्ज कराया था। बैंक ने आगे सूचित किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच के लिए मामला अपने हाथ में ले लिया है और दिनांक 3 जनवरी, 1986 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।

(ख) और (ग) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 5 दिसम्बर, 1985 को श्री एम० के० सक्सेना नाम के एक व्यक्ति ने मेसर्स एम० के० एण्टरप्राइजेज के नाम से बैंक की राउरकेला शाखा में चालू खाता खोला। दिनांक 27 दिसम्बर, 1985 को श्री सक्सेना ने शाखा से

दिनांक 24 दिसम्बर, 1985 के 35,24,647,61 रुपये का चैक खरीदने का अनुरोध किया। यह यूको बैंक, धेरा का चैक था और सेंट्रल कोल फील्ड्स लि० द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक, राउरकेला शाखा, मेसर्स एम० के० एण्टरप्राइजेज के नाम काटा गया था। शाखा ने चैक खरीद लिया और श्री एम० के० सक्सेना के चालू खाते में राशि जमा कर दी। लेकिन जब शाखा ने अपने अधिकारी को चैक की वसूली के लिए भेजा तब दिनांक 31-12-85 को शाखा को पता चला कि आपत्तिजनक चैक सेंट्रल कोल फील्ड्स लि० द्वारा जारी नहीं किया गया था बल्कि यूको बैंक, धेरा शाखा द्वारा मेसर्स एम० के० एण्टरप्राइजेज को, जिसका उक्त शाखा में चालू खाता है, जारी की गई चेक बुक के एक चेक पर काटा गया था। इण्डियन ओवरसीज बैंक ने शाखा प्रबन्धक को, जिसने प्रश्नगत चेक खरीदा था, निलम्बित कर दिया है।

[हिन्दी]

रुई तथा सूती कपड़े का निर्यात

2810. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां सरकार द्वारा सूती कपड़े तथा रुई का निर्यात किया जाता है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कुल कितने सूती कपड़े तथा कपास का निर्यात किया गया; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1985 के दौरान निर्यात किया गया सूती कपड़ा
(सूती हथकरघा फैब्रिक्स सहित)

मात्रा (मिलियन वर्ग मीटर)	मूल्य (करोड़ रु०)	प्रमुख आयातक देश
541.90	428.90	सोवियत संघ, पूर्व यूरोपीय समुदाय, संयुक्त राज्य अमरीका, बंगला देश आदि।

रुई वर्ष (सितम्बर, 1984 से अगस्त, 1985 तक) के दौरान रुई का निर्यात

मात्रा (लाख गांठें)।	मूल्य (करोड़ रु०)	प्रमुख आयातक देश
1.79	63.79	दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग, ताइवान, रूमानिया, पोलैंड, पश्चिम जर्मनी आदि।

[अनुवाद]

निर्यातकों की शिकायतों सम्बन्धी समिति द्वारा किया गया कार्य

2811. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकों की शिकायतों का तेजी से निवारण करने तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा गठित समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या इसके गठन के पश्चात् समिति की कोई बैठक हुई है और किस प्रकार की शिकायतों का निवारण किया गया है; और

(ग) इस व्यवस्था के फलस्वरूप निर्यात में अब तक कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) के कार्यालय में स्थापित शिकायत समिति का गठन तथा विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

गठन :

(i) संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात व निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र)	अध्यक्ष
(ii) उप मुख्य नियन्त्रक, आयात व निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र)	सदस्य

(iii) अध्यक्ष (एन० आर०) सदस्य
फैडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स

(iv) उप मुख्य नियन्त्रक, सदस्य सचिव
आयात व निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र)
विचारार्थ विषय :

(i) इन कागजों के विचारार्थ पड़े होने के कारणों की जांच करना (क) आयात लाइसेंस प्रार्थनापत्र (ख) समिति के सामने लाई गई शिकायतों के मामलों में निर्धारित समय सीमा से ऊपर के नकद मुआवजा सहायता के आवेदन पत्र।

(ii) समिति के सामने लाई गई शिकायतों के मामलों में समय सीमा से ऊपर विचाराधीन प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा बताई गई कमियों के स्वरूप और आवश्यकता की जांच करना।

(iii) प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में सुधार के सुझावों पर विचार करना और उन पर टिप्पणी करना।

(iv) समिति की बैठक तिमाही में एक बार होगी।

(v) समिति अपने सुचारू कार्य संचालन के लिए अपनी कार्य पद्धतियां तय करेगी।

2. शिकायत समिति की पहली बैठक 7-3-1985 को हुई। कुल मिलाकर भारतीय निर्यात संगठनों की फैडरेशन की मार्फत शिकायतों के सात मामले प्राप्त हुए। शिकायतों के स्वरूप के सम्बन्ध में उनमें से कुछ नीति सम्बन्धी उपबन्धों में संशोधन/वर्गीकरण, विचाराधीन मामलों को निपटाने में देरी और निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि के लिए अग्रिम लाइसेंसों से सम्बन्धित मामलों के बारे में थे। नकद मुआवजा सहायता के पांच प्रार्थनापत्रों के मामले का समाधान हो गया है।

3. चूंकि शिकायत समिति की स्थापना का मूल उद्देश्य लम्बित पड़े रहने के कारणों की जांच करना और आयात निर्यात आवेदनपत्रों के निपटान में देरी को कम करना है, अतः निर्यातों में मात्रा सम्बन्धी वृद्धि और तय की गई शिकायतों के बीच कोई सीधा सम्बन्ध सम्भव नहीं होगा। तथापि, ऐसा अनुभव किया जाता है कि शिकायत समिति की स्थापना से शिकायतों को जल्दी दूर करके और निर्यातक समुदाय के विभिन्न मामलों/समस्याओं को हल करके निर्यात बढ़ाने में निश्चय ही मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी चीनी मिलों द्वारा ऊंचे मूल्यों पर गन्ने की खरीद

2812. **श्री राम नगीना मिश्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य 23 रुपए और 24 रुपए प्रति क्विंटल है किन्तु कुछ और गैर-सरकारी चीनी मिलें 27 रुपए और 28 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य भुगतान कर रही हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियन्त्रण) आदेश 1966 के अधीन चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का केवल सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। तथापि, कुछ राज्य सरकारें चीनी फैक्ट्रियों को सलाह देती हैं कि वे सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य अदा करें। यह विदित हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों को 24/- रुपये प्रति क्विंटल का और पूर्वी उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों को 23/- रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य अदा करने की सलाह दी है। केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियां 23/- रुपये से 24/- रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य अदा कर रही हैं। तथापि, एक फैक्ट्री अर्थात् दौराला शुगर वर्क्स ने सूचित किया है कि वह अधिक चीनी देने वाली विशेष किस्म के गन्ने अर्थात् सी०ओ०जे० 64 के लिए 27/- रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य अदा कर रही है।

[अनुवाद]

वस्तुओं पर निर्माण, उपयोगिता काल समाप्त होने की तारीख की मुहर लगाना

2813. **डा० डी० एम० रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत दिन चलने वाले दूध, पनीर, मक्खन, यीस्त पाउडर आदि जैसी खाद्य वस्तुओं पर न तो उनके निर्माण की और न ही उनके उपयोगिता काल समाप्त होने की तारीख अंकित होती हैं अथवा उसकी मुहर लगाई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि संबंधित निर्माता कम्पनियां यह काम करें ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) बाट तथा माप, मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत कुछ खाद्य वस्तुओं जैसे बोतलों अथवा थैलियों में तरल दूध तथा गैर-डिब्बाबन्द पैकेजों में पनीर, मक्खन अथवा उन जैसी अन्य वस्तुओं पर विनिर्माण/पैकिंग के महीने तथा वर्ष की घोषणा करना आवश्यक नहीं होता है।

(ख) जी, नहीं।

सहायता अनुदान को आयकर से छूट देने सम्बन्धी प्रस्ताव

2814. श्री थम्पन थामस : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत सोसाइटियों, लोक कल्याण न्यासों और शैक्षिक निकायों को दिए गए सहायता अनुदान को आयकर से छूट देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसी छूट महाराष्ट्र में कुछ उद्योगों को दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में फिल्म उद्योग को दी गई छूट समाप्त कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य महाराष्ट्र में फिल्म उद्योग को दी गई किस छूट का जिक्र कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य फिल्म निर्माताओं द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान का उल्लेख कर रहे हैं, तो उस पर आयकर लगता है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए छूट वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जमाकर्त्ताओं को आकर्षित करने के लिए बैंकों द्वारा सेवा प्रभारों में कटौती

2815. श्री एच० एम० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जमाकर्त्ताओं को

आकर्षित करने के लिए बैंकों के सेवा प्रभारों में कटौती करने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन किया है; और

(घ) इससे बैंकों की लाभप्रदता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को जमाकर्त्ताओं को आकर्षित करने के लिए सेवा प्रभारों में कटौती करने पर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किए हैं क्योंकि बैंक द्वारा ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं जिनमें ऐसे प्रभार निर्धारित किए गए हों। शाखाओं द्वारा उनके बैंकों द्वारा अपनाई गई प्रभार सूची के अनुसार प्रभार वसूल किए जाते हैं। इनमें किसी प्रकार के व्यतिक्रम से बैंकों के लाभ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार जब कभी बैंकों और रिजर्व बैंकों का ध्यान इन व्यतिक्रमों की ओर आकृष्ट किया जाता है तब वे स्वयं भी उनकी जांच करते हैं।

बैंकों द्वारा अपंग भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली रियायतों की बहाली

2816. श्री अजय मुशरान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को क्या रियायतें और सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ बैंकों ने इनमें से अनेक रियायतें और सुविधायें वापस ले ली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उनके मन्त्रालय का बैंकों, विशेषरूप से सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को यह निर्देश देने का विचार है कि वे अपंग भूतपूर्व सैनिकों को पहले दी जाने वाली रियायतों जैसे ब्याज मुक्त ऋण और सेवा प्रभार तथा बैंक कमीशन सम्बन्धी छूटों को पुनः बहाल करें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क)से (घ) अपंग भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से, सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार वेतन निर्धारण के लाभों, आवास ऋण अथवा वाहन ऋण आदि में पिछली सेवा का लाभ जैसी कुछ रियायतें/सुविधाएं दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक द्वारा इन रियायतों या सुविधाओं को वापस लिए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

बैंकों द्वारा अन्य सुविधाएं/रियायतें यदि कोई हों, बैंकों के परिचालनों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में जिनमें अग्रिमों पर ब्याज आदि शामिल हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणिज्यिक सूझ-बूझ के अनुसार दी जाती हैं। सेवा प्रभारों के सम्बन्ध में भी बैंकों से अपने प्रभार अलग निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है। अभी हाल में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने प्रभारों की समान दरें अपनाई हैं। बैंकों को उनके इन परिचालनों के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई में कांग्रेस शताब्दी प्रदर्शनी

2817. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 दिसम्बर, 1985 को बम्बई में कांग्रेस शताब्दी प्रदर्शनी के मंडपों के लिए अधिक क्षेत्र किराये पर लेने के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय ने देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई निर्देश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रदर्शनी में स्थान की खरीद के लिए इन इकाइयों द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई थी और यह किस दर से खरीदी गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वित्त मन्त्रालय ने अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य उपक्रमों को बम्बई में कांग्रेस शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए थे। लेकिन इस विषय में उन्हें अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार निर्णय लेने की स्वतन्त्रता थी।

(ग) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की ओर से संयुक्त प्रचार समिति ने, और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम ने दिसम्बर, 1985/जनवरी, 1986 में बम्बई में सम्पन्न शताब्दी औद्योगिक प्रदर्शनी में 1.5-1.5 लाख रुपए की लागत 1000-1000 वर्ग फुट का एक-एक स्टाल लगाया था।

आयात नीति की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव

2818. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पहले पांच महीनों के दौरान निर्यात में आई 3.4 प्रतिशत की गिरावट और आयात में हुई 25 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आयात नीति की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने तथा साथ ही निर्यातों में वृद्धि करने की दृष्टि से आयात तथा निर्यात नीति के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना उसकी समीक्षा करने की स्थायी व्यवस्था है।

अमेरिका से उच्च प्रौद्योगिकी की मदों के आयात में तेजी

2820. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका से भारत में उच्च प्रौद्योगिकी की मदों के आयात में काफी तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो इन उच्च प्रौद्योगिकी के आयात में किन-किन मदों को शामिल किया गया है;

(ग) उच्च प्रौद्योगिकी की मदों के आयात में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या अमरीका द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी की इन मदों विशेष रूप से भारत को सुपर कम्प्यूटर की बिक्री पर शर्तें लगाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) नवम्बर, 1984 में भारत सरकार तथा सं० रा० अमरीका में प्रौद्योगिकी अन्तरण के संबंध में समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) के सम्पन्न होने के बाद सं० रा० अमरीका से अग्रिम कम्प्यूटर प्रणालियों जैसी उच्च प्रौद्योगिकी मदों के प्रवाह में वृद्धि हुई है।

उच्च प्रौद्योगिकी मदों के आयात के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) एम० ओ० यू० के अधीन उच्च प्रौद्योगिकी मदों की बिक्री उन कतिपय शर्तों के अध्यधीन होगी जिनका सम्बन्ध वास्तविक प्रयोग अहस्तांतरणीयता से है।

एक आयातक फर्म द्वारा 10 लाख रुपये का कथित घोटाला

2821. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारगो सीमा शुल्क अधिकारियों ने केन्द्रीय भन्डागार के गोदाम को 10 लाख रुपये की जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत करके माल छुड़ाने वाली एक आयातक फर्म के कथित घोटाले का पर्दाफाश किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस घोटाले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मैसर्स डिम्पल इण्डस्ट्रियल प्रा० लि० नांगलोई नई दिल्ली, द्वारा नवम्बर 1985 में खेल के जूतों के संघटकों के आयात से सम्बन्धित एक मामले में जिन्होंने अग्रिम लाइसेंस जारी किये जाने के बारे में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के कार्यालय से एक कथित सिफारिशी पत्र के आधार पर माल की नि:शुल्क निकासी चाही थी, क्रमश: 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये की दो बैंक गारंटियां प्रस्तुत की थीं जिन्हें कैनरा बैंक की जनपथ स्थित शाखा द्वारा जारी किए जाने का दावा किया गया था कार्गो की निकासी के बाद, संदेह होने पर, इन गारंटियों को जारी करने वाले बैंक से प्रमाणित कराया गया और उन्हें जाली पाया गया।

सीमा शुल्क अधिकारियों ने, सीमाशुल्क तथा अन्य सम्बद्ध कानूनों के तहत इस मामले की जांच कर ली है और मैसर्स डिम्पल इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन प्रा० लि० नांगलोई, नई दिल्ली को एक औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

जालसाजी से सम्बन्धित इस मामले को जांच-पड़ताल और फर्म के विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है।

कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए केवल कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यात गृहों को मान्यता देना

2822. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यात गृहों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए केवल कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यात गृहों को मान्यता देना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का विचार कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले बड़े निर्यात गृहों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सौदा करने के अधिकार प्रदान करने का है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आज की स्थिति के अनुसार कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे निर्यात सदनों की संख्या 15 है।

(ग) जी, नहीं।

(ग) वर्तमान निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात सदन अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु सौदे करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

उड़ीसा में ग्रामीण बैंक

2823. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के ऋण दिए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन ऋणों की स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने छोटे किसानों ने इसका लाभ उठाया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय उड़ीसा राज्य में नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से वार्षिक संवितरणों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, जून 1983, 1984 और 1985 के अन्त में अग्रिमों की बकाया राशियां नीचे दी गई हैं :—

के अन्त में	बकाया ऋण/अग्रिम (करोड़ रुपये)
जून, 1983	66.52
जून, 1984	87.83
जून, 1985	105.83

छोटे/सीमांतिक किसानों द्वारा प्राप्त कृषि अग्रिमों के सम्बन्ध में ऋण खातों की संख्या नीचे दी गई है :—

के अन्त में	कृषि अग्रिमों से सम्बन्धित ऋण खातों की संख्या
जून, 1983	285255
जून, 1984	337338
जून, 1985	384799

(ग) जून, 1983, 1984 और 1985 को समाप्त वर्षों की वसूली स्थिति नीचे दी गई है :—

	मांग के मुकाबले वसूली का प्रतिशत
जून, 1983	44%
जून, 1984	39%
जून, 1985	37%

आंध्र प्रदेश की कताई मिलों को लाइसेंस दिया जाना

2824. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अब तक कितनी कताई मिलों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) इनमें से कितनी मिलें सहकारिता क्षेत्र में हैं;

(ग) क्या उक्त सभी कताई मिलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कपास का उत्पादन पर्याप्त/अपर्याप्त हैं; और

(घ) राज्यों में कपास के अधिक/कम उत्पादन से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में कॉटन स्पिनिंग मिलों के स्थापना के लिए जारी किए गए लाइसेंसों/आशयपत्रों/प्रमाणपत्रों की कुल संख्या 73 है। इनमें 11 सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ग) और (घ) उत्पादित रुई सम्पूर्ण देश की सूती वस्त्र मिलों, जिनमें आंध्र प्रदेश की मिलें भी शामिल हैं, की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। हमारी घरेलू जरूरतों में से अधिशेष मात्रा के निर्यात की अनुमति समय-समय पर दी जाती है। चालू रुई सीजन (1985-86) के दौरान सरकार ने निर्यात के लिए लम्बी तथा अधिक लम्बी रेशे वाली रुई की 10.00 लाख गांठें, बंगालदेशी की 52,000 गांठें और एलोपिकिन्स की 25,000 गांठें पहले ही रिलीज कर दी हैं।

विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण की बकाया राशि

2825. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त विदेशी कर्ज की कितनी राशि बकाया है;

(ख) प्रतिवर्ष कितने ऋण की वापस अदायगी करनी होती है;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए आन्तरिक कर्ज की कितनी राशि बकाया है और इसका आवश्यक ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राशियों की वापस अदायगी पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

31-12-1985 की स्थिति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (केवल सरकारी खातों में) के संबंध में वर्ष 1985-86 के दौरान मूलधन की अनुमानित वापसी और ब्याज की अदायगी की बकाया देनदारियों को दर्शाने वाला विवरण :—

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	संस्था का नाम	31-12-85 को बकाया ऋण राशि	1985-86 के दौरान मूलधन की अनुमानित वापसी	वर्ष 1985-86 के दौरान ब्याज का अनुमानित भुगतान
1	2	3	4	5
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	10724.25	65.97	90.14*
2.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	2004.09	50.92	203.43
3.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (न्यास निधि)	730.35	66.20	3.25

*अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण खातों से निकाली गई राशि तथा समय-समय पर बकाया राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सेवा प्रभार लगता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण से समय-समय पर न निकाली गई मूलधन की राशि पर 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वचनबद्धता प्रभार लगता है।

1	2	3	4	5
4.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	114.86	—	0.90
5.	अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन	4.77	—	—

2. इसके अतिरिक्त 31-12-1985 की स्थिति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित कोष सुविधा के अधीन की गई निकासियों के संबंध में भारत पर 4735.35 करोड़ रुपये की बकाया देनदारियां हैं। विस्तारित कोष सुविधा के अधीन वर्ष 1985-86 के दौरान वापसी अदायगियों और प्रभारों के भुगतान की राशि क्रमश: 162.49 करोड़ रुपये और 417.18 करोड़ रुपये है।

विवरण-II

वर्ष 1985-86 की स्थिति के अनुसार बकाया आन्तरिक ऋण और उन पर दिए जाने वाले ब्याज संबंधी ब्यौरा देने वाला विवरण (अनुमान)

(करोड़ रुपये)

	आन्तरिक ऋण	1985-86 (संशोधित अनुमान)
1.	बाजार ऋण	35460.18
2.	वापसी भुगतान के लिए बाजार ऋण	34.03
3.	स्पेशल बेयरर बांड	964.26
4.	राजकोषीय बिल	25133.31
5.	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	562.96
6.	विशेष मुक्त ऋण (फलोटिंग और अन्य ऋण)	3086.24
7.	भारतीय रिजर्व बैंक की जारी की गई विशेष प्रत्याभूतियां	5187.00
		70,427.98

वर्ष 1985-86 के दौरान आन्तरिक ऋण पर ब्याज भुगतान की अनुमानित राशि 3856.43 करोड़ रुपये है।

कृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाली आय को नगद प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत लाया जाना

2826. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाली आय को नगद प्रतिपूर्ति योजना की परिधि में शामिल करने का विचार है; और

(ख) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात को सरि-सरणीकरण से मुक्त करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) चुनिन्दा कृषि निर्यात उत्पाद पहले ही नकद मुआवजा सहायता योजना के अन्तर्गत शामिल हैं।

(ख) अधिकांश कृषि मदें निर्यातों के प्रयोजनों के लिए पहले ही सरणीकरण से मुक्त हैं। कृषि मदों के निर्यातों का सरणी करण केवल कुछ चुनिन्दा उत्पादों के मामले में ही अपनाया जा रहा है।

बम्बई में कुछ मिलों के राष्ट्रीयकरण के परिणाम

2827. श्री हुसैन दलवाई : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कपड़ा मिलों की लम्बी हड़ताल के बाद वहां कपड़ा उद्योग अपनी मूल स्थिति में नहीं लौटा है;

(ख) बम्बई में कपड़ा उद्योग को इसकी मूल स्थिति में लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) बम्बई में कुछ मिलों के राष्ट्रीयकरण का क्या परिणाम निकला है; और

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत चलने वाली मिलों की उपलब्धि क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कपड़ा मिलों में हड़ताल से बम्बई क्षेत्र की सभी कपड़ा मिलें प्रभावित हुई थीं। जबकि उद्योग में रोजगार के स्तर में कुछ गिरावट आई है, कपड़े का मासिक उत्पादन हड़ताल से पहले के कपड़ा उत्पादन के 70 प्रतिशत को पार कर गया है।

(ख) पूरे देश में कपड़ा एकक के लिए नई कपड़ा नीति में घोषित नीति सम्बन्धी उपाय बम्बई के कपड़ा एककों पर भी लागू होंगे।

(ग) और (घ) अक्तूबर, 1983 में उस समय तक के लिए जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं हो

जाता 13 वस्त्र उपक्रमों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अधिग्रहण के समय केवल 5 एकक ही कुछ उत्पादन कर रहे थे। एन० टी० सी० को इन एककों का अभिरक्षक बनाये जाने के बाद सभी 13 एककों ने लगभग 24,000 व्यक्तियों को रोजगार देकर उत्पादन शुरू कर दिया है।

बम्बई में एन० टी० सी० के सभी 12 राष्ट्रीयकृत एकक उत्पादन तथा रोजगार को बनाए हुए हैं।

सकल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में राष्ट्रीयकरण का अनुपात

2828. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्ष की अवधि में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुपात में राष्ट्रीय ऋण का प्रतिशत कितना था;

(ख) इसी अवधि के दौरान इसका मुद्रास्फीति दर और भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या 1986-87 में राष्ट्रीयकरण ऋण प्रतिशत अनुपात के और अधिक होने की सम्भावना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में (उपादान लागत पर) आन्तरिक और बाह्य ऋण को मिलाकर केन्द्रीय सरकार का लोक ऋण इस प्रकार था :—

वर्ष	सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय सरकार का लोक ऋण
1980-81	37.0
1981-82	36.7
1982-83	41.8
1983-84	38.2
1984-85	39.9

(ख) लोक ऋण और मुद्रास्फीति की दर तथा भुगतान शेष के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए अनुपात निकालना सम्भव नहीं है क्योंकि उस वर्ष के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

काफी बोर्ड की कथित वित्तीय समस्याएं

2829. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो समस्याओं का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने काफी बोर्ड से क्रय-कर की बकाया राशि के भुगतान की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार की कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) काफी बोड की वित्तीय समस्याओं का समाधान करने के लिए इसे सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) गत मूल्यांकनों के सम्बन्ध में पुनः कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा किए गए क्रय-कर दावों के सम्बन्ध में काफी बोर्ड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवाद किया गया है।

मिदनापुर के लिए अपर्याप्त बैंक सहायता

2830. श्री नारायण चौबे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1986 के "स्टेट्समैन" (कलकत्ता) में "बैंक एड फार मिदनापुर इन्एडिक्वेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या 1985 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 49.73 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में केवल 23.84 करोड़ रुपये का निवेश किया गया और यह देश में सबसे कम है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 34.41 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 15.06 करोड़ रुपये मंजूर किये गये और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 6.62 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में केवल 3.49 करोड़ रुपये मंजूर किये गए;

(घ) क्या वाणिज्यिक बैंकों को 215.8 करोड़ रुपये की जमा राशि प्राप्त हुई और उन्होंने अपनी 60 प्रतिशत जमा राशि का प्राथमिकता वाले क्षेत्र में निवेश करने के उन्हें दिए गए निदेश का उल्लंघन करके केवल 62.91 करोड़ रुपये के ऋण दिये; और

(ङ) मिदनापुर के लोगों के साथ किए गए अन्याय को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मिदनापुर जिले के लिए वार्षिक कार्य आयोजना 1985 के अन्तर्गत निर्धारित 49.43 करोड़ रुपये के ऋण के लक्ष्य के मुकाबले सितम्बर, 1985 के अन्त में 23.85 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए थे। सितम्बर, 1985 के अन्त तक जिले की वार्षिक कार्य आयोजना, 1985 के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य और उपलब्धियां दी गई हैं :—

क्षेत्र	लक्ष्य (करोड़ रुपये)	उपलब्धि (करोड़ रुपये)
1. कृषि	34.42	15.08
2. उद्योग	6.62	3.49
3. सेवाएं	8.39	5.28
कुल :	49.43	23.85

चूंकि उपर्युक्त सूचना केवल 9 महीने की है और अभी तक देशभर के जिलों से पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए मिदनापुर जिले की इस सम्बन्ध में सापेक्ष स्थिति बताना सम्भव नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मिदनापुर जिले में 246.36 करोड़ रुपये की जमा राशियां प्राप्त हुई और उस दिन अग्रिमों की बकाया रकम 67.87 करोड़ रुपये थी अर्थात् उस समय ऋण:जमा का अनुपात प्रतिशत 27.55 था। यह स्वीकार किया गया कि जिले का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले सहित विभिन्न जिलों में ऋण जमा अनुपात के कम होने से सम्बन्धित समस्याओं की बारीकी से जांच करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने एक कृतिक बल का गठन किया है जो एक वर्ष में ऋण-जमा अनुपात 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रयास करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सरकार आदि के वरिष्ठ अधिकारी इस बल के सदस्य हैं। राज्य सरकार को भी सरकारी विभागों तथा एजेंसियों के नाम अनुदेश जारी करने के लिए कहा गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश वस्तुओं और विपणन सुविधाओं सहित सभी मिली-जुली योजनाएं बैंकरों को उपलब्ध कराई जाएं ताकि बैंक ऐसी योजनाओं को वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य आयोजना में सम्मिलित कर सकें।

[हिन्दी]

बाट और माप नियम 1977 में संशोधन

2831. श्री विष्णु मोदी
श्री शान्ति धारीवाल } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाट और माप (पैक किया हुआ माल) नियम 1977 में सरकार द्वारा संशोधन के फलस्वरूप व्यापारियों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इससे क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से, जो बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 को लागू करते हैं, इस मामले पर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलना

2832. कुमारी पुष्पा देवी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अब तक कितनी शाखाएं खोली गई हैं और ये किन-किन स्थानों पर खोली गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुछ और शाखाएं खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रधान कार्यालयों, उनके अन्तर्गत आने वाले जिलों तथा प्रत्येक की शाखाओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया

है। अखिल भारत स्तर पर वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से केवल प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं की संख्या का पता चलता है। चूंकि मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1353 शाखाओं में से प्रत्येक के स्थान के संबंध में सूचना एकत्र करने में जितना समय और शक्ति खर्च होगी, वह परिणामों की तुलना में कहीं अधिक होगी, इसलिए प्रत्येक बैंक शाखा के स्थान से संबंधित सूचना नहीं दी जा रही है।

(ख) और (ग) नई शाखाएं भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुरूप खोली जाती हैं। दिनांक 30 सितम्बर, 1985 को मध्य प्रदेश में नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 33 लाइसेंस लम्बित पड़े थे।

विवरण

दिनांक 30 जून, 1985 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनके प्रधान कार्यालय, इनके अंतर्गत आने वाले जिलों और शाखाओं की संख्या को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	प्रधान कार्यालयों का स्थान	इसके अन्तर्गत आने वाले जिले	30-6-85 तक शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	होशंगाबाद	होशंगाबाद	90
2.	बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिलासपुर	बिलासपुर जयपुर	150
3.	रीवा सीधी ग्रामीण बैंक	रीवा	रीवा सीधी	77
4.	बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	टीकमगढ़	छतरपुर टीकमगढ़	80
5.	शारदा ग्रामीण बैंक	सतना	सतना	57
6.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अम्बिकापुर	सरगुजा	82
7.	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	जगदालपुर	बस्तर	62
8.	दुर्ग-राजनन्दन गांव ग्रामीण बैंक	राजनन्दनगांव	दुर्ग राजनन्दनगांव	100

1	2	3	4	5
9.	झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	झाबुआ	झाबुआ धार	82
10.	रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	रायगढ़	रायगढ़	65
11.	शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	शिवपुरी	शिवपुरी गुना	58
12.	दामोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	दामोह	दामोह पन्ना सागर	70
13.	देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	देवास	देवास शाजापुर	50
14.	निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	खारगोन	पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड	70
15.	मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मंडला	मंडला बालाघाट	56
16.	छिंदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा सिओनी	63
17.	राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिओड़ा	राजगढ़ सिहोर	40
18.	सहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहडोल	सहडोल	29
19.	रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मंदसौर	रतलाम मंदसौर	36
20.	चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भिंड	भिंड मुरेना	21
21.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर जबलपुर	11
22.	इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उज्जन	उज्जैन इंदौर	4
23.	*ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	दतिया	ग्वालियर दतिया	*उ०न०

*19-9-85 को खोला गया।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए बिहार को दी गई केन्द्रीय सहायता

2833. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, वनस्पति और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हेतु, पृथक-पृथक बिहार को कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उपयुक्त वस्तुओं के संबंध में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार की मांग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा):

(क) केन्द्रीय सरकार ने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तन्त्र के माध्यम से वितरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सात मुख्य आवश्यक वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, साफ्ट कोक, नियन्त्रित कपड़े तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य सरकारों को एक समान मूल्यों पर जारी किए गए गेहूं तथा चावल में पहले ही राजसहायता की भारी राशि अन्तर्निहित होती है। लेवी चीनी देश भर में 4.80 रुपये प्रति कि० ग्रा० के समान खुदरा मूल्य पर, जो खुले बाजार के मौजूदा मूल्य से काफी कम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है। इसी प्रकार मिट्टी का तेल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर सप्लाई किया जाता है, ताकि इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तन्त्र के माध्यम से आम आदमी को उचित दर पर उपलब्ध कराया जा सके। केन्द्रीय सरकार की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दे रही है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, विशेषकर ग्रामीण तथा दूर-दराज क्षेत्रों में, विस्तार करें तथा उसे मजबूत बनाएं, ताकि लोगों को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं मिल सकें।

(ख) बिहार सरकार से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के ऋण की शर्तें

2834. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के ऋण की शर्तें, विशेषकर ब्याज-दर तथा ऋण की अदायगी का तरीका क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : विश्व बैंक समूह द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा मानक परिवर्तनशील दरों (इस समय 8.50 प्रतिशत है) से ब्याज देना पड़ता है, और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाले ऋणों/विशेष निधि ऋणों पर कोई ब्याज नहीं पड़ता, किन्तु समय समय पर निकाली गई मूल रकमों और बकाया रकमों पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा प्रभार पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋणों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों/विशेष निधि ऋणों की समय-समय पर निकाली न गई उधार तथा ऋण/विशेष निधि ऋण की मूल रकम पर क्रमशः 0.75 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वचनबद्धता प्रभार पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों की वापसी अदायगी 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में की जाती है; और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों की वापसी अदायगी 5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्षों में की जाती है।

खादी रुई और रेशम के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

2835. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और अप्रैल 1985 से दिसम्बर, 1985 के दौरान खादी, रुई और रेशम का कितना निर्यात किया गया; और

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) रुई तथा रेशम के बारे में एक विवरण संलग्न है। खादी के बारे में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं ?

विवरण

रुई तथा रेशम के निर्यात

वर्ष	रुई		रेशम (x) (x)	
	मात्रा (लाख गांठ)	मूल्य (लाख रु०)	मात्रा (लाख वर्ग मीटर)	मूल्य (लाख रु०)
1983-84	3.54 (क)	9836 (क)	144.08	9448
1984-85	1.79 (क)	6379 (क)	165.31	12288
अप्रैल-दिसम्बर, 1985	(x) 0.53 (x)	1275 (x)	143.10	12134

(x) आंकड़े सितम्बर, 1985 से फरवरी, 1986 के दूसरे सप्ताह तक की अवधि (रुई सीजन सितम्बर से अगस्त तक है) से सम्बन्धित हैं।

(xx) प्राकृतिक रेशम माल (मिश्रित ब्लैंडेड रेशम माल तथा रेशम वेस्ट शामिल नहीं है)।

(क) आंकड़े रुई वर्ष सितम्बर से अगस्त से सम्बन्धित हैं।

[हिन्दी]

आसाम के करीमंगज जिले की पाथिनी चाय एस्टेट में पैदा की जाने वाली हरी चाय (ग्रीन टी)

2836. श्री सुदर्शन दास : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के करीमंगज जिले में पाथिनी चाय एस्टेट में, जो भारतीय चाय व्यापार निगम के प्रबन्धाधीन एक सरकारी उपक्रम है, मोरक्को को निर्यात के लिए मुख्यतः हरी चाय पैदा करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हरी चाय की बहुत बड़ी मात्रा कारखाने के गोदाम में पड़ी है और मोरक्को के साथ व्यापार करार का नवीनकरण न किए जाने के कारण नहीं बेची जा सकी; और;

(ग) यदि हां, तो हरी चाय की इस भारी मात्रा को बेचने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सम्मत पोतलदान अनुसूची के अनुसार साख-पत्र के खोलने में हुए विलम्ब के कारण भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा मोरक्को को लगभग 400 मे० टन ही चाय नहीं भेजी जा सकी। समस्या सुलझा दी गई है और अप्रैल, 1986 से पोतलदान कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

इलायची के मूल्यों में गिरावट और निर्यात बाजार की हानि

2837. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इलायची की निर्यात की जाने वाली विभिन्न किस्मों के मूल्यों में तेजी से आई गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली इस वस्तु के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए इलायची बोर्ड और उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को पश्चिम एशियाई बाजारों में हमारे प्रतियोगियों द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार के बारे में जानकारी है; और

(घ) क्या उनके मन्त्रालय का विचार इसके मूल्यों में गिरावट और बाजारों की हानि के बारे में गहन अध्ययन और उसके कारणों को जानने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना करना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) कीमतें, जो कि पिछले तीन वर्ष में सूखे के परिणामस्वरूप कम सप्लाई होने की वजह से तेजी से बढ़ गई थीं अब उन्हीं स्तरों पर लौट आई हैं जो कि सामान्य स्तर का उत्पादन होने पर रहती है। अधिकांश निर्यात योग्य बेशी माल पहले ही निर्यात किया जा चुका है और भारत से निर्यात होने वाली इलायची की मात्रा के रूप में 1985-86 में एक नया रिकार्ड प्राप्त किए जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

काले धन का पता लगाने के लिए छापे

2838. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान दिल्ली, नई दिल्ली/दिल्ली छावनी के छोटे व्यापारियों के घरों पर छापे मारे गए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और छापों का परिणाम क्या निकला ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में नई रोलर आटा मिलें स्थापित करना

2839. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कुछ नई रोलर आटा मिलें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ये नई रोलर आटा मिलें स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या नई रोलर आटा मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक रोलर आटा मिलों की क्षमता कितनी है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के०पंजा) : (क) से (घ) सरकार ने पहले से विद्यमान क्षमता, उपयोग की वर्तमान मात्रा और जिन जिलों में मिलें नहीं हैं, उनमें प्रस्तावित स्थान, खपत केन्द्रों की निकटता, भविष्य में संभावित मांग और अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करते हुए विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 30 मीटरी टन प्रतिदिन तक की क्षमता के सीमित संख्या में नये यूनिट स्थापित करने की इजाजत देने का निर्णय किया है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे नई रोलर फ्लोर मिलें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उन पर आगे विचार करने के लिए उन्हें 30-4-1986 से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेज दें। उड़ीसा और अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नये यूनिट स्थापित करने के लिए प्राप्त हुए अनुरोधों पर ऊपर उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों को दृष्टि में रखकर उक्त तारीख के बाद विचार किया जाएगा।

पटसन और पटसन उत्पादों का निर्यात

2840. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने मूल्य के पटसन उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान अनुमानत: कितने मूल्य का पटसन और पटसन उत्पाद का निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 1986-87 के दौरान पटसन और पटसन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान पटसन माल का मूल्यवार निर्यात नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य (रु०/करोड़)
1982-83	201.83
1983-84	163.71
1984-85	299.93

(ख) और (ग) मुख्यत: संश्लिष्ट स्थानापन्न माल तथा अन्य पटसन उत्पादक देशों से कड़ा प्रतियोगिता होने के कारण कई वर्षों से भारत के पटसन माल के निर्यातों में गिरावट आ रही है, हालांकि, हाल में इस गिरावट की प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर लिया गया है।

(घ) पटसन माल के निर्यात का मूल्यवार लक्ष्य 250/275 करोड़ रु० है जिसे पूरा कर सकने की सम्भावना है।

(ङ) पटसन माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) नार्थ अमरीका को कालीन अस्तर कपड़े के निर्यात के लिए 50:50 आधार पर हानि वहन आधार पर एस० टी० सी० पटसन उद्योग सार्थसंघ का बनाया जाना;

(2) आर० एण्ड डी० प्रयासों के माध्यम से निर्यात योग्य उत्पादों के विकास को प्रोत्साहन;

(3) विशेषीकृत व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा पटसन माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशों में अभिज्ञात बाजारों में सरकार उद्योग प्रतिनिधिमण्डल भेजना; और

(4) आर० एण्ड डी० प्रयासों को तथा निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु पटसन उपकर से प्राप्त राशि में से एक नई जे० एम० डी० सी० तथा पटसन कोष बनाना।

हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए उठाए कदम

2841. श्री चिंतामणि जेना
श्री मोहनभाई पटेल } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सहकारी क्षेत्र में करघों के आधुनिकीकरण/नवीकरण/खरीद के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की योजना का क्रियान्वयन 1980-81 से 50:50 के आधार पर केन्द्रीय सरकार की उतनी ही सहायता से राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत अन्तर-सरकारी संगठन

2842. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं; जिनमें उनका मन्त्रालय सरकार की ओर से शीर्ष (मोडल) मन्त्रालय के रूप में कार्य करता है;

(ख) प्रत्येक संगठनों को सरकार द्वारा कितना वार्षिक अंशदान किया गया है और वर्ष 1985 के दौरान अंशभागिता पर कितना धन खर्च हुआ;

(ग) ऐसे संगठनों के प्रस्तावित स्थाई प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संगठनों के स्थाई सचिवालय में उच्चतम स्तरों पर अथवा दूसरे उच्चतम स्तरों पर यदि कोई भारतीय राष्ट्रिक है तो इनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राजदूत असाधारण तथा पूर्णाधिकारी स्थाई प्रतिनिधि, जेनेवा अंकटाड तथा आई० टी० सी० दोनों के लिए अधिकृत है जबकि राजदूत तथा उप-स्थाई प्रतिनिधि, जेनेवा गाट के लिए अधिकृत हैं। बैंकाक स्थित भारतीय दूतावास में राजदूत एस्कैप के लिए अधिकृत है। शेष संगठनों के मुख्यालयों में स्थित भारतीय मिशन इन संगठनों से सम्बन्धित मामलों में समन्वयकों के रूप में कार्य करते हैं।

(घ) इस समय उप महानिदेशक, गाट के पद पर एक भारतीय राष्ट्रिक है।

विवरण

(क) उन अन्तर्राष्ट्रीय अन्त: सरकारी संगठनों	(ख) प्रत्येक संगठन को सरकार द्वारा वार्षिक अंशदान तथा 1985 के दौरान सहभागिता पर किया गया व्यय[4]	
	वार्षिक अंशदान (लगभग)	सहभागिता पर किया गया व्यय
1	2	3
1. संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड), जेनेवा[2]		रु० 37,474.55
2. टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गाट), जेनेवा।	रु० 18,08,991.00	रु० 1,41,235.70
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, जेनेवा (आई० टी० सी०)[1]	रु० 6,00,000.00	शून्य
4. अन्तर्राष्ट्रीय टिन परिषद, लन्दन	रु० 24,50,000.00	शून्य
5. अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन, लन्दन	रु० 24,02,266.40	रु० 64,310.000
6. अन्तर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क टैरिफ ब्यूरो, ब्रसेल्स	रु० 54,946.00	शून्य
7. लौह वयस्क निर्यातक राष्ट्र संघ, जेनेवा	रु० 6,43,000.00	रु० 23,000.00

1	2	3
8. अन्तर्राष्ट्रीय बाक्साइट संघ, किंग्स्टन	रु० 6,39,690.70	शून्य
9. प्राकृतिक रबड़ उत्पादन राष्ट्र संघ, कवालालम्पुर	रु० 1,37,466.00	रु० 40,482.95
10. एशियाई तथा प्रशान्त नारियल समुदाय, जकार्ता	रु० 2,38,950.00	शून्य
11. अन्तर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय, जकार्ता	रु० 3,00,640.00	रु० 51,772.00
12. अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह, लन्दन	रु० 1,38,752.00	रु० 64,725.20
13. एशिया तथा प्रशान्त विकास केन्द्र कुआला रामपुर	रु० 9,00,000.00	शून्य
14. एशिया तथा प्रशांत हेतु आर्थिक व सामाजिक आयोग (एस्कैप)[2]	रु० —	रु० 54,420.00
15. व्यापार संबंधी राष्ट्र मण्डल क्षेत्रीय परामर्शदात्री समूह[2]	—	शून्य
16. अन्तर्राष्ट्रीय उष्णकटिबन्धीय टिम्बर संगठन[3]	—	शून्य
17. प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु एशियाई तथा प्रशांत केन्द्र, बंगलौर (ए० पी० सी० टी० टी०)	रु० 10,00,000.00	शून्य
18. अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग	—	रु० 29,439.12

1		2	3
19.	एशिया तथा प्रशान्त हेतु सांख्यकीय संस्थान, टोकियो (एस० आई० ए० पी०)	रु० 1,00,000.00	शून्य
20.	क्षेत्रीय खनिज संसाधन विकास केन्द्र, बैंडग (आर० एम० आर० डी० सी०)	रु० 50,000.00	शून्य
21.	एशिया तथा प्रशांत आदि उष्णकटिबंध मोटे अनाजों दालों, रुट्स तथा ट्यूब्स फसलों के अनुसंधान तथा विकास हेतु क्षेत्रीय समन्वय केन्द्र (इन्डोनेशिया) (सी०जी०पी० आर० टी०)	रु० 50,0000.0	शून्य

1= भारतीय अंशदान आई० टी० सी० की न्यास निधि के लिए है। आई० टी० सी० का बजट अंकटाड/गाट से आता है।

2= वाणिज्य मन्त्रालय से इन संगठनों के लिए कोई सीधा अंशदान नहीं है। इन संगठनों का बजट सं० रा०/राष्ट्र मण्डल सचिवालय से आता है।

3 भारत अन्तर्राष्ट्रीय उष्णकटिबन्धीय टिम्बर करार में फरवरी, 1986 में ही शामिल हुआ है और अब तक कोई अंशदान नहीं किया गया है।

4 आंकडे इन बैठकों की सहयोगिता में अन्तर्ग्रस्त अनुमानित व्यय दर्शाते हैं। व्यय वाणिज्य मन्त्रालय के बजट से ही होता है और इसमें होटल आवास पर हुए व्यय शामिल हैं। जब कभी इन मन्त्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि इन बैठकों में उपस्थित होते हैं तो इस पर व्यय संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

उपहार-पारेषणों को सीमा शुल्क से छूट

2843. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न एसोसिएशनों, संगठनों, संस्थानों अथवा न्यासों को वर्ष 1985 में सीमा शुल्क लगे बिना उपहार मिले सामान का अनुमानित मूल्य सहित अन्य विवरण क्या हैं ?

(ख) इस तरह कितनी धनराशि का सीमा शुल्क छोड़ दिया गया है ;

(ग) धर्मार्थ संस्थानों में उनके अपने प्रयोग के लिए अथवा देश में जरूरतमंदों को वितरित करने के लिए आने वाले सामान पर सीमा शुल्क में छूट प्राप्त करने अथवा छोड़ देने की प्रक्रिया क्या है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिनांक 15 मार्च, 1982 की एक सामान्य छूट प्रदायी अधिसूचना संख्या 85 – सीमा शुल्क के तहत, राहत कार्यों में लगे धर्मार्थ संगठनों द्वारा आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों, औषधियों आदि को उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सीमा शुल्क से छूट दी जाती है। अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2338/86]

इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (2) के तहत सरकार को किसी भी ऐसे माल पर, जिस पर शुल्क दिया जाना होता है, लोकहित और असाधारण स्वरूप की परिस्थितियों में प्रत्येक मामले में विशेष आदेश जारी करके छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है और धर्मार्थ संस्थानों के संबंध में यदि दिनांक 15-3-82 की अधिसूचना सं० 85 – सीमा शुल्क लागू होती नहीं पाई जाती है तो वे इस उपबन्ध के तहत छूट प्राप्त करने के लिए सरकार को आवेदन कर सकते हैं।

चीनी उपक्रम अधिनियम 1978 के अन्तर्गत अधिगृहित चीनी कारखानों की ओर बकाया गन्ने का मूल्य

2844. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चीनी कारखानों के नाम क्या हैं जिनका चीनी उपक्रम प्रबंध व्यवस्था का अधिग्रहण अधि नियम, 1978 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है और उनके अधिग्रहण के समय प्रत्येक की ओर गन्ने का कितना मूल्य बकाया था ;

(ख) इन कारखानों को कौन सी तारीख को मालिकों को वापस कर दिया गया और उस तारीख को इनकी ओर कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; या उठाए जाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संलग्न विवरण का, अवलोकन करने से यह विदित होगा कि फैक्ट्रियों को वापस करने/अनुसूचित करने के समय पर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि अधिग्रहण की तारीख को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि से बहुत कम थी। मिलों को अननुसूचित करने के पश्चात्, गन्ने की बकाया राशि के भुगतान करने की केन्द्र सरकार की कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है। गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जिनके पास ऐसे भुगतान कराने के लिए आवश्यक क्षेत्रीय संगठन और शक्तियां हैं। तथापि, केन्द्र सरकार स्थिति पर नजर रखती है और गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का तेजी से भुगतान कराने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध करती है।

विवरण

अधिग्रहण की तारीख को और अधिग्रहण की गई चीनी प्रतिष्ठानों को वापस करने/अननुसूचित करते समय गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	अधिग्रहण करने की तारीख को गन्ने की बकाया राशि (लाख रुपए)	मालिकों/राज्य सरकार को फैक्टरी वापस करने की तारीख/अननुसूचित करने की तारीख	वापस करने/अननुसूचित करने की तारीख को 1985-86 के लिए गन्ने की बकाया राशि (लाख रुपये)*
1	2	3	4	5
1.	दि अजुध्या शुगर मिल्स, राजा-का-सहसपुर मुरादाबाद (उ० प्र०)	121.61	2-12-85	18.70 30-11-85 को
2.	दि देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया, जिला देवरिया (उ० प्र०)	12.39	27-12-85	18.45 31-12-85 को
3.	श्री सीताराम शुगर कम्पनी, बैतालपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)	10.40	27-12-85	11 17 31-12-85 को

1	2	3	4	5
4.	श्री केशोरायपाटन एस० एस० कारखाना केशोरायपाटन जिला बून्दी (राजस्थान)	44.54	12-12-85	शून्य 15-12 85 को
5.	जीजामाता एस० एम० कारखाना, जिला बुल्डाना (महाराष्ट्र)	62.17	6-12-85	13.22 7-12-85 को
6.	कावेरी शुगर्ज एण्ड कैमिकल्स, पेट्टायवेतलाई, जिला त्रिची (तमिलनाडु)	7.78	15-10-85	शून्य 15-10-85 को
7.	वि आर० बी० एन० सिंह शुगर मिल्स, लक्सर, जिला सहारनपुर (उ० प्र०)	203.03	1-2-86	189.36 2-2-86 को
8.	दि सेक्सरिया शुगर मिल्स पो० आ० बभनान, जिला गोंडा (उ० प्र०)	65.48	13-3-86	**94.81 22-2-86 को

*यह बकाया राशि वापस करने/अनुसूचित करने की तारीख को अथवा उसके आस-पास तारीख को है।

**ये आंकड़े व्यस्तम पेराई मौसम के हैं जब कि गन्ने की बकाया राशि अधिक होती है लेकिन जैसे ही मौसम समाप्त होने को आता है तब इस राशि का भुगतान कर दिया जाता है। इसके अलावा ये दो फैक्ट्रियां हाल ही में नकद ऋण सीमा की समस्या का सामना कर रही हैं।

सरकारी उपक्रमों में प्रमुखों के रिक्त पद

2845. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अधीन अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक के पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) इन खाली पदों को न भरने के क्या कारण हैं और प्रत्येक पद किस तारीख से खाली है;

(घ) इस समय किस व्यवस्था के अन्तर्गत उपक्रमों में कार्य हो रहा है; और

(ङ) खाली पदों के कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) से (ङ) फिलहाल भारतीय खाद्य निगम में प्रबन्ध निदेशक का एक पद रिक्त है जोकि 11-3-1986 को रिक्त हुआ था। इस रिक्ति को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में प्रबन्ध निदेशक का पद 28-1-1986 को रिक्त हुआ था। अन्तरिम व्यवस्था करने के रूप में, मन्त्रालय के एक अधिकारी को उनके अपने कार्यों के अलावा, इस पद का कार्यभार सौंपा गया है। एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक की शीघ्र ही नियुक्ति कर दिए जाने की सम्भावना है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के अधीन प्रतिष्ठानों में अध्यक्ष अथवा अन्य किसी प्रबन्ध निदेशक का कोई पद रिक्त नहीं है।

आम लोगों को प्रभावित करने वाले अप्रत्यक्ष कर

2846. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क व अन्य करों से प्राप्त कुल राजस्व का 82 प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसका मूल्य वृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इससे जन साधारण का बजट प्रभावित होता है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अप्रत्यक्ष करों का बोझ कम हो और आम आदमी को राहत मिल सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) 1985-86 के संशोधित अनुमानों

के अनुसार केन्द्रीय करों से कुल राजस्व का 80 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से एकत्रित किए जाने का अनुमान है। तथापि, कीमतों पर अप्रत्यक्ष करों मे घट-बढ़ का प्रभाव, कई तत्वों जैसे कि कर लगाई गई वस्तुओं की किस्म और विशेष वस्तुओं की कीमतों आदि की मांग और पूर्ति की सापेक्ष लोच पर निर्भर करता है।

(ख) सरकार का यह सतत् प्रयास रहा है कि आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में न्यूनतम संभव अप्रत्यक्ष कर लगाए जाएं। नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य भी उत्पादन में वृद्धि और विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की उत्पादिकता में वृद्धि को प्रोत्साहन देना है। 1986-87 के बजट में कई अन्य कदम उठाए गए हैं जिनका लक्ष्य आम आदमी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना है।

सातवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए आबंटन

2847. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए कुल निवेश का कितने प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रतिशतता बहुत कम है और हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई मांग की तुलना में निवेश अपर्याप्त है;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए आबंटन में वृद्धि करने तथा इस प्रयोजन को उच्च प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की प्राथमिकता देने का विचार है तथा इस प्रयोजन के लिए कुल कितना आबंटन किया गया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्कीम की संभाव्यता और योजना आयोग द्वारा निश्चित की गई परस्पर प्राथमिकताओं पर आधारित रहते हुए राज्य सरकारों के परामर्श से सामान्यत: पर्यटन स्कीमें प्रारम्भ करती है। चूंकि विभाग द्वारा राज्य-वार या क्षेत्र-वार आधार पर कोई आबंटन नहीं किया जाता, हिमाचल प्रदेश के लिए कम या अपर्याप्त निवेश का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत पर्यटन विकास निगम भी मार्केट अपेक्षाओं के अनुसार आवास, आदि से संबंधित परियोजनाएं प्रारम्भ करता है। फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम मनाली में एक यात्री गृह चला रहा है।

तथापि, सिद्धान्त रूप से यह मान लिया गया है कि सातवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश

में पर्यटन आधार-संरचना के विकास को उच्चतर प्राथमिकता प्रदान की जाए। केन्द्रीय सरकार ने लगभग 18.00 लाख रु० की लागत पर सरहन में ट्रैकर्स हैट्स का निर्माण करने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह यात्री निवासों सहित कुछ और सीमेंट तैयार करे जिन्हें केन्द्रीय सरकार के समग्र दायरे के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जा सके।

[हिन्दी]

बीड़ियों का निर्यात बढ़ाने के लिए कदम

2848. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड़ियों का निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों को भारतीय बीड़ियों के निर्यात हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, जहां भारतीय बीड़ियां पसन्द की जाती हैं; और

(ग) इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय बीड़ी के कुछ महत्वपूर्ण आयातक देश हैं यू०ए०ई०, कुवैत, सऊदी अरब, कतार, ओमान, बेहारीन, मलयेशिया, सिंगापुर तथा नीदरलैंड।

(ग) निर्यातों के माध्यम से बीड़ी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल है :—

(1) चुनिन्दा मध्य पूर्व तथा एशियाई देशों तथा पश्चिम यूरोपीय देशों में बाजार सर्वेक्षण;

(2) बीड़ी की पैकेजिंग सम्बन्धी अध्ययन।

(3) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारतीय बीड़ी के नमूनों का प्रदर्शन।

[अनुवाद]

स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार के लिये उपाय

2849. **डा० वी० एल० शैलेश**
श्री के० प्रधानी } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमों के हाल ही के आंकड़ों तथा संचयी विनिमय तरजीही शेयर (सी०सी०पी०) सम्बन्धित मामले सार्वजनिक क्षेत्र के बाण्ड आदि जैसे नए-नए वित्तीय स्रोतों के संदर्भ से स्टाक एक्स-

चेंज का कार्यकरण काफी जटिल हो गया है और बोर्डों में विशेषज्ञों की कमी के कारण या स्टाक एक्सचेंजों की शासी परिषद न होने के कारण शेयरों का अन्तरण करने, नए निर्गमों के मामलों में शेयरों के पंजीकरण और आबंटन करने में विलम्ब हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो यदि आवश्यक हो तो विद्यमान विधान में संशोधन करके स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार करने तथा उनके कार्यकरण में तेजी लाने के लिए कुछ नए उपायों का पता लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सार्वजनिक निर्गमों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप स्टाक एक्सचेंजों के कार्यभार में भी वृद्धि हुई है, किन्तु एक्सचेंजों के कार्यभार पर प्रभाव डालने वाला एक अधिक संगत कारक उसमें होने वाले व्यापार की मात्रा है। नए निर्गमों अथवा नए प्रपत्रों के चलन से एक्सचेंजों के कार्यकरण में कोई जटिलता नहीं आती। शेयरों के अन्तरण, नए निर्गमों के मामले में शेयरों के अन्तरण, पूंजी और आबंटन का कार्य कम्पनियों द्वारा किया जाता है स्टाक एक्सचेंजों द्वारा नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात विपणन निधि से अनुदान

2850. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 लाख डालर निर्यात विपणन निधि से अनुदान देने के लिए मानदण्डों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और निर्यात विपणन निधि के कब से कार्य करने की सम्भावना है और वह किन एजेंसी के माध्यम से कार्य करेगा;

(ग) उक्त निधि से "अनुदानों" के माध्यम से गैर-सरकारी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों को रचनात्मक रूप से सहायता देने के लिए यदि कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, तो वे क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) निर्यात विपणन निधि से अनुदान देने के लिए, मोटे तौर पर मापदण्डों का अंतिम निर्धारण कर लिया गया है। इस निधि का प्रबन्ध भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा किया जाएगा और अप्रैल-जून 1986 के दौरान इस निधि का काम शुरू हो जाएगा। निर्यात विपणन निधि का समर्थन मुख्य रूप से उच्च निर्यात-सम्भावना के लिए चुने गए इंजीनियरी उत्पादों के वास्ते उपलब्ध होगा। निर्यात विपणन निधि सहायता पात्र निर्यात विपणन क्रियाकलाप से सम्बद्ध खर्च के 50 प्रतिशत के बिए होगी और शेष रकम की व्यवस्था निर्यातकर्त्ता द्वारा की जाएगी। पात्र क्रियाकलाप में विपणन अनुसंधान उत्पाद अंगीकरण, निरीक्षण

सेवाओं, प्रशिक्षण, यात्रा और विदेशों में परिचालनों की स्थापना सहित निर्यात विपणन के लिए नीति विषयक योजनाएं शामिल होंगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उड़ीसा में धान की खरीद

2851. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बाजारों में विशेष रूप से उड़ीसा में 30 नवम्बर, 1985 तक किसान कितना धान बिक्री के लिए लाये;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 30 नवम्बर, 1985 तक किसानों से कुल कितना धान खरीदा गया; और

(ग) क्या देश के अन्य भागों में खाद्यान्नों के यातायात के लिए सन्तोषजनक व्यवस्था की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) केवल पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ और दिल्ली के संघ शासित प्रदेशों से ही मंडी में धान की आमद के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचनानुसार 30-11-1985 तक कुल 87.39 लाख मीटरी टन की आमद हुई थी, उड़ीसा के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) 18.90 लाख मीटरी टन।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में गांवों में कच्चे पटसन की विवश बिक्री

2852. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के ग्रामीण पटसन उत्पादकों द्वारा गैर-सरकारी व्यापारियों को मात्र 180/- रुपए प्रति क्विंटल की दर से कच्चे पटसन की विवश बिक्री की जानकारी है क्योंकि भारतीय पटसन निगम, दानपुर पटसन विपणन सहकारी समिति, उड़ीसा और कोणार्क जूट मिल्स लिमिटेड उनसे पटसन नहीं खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पटसन उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) 1985-86 में पटसन की भरपूर फसल के परिणामस्वरूप उड़ीसा सहित पटसन पैदा करने वाले सभी राज्यों में कच्चे पटसन की कीमत में पिछले साल के उच्च स्तर से तीव्र गिरावट आई। उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय पटसन निगम को अपने खरीद कार्य बढ़ाने के लिए वास्तव में भारतीय पटसन निगम ने उड़ीसा के बाजार में सितम्बर, 1985 के मध्य में प्रवेश किया और उसने कानूनी न्यूनतम कीमतों से ऊपर 25 रु० प्रति क्विंटल की कीमत पर वाणिज्यिक कार्य किया। अक्तूबर 1985 के मध्य से भारतीय जूट निगम ने अपने तथा सहकारी समितियों द्वारा संचालित 38 केन्द्रों की मार्फत उड़ीसा में कीमत समर्थन कार्य जारी रखा और अब तक उड़ीसा से लगभग 1.02 लाख गांठें खरीदी हैं।

चाय का उत्पादन और निर्यात

2853. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए चाय निर्यातक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या चाय उत्पादकों को चाय के निर्यात और विपणन पर सरकारी नियन्त्रण और विनियमनों से कोई कठिनाइयां हो रही हैं;

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए चाय विपणन योजना का ब्यौरा क्या है और 1986-87 के लिए चाय का उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(घ) निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वर्ष 1986-87 में कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) चाय निर्यात में वृद्धि करने सम्बन्धी उपायों में शामिल हैं : – ब्राण्ड संवर्धन तथा विदेशों के भण्डारण हेतु सहायता और साथ ही मूल्य वर्धित चायों के लिए नकद भुगतान सहायता। चाय बोर्ड विदेशों में स्थित अपने कार्यालयों की मार्फत संवर्धनात्मक अभियान भी चलाता है।

(ख) से (घ) स्वदेश तथा विदेशों में सुखद सप्लाई स्थिति को देखते हुए कोटा तथा न्यूनतम निर्यात कीमत जैसे निर्यात प्रतिबन्धों पर आधारित एक चाय विपणन योजना बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसी पाबंदियां 1985 में समाप्त कर दी गईं। 1986 में चाय उत्पादन के आरम्भिक अनुमान 677 एम० किग्रा० रखे गये और निर्यात निष्पादन में और अधिक सुधार कर सकने के लिए

पर्याप्त अधिशेष रखा गया है। विदेशी मुद्रा आय अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के रुख पर निर्भर करेगी।

पोलैंड को चाय के निर्यात में कमी आना

2854. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983 तक भारतीय चाय का अधिकतम आयात करने वाले देशों में पोलैंड का चौथा स्थान था;

(ख) क्या इसमें गिरावट का कारण वहां पर खपत का कम हो जाना है अथवा ताइवान और चीन जैसे अन्य देशों की तुलना में हमारी चाय का घटिया होना है; और

(ग) पोलैंड को चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) विगत दस वर्षों के दौरान पोलैंड द्वारा भारत से किए गए चाय आयातों में तीव्र उतार-चढ़ाव आये जो कि 1979 में लगभग 5 मिलियन किग्रा० से 1982 में 16 मिलियन किग्रा० के बीच रहे। भारत से हुए आयातों में हाल में गिरावट का कारण अन्यत्र सस्ती चाय की उपलब्धता और पोलैंड के सामने आ रहे व्यापार शेष संबंधी अवरोध हो सकते हैं। पोलैंड को होने वाले निर्यात में वृद्धि करने संबंधी उपायों में शामिल हैं : द्विपक्षीय वार्ताएं, दीर्घावधि व्यापार कार्यक्रम और मूल्यवर्धित निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता देना।

सोवियत संघ और अन्य देशों को पटसन का निर्यात

2855. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारतीय पटसन का प्रमुख खरीददार है;

(ख) भारतीय पटसन निगम द्वारा सोवियत संघ को वर्ष 1986-87 के लिए हस्ताक्षर किए गए करार के अनुसार कितने कच्चे पटसन का निर्यात किया जाएगा;

(ग) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं; जिनके साथ भारतीय पटसन निगम ने वर्ष 1986-87 के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) वर्ष 1980 से लेकर अब तक कच्चे पटसन के निर्यात से वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा के माध्यम से सरकार को हुए लाभ में से पटसन उत्पादकों को भारतीय पटसन निगम द्वारा उनके माल की बिक्री से प्राप्ति के आधार पर बोनस देने का है; और

(च) यदि हां, तो उसका प्रतिशत कितना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सोवियत संघ भारत से जूट की खरीद व्यापार योजना व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी जरूरतों के आधार पर करता है। भारतीय जूट निगम ने 1986 की व्यापार योजना के अन्तर्गत जूट के निर्यात के लिए सोवियत संघ के साथ किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, भारतीय जूट निगम ने 1985 की व्यापार योजना की व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग 2.43 करोड़ रु० मूल्य की कच्चे जूट की लगभग 7.778 गाठों की कुल मात्रा निर्यात करने के लिए सोवियत संघ से एक संविदा की है।

(ग) भारतीय जूट निगम द्वारा 1986 की व्यापार योजनाओं के अन्तर्गत किसी भी देश से कोई संविदा नहीं की गई है। तथापि, सोवियत संघ के अलावा, भारतीय जूट निगम ने पोलैण्ड के साथ लगभग 2 करोड़ रु० मूल्य की कच्चे जूट की लगभग 23,372 गांठों की कुल मात्रा के निर्यात के लिए और मुक्त विदेशी मुद्रा देशों के साथ लगभग 0.18 करोड़ रु० मूल्य की कच्चे जूट की लगभग 7,575 गाठों की कुल मात्रा के निर्यात के लिए संविदा की है।

(घ) भारतीय जूट निगम द्वारा 1980-81 से निर्यातित कच्चे जूट की मात्रा तथा मूल्य निम्नोकत प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (गांठों में)	मूल्य (लाख रु०)
1980-81	101881	653.24
1981-82	293736	1601.65
1982-83	72481	356.96
1983-84	शून्य	शून्य
1984-85	शून्य	शून्य
1985-86 (7-3-86 तक)	22716	186.15

(ङ) से (च) चूंकि भारतीय जूट निगम द्वारा कच्चे जूट के निर्यात पर अर्जित लाभ न्यूनतम है और कच्चे जूट का निर्यात किसी लाभ/हानि समवहन योजना के अन्तर्गत नहीं किया जाता है अतः निर्यातों पर अर्जित लाभ उपजकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड

2856. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय में विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कार्य क्या होंगे और उसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा यह किस एजेंसी के जरिए यह पता लगाएगा कि कौन-कौन सी बड़ी और मध्यम कम्पनियां रुग्णावस्था में हैं तथा उनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है; और

(ग) रुग्ण तथा जरूरतमंद कम्पनियों का पता लगाने में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थानों को क्या भूमिका सौंपने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में एक औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 2 और अधिक से अधिक 14 सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इस बोर्ड को यह जानने के लिए जांच करने का अधिकार होगा कि कोई कम्पनी अधिनियम की परिभाषा के अन्तर्गत रोगी हो गई है। यदि जांच करने के बाद बोर्ड को यह तसल्ली हो जाए कि कम्पनी रोगी हो गई है तो वह कम्पनी को एक उचित समय के अन्दर अन्दर अपनी निवल सम्पत्ति को धनात्मक बनाने के लिए समय दे सकता है और यदि बोर्ड यह निश्चय करे कि कम्पनी के लिए एक युक्ति-युक्त समय के अन्दर अपनी निवल सम्पत्ति को धनात्मक बनाना व्यवहार्य नहीं है, तो वह निम्नलिखित उपाय कर सकता है :—

(1) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी का पुनर्निर्माण पुनरुद्धार अथवा पुनरुज्जीवन।

(2) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के प्रबन्ध में परिवर्तन करके अथवा उसे ग्रहण करके रुग्ण औद्योगिक कम्पनी का उचित प्रबन्ध करना।

(3) किसी अन्य औद्योगिक कम्पनी के साथ रुग्ण औद्योगिक कम्पनी का समामेलन करना।

(4) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के किसी औद्योगिक उपक्रम का आंशिक अथवा सम्पूर्ण भाग बेचना अथवा पट्टे पर देना;

(5) ऐसे अन्य उचित निरोधात्मक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय करना;

(6) ऐसे प्रासंगिक, पारिणामिक अथवा अनुपूरक उपाय करना जो उपर्युक्त (1) से (5) में निर्दिष्ट उपायों के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझे जायें।

यद्यपि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के लिए बोर्ड को सन्दर्भ करना अनिवार्य है, लेकिन केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा राज्य सरकार अथवा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्था अथवा राज्य स्तरीय कोई संस्था अथवा कोई वाणिज्यिक बैंक, यदि उसके पास इस बात का विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि कोई औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक रुग्ण औद्योगिक

कम्पनी हो गई है, ऐसी कम्पनी के सम्बन्ध में बोर्ड को संदर्भ कर सकता है ताकि वह ऐसी कम्पनी के लिए किए जाने वाले उपायों का निर्धारण कर सकें।

मर्चेन्ट बैंकिंग कम्पनियों की बड़े पैमाने पर वृद्धि

2857. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मर्चेन्ट बैंकिंग कम्पनियों की इस समय हो रही अत्यधिक वृद्धि पर लाइसेंस प्रणाली से रोक लगाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) मर्चेन्ट बैंकरों और उनके साथ फाइनेंशियल प्रेस, जो समय-समय पर उनके मामलों का विज्ञापन करते हैं, के लिए तैयार की जाने वाली आचरण संहिता क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) स्टाक एक्सचेंजों से संबंधित उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की अन्तिम रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट अन्य सिफारिशों के साथ-साथ मर्चेन्ट बैंकरों के विनियमन पर भी विचार किया जाएगा। यही वांछनीय है कि वित्तीय प्रैस स्वयं ही अपनी आचार संहिता बना लें तथा प्रभावकारी आत्म विनियमन प्रक्रिया के अनुसरण की सुनिश्चित व्यवस्था करें।

जनता कपड़े का उत्पादन हस्तकरघा क्षेत्र को अंतरित करना

2858. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में जनता कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र को अंतरित करने का कार्य धीमा रहा है और सातवीं योजना में हथकरघा के लिए उप-दल (सब-ग्रुप) ने नियंत्रित कपड़े के तेजी से अंतरण करने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो बड़ी संख्या में "डोरमेंट लूम्स" को गतिशील बनाने और लगभग 10 लाख बुनकरों के लिए अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से अगले चार वर्षों के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन को हथकरघा क्षेत्र में अंतरित करने की गति में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) कन्ट्रोल के कपड़े का हथकरघा क्षेत्र को अंतरण की गति को पहले ही बढ़ाया गया है

जैसा कि निम्नलिखित विवरण से पता चलता है;

(मिलियन वर्गमीटरों में)

वर्ष	कन्ट्रोल के कपड़े/जनता कपड़े के लिए कुल लक्ष्य	उत्पादन का लक्ष्य	
		जनता कपड़ा	कन्ट्रोल का कपड़ा
1984-85	650	360	290
1985-86	700	420	280
1986-87	700	500	200

ऐसी आशा की जाती है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 700 मिलियन वर्ग मीटर का सम्पूर्ण लक्ष्य हथकरघा क्षेत्र को अंतरित कर दिया जाएगा।

कोंकण तट पर पर्यटक केन्द्र का विकास

2851. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र के तटवर्ती जिले सिंधुदुर्ग और रत्नगिरि का केन्द्रीय सरकार की सहायता से रमणीक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोंकण तट पर होवर-क्राफ्ट सेवा जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अथवा गैरसरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों को अनुमति देने का विचार है; और

(ग) कोंकण तट पर पर्यटन केन्द्रों का निर्माण करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विभाग ने महाराष्ट्र सरकार से परामर्श कर महाराष्ट्र में अनेक पर्यटक-केन्द्रों की पहचान की है, इनमें से कुछ केन्द्र कोंकण क्षेत्र में हैं। इन केन्द्रों तथा यथा जंजीरा, गणपतिपुले और वेंगुरला का राज्य, केन्द्र और निजी क्षेत्र के सम्मिलित संसाधनों द्वारा अवस्थाबद्ध ढंग से विकास किया जाना है।

(ख) और (ग) कोंकण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, महाराष्ट्र सरकार, होवर-क्राफ्ट सेवा जैसी आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए प्राइवेट पार्टियों को उत्साहित कर रही है। बंबई और पंजिम के बीच पहले ही नौवहन सेवा प्रदान की जा चुकी है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने गणपतिपुले में 162 बिस्तर क्षमता आवास एवं रेस्तरां सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और वेंगुरला को

समुद्र-तट विहार-स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कदम उठाए हैं।

अहमदाबाद स्थित लेखा परीक्षा विभाग के फालतू कार्य राजकोट स्थित कार्यालय में अंतरित करना

2860. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट (गुजरात) में 100 से अधिक लेखा-परीक्षा कर्मचारी बिना कार्य के रखे जा रहे हैं जब कि अहमदाबाद में कर्मचारियों की कमी होने के कारण कार्य एकत्र हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सिविल आडिट एण्ड एकाउन्ट्स एसोसिएशन, राजकोट द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार संबंधित अधिकारियों को फालतू कार्य को अहमदाबाद से राजकोट को अन्तरित करने की सलाह दी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि राजकोट में एक सौ से ऊपर लेखा-परीक्षा कर्मचारियों को बिना काम के रखा जा रहा है। कर्मचारियों को या तो राजकोट में ड्यूटी सौंपी गई है या पूरे गुजरात में फैले हुए कार्यालयों के निरीक्षण के कार्य पर लगाया गया है। तथापि, यह सही है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में लेखा-परीक्षा के लिए अपेक्षित संख्या की तुलना में राजकोट में लेखा-परीक्षक अधिक है और गुजरात के बाकी क्षेत्रों के लिए अपेक्षित संख्या की तुलना में अहमदाबाद में लेखा-परीक्षकों की संख्या कम है। इसी कारण सौराष्ट्र क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में राजकोट के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि कार्य अधिकांशतः पूरे राज्य में फैले हुए राज्य के सरकारी कार्यालयों के स्थानीय निरीक्षण की प्रकृति का है इसलिए कार्य को अहमदाबाद से राजकोट स्थानान्तरित करके समस्या को हल नहीं किया जा सकता। तथापि, राकोट के स्टाफ एसोसिएशन ने यह मांग की है कि मुख्यालय के कुछ अनुभागों को अहमदाबाद से राजकोट स्थानान्तरित कर दिया जाए। इस प्रकार के स्थानान्तरण में प्रशासनिक कठिनाइयों के अतिरिक्त, इससे केवल लगभग 25 कर्मचारी ही प्रभावित होंगे। अहमदाबाद की स्टाफ एसोसिएशन भी कार्य के इस प्रकार के किसी स्थानान्तरण करने का कड़ा विरोध करती है। इसके परिणामस्वरूप कार्य के इस प्रकार स्थानान्तरित किए जाने से कार्य में पर्याप्त अव्यवस्था फैल जाने और अहमदाबाद में कर्मचारियों का आन्दोलन होने की सम्भावना है। शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए सम्बन्धित महालेखाकार दोनों स्टाफ एसोसिएशनों के साथ इस मामले पर लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्रों को सहायता

2861. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट,

सामान्य बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आदि जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने वर्ष 1984-85 में गैर-सरकारी क्षेत्र को 5000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी है, जो एक रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो ऋण और साम्य पूंजी के रूप में संस्थावार कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों का हिस्सा कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि अप्रैल, 1984 से मार्च 1985 तक की अवधि के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल मिलाकर 5624.4 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई जिसका संस्थावार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रुपये में)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2653.2
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	418.0
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड	513.5
भारतीय जीवन बीमा निगम	220.7
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	3 7.3
भारतीय साधारण बीमा निगम	144.1
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	105.8
राज्य वित्तीय निगम	738.8
राज्य औद्योगिक विकास निगम	473.0
जोड़	5624 4
	(लगभग)

मंजूरी की गई सहायता का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रुपए में)
पब्लिक	667.8
संयुक्त	359.4
सहकारी	94.2
प्राइवेट	4232.0
	5353.4

क्षेत्रवार आंकड़ों में वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान, बीज पूंजी और गारंटियों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

कोवालम समुद्र तट पर्यटन स्थल के अधिकारियों द्वारा मनोरंजन पर किया गया व्यय

2862. श्री सुरेश कुरूप : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोवालम अशोक समुद्र तट पर्यटन स्थल के अधिकारियों द्वारा अप्रैल, 1984 और नवम्बर, 1985 के बीच मनोरंजन पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी;

(ख) क्या उक्त राशि सीमा के अन्तर्गत थी और क्या अधिकारी उक्त राशि खर्च करने के लिए प्राधिकृत थे;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	मनोरंजन पर किया गया खर्च
1984-85	2775.50 रु०
1985-86 (नवम्बर 1985 तक)	4247.84 रु०

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे होटल प्रबंध संस्थान

2863. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित ऐसे कितने होटल हैं; जो होटल प्रबन्ध में प्रशिक्षण देते हैं और उनकी कितने लोगों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास के होटलों के अलावा अन्य होटल प्रबन्ध संस्थानों को भी केन्द्रीय सरकार से सहायता मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष कितनी सहायता दी जाती हैं; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा मंजूर किए गए धन का बेहतर उपयोग हो, केन्द्रीय सरकार का इन संस्थाओं पर कोई नियन्त्रण नहीं है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम और कुछ अन्य होटल शृंखलाएं यथा आई०टी० सी० लि० और ईस्ट इण्डिया होटल्स लि० अपने कर्मचारियों को होटल प्रबन्ध में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ओबराय स्कूल आफ होटल मैनेजमेंट की प्रशिक्षण-क्षमता लगभग 120 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष बताई गई है।

(ख) जी, हां। सरकार द्वारा स्थापित होटल प्रबन्ध संस्थानों को केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है।

(ग) ऐसे संस्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विभिन्न होटल प्रबन्ध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थानों को दी जाने वाली सहायता की राशि उनकी अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए साल-दर-साल अलग-अलग होती है। गत तीन वर्षों के दौरान होटल प्रबन्ध संस्थानों को दी गई सहायता—अनुदान की राशि इस प्रकार है :

1982-83	81,67,271 रु०
1983-84	1,38,60,945 रु०
1984-85	3,54,10,716 रु०

(घ) जी, हां।

विवरण

केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे होटल प्रबन्ध संस्थानों के नाम

(1) होटल प्रबन्ध, केटरिंग और पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली।

(2) होटल प्रबन्ध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, बम्बई।

(3) होटल प्रबन्ध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, मद्रास।

(4) होटल प्रबन्ध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, कलकत्ता।

(5) होटल प्रबंध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, श्रीनगर।

(6) होटल प्रबंध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, बंगलौर।

(7) होटल प्रबंध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, भुवनेश्वर।

(8) होटल प्रबंध, केटरिंग और पोषाहार संस्थान, अहमदाबाद।

(9) होटल प्रबंध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हैदराबाद।

(10) होटल प्रबंध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, गोआ।

(11) होटल प्रबंध, केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, लखनऊ।

पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र के पर्यटन को प्रोत्साहन देना

2864. डा० सुधीर राय : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन-सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार का पर्यटक यातायात को विनियमित करने के लिए सुन्दरवन के सुरक्षित वन क्षेत्र को धीरे-धीरे खोलने का प्रस्ताव है। सुन्दरवन के अन्तर्गत साजनेखाली में विनिर्मित एक 60 बैड वाला पर्यटक-गृह जो 1984 में चालू किया गया था उसकी प्रबन्ध-व्यवस्था फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की जा रही है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने परिभ्रमणकारी पर्यटकों को सुन्दरवन लाने और

ले जाने के लिए एक मोटर लांच लेने के लिए 1981-82 में राज्य सरकार को 16.50 लाख रुपए प्रदान किए हैं, जो परिचालनरत है। 1984-85 में, सुन्दरबन में तैरते (फ्लोटिंग) आवास के लिए 7 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई, जिसमें से अग्रिम धनराशि के रूप में 3.50 लाख रुपए रिलीज किए जा चुके हैं।

गलत वास्तविक मूल्य बताने के कारण भवनों और सम्पदाओं का प्रबन्ध ग्रहण

2865. डा० के० जी० अदियोडी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण फीस के लिए गलत वास्तविक मूल्य बताने के कारण कितने भवनों और सम्पदाओं का प्रबन्ध ग्रहण किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्कों की चोरी करने के उद्देश्य से वास्तविक कीमत गलत बताने के लिए, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके द्वारा भूमि और भवन को अधिकार में लिया जा सके। तथापि, आयकर अधिनियम में सम्पत्तियों के अधिग्रहण की उस स्थिति में व्यवस्था की गई है जहां यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकट बिक्री प्रतिफल उचित बाजार मूल्य से कतिपय प्रतिशत अनुपात से कम था। गत एक वर्ष में सरकार ने आयकर अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों के अन्तर्गत किसी भी सम्पत्ति को अपने कब्जे में नहीं लिया।

रबड़ का निर्यात और रबड़ से बनी वस्तुओं का आयात

2866. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान रबड़ के निर्यात में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो 1983, 1984 और 1985 में निर्यात किये गये रबड़ की मात्रा और मूल्य कितना था;

(ख) क्या भारत में रबड़ से बनी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है और 1983, 1984 और 1985 वर्षों के दौरान उनका कुल वार्षिक मूल्य कितना था;

(ग) क्या रबड़ से बनी उक्त वस्तुओं का देश में ही निर्माण नहीं किया जा सकता; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विभिन्न मदों के आयातों/निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य संबंधी आंकड़े अभी 1982-83 तक संकलित किए गए हैं। वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान रबड़ के निर्यात तथा रबड़ उत्पादों के आयात के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) चूंकि विभिन्न, आकारों, विशिष्टियों तथा बनावट के रबड़ उत्पादकों की एक बड़ी

संख्या है अतः उनका स्वदेशीकरण निरन्तर आधार पर किया जा रहा है।

(घ) घरेलू रूप से विभिन्न रबड़ उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विदेशी ऋणों का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

2867. **डा० श्रीमती टी० कल्पना देवी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में निरन्तर कमी आई है और ब्याज की ऊंची दरों पर दिए जाने वाले "आई०बी०आर०डी०" और अन्य वाणिज्यिक ऋणों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ऐसे भारी ऋणों से भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी जैसा कि अन्य अनेक विकासशील देशों में हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सुपर बाजार में सब्जियों और फलों की बिक्री

2868. **श्री श्रीहरि राव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार पूरे शहर में सब्जियों और फलों की भी बिक्री कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संस्था के उपभोक्ता मूल्यों और किस्मों की जांच और मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सुपर बाजार स्थित बिक्री केन्द्रों (कनाट प्लेस, पटेल नगर, विट्ठल भाई पटेल हाऊस तथा साऊथ एवेन्यू) तथा 21 चलती-फिरती वैनों के माध्यम से, जो दिल्ली के विभिन्न भागों में 60 इलाकों

को सेवाएं प्रदान करते हैं, सब्जियां तथा फल बेचता है।

(ख) और (ग) सुपर बाजार द्वारा सब्जियों तथा फल बेचने का मुख्य उद्देश्य, उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध करना है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि फलों तथा सब्जियों को बेचने की योजना का जनता द्वारा स्वागत किया गया है और प्रेस द्वारा उसकी सराहना की गई है। कुछ समाचार-पत्रों द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण के अनुसार सुपर बाजार में बेची जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं, जिसमें सब्जियां तथा फल शामिल हैं, के मूल्य खुले बाजार में उसी क्वालिटी की वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में कम है। सुपर बाजार के कार्यकरण की सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही है।

वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय व्यय

2869. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय व्यय वर्तमान मूल्यों के अनुसार 19845 करोड़ रुपये बताया गया था;

(ख) इस रकम के आंकलन के लिए मूल परिव्यय में किस दर से वृद्धि की गई;

(ग) क्या यह दर में वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर दर्शाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस दर का किस प्रकार आंकलन किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) प्रश्न में सम्भवत: 1986-87 के लिए केन्द्रीय आयोजना व्यय का उल्लेख किया गया है। 1986-87 के बजट में 22300 करोड़ रुपए के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 19845 करोड़ रुपए की जिस रकम का हवाला दिया गया है उस राशि का अनुमान सातवीं आयोजना में केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के लिए पहले की गई कुल व्यवस्था को स्वीकार करके और 5 प्रतिशत वार्षिक मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाते हुए। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में परिकल्पित तरीके से क्रमबद्ध करके लगाया गया था। महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों पर सम्पत्तियां और सुझाव आमन्त्रित करने तथा विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह एक निदेशी पूर्व-बजट कार्य था। चालू वर्ष के सम्बन्ध में मुद्र स्फीति की वास्तविक दर का पता वर्ष के समाप्त होने पर ही लग सकेगा।

निगमित क्षेत्र का वित्तीय कार्य निष्पादन

2870. **श्री श्रीकान्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निगमित क्षेत्र के वित्तीय कार्य निष्पादन के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां तो अध्ययन के अन्तर्गत कितने वर्षों को शामिल किया गया है; और

(ग) पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान निगमित क्षेत्र के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार द्वारा कुल मिलाकर निगमित क्षेत्र के वित्तीय कार्य निष्पादन का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

नारियल जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए नए बाजारों की खोज

2871. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नारियल जटा से बनी वस्तुओं के लिए यूरोपीय देशों में नए बाजारों का पता लगाने के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नारियल जटा की वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) लगभग सभी यूरोपीय देश कयर तथा कयर उत्पादों के लिए पहले ही भारत के बाजार हैं। तथापि, सरकार भारतीय कयर की प्रतियोगिता क्षमता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठा रही है जिनमें शामिल हैं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को भेजना, बाजार अध्ययन तथा बाजार अनुसंधान करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, प्रचार सामग्री का वितरण, मेलों में भाग लेना, क्वालिटी सुधार तथा निर्यात प्रोत्साहन देना।

[हिन्दी]

एक्पो-86 प्रदर्शनी में पावरलूम के कपड़े को हैंडलूम के कपड़े के रूप में बेचने का कथित दुर्विनियोग

2872. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1986 के पाटलीपुत्र टाइम्स में "पावरलूम को हस्तकरघा बनाने का तिलस्म यानी एक्पो-86" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि पावरलूम के कपड़े को हैंडलूम का कपड़ा बताकर करोड़ों रुपयों का दुर्विनियोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो क्या सरकार का विचार इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच कराने का है; और

(घ) निगम ने उन अधिकारियों तथा इसमें शामिल विभिन्न यूनियनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि वह वस्त्र बनावट के संबंध में तकनीकी परीक्षणों सहित इस मामले में विस्तार से जांच करे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जांच पूरी हो जाने पर बिहार सरकार को अनियमितताओं यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त हिदायतें दे दी जाएंगी।

गरीब लोगों को सस्ते कपड़े की सप्लाई

2873. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े के निर्यात और देश में निर्धन लोगों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस कपड़े की किस्म बहुत घटिया थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सूती वस्त्र को खुला सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अन्तर्गत निर्यात करने की खुली अनुमति है। तथापि, कुछ देशों में कपड़े के आयात द्विपक्षीय वस्त्र करारों के अन्तर्गत मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के अध्यधीन रखा गया है। ऐसे मामलों में निर्यात का विनियमन प्रति वर्ष घोषित फैब्रिक्स हेतु निर्यात हकदारी वितरण नीति के अधीन किया जाता है।

वस्त्र नीति में कन्ट्रोल के कपड़े तथा जनता कपड़े के उत्पादन में समग्र वृद्धि करने की व्यवस्था है ताकि ऐसे कपड़े की अधिकांश मात्रा को जनसंख्या के गरीब वर्गों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार

कीमतों पर प्रदान किया जा सके। नीति में यह भी व्यवस्था है कि कन्ट्रोल के कपड़े के सार्वजनिक वितरण को सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। ऐसे कपड़े की क्वालिटी को सुधारने के लिए पर्याप्त उपाय भी किए जाएंगे।

इस समय तैयार किए जा रहे कंट्रोल के कपड़े की क्वालिटी में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उपाय आरम्भ किए गए हैं तथा उन्हें सरकार द्वारा वस्त्र समिति के साथ परामर्श करके मानिटर किया जा रहा है। तथापि, ऐसे कपड़े की क्वालिटी के बारे में उपभोक्ताओं से इस मंत्रालय में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

[अनुवाद]

हरियाणा और पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की वसूली

2874. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा और पंजाब में अब तक गेहूं की कुल कितनी मात्रा की खरीद की है; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा और पंजाब में विवश बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने चालू रबी विपणन मौसम के दौरान हरियाणा और पंजाब में 22.73 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की है।

(ख) किसानों को समर्थन मूल्य देने हेतु भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले जाते हैं।

हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद

2875. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा और पंजाब में किसानों से कुल कितनी मात्रा में धान की खरीद की गई;

(ख) क्या यह सच है कि खरीद में विलम्ब होने के कारण किसानों को अपना धान समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचना पड़ा था; और

(ग) भविष्य में किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 7-3-86 तक प्राप्त सूचनानुसार राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों, भारतीय खाद्य निगम और मिल मालिकों द्वारा चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान हरियाणा और पंजाब के किसानों से कुल 91.86 लाख मीटरी टन धान खरीदी गई थी।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि किसानों द्वारा विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान की बिक्री समर्थन मूल्यों से कम मूल्यों पर की गई थी।

(ग) राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां और भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्यों पर किसानों से धान खरीदने के लिए देश भर में पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलते हैं।

दक्षिण कोरिया और जापान को लौह अयस्क का निर्यात

2876. **श्री वी० तुलसी राम**
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री मानिक रेड्डी
श्री सुभाष यादव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कोरिया और जापान के साथ लौह अयस्क निर्यात मूल्यों का समझौता करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम के एक दल ने हाल ही में इन देशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश को लौह अयस्क के निर्यात मूल्य का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) दौरा करने वाले दल को प्रत्येक देश प्राप्त आर्डरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन लौह अयस्क खानों के नाम क्या हैं जहां से दक्षिण कोरिया और जापान को अयस्क निर्यात किया जाएगा और प्रत्येक देश को कितना लौह अयस्क निर्यात किया जाएगा; और

(ङ) आंध्र प्रदेश स्थित खानों से कितना लौह अयस्क निर्यात किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जापान के साथ 1986-87 के लिए लौह अयस्क संविदा की मात्रा तथा कीमतों को एम० एम० टी० सी० के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दौरे के दौरान अन्तिम रूप दिया गया था। दक्षिण कोरिया के साथ विचार-विमर्श अनिर्णायक थे और निर्यात कीमतों को बाद में दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमण्डल की भारत की यात्रा के दौरान अन्तिम रूप दिया गया है।

चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क की कीमतों में अन्तर्राष्ट्रीय रुख को देखते हुए जापान के साथ 1986-87 के लिए कीमतें बेलाडीला फाइन्स के लिए 24.05 अमरीकी सेन्ट तथा बेलाडीला लम्प्स के लिए 29.21 अमरीकी सेन्ट एफ० ओ० बी० का प्रति 1% प्रति डी० एल० टी० निर्धारित की गई हैं। जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात करने के लिए सभी अन्य ग्रेडों तथा क्षेत्रों के लौह अयस्क की कीमतें उपर्युक्त कीमतों से ली जाती हैं।

1986-87 के लिए जापान के साथ संविदाकृत लौह अयस्क की मात्रा 10.5 मिलियन मै० टन तथा कुद्रेमुख लौह अयस्क सान्द्रण की मात्रा 2.5 मिलियन मे० टन अर्थात कुल 13 मिलियन मे० टन है। 1986-87 के लिए दक्षिण कोरिया के साथ 2.5 मिलियन मे० टन लौह अयस्क की मात्रा की संविदा की गई है।

(घ) जापान तथा दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यातों के क्षेत्रवार आंकड़ों का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

(मात्रा : मिलियन मे० टन में)
को निर्यात

क्षेत्र	जापान	दक्षिण कोरिया
मध्य प्रदेश (बेलाडीला खानें)	6.5	0.30
कर्नाटक (बेलारी-होसपेट खानें जिसमें डोनीमलई शामिल है)	2.5	2.20
उड़ीसा बिहार (बारजामदा तथा देत्तरी खानें)	1.5	—
कर्नाटक (कुद्रे मुख खानें)	2.5	—
योग :	13.0	2.50

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में खानों से वार्षिक अधिप्राप्ति लगभग 75,020 मे० टन की होती है तथा उसका 1986-87 के दौरान निर्यात किए जाने की सम्भावना है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण के लिए आवेदन को रद्द करना

2877. डा० जी० विजय रामा राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनेक लाभार्थियों को बैंक की पास बुक जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक मामलों में ऋण के लिए किए गए आवेदनों को अकारण और बिना कारण बताये रद्द किया जा रहा है;

(घ) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वाले विभिन्न जिलों में ऋण के आवेदन रद्द करने की अधिकतम तथा न्यूनतम दर क्या रही है, और

(ङ) क्या यह भी सच है कि अनेक बैंकों में व्यावसायिक अर्हता प्राप्त कर्मचारी नहीं है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में ऐसे कुछ उदाहरण आए हैं जिन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को पास बुकें जारी न करने की शिकायत की गई है। इसलिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी लाभार्थियों को पास बुकें जारी करने के लिए कहा है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋण आवेदनों को रद्द करने के कुछ कारण ये हैं : ऋणकर्ता का अपात्र होना, गतिविधियों का अर्थक्षम न होना, प्रस्तावित कार्यों को हाथ में लेने के लिए ऋणकर्ता की रुचि का अभाव, आवेदक के पास हुनर की कमी और पहले के ऋणों के सम्बन्ध में आवेदक की ओर से चूक आदि। बैंकों को ये अनुदेश दिए गए हैं कि वे आवेदन वापस करते समय रद्द करने के कारण लिखित रूप में रिकार्ड करें। बाद में शाखाओं द्वारा रद्द की गई अर्जियों के मामलों की मंडल/क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा जांच की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तत्वावधान में चुने हुए 19 जिलों के किए गये एक अध्ययन के अधीन यह पता चलता है कि 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि के लिए जिला स्तर के आंकड़ों से इन जिलों में रद्द किए जाने वाले आवेदनों की न्यूनतम दर 3.4 प्रतिशत और अधिकतम दर 54.00 प्रतिशत थी।

(ङ) बैंकों के लिए भर्ती का काम निर्दिष्ट मापदण्डों और प्रक्रियाओं के आधार पर बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा किया जाता है। अधिकारी और लिपिकीय स्टाफ के लिए कृषि बैंकिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक वित्त पोषण के काम के ज्ञान और प्रवृत्ति सम्बन्धी पहलुओं का उचित ध्यान रखा जाता है। बैंकों द्वारा भी बहुत से कृषि अधिकारियों की सिफारिशें की गई हैं। लेकिन शाखाओं के, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र विस्तार को देखते हुए कुछ इलाकों/क्षेत्रों में त्रुटियां या कमियां हो सकती हैं।

कानपुर में "क" श्रेणी के नगरों को उपलब्ध सुविधाएं प्रदान करना

2879. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक किन-किन नगरों को "क" श्रेणी के नगर घोषित किया गया है;

(ख) क्या इन सभी नगरों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को "क" श्रेणी के नगरों में उपलब्ध सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि कानपुर नगर में, जिसे "क" श्रेणी का नगर घोषित किया गया है, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को "क" श्रेणी के नगरों में उपलब्ध सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मकान किराया भत्ता और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की स्वीकृति के लिए यदि जनसंख्या 16 लाख से अधिक हो तो "क" श्रेणी के रूप में और यदि जनसंख्या 16 लाख से अधिक न हो लेकिन 8 लाख से अधिक हो तो "ख-1" श्रेणी के रूप में नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। मकान किराया भत्ते के लिए नामित निगम/नगरपालिका की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है और प्रतिपूर्ति नगर भत्ते के प्रयोजन के लिए शहरी समूह की जनसंख्या पर विचार किया जाता है। तथापि यदि नामित स्थान शहरी समूह नहीं है, तो प्रतिपूर्ति नगर भत्ते के लिए भी निगम/नगरपालिका की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है।

1981 की जनगणना की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित नगरों को, वहां तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते और मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए श्रेणी "क" में वर्गीकृत किया गया है :—

प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के लिए	मकान किराया भत्ते के लिए
हैदराबाद शहरी समूह	हैदराबाद शहरी समूह
दिल्ली शहरी समूह	दिल्ली शहरी समूह
अहमदाबाद शहरी समूह	अहमदाबाद शहरी समूह
बंगलौर शहरी समूह	बंगलौर शहरी समूह
विशाल बम्बई	विशाल बम्बई
पुणे शहरी समूह	मद्रास शहरी समूह
मद्रास शहरी समूह	कलकत्ता शहरी मूह
कानपुर शहरी समूह	
कलकत्ता शहरी समूह	

"क" श्रेणी नगरों के रूप में वर्गीकृत उपर्युक्त सभी नगरों में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान आदेशों के अनुसार "क" श्रेणी नगरों में ग्राह्य मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी जा रही है।

(ग) 1981 की जनगणना की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर, प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए कानपुर शहरी समूह का वर्गीकरण "क" श्रेणी के रूप में और मकान

किराया भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए ख-1 श्रेणी नगर के रूप में वर्गीकरण किया गया है क्योंकि कानपुर शहरी समूह की जनसंख्या (16,39,064) 16 लाख से अधिक है जबकि कानपुर नगर निगम की जनसंख्या (14,81,789) 16 लाख से कम है। तथापि, "क", "ख-1", "ख-2" श्रेणी के नगरों में ग्राह्य मकान किराया भत्ते की वर्तमान दरों में कोई अन्तर नहीं है।

वनस्पति के मूल्यों में कमी

2880. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग को 10 प्रतिशत आयातित तेल को वाणिज्यिक दरों पर उठाने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार का यह निर्णय वनस्पति के मूल्य कम करने में सहायक सिद्ध होगा; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन क्षेत्रों में अनुमत देशीय तेलों की उपलब्धता की स्थिति कठिन है, वहां सरकार ने वनस्पति का सामान्य उत्पादन तथा उपलब्धता बनाए रखने के लिए वनस्पति उद्योग को 10 प्रतिशत आयातित तेल, वाणिज्यिक दरों पर उठाने की अनुमति दी है। इस निर्णय का वनस्पति के मूल्यों को घटाने पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, ऐसे कदम से क्षेत्रीय असन्तुलन में कुछ कमी आयेगी।

विश्व बैंक द्वारा सुपर ताप विद्युत केन्द्रों का वित्त पोषण

2881. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक सुपर ताप विद्युत केन्द्रों का वित्त पोषण करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में बैंक के विशेषज्ञों ने फरवरी, 1986 में इस देश का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय और योजना आयोग में विद्युत विभाग को आश्वासन दिया था कि विद्युत क्षेत्र में कुछ नई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विश्व बैंक को सौंप दिया जाएगा;

(घ) क्या उनके मंत्रालय और योजना आयोग ने विद्युत विभाग को यह आश्वासन भी दिया

है कि विद्युत क्षेत्र के लिए द्विपक्षीय सहायता भी मांगी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान किन परियोजनाओं को आरम्भ किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विश्व बैंक सहायता से इस समय क्रियान्वित किए जा रहे उच्च तापीय बिजलीघरों की एक सूची (विवरण-एक) संलग्न है।

(ख) बैंक सहायता से पहले से चल रहीं कुछ परियोजनाओं का नेमी पर्यवेक्षण करने और साथ ही बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा सकने वाली सम्भावित परियोजनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए बैंक के एक दल ने फरवरी, 1986 में देश का दौरा किया था।

(ग) से (ङ) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता के लिए परियोजनाओं का निर्धारण करने के वास्ते योजना आयोग और विद्युत विभाग के परामर्श से विचार-विमर्श किया जा रहा है। तथापि, परियोजनाओं की व्यवहार्यता और पूरक आन्तरिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही विदेशी वित्त पोषण के सम्बन्ध में परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय किया जा सकेगा।

(च) सातवीं आयोजना में अब तक विदेशी सहायता के लिए सम्बद्ध की जाने वाली परियोजनाओं की एक सूची (विवरण-दो) संलग्न है।

विवरण-एक

विश्व बैंक की सहायता से बन रहे सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों की सूची

क्र० सं०	परियोजना का नाम तथा ऋण खाता संख्या	सहायता की राशि (करोड़ डालर)	
		अ० पु० और वि० बैंक	अ० वि० संघ
1	2	3	4
1.	कोरबा तापीय विद्युत (793 आई० एन०)	—	20.00
2.	रामगुंडम तापीय विद्युत (874 आई० एन०)	—	20.00
	(1648 आई० एन०)	5.00	—

1	2	3	4
3.	द्वितीय सिंगरौली तापीय विद्युत (1027 आई० एन०)	—	30.00
4.	फरक्का तापीय विद्युत (1053 आई० एन०)	—	22.50
	(1887 आई० एन०)	2.50	—
5.	द्वितीय रामगुंडम तापीय विद्युत (2076 आई० एन०)	30.00	—
6.	द्वितीय कोर्बा तापीय विद्युत (1172 आई० एन०)	—	40.00
7.	केन्द्रीय विद्युत पारेषण (2283 आई० एन०)	25.07	—
8.	द्वितीय फरक्का सुपर तापीय विद्युत परियोजना (2442 आई० एन०)	30.08	—
9.	रिहन्द विद्युत पारेषण परियोजना (2555 आई० एन०)	25.00	—

विवरण-दो

सातवीं आयोजना में विदेशी सहायता से अब तक शुरू की जा चुकी विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र० सं०	स्रोत	परियोजना का नाम	करार की तारीख	राशि
1	2	3	4	5
1.	कुवैत निधि	काकी नदी-II पन-बिजली परियोजना (कर्नाटक)	12-2-1986	280 लाख डालर
2.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम	22-5-1985	लगभग 250 से 300 करोड़ रु०

1	2	3	4	5
3.	जापान	(i) सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)	25-11-1985	2.65 अरब येन
		(ii) उज्जैन पन-बिजली परियोजना (महाराष्ट्र)	25-11-1985	15 लाख येन
4.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	(i) सरदार सरोवर परियोजना (विद्युत संघटक) (गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)	10-5-1985	3000 लाख डालर
		(ii) चन्द्रपुर तापीय विद्युत परियोजना (महाराष्ट्र)	16-9-1985	3000 लाख डालर
		(iii) केरल विद्युत परियोजना (केरल)	5-12-1985	1760 लाख डालर
		(iv) इन्दिर सरोवर पन-बिजली परियोजना (मध्य प्रदेश)	24-9-1985	124 लाख एस० डी० आर०

निवेश भत्ते का निवर्तन

2882. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपतियों का यह मत है कि हाल ही में घोषित दीर्घकालिक वित्तीय नीति में किए गए प्रस्ताव के अनुसार निवेश भत्ते के निवर्तन से उद्योगों के आधुनिकीकरण और उनके विस्तार पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्राप्त हुए कुछेक अभ्यावेदनों

के अनुसार, निवेश-छूट की वापसी से उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार पर कुप्रभाव पड़ेगा।

(ख) अभ्यावेदन सामान्यत: इस आधार पर दिए गए हैं कि नए संयंत्र और मशीन की वास्तविक लागत पर आधारित निवेश छूट के जरिए दी गई कटौती ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के लिए लाभप्रद है जो प्रारम्भ के कुछ वर्षों में पर्याप्त लाभ कमाने योग्य नहीं होते हैं।

(ग) सरकार यह बात स्वीकार करती है कि निवेश-छूट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि इसकी भी अपनी त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को दीर्घावधि वित्तीय नीति से संबंधित विवरण-पत्र के पैरा 5.14 में संक्षेप में निम्नानुसार दिया गया है:—

"5.14 अनुभव से पता चला है कि निवेश-छूट की प्रवृत्ति अंशत: अधिक बड़े और अधिक सुव्यवस्थित उद्योगों के साथ तरफदारी करने की रही है क्योंकि ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान नए पूंजी-निवेश से होने वाले लाभों की प्रतीक्षा किए बिना ही चिरस्थापित एककों के लाभों में निवेश छूट को समायोजित कर सकते हैं। इस रियायत का लाभ न केवल उन्हीं को या मुख्यत: उन्हीं को मिलता है जो लाभों में से बचाते हैं, बल्कि उनको भी जो सामान्यत: पूंजीनिधियों को जुटा सकते हैं, यह ऐसा तथ्य है जिसकी प्रवृत्ति फिर ऐसे स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ पक्षपात करने की है जिनकी उधार ली जाने वाली निधियों के संबंध में बाजार में अच्छी पैठ है। बिना इस बात पर विचार किए कि संयंत्र और मशीन का वित्त प्रबंध किस प्रकार किया जाता है, इस लाभ का संबंध संयंत्र और मशीन की लागत से होता है, इसलिए निवेश-छूट से कम्पनियों की लाभप्रदता का स्वरूप विकृत हुआ है जो इस बात पर निर्भर करता है कि ये कम्पनियां नए संयंत्र को प्राप्त करने के लिए अन्दरूनी तौर पर या उधार लेकर किस सीमा तक संसाधनों को जुटा पाती हैं।"

वित्त विधेयक, 1986 में प्रस्तावित लाभों पर आधारित निवेश जमा योजना के नए उपबंधों में निवेश-छूट के गुणों को बरकरार रखा गया है जबकि इसकी त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। इसमें निवेश-छूट की वर्तमान योजना के मुकाबले करदाताओं के अधिक बड़े वर्ग को लाभ पहुंचता है। प्रस्तावित उपबंध छोटे और बड़े, दोनों औद्योगिक एककों के लिए लाभप्रद होंगे और कर के दृष्टिकोण से निवेश संबंधी निर्णयों के समय के महत्व को भी निष्प्रभावी बना देंगे।

कपड़े की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु प्रौद्योगिकी का आयात

2883. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों की कपड़े की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जून 1985 में घोषित वस्त्र नीति में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जैसी कि नीति में व्यवस्था की गई है, सरकार ने, वस्त्र उद्योग द्वारा अपेक्षित आधुनिकीकरण की आवश्यकता तथा प्रकार के सतत आधार पर मूल्यांकन करने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति पहले ही गठित कर दी है। नीति में की गई व्यवस्थानुसार, एक आधुनिकीकरण नीति बनाने के लिए भी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। अत्याधुनिक वस्त्र मशीनरी के उदार आयात संबंधी योजना सहित इन उपायों से वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकीय स्तर सुधार की जरूरत की पूर्ति हो जानी चाहिए।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिये गये ऋण

2884. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं;

(ख) क्या यह राशि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम है; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं और इसके संबंध में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1985-86 के दौरान, दिसम्बर, 1985 तक पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 102 व्यक्तियों को 1.31 लाख रुपये के ऋण दिये थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे वर्ष में 306 हिताधिकारियों को 5.58 लाख रुपये के ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य प्राप्ति में कमी का मुख्य कारण यह है कि मार्च, 1985 में स्थापित इस बैंक को अपेक्षित संख्या में शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस नहीं मिले थे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कम्प्यूटर लगाना

2885. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बड़े वित्तीय संस्थानों और बैंकों में कम्प्यूटर लगाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के अनुसरण में पश्चिम बंगाल में उपर्युक्त संस्थानों के मुख्य कार्यालयों में भी कम्प्यूटर लगाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन संस्थानों के क्या नाम हैं जहां पर कम्प्यूटर नहीं लगाये गये हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) रंगराजन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को, अपनी शाखाओं में इलेक्ट्रोनिक लेजर पोस्टिंग मशीनें, अपने क्षेत्रीय/मंडल कार्यालयों में मिनी कम्प्यूटर और अपने प्रधान कार्यालयों में मेन-फ्रेम कम्प्यूटर लगाने की सलाह दी है। ये उपकरण चरणबद्ध रीति से लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में, पश्चिमी बंगाल के परिचालनों को निकाला नहीं किया गया है। बैंकों ने उक्त कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है और उसे विभिन्न चरणों में लागू किया जा रहा है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार एक्जिम बैंक ने कलकत्ता स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय में एक माइक्रो-कम्प्यूटर, भारतीय स्टेट बैंक ने कलकत्ता स्थित अपने स्थानीय प्रधान कार्यालय में एक मिनी कम्प्यूटर है और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने कलकत्ता स्थित अपने प्रधान कार्यालय में एक माइक्रो प्रोसेसर लगाया है।

[अनुवाद]

वर्ष 1985 में चीनी, कपास और मानव निर्मित रेशे का आयात

2886. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1985 में कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ख) वर्ष 1985 में कितनी मात्रा में कपास का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ग) वर्ष 1985 में कितनी विदेशी मुद्रा मूल्य के मानव-निर्मित रेशे का आयात किया गया; और

(घ) क्या चीनी और कपास उत्पादकों तथा इन वस्तुओं पर आधारित उद्योगों की रक्षा के लिए, चीनी, कपास और मानव-निर्मित रेशे का आयात बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) विभिन्न मदों के आयात की मात्रा तथा मूल्य संबंधी आंकड़े अभी 1982-83 तक संकलित किए गए हैं। 1985 में आयात की गई चीनी, रुई तथा मानव निर्मित रेशे के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) चीनी, रुई तथा मानव निर्मित रेशा सहित विभिन्न पदों के संबंध में आयात नीति की, घरेलू उपलब्धता, उत्पादन तथा देश की समग्र जरूरतों को ध्यान में रखकर निरन्तर समीक्षा की जाती है।

फलों, सब्जियों और कुक्कुटादि का खाड़ी के देशों को निर्यात

2887. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेवों का विदेशों में निर्यात किया जाता है, यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है; और

(ख) क्या वर्ष 1986-87 में फलों, सब्जियों और कुक्कुटादि के लिए खाड़ी के देशों में बाजारों का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

विगत तीन वर्षों में सेव के निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

(रु० लाख में)

1982-83 (अनन्तिम)	1983-84 (अनन्तिम)	1984-85 (अनन्तिम)
59	97	85

(ख) खाड़ी देश फलों, सब्जियों तथा मुर्गी पालन के लिए पहले ही हमारे प्रमुख निर्यात बाजार हैं। इनके 1986 तथा 1987 के दौरान भी इन मदों के लिए प्रमुख बाजार बने रहने की संभावना है।

दो वर्ष और उससे अधिक समय के लिए जमा की गई राशि पर ब्याज-दर में कमी

2888. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 फरवरी से विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा योजना के अन्तर्गत दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जमा की गई राशि पर ब्याज दर कम कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी

मुद्रा अनिवासी खातों की जमा राशियों पर ब्याज की दरें 10 फरवरी, 1986 से घटा दी हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

	से (प्रतिशत)	तक (प्रतिशत)
2 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम अवधि की जमाराशियों के लिये	10.5	10
3 वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम अवधि की जमाराशियों के लिये	11	10.5
केवल 5 वर्ष की जमाराशियों के लिये	12	11

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि हाल ही में विदेशों में ब्याज दरों में खासकर अधिक परिपक्वता अवधि वाली अमरीकी डालरों की जमाराशियों की ब्याज दरों में भी उल्लेखनीय कमी हुई है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों की ब्याज दरों में संशोधन किया गया है। लेकिन परिवर्तन के बाद भी साधारणतया प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में दी जाने वाली दरों के मुकाबले ये दरें अधिक आकर्षक बनी रहेंगी।

कर्नाटक राज्य में सहकारी क्षेत्र में विद्युतचालित करघों की स्थापना

2889. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सहकारी क्षेत्र में कितने विद्युतचालित करघे स्थापित किये गये हैं;

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र में और अधिक विद्युतचालित करघे स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुरोध करने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्नाटक में सहकारी क्षेत्र में 4740 विद्युत करघे हैं।

(ख) सहकारी समितियां नाबार्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार ऋण के लिए पात्र होती हैं।

(ग) सहकारी क्षेत्र में नए विद्युत करघों को स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, कर्नाटक सरकार को राज्य में विद्युत करघों की सहकारी समितियां बनाने की व्यव-

स्था करने की सलाह की गई है ताकि राज्य में विद्युतकरघों के स्वस्थ विकास के लिए उपायों के एक उपयुक्त पैकेज के कार्यान्वयन को सुकर बनाया जा सके।

कनारा बैंक बम्बई द्वारा कुफी परेड रोड, बम्बई में फ्लैटों की खरीद

2890. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनारा बैंक, बम्बई ने बम्बई के कुफी परेड रोड पर बत्तीस लाख रुपए मूल्य के चार फ्लैट खरीदे हैं;

(ख) इन फ्लैटों की खरीद का ब्यौरा और जिन व्यक्तियों, कम्पनियों आदि से ये फ्लैट खरीदे गए हैं, उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केनरा बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंक ने जूपिटर अपार्टमेंट कुफी परेड, बम्बई में कुल 32 लाख रुपये की लागत के 4 फ्लैट खरीदे हैं। इन फ्लैटों की खरीद का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i)	प्रत्येक फ्लैट का कारपेट क्षेत्र	1342 वर्ग फुट
(ii)	विक्रेता का नाम	(क) फ्लैट नं० 21 और 22 मैसर्स रमणीक लाल एण्ड कम्पनी
		(ख) फ्लैट नं० 44 मैसर्स कृष्णा ट्रांसपोर्ट कम्पनी
		(ग) फ्लैट नं० 273 मैसर्स बोम्बे स्टील सेल्स कारपोरेशन

ग्रामीण जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए बैंकों के पास धन की कमी

2891. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य और राष्ट्रीयकृत दोनों किस्म के बैंक धन की कमी और प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के कारण विभिन्न वर्गों में ऋण ग्रहियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए बैंकों की शाखाएं भी अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है कि उत्पादक प्रयोजनों के लिए पात्र ऋणों की सभी जरूरतों को पूरा किया जाए तथा ऋण की सामान्य शर्तें और अनुशासन को भी बनाए रखा जा सके।

(ख) और (ग) जुलाई 1969 से नवम्बर 1985 तक की अवधि के दौरान बैंकों की 43882 शाखाएं खोली गई जिनमें से 35471 शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली गई थीं। पहले 1961 की जनगणना के अनुसार कुल मिलाकर 65,000 की आबादी के पीछे एक बैंक शाखा थी। इस अवधि में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब 1981 की जनगणना के अनुसार 13,000 की आबादी के पीछे एक शाखा है। 1982-85 के शाखा विस्तार कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक जिले के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलना था। यह लक्ष्य प्रायः पूरा कर लिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए कदम

2892. **श्री हरिहर सोरन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशमें खाद्य राज सहायता बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बढ़ते हुए ऊपरी खर्चों के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अत्यधिक खर्चीली हो गई है;

(ग) यदि हां, तो खाद्य प्रबन्ध की वर्तमान प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के०पंजा) :

(क) मुख्यतया खाद्य राजसहायता में वृद्धि, रेल टेरिफ, बैंक उधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय ब्याज प्रभारों और बोरियों की लागत में वृद्धि होने के अलावा परिचालनों की मात्रा और बफर स्टाक की मात्रा में वृद्धि होने के कारण हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) परिचालन कार्यकुशलता में सुधार करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विदेशों में व्यापार मेलों में भाग लिया जाना

2893. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने 1985 के दौरान विदेशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अन्य किन-किन व्यापार मेलों अथवा प्रदर्शनियों में भाग लिया;

(ख) प्रत्येक मामले में कितना व्यय किया गया;

(ग) इस प्राधिकरण के चेयरमन ने 1985 के दौरान कितने विदेशों के दौरे किए; और

(घ) परिवहन आवास, दैनिक भत्ते, मनोरंजन अनुदान और स्थानीय परिवहन पर किए गए व्यय के ब्यौरे सहित इन दौरों पर कितनी राशि व्यय की गई ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विवरण एक संलग्न है।

(ग) और (घ) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण दो संलग्न है।

विवरण

उन विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों के ब्यौरे जिनमें 1985 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा सहभागिता का आयोजन किया गया, इन मेलों के संबंध में स्वीकृति व्यय सहित

क्र० सं०	मेले/प्रदर्शनी का नाम	स्वीकृत व्यय	
		विदेशी मुद्रा	भारतीय मुद्रा
		(लाख रु० में)	
1	2	3	4
1.	क्रेता विक्रेता बैठक, कुवैत 5-14; जनवरी, 1985	10.20	0.93

1	2	3	4
2.	अंतर्राष्ट्रीय वसन्त मेला, बिर्मिश्म (यू० के०) 3—7 फरवरी 1985	17.30	1.83
3.	लिप्जक वसंत मेला (जी०डी०आर०) 10—16 मार्च, 1985	9.825	1.40
4.	काहिरा अंतर्राष्ट्रीय मेला (ए०आर०ई०) 9-22 मार्च, 1985	15.46	2.55
5.	विश्व आयात मेला, नागोया (जापान) 21 मार्च से 14 अप्रैल 1985	4.06	1.27
6.	त्रिपोली अन्तर्राष्ट्रीय मेला, त्रिपोली, 5-25 मार्च, 1985	*	*
7.	हेनोवर अन्तर्राष्ट्रीय मेला, 17-24 अप्रैल, 1985	38.22	17.00
8.	कैसाब्लांका-अंतर्राष्ट्रीय मेला कैसाब्लांका (मोरक्को) 25 अप्रैल-5 मई, 1985	5.00	1.80
9.	जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बुल्वायो (जिम्बाब्वे) 27 अप्रैल-5 मई, 1985	5.16	2.30
10.	पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैंड) 9-16 जून, 1985	1.80	0.78
11.	तेहरान अंतर्राष्ट्रीय मेला, तेहरान (ईरान) 1-12 सितम्बर, 1985	27.50	10.00
12.	डागन्स हुशाल-अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु मेला, गोथेनवर्ग (स्वीडन) 13-22 सितम्बर, 1985	5.15	1.55

1	2	3	4
13.	विदेशी आयात मेला बर्लिन (जर्मन संघीय गणराज्य) 25-29 सितम्बर, 1985	7.50	1.50
14.	बुडापेस्ट शरद अन्तर्राष्ट्रीय (हंगरी) 27 सितम्बर-6 अक्तूबर, 1985	3.63	1.61
15.	बुखारेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय मेला, (रूमानिया) 19-27 अक्तूबर, 1985	5.52	1.09
16.	बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, (इराक) 1-15 नवम्बर, 1985	24.35	5.50
17.	एस्पात 85-एशिया एवं प्रशान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बीजिंग (चीन) 15-30 नवम्बर, 1985	43.65	10.40
भारतीय प्रदर्शनियां			
1.	भारतीय प्रदर्शनी, काठमांडु (नेपाल) 2-10 अप्रैल, 1985	58.25	15.77
2.	भारतीय प्रदर्शनी, पैरिस, 6-15 दिसम्बर, 1985	80.00	17.80
विशेषीकृत वस्तु मेले			
1.	हिमटैक्सटिल इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर, होम एंड हाउस होल्ड टैक्सटाइल्स, फ्रैंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य) 9-12 जनवरी, 1985	10.59	0.28
2.	प्रिट-ए-पोर्टर फेमिनिन, लेडीज रेडी टू वियर वस्त्र प्रदर्शनी तथा सैक्शन बाउटिक्यू, पेरिस (फ्रांस) 9-13 फरवरी, 1985	18.35	0.70

1	2	3	4
3.	अन्तर्राष्ट्रीय हार्डवेयर शो क्लोन (एस०आर०जी०) 3-6 मार्च 1985	6.18	0.23
4.	आई०एफ०ई० अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य तथा पेय पदार्थ प्रदर्शनी, लन्दन (यू० के०) 25 फरवरी,-1 मार्च, 1985	2.55	0.13
5.	होटर्स एंड फूडेक्स मेला, टोकियो (जापान) 11-15 मार्च, 1985	5.19	0.21
6.	स्टार मेला, मिलान (इटली) 23-27 मई, 1985	7.00	0.22
7.	अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा प्रदर्शनी, हांगकांग 30 मई—2 जून 1985	2.63	0.13
8.	अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला, सिंगापुर 5-8 जून, 1985	3.21	0.10
9.	अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा प्रदर्शनी, न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमरीका) 11-13 जून, 1985	1.32	0.15
10.	नेशनल हार्डवेयर शो, शिकांगो (सं०रा०) अमरीका 12-15 अगस्त, 1985	6.25	9.30
11.	सीमेन डुकुअर, पेरिस (फ्रांस) 7-10 सितम्बर, 1985	10.00	0.14
12.	6 ई०एम०ओ०-यूरोपीय धातु कार्य प्रदर्शनी, हेनोवर (जर्मनी संघीय गणराज्य) 17-25 सितम्बर, 1985	11.77	0.38

1	2	3	4
13.	स्पोगा-खेल-खिलौने, कैम्पिंग उपकरण तथा गार्डन फर्नीचर का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (जर्मन संघीय गणराज्य) 22-24 सितम्बर, 1985	2.54	0.13
14.	प्रेट-ए-पोर्टर फेमिनीन, पेरिस (फ्रांस) 28 सितम्बर-2 अक्तूबर 1985	21.50	0.33
15.	अनूगा खाद्य पदार्थ मेला, क्लोन (जर्मन संघीय गणराज्य) 17-17 अक्तूबर, 1985	4.92	0.30
16.	इन्टरस्टाफ-अन्तर्राष्ट्रीय परिधान, वस्त्र व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य) 3-30 अक्तूबर, 1985	4.40	0.13

*त्रिपोली मेले में सहभागिता स्ववित्त पोषण आधार पर की गई थी।

विवरण-दो

1985 के दौरान श्री मोहम्मद यूनस, अध्यक्ष भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, द्वारा किए गए विदेशी दौरों के ब्यौरे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ऐसे दौरों पर व्यय

(रुपयों में)

जिन स्थानों का दौरा किया	दिनों की संख्या	डी० ए०	होटल आवास प्रभार	आतिथ्य-सत्कार	सवारी भत्ता/ आकस्मिक व्यय
काठमांडू (नेपाल) अप्रैल, 1985 (उन्हें देश का मेहमान माना गया)	3	196.87	उन्हें देश का मेहमान माना गया	915.00	118.96
जापान तथा अमरीका (अप्रैल, मई 85)	14	6,611.75	51,239.69	1,938.36	10,369.79
बीजिंग (चीन) (नवम्बर, 1985)	3	1,341.37	5,658.27	2,388.75	100.00
पेरिस (फ्रांस) (दिसम्बर, 1985)	4	1,628.10	28,057.27	1,579.50	1,062.28
		9,778.09	84,955.61	6,821.61	11,651.03

जनता कपड़े के उत्पादन के लिए बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई

2894. श्री वी० तुलसी राम
श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री के० प्रधानी } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता कपड़े के उत्पादन के लिए बुनकरों को लागत निर्धारणों में निश्चित किए गए मूल्यों पर कच्चे माल की सप्लाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे गरीब बुनकर कहां तक लाभान्वित होने और मूल्यों में उतार-चढ़ाव और बिचौलियों से उन्हें कहां तक बचाया जा सकेगा;

(ग) यह योजना किन-किन राज्यों में लागू की जाएगी;

(घ) क्या जनता कपड़े के अन्तर्गत धोती और साड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य कपड़ा बनाया जाएगा; और

(ङ) जनता कपड़े का आम जनता में लोकप्रिय बनाने और इसका मूल्य बाजार मूल्य से कम निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) ऐसी कोई योजना सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मई, 1984 से लट्ठा तथा शर्टिंग को जनता कपड़े के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसके अलावा कुछ जन जातीय मदों को भी शुरू किया गया है।

(ङ) जनता कपड़ा योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं, जिन में जनता के बीच जनता कपड़े को लोकप्रिय बनाने के उपाय भी शामिल हैं। जनता कपड़ा कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा योजना प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसलिए उत्पादन की अनाज लागत की तुलना में बिक्री कीमत कम करने के उद्देश्य से सभी जनता उत्पादों पर 2 रु० प्रति वर्ग मीटर उपदान की अनुमति है।

सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग को शुल्क में दी गई छूट से उपभोक्ताओं को राहत

2895. श्री वी० तुलसी राम
डा० जी० एस० धीलेश } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग को शुल्क में दी गई छूट को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे निर्णय से वस्त्र उद्योग, बुनकरों और उपभोक्ताओं को कितना लाभ होगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) जैसे कि सरकार द्वारा जून 1985 में घोषित वस्त्र नीति में व्यवस्था की गई है, सरकार ने वस्त्र उद्योग के लाभ हेतु कतिपय शुल्क-रियायतें प्रदान की है। इन रियायतों के साथ-साथ सरकार द्वारा किए गए अन्य विभिन्न उपायों से वस्त्र उद्योग को सही दिशा मिली है। वस्त्र मदों की कीमत स्थिति वर्ष 1985-86 के दौरान भी आमतौर पर सन्तोषजनक रही है। सरकार द्वारा स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखे हुए हैं।

अधिक शेयर बाजार स्थापित करने का प्रस्ताव

2896. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार
श्री के० प्रधानी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देने के लिए अधिक शेयर बाजार खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी संख्या में नए शेयर बाजार स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त नए शेयर बाजार किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्टाक एक्सचेंज की स्थापना एकल व्यक्तियों/संस्थाओं आदि द्वारा की जाती है, जो कि प्रस्तावित स्टाक एक्सचेंज को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कराने के लिए सरकार को औपचारिक रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं।

(ख) और (ग) सरकार को जयपुर, पटना, राजकोट, चण्डीगढ़, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर आदि में नये स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना के लिए काफी संख्या में आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

स्टेनलेस स्टील से सिक्कों का निर्माण

2897. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्टेनलेस स्टील के सिक्कों के निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये सरकार की क्या योजना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कुछ सिक्कों की सिक्का धातु को लौहाम्ल मिश्रित (फेरेटिक) स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में हुआ घाटा

2898. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया तथा भारतीय स्टेट बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्यक बैंकों की विदेशी शाखाओं में ऋण लेने वाले कतिपय व्यक्तियों की ऋण की अदायगी में असफलता के कारण वर्ष 1984 में भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों, जिनके अंतर्गत इतनी अधिक राशि के ऋण दिये गये थे, की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1984 के दौरान सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों की कुछ विदेशी शाखाओं को ऋणों में हानि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि उसने संबंधित बैंकों से रिपोर्टें मंगाई हैं और ऋण हानियों का अध्ययन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये हानियां कुछ देशों में प्रत्यावर्तन कठिनाइयों के कारण बिलों की वसूली न होने, कई संस्थानों द्वारा ऋणकर्ताओं का वित्तपोषण किए जाने, कुछ मामलों में स्थानीय प्रबन्ध द्वारा अविवेकपूर्ण और अप्राधिकृत रूप से ऋण देने आदि जैसे विभिन्न कारणों से ये हानियां हुई हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक हर साल अपनी वार्षिक आमदनी में से संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के अनुसार कुछ व्यवस्था करते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी

अनुसूची में निर्धारित तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण के प्रपत्रों के अनुसार बैंकों को उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि प्रकट करने की मनाही है, जिनके लिए उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई होती है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए सम्भावित ऋण हानियों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

केरल में पर्यटन विकास के लिए योजना

2899. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) से (ग) राज्य सरकार ने, केन्द्रीय सहायता हेतु निम्नलिखित स्कीमें केन्द्रीय पर्यटन विभाग को भिजवाई है और उन्हें पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।

1. कोचीन, कुमरकम, किवोलन और थेक्कडी पर 50.78 लाख रुपयों की कुल लागत से नौका सुविधाएं तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 25.00 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर रिलीज किए गए हैं।

2. अल्लाथाई, कनन्नौर, कोट्टाराकारा, पालघाट और वाइनाड पर प्रत्येक के लिए 10.28 लाख रुपयों की लागत से आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए 4.00 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर रिलीज किए गए हैं।

3. मेलों और त्यौहारों के संवर्धन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2.56 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

कांग्रेस (इ) शताब्दी समारोहों पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया खर्च

2900. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या वित्तीय संस्थानों और बैंकों ने कांग्रेस (इ) शताब्दी पर कोई खर्च किया है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क और ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने कांग्रेस शताब्दी समारोह पर कोई खर्च नहीं किया। अलबत्ता, यह बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की संयुक्त प्रचार समिति, जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम वाणिज्यक हित में प्रचार के प्रयोजन से शताब्दी औद्योगिक प्रदर्शनी, बम्बई में लगभग डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की लागत पर, लगभग एक-एक हजार वर्ग फुट के स्टाल लिये थे।

अक्तूबर, 1985 से मार्च, 1986 तक की अवधि के दौरान आयात का बिल

2901. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 फरवरी, 1986 के "द इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार, अक्तूबर 1985 से मार्च, 1986 तक की अवधि के दौरान कम आयात बिल की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध के दौरान आयात बिल पैट्रोलियम की कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तथा पूर्वार्द्ध की तुलना में उर्वरकों, खाद्य तेलों आदि जैसी मदों के कम आयातों के कारण कम होने की संभावना है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन निकासी में कमी

2902. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 फरवरी, 1986 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन निकासी में काफी कमी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या इसका हमारे देश पर भी प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 3 फरवरी, 1986 को प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सर्वेक्षण के अनुसार सदस्यों के समायोजन प्रयासों के समर्थन में कोष के ऋणों में 1985 लगातार वृद्धि होती रही, हालांकि गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की गति धीमी थी। पूर्ववर्ती वर्ष में की गई निकासियों के उच्च स्तर और नई निकासियों के निम्न स्तर (31 दिसम्बर, 1985 को एस०

डी० आर =1.09842 अमेरिकी डालर) के संबंध में वापसी अदायगियां करने के कारण 1985 में कोष के साधनों की निवल निकासियों में कमी हो गई हो और यह 0.4 अरब एस० डी० आर० तक ही की गई जबकि इसकी तुलना में 1984 में 5.0 अरब एस० डी० आर० की निकासी की गई थी।

(ख) और (ग) यद्यपि इससे उन विकासशील देशों के समूह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, फिर भी निवल भुगतान में कमी होने से हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं।

विशाल खाद्य भण्डारों का उपयोग उत्पादक परिसम्पत्तियां बनाने के लिए करने का अनुरोध

2903. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाल खाद्य भण्डारों का उपयोग उत्पादक परिसम्पत्तियां बनाने के लिए करने के सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध किया गया है, जिसका समाचार 14 फरवरी, 1986 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सरकार का ध्यान उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसका उल्लेख किया गया है।

(ख) सरकार ने स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करने हेतु खाद्यान्नों का इस्तेमाल करने के लिए पहले ही उपाय किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिनके अधीन कामगारों की मजदूरी के एक भाग को खाद्यान्नों के रूप में अदा करना उपेक्षित होता है, के कार्यक्षेत्र में विस्तार कर दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पैक बन्द वस्तुओं की बिक्री

2904. **श्री चित्त महाता** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पैकेट बन्द वस्तुओं की बिक्री करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या निर्णय लिया गया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों संघ राज्य/क्षेत्रों को सुझाव दिया है कि वे प्रयोगात्मक आधार पर उन शहरों में जहां आबादी 10 लाख से अधिक है और राज्य मुख्यालयों में, चाहे उनकी आबादी 10 लाख से कम हो, उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा पर पहले से पैक किए गए पैकेटों में गेहूं, चावल तथा लेवी चीनी सप्लाई करने का प्रयास कर सकती है।

व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की नई कठिनाइयों की जांच करने हेतु समितियां गठित करने का प्रस्ताव

2905. श्री पी० एम० सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को हो रही कठिनाइयों की जांच करने हेतु कतिपय समितियां गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समितियों का वास्तविक स्वरूप क्या होगा और उनके विचारार्थ विषय क्या होंगे ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार के पास व्यापार तथा उद्योग की सतत अन्तःक्रिया की अनुमति देने के सम्बन्ध में पहले ही व्यवस्था है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय व्यापार सलाहकार परिषद, आयात-निर्यात सलाहकार समितियों तथा व्यापार एवं उद्योग द्वारा वाणिज्य मंत्री के साथ खुला सदन वार्ताओं के रूप में संस्थागत ढांचा विद्यमान है। हाल में, निर्यातक समुदाय की लाईसेंस/नकद सहायता हेतु आवेदनों के निपटान के मामले में उनकी शिकायतों पर विचार करने के उद्देश्य से संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पत्तन कार्यालयों में शिकायत समितियां स्थापित की गई हैं।

आयात व निर्यात नीति तैयार करते समय व्यापार तथा उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विधिवत विचार किया जाता है और उसमें घरेलू उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने और निर्यातों में वृद्धि करने के उद्देश्य से इसके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना लोक हित में आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं।

वनस्पति तथा अन्य खाद्य तेलों पर उत्पाद शुल्क की दर

2906. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी खाद्य तेलों पर उत्पाद शुल्क लगता है;

(ख) वनस्पति तथा अन्य खाद्य तेलों पर किन दरों से उत्पाद शुल्क लगाये जाते हैं; और

(ग) दो दरों के बीच के अन्तर के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूर्यमुखी, सोयाबीन, बिनौले आदि के तेलों जैसे कतिपय तेलों को छोड़कर, खाने के सभी वनस्पति तेलों पर, जिन पर निकाले जाने के पश्चात्, विनिर्दिष्ट प्रक्रियाएं की जाती हैं, 1500/- रु० प्रति मीटरी टन के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। वनस्पति पर उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार 10/- की दर से लगाया जाता है जो लगभग 1500/- रु० प्रति मीटरी टन बनता है।

आई० डी० ए० द्वारा भारत के हिस्से की धनराशि को बढ़ाने में संकोच

2907. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत को अपनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के लिए वाणिज्यक ऋण लेने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बिना साफ हुई चीनी का आयात

2908. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के गैर सरकारी चीनी कारखानों, जो चीनी के निर्माण के लिए गन्ने का अपेक्षित कोटा प्राप्त करने में असमर्थ थे, में परिष्कृत चीनी के निर्माण हेतु बिना साफ की हुई चीनी का आयात करने के सुझाव की जांच करने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो बिना साफ की हुई चीनी के आयात सम्बन्धी सुझाव की जांच करने के बाद परिष्कृत चीनी के उत्पादन के लिए बिना साफ की हुई चीनी के आयात संबंधी सुझाव को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) और (ख) जी नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। तथापि, सरकार ने देश की कुछेक चीनी फैक्ट्रियों द्वारा सफेद चीनी तैयार करने के लिए कच्ची चीनी का आयात करने के विषयक प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

व्यापार अन्तर

2909. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात में हो रही वृद्धि तथा निर्यात में कमी के कारण इस समय कितना व्यापार अन्तर हो गया है;

(ख) इस बढ़े हुए व्यापार अन्तर के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा संकट समाप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) महानिदेशक सी०आई०एस० कलकत्ता द्वारा 1985-86 के पहले छः महीनों के लिए तैयार किए गए अनन्तिम व्यापार आंकड़ों से इस अवधि में 4124 करोड़ रुपये के व्यापार घाटे का पता चलता है। देश का विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 28 फरवरी, 1986 को 6405 करोड़ रुपये का था। ऋण परिशोधन सम्बन्धी वचनबद्धताओं को सुनिश्चित करने और देश की वस्तुओं और सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भण्डारों में घट बढ़ और भुगतान शेष को प्रभावित करने वाले तत्वों की लगातार समीक्षा की जाती है।

उपभोक्ताओं को शुल्क राहत

2910. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वस्त्र उद्योग वर्ष 1985-86 के विभिन्न बजट प्रस्तावों से प्राप्त शुल्क राहतों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में असफल रहा है;

(ख) क्या उन्होंने 5 फरवरी, 1986 को नार्थ इंडिया टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन की बैठक में इस पर अपनी चिंता प्रकट की थी;

(ग) क्या आदानों में मिली शुल्क छूट के बावजूद ब्लेंडिड वस्त्र भी सस्ता नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मिलों के, दाम कम करने के लिए बाध्य करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) वर्ष 1985-86 के दौरान वस्त्र उद्योग को दी गई राहत को ध्यान में रखते हुये, एन०टी० सी० मिलें सुलभ कपड़ा योजना के अन्तर्गत कम कीमत के वस्त्र बना रही है। जिससे शुल्क रियायतों के लाभ उपभोक्ताओं को मिले हैं। शुल्क राहत का कतिपय वस्त्र मदों की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ा और वस्त्रों की कीमत स्थिति वर्ष 1985-86 के दौरान सामान्यतः सन्तोषजनक रही है। तथापि, ऐसा पता चला है कि कतिपय क्षेत्रों में, यह लाभ पूरी तरह उपभोक्ताओं को नहीं मिले हैं। सरकार ने 1986—बजट में इसका ध्यान रखा है, यानं उत्पादकों को पहले दी गई राहत में लगभग 50% की कमी की गई है। आगे किए जाने वाले उपाय दी गई रियायतों के संबंध में उद्योग की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेंगे।

[हिन्दी]

पकड़ी गई अवैध नशीली दवाओं का निपटान

2911. **डा० ए० के० पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई अवैध नशीली दवाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नष्ट की जाने वाली नशीली दवाओं की कुछ मात्रा पहले ही चोरी चली जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अफीम को छोड़ कर जब्त किए गए नशीले पदार्थों को प्रायः नष्ट कर दिया जाता है। जब्त की गई अफीम को संसाधित और निपटान हेतु गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम कारखाने को भेज दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ इंडिया की लखनऊ शाखा में धोखाधड़ी करने पर चपरासी की गिरफ्तारी

2912. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की लखनऊ शाखा के एक चपरासी को बैंक के साथ 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैंक के किसी कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसके लखनऊ स्थित समाशोधन गृह में 31.43 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कारवाई गई थी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक को ट्रांसपोर्ट नगर (लखनऊ) शाखा के एक संदेशवाहक (मैसेंजर) को गिरफ्तार किया गया है। बैंक ने उस संदेश संवाहक को निलम्बित कर दिया है।

(ग) और (घ) बैंक ने सूचित किया है कि बैंक का और कोई कर्मचारी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच से अभी तक किसी अन्य कर्मचारी के अन्तर्ग्रस्त होने का पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

चाय का निर्यात

2913. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान किन-किन देशों को चाय का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) क्या यह निर्यात पिछले वर्ष की तुलना से कम था या अधिक था; और

(ग) भारत को चाय के निर्यात के मामले में किन-किन देशों के साथ कड़ी स्पर्धा करनी पड़ती है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) भारतीय चाय सम्पूर्ण विश्व के कई देशों को निर्यात की जाती है। भारतीय चाय के मुख्य आयातक हैं सोवियत संघ, ब्रिटेन, ए० आर० ई० ईरान तथा इराक। गत चार वर्षों दौरान चाय के निर्यात नीचे दिए अनुसार रहे हैं :—

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा (मि० कि० ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1982	189.9	355.85
1983	208.5	516.82
1984	217.0	740.45
1985	222.4	711.90

(अनुमानित)

भारतीय चाय को कीनिया, श्रीलंका तथा चीन जैसे चाय के अन्य मुख्य निर्यातक देशों के साथ प्रतियोगिता करनी होती है।

[अनुवाद]

खाल और चमड़े के विपणन के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट

2914. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने खालें और चमड़े की मात्रा, उत्पादन की गुणवत्ता और विपणन संबंधी पहलुओं पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण करने वाले अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकीविदों, तकनीशियनों और पशु-चिकित्सकों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण से सम्बद्ध अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विदों, टैक्नालाजिस्टों और पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास द्वारा किए जा रहे कच्ची खाल तथा चमड़े के अखिल भारतीय सर्वेक्षण से सम्बद्ध अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकीविदों, टेक्नालाजिस्टों और पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

अर्थशास्त्री

1. श्री के० शेषाग्री राय
2. श्री एस० चेल्लापक
3. श्री के० सरजुना राय
4. श्री ए० सुब्बरमा नायडू

5. श्री सी० पुलिन्दा राय

6. श्री डी० चन्द्रमौली

7. श्री आर० राजेन्द्रन

8. श्रीमती जे० लक्ष्मी सिवा ज्योती

सांख्यिकीविद :

1. श्री बी० कृष्णानामा नायडू

2. श्री जे० एस० एल० वासुदेवन

पशु चिकित्सा वैज्ञानिक :

1. श्री महेन्द्र कुमार

2. श्री एन० मुरलिदा राय

वैज्ञानिक तथा टेक्नालाजिस्ट :

1. डा० जी० ध्यागरानन

2. श्री टी० एस० रंगथन

3. डा० के० एस० जयरमण

4. श्री टी० एस० के० महादेवन

5. श्री एल० एम० प्रसाद

6. श्री के० पार्थसारथी

7. श्री के० बी० गुप्ता

8. श्री पी० सम्बाशिवा राव

9. श्री एम० सुब्बा राव

10. श्री एस० रामलिंगम्

11. श्री वी० राधिनासामी

12. श्री ए० दोराइकान्नु

13. श्री एस० ए० वहीद

14. श्री एस० आर० कामिल

15. श्री एम० बी० चौहान

16. श्री त्रिजेन्द्र सिंह के०

17. श्री एस० के० सरकार
19. श्री एम० एस० पोल

20. श्री के० एम० कलाल

12. श्री रमेश पाल

22. श्री सकात्तर लाल

कम्प्यूटर विशेषज्ञ :

1. डा० पी० जे० रड्डी

2. श्री वी० एस० एन० मूर्ति

संश्लिष्ट रबड़ के आयात के लिए टायर कंपनियों को अग्रिम लाइसेंस

2915. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन टायर कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान संश्लिष्ट रबड़ अयात करने के अग्रिम लाइसेंस दिए गये हैं;

(ख) तैयार उत्पादों, जिनके लिये आयात करने की अनुमति दी जाती है के सुनिश्चित निर्यात के एवज में आयात करने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ग) तैयार माल के निर्यात के एवज में आयात करने सम्बन्धी मानदंडों का कड़ाई से पाल करने की दिशा में निगरानी सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) उन टायर कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिन्होंने टायर निर्माण में संश्लिष्ट रबड़ का प्रयोग करने के लिये इन मानदंडों का पालन नहीं किया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) निर्दिष्ट उत्पादों के उत्पादन और निर्यात के आवश्यक कच्चे माल की विभिन्न मदों आदि के शुल्क मुक्त आयात के लिये अन्तर्निविष्ट/उत्पादन मानदण्डों को आयात नीति (खंड-1) 1985-86 के परिशिष्ट 19 के अनुबन्ध V में निर्धारित किया गया है। इन मानदण्डों के अनुसार, संश्लिष्ट रबड़ के आयात की अनुमति लाइलोन टायर कोर्ड/रेयन टायर कोर्ड और प्राकृतिक रबड़ साइकल टायर सहित प्रत्येक 100 कि० ग्रा० टायर के निर्यात के आधार पर क्रमश: 53 कि० ग्रा० और 7 कि० ग्रा० की दर से है।

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि शुल्क मुक्त आयात के लिये स्वीकृत किये जाने वाले कच्चे माल की मात्रा संगत निर्यात उत्पाद के उत्पादन के लिये आवश्यक न्यूनतम है, उपर्युक्त मानदण्डों का निर्धारण संबंधित तकनीकी प्राधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। इसको देखते हुये केवल मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से निर्यात दायित्व की पूर्ति की मानिटरिंग की जाती है और यदि निर्यात दायित्व पूरा हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि आयातित माल का ठीक उपयोग किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चमड़े की वस्तुओं के निर्यातकों को कच्चे माल की कमी के कारण हो रही कठिनाइयां

2916. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े की वस्तुओं के भारतीय निर्यातकों को कच्चे माल की कमी के कारण गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की कमी के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का चमड़े की वस्तुओं के निर्यातकों को सहायता देने के बारे में कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

यूरोपीय देशों में भारतीय सिले-सिलाये वस्त्रों की मांग

2917. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय और अन्य देशों में भारतीय सिले-सिलाये वस्त्रों की मांग बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार परिधानों के निर्यात जो 1983 में 640 करोड़ रु० के थे जो बढ़कर 1985 में 1068 करोड़ रु० हो गए।

(ख) और (ग) बाजार सम्भाव्यताओं का मूल्यांकन करने तथा व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता बिक्री-सह-अध्ययन दलों तथा व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों प्रायोजन, विदेशों के क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना तथा बाजार सर्वेक्षण करने जैसी निर्यात संवर्धन गतिविधियों के जरिये निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद को प्रोत्साहित करती रही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि का आबंटन

2918. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार समझती है कि यह धनराशि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु पर्याप्त धनराशि जुटाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : योजना आयोग ने सातवीं योजना-वधि के दौरान एम० टी० सी० की श्रम योजनाओं के आधुनिकीकरण तथा योक्तिकीकरण के लिए अब तक 117 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्दिष्ट किया है।

(ख) और (ग) सीमित संसाधनों से सभी एम० टी० सी० मिलों का आधुनिकीकरण करना सम्भव नहीं हो सकेगा। संस्थागत स्रोतों से वित्त जुटाने तथा आस्थागित भुगतान ऋणों की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

व्यापार घाटा

2919. डा० डी० एम० रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1985 में समाप्त होने वाले छमाही के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 4124 करोड़ रुपये हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों, चीनी, उर्वरक, पैट्रोलियम और अलौह धातुओं, सीमेंट आदि का आयात कम करने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कारणों के अतिरिक्त भारी व्यापार घाटे के लिए यह बातें उत्तरदायी ठहराई जा सकती हैं — देश के भीतर बम्बई हाई क्रूड के लिए परिष्करण क्षमता विकसित होने की वजह से क्रूड तेल तेल का निर्यात रुक जाना तथा घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक कच्चे माल, उर्वरकों, मशीनों तथा परिवहन उपस्कर एवं खपत की अनिवार्य मदों के आयात का बढ़ जाना।

(ग) विशेषरूप से खाद्य तेलों, चीनी, उर्वरकों, पैट्रोलियम, अलौह धातुओं, सीमेंट आदि जैसे बल्क आयातों से क्षेत्र में कार्यकुशलता तथा लागत प्रभावी आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के स्वतन्त्र परामर्शदाता द्वारा की गई सिफारिशें

2920. श्री अनिल बसु : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के ढांचे की जांच करने के लिए बाहर से स्वतन्त्र परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो बाहरी स्वतन्त्र परामर्शदाता का विवरण क्या है और उसका किस प्रकार चयन किया गया है;

(ग) परामर्शदाता द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) परामर्शदाता द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां। एन० टी० सी० (नियन्त्रक कम्पनी) के निदेशकों के बोर्ड अनुमोदन से श्री के० के० धर को एक अध्ययन का काम सौंपा गया था।

(ग) सलाहकार की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की गई है कि नियन्त्रक कम्पनी में स्टाफ में कमी की जाए, जो कि 'टाप हैवी" है, नियन्त्रक कम्पनी का प्रधान एक "अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक", हो; कार्यकारी निदेशकों की संख्या में कमी की जाए बेहतर प्रबन्ध सूचना व्यवस्था हो तथा नियन्त्रक कम्पनी एवं सहायक निगमों के बीच काम को अधिक स्पष्ट सीमांकन हो।

(घ) एन० टी० सी० (नियन्त्रक कम्पनी) को नियन्त्रक कम्पनी के बेहतर कार्य संचालन के लिए रिपोर्ट पर आवश्यक निर्णय लेने की और जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां सरकार से सम्पर्क करने की सलाह दी गई है।

रुग्ण राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलें

2921. **श्री अनिल बसु** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन रुग्ण मिलों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों के निष्पादन की समीक्षा से पता चलता है कि 1981-82 तथा 198 -83 वर्षों के दौरान उस समय 22 मिलें (19 राष्ट्रीयकृत तथा 3 प्रबन्ध में) कुल हानियों के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी नहीं। सबसे कमजोर 8 मिलों के कार्यकरण का गहराई से अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल का गठन किया था।

(ख) अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिसमें यह बताया गया है कि सिर्फ अतिरिक्त निवेश से ये मिलें जीवनक्षम नहीं बनेंगी।

(ग) वस्त्र नीति में यह बताया गया है कि इन एककों को जो जीवनक्षम होने में असमर्थ हैं बराबर चालू रखने का मतलब होगा दुर्लभ साधनों का लगातार व्यर्थ जाना तथा ऐसे एककों या उनके हिस्सों की किसी और हानियों को रोकने के लिए बन्द करना पड़ सकता है। कौन सी मिलें बन्द की जानी हैं, इसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण

2922. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा

राज्यवार कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए; और

(ख) उपर्युक्त तीन वर्षों में राज्यवार वास्तव में कितनी राशि के बैंक ऋण वितरित किए गए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में (दिसम्बर, 1985 तक) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संवितरित किये गये सावधि ऋणों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में (दिसम्बर, 1985 तक) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संवितरित किये गये सावधि ऋणों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	निम्नलिखित ऋण के दौरान संवितरित सावधि		
		1983-84	1984-85	1985-86 (दिसम्बर, 1985 तक)
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	997.91	1257.85	763.95
2.	हिमाचल प्रदेश	739.67	826.08	254.85**
3.	जम्मू और कश्मीर	704.94	588.85	447.82
4.	पंजाब	1577.37	1782.52	524.52
5.	राजस्थान	2860.31	3010.12	1407.05
6.	चण्डीगढ़	—	—	3.03

1	2	3	4	5
7.	दिल्ली	99.30	84.60	0.28
8.	मध्य प्रदेश	8698.22	8598.19	3808.42
9.	उत्तर प्रदेश	19199.84	21321.15	9103.22
10.	आन्ध्र प्रदेश	5196.00	5410.73	2161.88
11.	कर्नाटक	3852.38	4240.60	1424.09=
12.	केरल	2627.44	2575.15	137.02=
13.	तमिलनाडु	5975.09	2762.54	2536.40
14.	पाण्डिचेरी	67.82	100.42	34.51
15.	लक्षद्वीप	—	—	उ० न०
16.	गुजरात	3753.64	3187.94	991.34
17.	महाराष्ट्र	6197.76	5331.84	2761.18
18.	गोवा दमण दीव	119.24	158.24	उ० न०
19.	दादरा और नगर हवेली	16.70	15.78	8.54
20.	पश्चिम बंगाल	3041.55	2009.68	1272.11
21.	उड़ीसा	2984.15	2805.58	1019.03
27.	बिहार	7168.84	10724.74	2587.12
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	14.28	11.67
24.	असम	1261.00	3557.19	750.85**
25.	मणिपुर	4.09	13.03	9.07*
26.	मेघालय	—	—	उ० न०

1	2	3	4	5
27.	नागालैण्ड	—	—	उ० न०
28.	मिजोरम	—	6.80	उ० न०
29.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.04
30.	सिक्किम	36.98	59.89	11.53
31.	त्रिपुरा	207.38	183.88	188.15
	अखिल भारत :	77351.48	83627.70	32217.67

(स्रोत, —कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग)

उ० न०—उपलब्ध नहीं

*अक्तूबर, 1985, तक के आंकड़े

**सितम्बर, 1985, तक के आंकड़े

=नवम्बर, 1985, तक के आंकड़े

टिप्पणी—वर्ष 1984-85 और 1985-86 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

2924 श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1986 के फायनेंशल एक्सप्रेस में "एफ० सी० आई० रैप्ड फार इन एफिशैंसी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की इस बीच जांच की है;

(ग) किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सरकार ने इस आशय का समाचार देखा है।

(ख) 1100 करोड़ रुपये की ऐसी कोई हानि नहीं हुई है जैसा कि समाचार में उल्लेख किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न परिचालन "बिना लाभ और बिना हानि" के आधार पर होते हैं। परिचालन लागत और निर्गम मूल्यों में अन्तर का भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता के रूप में भुगतान किया जाता है जोकि वर्ष 1984-85 में यह राशि 1100 करोड़ रुपये थी। भारतीय खाद्य निगम का प्रशासनिक ऊपरी खर्चा एक किलोग्राम अनाज की वसूली और वितरण में केवल लगभग 4 पैसे प्रति किलोग्राम रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अशोध्य ऋण

2925. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की राशि अशोध्य का ऋण के रूप में दर्शाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस राशि को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों के कार्य का स्वरूप कुछ ऐसा है जिसमें कुछ ऋणों के अशोध्य हो जाने का खतरा उसमें निहित है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक हर साल अपनी वार्षिक आमदनी में से संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों की तसल्ली के अनुसार कुछ व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार की गई व्यवस्था में से उन ऋणों को बट्टे खाते डाल देते हैं जिन्हें बैंक के प्रबन्धक अन्ततोगत्वा वसूल न हो सकने वाला मान लेते हैं। ये रकमें केवल उस समय बट्टे खाते डाली जाती हैं जब उनकी वसूली के सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण के प्रपत्रों के अनुसार; जिनका सभी बैंकों को कड़ाई से पालन करना होता है, बैंकों को उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि प्रकट करने से सांविधिक सुरक्षा प्राप्त है जिनके लिए उनके लेखापरीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था की जाती है।

उड़ीसा में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाएं

2926. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने खण्ड अभिग्रहण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाएं प्रायोजित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें कुछ जनजातीय खण्डों को भी शामिल किया जाएगा और यदि हां, तो उन खण्डों का ब्यौरा क्या है और कोरापुट जिले में किन खण्डों को योजना शुरू करने के लिए चुना गया है; और

(घ) क्या इस ग्रामीण विकास परियोजना के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य स्तर पर किसी निगरानी एजेंसी का भी गठन किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने उड़ीसा में खण्ड अंगीकरण परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा इंडस्ट्रियल कन्सल्टेंसी आरगनाइजेशन लि० (आरिटको) को काम सौंपा था। "आरिट-को" ने गहन ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए कोरापुट जिले में बोरीगुमा खण्ड का पता लगाया है। यह संगठन निम्नलिखित को ध्यान में रखकर अवसरों का पता लगा रहा है :

1. स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल और जनशक्ति का उपयोग;
2. वर्तमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाना;
3. विभिन्न विकास अभिकरणों के सहयोग से आवश्यक परामर्शदात्री और विस्तार समर्थन प्रदान करना;
4. विभिन्न साधनों के बेहतर लाभकर उपयोग के लिए उपायों की खोज करना।

उपर्युक्त खण्ड में, कुल आबादी में जनजातियों की संख्या 49 प्रतिशत है। इस परियोजना पर नजर रखने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा "आरिटको" के सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई गई है। इस समिति में जिला उद्योग केन्द्र, अग्रणी बैंक और जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के सदस्यों को भी सहयोजित किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत और गैर-सरकारी बैंकों पर निगरानी

2927. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पर निगरानी रख रहा है;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक का कोई विशेष दर्जा है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में गैर-सरकारी बैंकों की क्या स्थिति है और उन्हें क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों समेत सभी वाणिज्यिक बैंकों के बैंककारी कार्यों का विनियमन और नियन्त्रण करता है। जहां गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित किए जाते हैं, वहां सरकारी क्षेत्र के 28 बैंक, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के सात अनुषंगी बैंक और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं, संसद द्वारा बनाये गये विशेष कानूनों के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के अनुसार, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत एक-एक व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के इन 28 बैंकों के प्रत्येक निदेशक-मण्डल में नामित किया जाता है। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों का संबंध है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को, इन बैंकों के निदेशक-मण्डलों में अपने मनोनीत निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35 के तहत, गैर-सरकारी तथा साथ ही सरकारी दोनों क्षेत्रों के सभी वाणिज्यिक बैंकों का निरीक्षण करने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से करेंसी चेस्ट रखने की जिम्मेवारी भी सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा उठाई जाती है।

गांधीनगर और नवसारी (गुजरात) में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में धोखाधड़ी

2928. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में गांधीनगर और नवसारी स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया के वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की गंभीर चूकों के कारण परिणामस्वरूप दोनों बैंकों के साथ क्रमश: 3.5 करोड़ रुपये और 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी हुई;

(ख) यदि हां, तो धोखाधड़ी संबंधी ब्यौरा क्या है और अपराध करने के लिए क्या कार्य प्रणाली अपनाई गई; और

(ग) बैंकों में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो

ने बताया है कि ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक की गांधीनगर और नवसारी शाखा के सम्बन्ध में 22 फरवरी, 1983 और 27 जनवरी, 1986 को दो मामले दर्ज किये थे जिनमें क्रमश: 3.23 करोड़ रुपये (लगभग) और 2.25 करोड़ रुपये की रकम अंतर्ग्रस्त थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी बताया है कि गांधीनगर शाखा से सम्बन्धित मामले में, भारतीय स्टेट बैंक के एक क्लर्क समेत छ: व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दर्ज करा दिए गये हैं। जहां तक नवसारी शाखा से सम्बन्धित मामले का सम्बन्ध है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि इस मामले में जांच अभी चल रही है।

(ग) बैंकों से अपने-अपने संगठनों में सतर्कता तंत्र को चुस्त बनाने और अपनी प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों को सुधारने के लिए अनुदेश दिये गये हैं ताकि धोखाधड़ियों से बचा जा सके। तदनुसार, बैंकों अपने नियन्त्रण तन्त्रों को मजबूत करने तथा कारगर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उपाय कर रहे हैं। लेखा पुस्तकों के मिलान, अन्तर शाखा लेखाओं तथा अन्य लेखाओं के समाधान के बकाया काम को पूरा करने के लिए सतत आधार पर उपाय किये जा रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में धोखाधड़ियों से बचा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों के बीच सूचनाएं परिचारित की जाती हैं जिनमें धोखा-धड़ियों के नए-नए तरीकों का ब्यौरा दिया जाता है और बैंकों को इस सम्बन्ध में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने का परामर्श दिया जाता है। बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों में अनुदेश पुस्तकें भी परिचारित की जाती हैं जिनमें उन सावधानियों/जांच-पड़तालों का वर्णन होता है जिनका इन धोखाधड़ियों से बचने के लिए पालन किया जाना चाहिए।

वर्ष 1984 और 1985 के दौरान तस्करी के माल का पकड़ा जाना तथा प्राप्त राजस्व

2929. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान सीमावर्ती राज्यों तथा देश के अन्य स्थानों में पकड़े गए तस्करी के माल तथा प्राप्त राजस्व का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्रमश: बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली और अमृतसर के हवाई अड्डों पर इसमें से कितना सामान पकड़ा गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त मामलों में (एक) कर्मचारियों तथा (दो) जनता को प्रोत्साहन, पुरस्कारों के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(घ) उपर्युक्त मामलों में शामिल कितने सरकारी अधिकारियों तथा एअरलाइन कर्मचारिय के विरुद्ध कार्रवाई की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकार को रुग्ण मिलों के कारण हुआ घाटा

2930. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत (एक) राष्ट्रीय (दो) प्रबन्ध मिलों में 31 दिसम्बर, 1983, 31 दिसम्बर, 1984 और 31 दिसम्बर, 1985 को क्रमशः कितनी कपड़ा मिलें रुग्ण थीं;

(ख) प्रत्येक वर्ष दोनों श्रेणियों के मामले में कितनी रुग्ण मिलो को पुनः चालू किया गया;

(ग) रुग्ण मिलों को पुनः चालू न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रुग्ण मिलों के कारण उक्त अवधि में सरकार को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का नुकसान उठाना पड़ा है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एन० टी० सी० के पास दिसम्बर 1983 से 101 प्रचालनगत राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलें तथा 22 प्रबन्धित मिले हैं।

(ख) और (ग) वस्त्र एककों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इन एककों में चुनिन्दा आधार पर मशीनों का आधुनिकीकरण/नवीकरण करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग किया जाता है। 31 मार्च, 1985 तक आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्वयन कुल 324 करोड़ रु० तक रहा। आधुनिकीकरण के बाद, उत्पादन, उत्पादन क्षमता, उत्पादन मूल्य तथा बिक्री प्राप्ति आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राष्ट्रीयकृत एककों का और आगे आधुनिकीकरण उपलब्ध सीमित संसाधनों के भीतर चुनिन्दा आधार पर करना होगा।

तथापि, प्रबन्धित एककों का आधुनिकीकरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इन उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता।

अप्रैल से नवम्बर, 1985 के दौरान, 37 राष्ट्रीयकृत एककों को सकल लाभ हुआ जबकि 64 राष्ट्रीयकृत एककों को सकल घाटा हुआ।

एन०टी०सी० के लगातार हो रहे घाटों के प्रमुख कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(i) पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें;

(ii) अनियमित पावर सप्लाई तथा पावर की कमी; कैप्टिन पावर की ऊंची लागत आदि की वजह से संस्थापित क्षमता का कम उपयोग;

(iii) रुई की कीमतों में, विशेषरूप से 1980-81 के मध्य से 1984-85 तक असामान्य वृद्धि;

(iv) पावर, कोयला, रंजक पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थ, स्टोर्स तथा स्पेयर्स में वृद्धि;

(v) अधिक श्रमिक बल;

(vi) मजदूरी/वेतनों में वृद्धि;

(vii) अपर्याप्त कार्य मानदण्ड तथा निम्न उत्पादन क्षमता;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान एन०टी०सी० के अन्तर्गत मिलों का सकल घाटा निम्नोक्त प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	राष्ट्रीयकृत मिलें	प्रबन्धित मिलें (अनन्तिम)
1983-84	—137.36	—27.18
1984-85	—172.36	—50.10
1985-86 (अप्रैल-नवम्बर 85) (अनन्तिम)	— 77.92	—30.89

रबड़ का वार्षिक आयात

2931. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मांग की पूर्ति करने हेतु कितनी रबड़ का वार्षिक आयात (मूल्य सहित) किया गया और देशी उत्पादन से मांग की किस सीमा तक पूर्ति की जाती है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक देश में कितने अतिरिक्त क्षेत्र में रबड़ की खेती की गई और उसके परिणामस्वरूप देश में रबड़ के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान कार्यक्रम परिव्यय की 1:0 करोड़ रुपए से घटाकर 53 करोड़ रु० किए जाने के पश्चात् सरकार का विस्तार कार्यक्रम और चालू योजनाओं को किस प्रकार कार्यान्वित करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) देश की रबड़

की मांग का लगभग 85 प्रतिशत भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक आयात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :—

	आयात	
	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लाख रु० में)
1982-83	31659	2480
1983-84	32175	3566
1984-85	32408	3529

(ख) 1979-80 (छठी योजना के तुरन्त पहले) और 1984-85 (छठी योजना अवधि के अन्तिम वर्ष में रबड़ की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र तथा रबड़ का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मे० टन में)
1979-80	2,56,500	1,48,470
1984-85	3,50,000	1,86,450

रबड़ के पेड़ की लम्बी विकास अवधि होती है और छठी योजना के दौरान अतिरिक्त उत्पादन काफी पहले किए गए रोपण के परिणामस्वरूप था। इसी प्रकार छठी योजना में किये गये रोपणों से अतिरिक्त उत्पादन काफी बाद में उपलब्ध होगा।

(ग) रबड़ के लिए अनुमोदित सातवीं योजना परिव्यय 53.40 करोड़ रु० है जो कि छठी योजना के 36 करोड़ रु० के परिव्यय से अधिक है।

[हिन्दी]

विशेष आदिवासी क्षेत्र भत्ते का भुगतान

2932. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने विशेष आदिवासी क्षेत्र भत्ता देने के लिए विभिन्न ग्रामीण बैंकों को आदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भत्ता अन्य वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की परिलब्धियां सांविधिक रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों के कर्मचारियों के पदों के अनुरूप होती हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत अपने कर्मचारियों को इन दोनों राज्यों के नियमों के अनुसार समन्वित आदिवासी विकास भत्ता देने के लिए कहा है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृत करने पर नियन्त्रण

2933. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन पर नियंत्रण रखने हेतु कोई विशेष व्यवस्था की है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय का विचार उन बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृत करने पर किसी तरह का नियन्त्रण रखने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये से अधिक के मामले की सूचना मन्त्रालय और बैंक के भारत स्थित प्रधान कार्यालय को साथ-साथ देनी हो, ताकि यदि आवश्यक हुआ तो, मंत्रालय ऐसे मामलों में निर्देश जारी कर सकें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशी शाखाओं के कार्य-निष्पादन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बराबर नजर रखी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के काम को सुधारने और बैंकों के अन्दर परिचालनात्मक और नियन्त्रण प्रणालियों को मजबूत करने के लिये कई उपाय किये हैं जिनमें ये शामिल हैं :—

1. विदेशी शाखाओं के परिचालनों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत पृष्ठभूमि जानकारी प्राप्त करने के लिये, उन शाखाओं के सम्बन्ध में तिमाही विवरण ("पालू" विवरण) की एक व्यापक संशोधित सूचना प्रणाली को सतत आधार पर लागू करना।

2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विदेशी शाखाओं के किये जाने वाले निरीक्षणों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के भारत स्थित प्रधान कार्यालयों द्वारा नियंत्रक कार्यालयों के पहले से अधिक बार निरीक्षण करने की भी सिफारिश की है।

3. ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और विवरणों की जांच करने तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिये बैंकों से अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रभागों में नियन्त्रण तन्त्र को मजबूत बनाने के लिये कहा गया है।

4. विभिन्न बैंकों के साथ मिलकर सिंडिकेट के सदस्य के रूप में ऋणों में भाग लेने से पहले बैंकों को प्रस्तावों का स्वतंत्र अध्ययन करने की आवश्यकता का परामर्श दिया गया है।

5. 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की दकाया वाले समस्यामूलक ऋणों के सम्बन्ध में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को हर तिमाही विस्तृत विवरण भेजने होते हैं।

6. बैंकों से अपनी वर्तमान प्रबन्ध सूचना प्रणाली के पूरक के रूप में 'पालू" विवरण अपनाने और निदेशक बोर्ड को व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

चूंकि बैंकों द्वारा ऋण उनके वाणिज्यिक विवेक के आधार पर दिये जाते हैं, इसलिये सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किये जाने पर नियन्त्रण लगाना आवश्यक नहीं समझती/समझता है।

[अनुवाद]

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में शेयरों पर अधिक धनराशि लिया जाना

2934. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा हाल ही में जारी किए गए शेयरों पर उनके मूल्य से अधिक वसूली गई धनराशि का कुछ भाग उपयोग करके निवेशकर्ताओं के खर्चे पर मुनाफा कमा रही है;

(ख) क्या शेयर जारी करने वाली कंपनियां सामान्यत: यह धनराशि अधिक ब्याज दर पर अंतर-निगमित बाजार के काल सैक्शन में लगा देती है;

(ग) यदि हां, तो अधिक ली गई धनराशि पर मुनाफा कमाने की इस प्रवृत्ति को रोकने तथा अधिक ली गई धनराशि के वापस करने का कार्य भली-भांति कराने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(घ) कुछ कंपनियों को अधिक ली गई धनराशि को वापस करते समय उसकी 25 प्रतिशत धनराशि अपने पास रखने की अनुमति किन परिस्थितियों के अन्तर्गत दी जाती है तथा 1985-86 (आज तक) के दौरान किन-किन कंपनियों को ऐसी अनुमति दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जनता से पूंजी का

प्रस्ताव करने वाली कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 73 के उपबन्धों के अधीन आवेदन राशि किसी अनुसूचित बैंक के एक अलग बैंक खाते में रखनी होती है। तथापि, यदि अभिदान सूची की समाप्ति की तारीख से 10 सप्ताहों के भीतर आवेदकों को धन वापसी आदेश जारी नहीं किए जाते तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए मार्गनिदेशों के अनुसार कंपनी को 10 सप्ताह के बाद की विलम्बित अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होता है।

(घ) कंपनियों को अति-अभिदत्त सामान्य शेयर की पूंजी की राशि के 25 प्रतिशत तक की राशि को प्रति धारित करने की अनुमति है जिसके लिए उन्हें 18 मार्च, 1985 की प्रेस विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिए। अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 की अवधि में जिन कंपनियों को अति-अभिदत्त सामान्य शेयर-पूंजी की 25 प्रतिशत तक की राशि प्रतिधारित करने की सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी उनके नाम संलग्न विवरण में दिखाए गए हैं।

विवरण

क्र०सं०	कम्पनी का नाम
1	2
1.	एक्स० एल० ओ० युनाइटेड क्लच प्राडक्ट्स लिमिटेड
2.	गुजरात फिलामेंट लिमिटेड
3.	सेवा पेपर लि०
4.	गुजरात मेटल फार्म लि०
5.	एम० पी० कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि०
6.	गुजरात विनिल कैमिकल्ज लि०
7.	ब्लिस कैमिकल्ज एण्ड फार्मासियूटिकल इंडिया लि०
8.	बोफाना आयल लि०
9.	मार्डन इन्सूलेटर लि०
10.	औसवाली कैमिकल्ज लि०
11.	एस० एन० एल० डायगनास्टिक लि०
12.	निप्पो डेनरो इस्पात लि०

1	2
13.	इन्डो-गल्फ एक्सप्लोसिव्ज लि०
14.	सी० जे० जिलेटिन प्राडक्ट्स लि०
15.	अपोलो हास्पिटल्ज एन्टरप्राइज लि०
16.	रोले मेटल लि०
17.	भारत पाइप्स एण्ड फिटिंग्ज लि०
18.	पोलर इन्डस्ट्रीज लि०
19.	आई० एस० पी० एल० लि०
20.	आल्टरनेटिव एनेंर्जी इन्डस्ट्रीज लि०
21.	सुदर्शन प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज लि०
22.	राठी अलाप एण्ड स्टील लि०
23.	बूंदी ट्यूबिंग आफ इंडिया लि०
24.	एन० जी० एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीज लि०
25.	सूर्या इन्डस्ट्रीज लि०
26.	नागार्जुन फाइनेंस लि०
27.	उषा मार्टिन इन्डस्ट्रीज लि०
28.	लक्ष्मी चन्द भागजी लि०
29.	स्टैंडर्ड इन्जीनियरिंग लि०
30.	हरियाणा पैट्रोकैमिकल्ज लि०
31.	खण्डेलवाल हरमन इलैक्ट्रोनिक्स लि०
32.	हरियाणा मैलिएबल एण्ड एलौयज कास्टिंग्ज लि०
33.	पैडमाटैक्स इंजीनियरिंग लि०
34.	प्रीमियर एक्सट्रैक्शंस लि०
35.	श्री मीनाक्षी मिल्स लि०
36.	प्रीमियर विनायल फ्लोरिंग लि०

1	2
37.	युनाइटिड लीजिंग लि०
38.	सिफको फाइनेंस लि०
39.	मैक चार्ल्स (इंडिया) लि०
40.	रामगंगा फर्टिलाइजर्स लि०
41.	प्रियदर्शिनी थ्रेड लि०
42.	मैगना फाइंड्रीनियर लि०
43.	पर्सराम यूरिया सिन्थैटिक्स लि०
44.	जेम रिफाइनरीज लि०;
45.	नौड़रौन फाउन्डर्स महाराष्ट्र लि०
46.	कर्नाटक वाल वियरिंग्ज कारपोरेशन लि०
47.	त्रि-स्टार सोया प्रोडक्ट्स लि०
48.	गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि०
49.	सम्राट बाइसिकल्ज लि०
50.	बी० डी० स्टील कास्टिंग्ज लि०
51.	कोन्वैल कैन्स (इण्डिया) लि०
52.	रेनवेक्सी लेबोरेटरीज लि०
53.	फूड स्पैशियलटीज लि०
54.	दीपक स्पिनर्स लि०
55.	फैरा कंक्रीट कं० (इंडिया) लि०
56.	आलमगीर इंडस्ट्रीज लि०
57.	ब्रिटिश इंडिया इंडस्ट्रीज लि०
58.	वेस्टर्न इण्डिया इन्डस्ट्रीज लि०
59.	कैप्सूयल इंडिया लि०
60.	ब्ल्यू ब्लैंडस टैक्सचराइजिंग मैन्फेक्चरिंग कं० लि०

1	2
61.	मिक ओटो एन्सिलरीज लि०
62.	वाइब्रा औटोमेट लि०
63.	निरूप कैमिकल्ज लि०
64.	युटिलिटी इन्जीनियर्स (इंडिया) लि०
65.	अनाग्राम फाइनेंस लि०
66.	बम्बई एक्सटैंक्शंस लि०
67.	कुणाल इंजीनियरिंग कं० लि०
68.	तुंगभद्रा पल्प एण्ड पेपर बोर्ड मिल्ज लि०
69.	हीरो फाइबर्स लि०
70.	ग्वालियर स्टिप्स लि०
71.	युटिलिटी बिल्डिंग एण्ड लीजिंग (ई) लि०
72	उड़ीसा सिन्थैटिक्स लि०
73.	प्रियादर्शिनी सीमेंट लि०
74.	रीको ओटो इंडस्ट्री लि०
75.	मुरुगप्पा इलैक्ट्रोनिक्स लि०
76.	अशोक प्रोटीन्स लि०
77.	होयसला ब्ल्यू मोल्डर्स इंडिया लि०
78.	चेतक कंस्ट्रक्शंस लि०
79.	आतश लीजिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लि०
80.	ग्लोरिया लीजिंग लि०
81.	अन्सल हाउसिंग फाइनेंस एण्ड लीजिंग कं०, लि०
82.	हरियाणा ब्रिवरीज लि०
83.	लोहिया मैशीन्स लि०
84.	हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो-ग्रेफाइट्स लि०

1	2
85.	ओ० ई० एन० कनैक्टर्स लि०
86.	टी० टी० के० फार्मा लि०
87.	स्टैंडर्ड मैडिकल लीजिंग लि०
88.	वाईमैटलिक स्टील एण्ड एलौयज लि०
89.	रासी लीजिंग लि०
90.	मजदा लीजिंग लि०
91.	वाटलीवौय एण्ड कं०
92.	किर्लोस्कर लीजिंग एण्ड फाइनेंस लि०
93.	नोबल एक्सप्लोकैम लि०
94.	आर्गेनिक कैमिकल्ज लि०
95.	क्वालिटी स्टील ट्यूब्स लि०
96.	इंडिया पौलिफाइबर्स लि०
97.	प्रीमियर वैजिटेबल प्रोडक्ट्स लि०
98.	सूर्य एग्रोयल्ज लि०
99.	स्वदेशी सीमेंट लि०
100.	गोल्डन प्रोटींस लि०
101.	एस० आर० एफ० निपोन्डेंस लि०
102.	महेश्वरी प्रोटीन्स लि०

दिल्ली में सिले सिलाए वस्त्रों के एककों को प्रोत्साहन

2935. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए दिल्ली में सिले-सिलाये वस्त्रों के एककों को सहायता और प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) निर्यात प्रोत्साहन राज्य-वार नहीं दिये जाते। परिधानों के निर्यात के लिए दिए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहनों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(क) पहली जनवरी, 1984 से नकद मुआवजा सहायता की दरें काफी बढ़ा दी गई हैं। ये दरें 1985 के दौरान जारी रही। इन दरों को मार्च, 1986 तक पूरी होने वाली समीक्षा के अध्यधीन 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) आयात निर्यात नीति 1985-86 के परिशिष्ट-17 के द्वारा आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात हकदारियों को उदार बनाया गया है। 1985-88 के लिए आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट 21 के द्वारा अग्रिम लाइसेंसिंग योजना और शुल्क मुक्त आर० ई० पी० 19 तथा योजना के अन्तर्गत आयात करने के लिए कच्चे माल/वस्त्रों की कुछ मदों को अनुमति है।

(ग) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक तथा मुक्त व्यापार जोन योजनाओं के अन्तर्गत कई अन्य रियायतों के साथ-साथ अनिवार्य निर्यात दायित्व के साथ पूंजी माल कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं दीजाती हैं।

(घ) घरेलू वस्त्र मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति है ताकि निर्यातक आधुनिक मशीनें प्राप्त कर सकें। ऐसी आधुनिक मशीनों की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति है जिनका देश में विनिर्माण नहीं होता। परिधानोंतथा हौजरी की वस्तुओं के लिए लगभग 114 आवश्यक मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है, जिनमें से 97 को आयात निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट-1 भाग ख के द्वारा नियाती आयात शुल्क की छूट प्राप्त है।

(ङ) नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत विनिर्माता-निर्यातकों के लिए सरकार ने नई आयात-निर्यात पास बुक योजनाएं लागू करने की घोषणा की है।

(च) फैशन, डिजाइन के क्षेत्रों में विशेष रूप से परिधान व्यापार के लिए शिक्षा, अनुसंधान, सेवा तथा प्रशिक्षण के लिए सरकार ने दिल्ली में एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(छ) सरकार नए उत्पादों तथा नए बाजारों के लिए अतिरिक्त सहायता दे रही है। नए उत्पादों तथा नए बाजारों के लिए 10 प्रतिशत अधिक आर० ई० पी० दी जाती है।

(ज) सरकार बाजार अध्ययन क्रेता-विक्रेता बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि जैसी संवर्धनात्मक गतिविधियों के प्रयोजन के लिए तथा उनको धन की व्यवस्था करने के लिए उदार सहायता तथा राजस्व देती रही है।

(झ) परिधानों के लिए शुल्क वापसी की दरों को उदार बनाया गया है।

उड़ीसा में यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखाएं खोलना

2936. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनियन बैंक आफ इंडिया ने अपनी शाखाओं का विस्तार करने का कार्य प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के विभिन्न जिलों में अब तक कितनी शाखायें खोली गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में भी यूनियन बैंक आफ इंडिया की कुछ और शाखायें खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये शाखायें खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखा खोला जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। यूनियन बैंक आफ इण्डिया की उड़ीसा में 30.9.1985 को 25 शाखाएं थीं जिनका जिला-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	बालासोर	1
2.	कटक	6
3.	ढेनकनाल	2
4.	गंजम	2
5.	क्योंझार	2
6.	कोरापुट	2
7.	पुरी	3
8	सम्बलपुर	5
9.	सुन्दरगढ़	2
		25

(ग) और (घ) 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति में 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर कम-से-कम एक बैंक कार्यालय खोलकर बैंक सुविधाओं की उपलब्धता में स्थानिक दूरियों को समाप्त करने और प्रत्येक विकास खंड के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 17 हजार की जनसंख्या के पीछे कम से कम एक बैंक कार्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों/अग्रणी बैंकों से शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों को मद्दे नजर रखते हुए बैंक सुविधाओं के जरूरतमंद केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा है। अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस देने के प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा लाइसेंसिंग नीति और पता लगाये गये केन्द्रों की सूची के संदर्भ में विचार किया जायेगा। अत: फिलहाल उड़ीसा के उन स्थानों के नाम बताना सम्भव नहीं जहां यूनियन बैंक आफ इण्डिया को शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में निर्मित कपड़े का उत्पादन और मांग

2937. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलायी जाने वाली मिलों के अधिकांश उत्पादन की बाजार में कोई मांग नहीं है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बाजार का सर्वेक्षण कराने और बाजार की मांग के अनुसार कपड़े की किस्म का निर्माण करने हेतु कोई व्यवस्था की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पादन योजनाओं में कपड़े तथा यार्न के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले ऋयादेशों तथा संभावित बाजार मांग दोनों को ध्यान में रखा जाता है। प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग करने के अतिरिक्त, एन० टी० सी० विशिष्ट उत्पादों/बाजार खण्डों के संबंध में बाजार सर्वेक्षण करता है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन मिलों का आधुनिकीकरण

2938. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बेहतर वाणिज्यिक कार्य निष्पादन के लिए पुरानी मिलों की पुरानी और घिसी पिटी मशीनों को तत्काल बदलने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम उसके नियंत्रण और प्रबंध के मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार पर जोर दे रहा है;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम को वित्तीय सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि किस्म

और लाभ दोनों में सुधार की गुंजाइश है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम के द्वारा न कि लाभ कमाने के लिए केवल कपड़ा श्रमिकों को रोजगार में रखने के लिए मिलों को चलवाया जाता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कपड़ा निगम को उसके नियंत्रणाधीन मिलों के बेहतर और कुशल प्रबंध के लिए आवश्यक धन देने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां। एन० टी० सी० की राष्ट्रीयकृत मिलों की अर्थक्षमता के लिए मशीनों का नवीकरण तथा प्रौद्योगिकीय स्तर सुधार की आवश्यकता है।

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान आधुनिकीकरण के लिए एन० टी० सी० ने 302 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया था और तदनुसार एक योजना प्रावधान का सुझाव दिया था।

(ग) एन० टी० सी० के राष्ट्रीयकृत एककों के आधुनिकीकरण/नवीकरण पर 31 मार्च, 1985 तक 301 करोड़ रु० की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। योजना आयोग ने उनकी अभी तक सातवीं योजना अवधि के दौरान एन० टी० सी० की श्रमिक योजनाओं के आधुनिकीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण के लिए 117 करोड़ रु० का परिव्यय निर्दिष्ट किया है।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र नीति निगम की स्थापना सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई रुग्ण वस्त्र मिलों के कार्यों का प्रबंध देखने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी ताकि ऐसे उपक्रमों का तेजी से पुनर्स्थापना किया जा सके जिससे कि ऐसे पुनर्स्थापन से कपड़े की सस्ती किस्मों के उत्पादन, उचित कीमतों, वितरण के हितों को पूरा करने में मदद मिल सके।

(ङ) और (च) जैसा कि पहले बताया जा चुका है योजना आयोग ने 7वीं योजना अवधि के दौरान अभी तक 117 करोड़ रु० का परिव्यय निर्दिष्ट किया है।

नई वस्त्र नीति का कार्यान्वयन

2939. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई वस्त्र नीति को अब तक कहां तक कार्यान्वित किया गया है;

(ख) क्या यह नीति वस्त्र व्यापार पर अपेक्षित प्रभाव डालने में सफल रही है;

(ग) क्या वस्त्र नीति के सफल कार्यान्वयन में अभी कुछ बाधायें हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) सरकार द्वारा जून, 1985 में घोषित वस्त्र नीति में देश में वस्त्र उद्योग के विकास हेतु विभिन्न उपायों की व्यवस्था की गई है। नीति के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कदम उठाए गये हैं। इनमें शामिल है :—संगठित क्षेत्र में बुनाई क्षमता के विस्तार पर प्रतिबन्ध समाप्त करना, पूर्ण फाइबर लोचशीलता की अनुमति देना, कतिपय मानव-निर्मित फाइबरों/यार्न पर वित्तीय लेवियों का सुव्यवस्थीकरण, विद्युत करघों का अनिवार्य पंजीकरण और हथकरघों के विकास हेतु उपाय। नीति में की गई व्यवस्था के अनुसार, आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापना निधियां बनाने के बारे में भी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों को दीर्घावधि राहत

2940. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए काफी समय से यह चलाई जा रही कपास एकाधिकार खरीद योजना को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार की कपास एकाधिकार खरीद योजना के कारण कपास उत्पादकों को पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों को दीर्घावधि राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई अन्य प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना का उद्देश्य है व्यापारियों के शोषण से रुई उपजकर्ताओं की रक्षा करना। योजना का उद्देश्य रुई उपजकर्ताओं को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए बिचौलियों को समाप्त करना है। अब तक यह योजना 30 जून, 1986 तक वैध है। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना की अवधि को 30 जून, 1986 से आगे बढ़ाने की मांग की है। उक्त योजना की अवधि को आगे बढ़ानेतथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय कम्पनियों में निवेश

2941. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा अब तक भारतीय कंपनियों में कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिनमें यह निवेश किया गया है और संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनिवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत में किए गए कुल निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये) 31-12-1985
(i) प्रत्यक्ष निवेश (अनुमोदित प्रस्ताव)	477.23
(ii) पोर्टफोलियो निवेश (शेयरों और ऋणपत्रों के वास्तविक खरीददार	50.03 (अ०)
(iii) बैंक-जमा (एन० आई० ई०/एफ० सी० एन० आर० खातों में बकाया शेष)	4814.66*

(अ०) = अनंतिम

* =30 नवम्बर, 1985 को

(ख) जिन क्षेत्रों के सम्बन्धों में अनुमोदन दिए गए हैं, वे क्षेत्र स्पंज लोहा, नस्म और मिश्र इस्पात उत्पाद, अखबारी कागज, सीमेंट, मेथानोल, पोलियेथर पोलियोस, ई० पी० ए० बी० एक्स०; तथा उर्वरक परियोजनाओं से संबंधित है।

केरल में अनिवासी भारतीय सैलों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की शाखाएं

2942. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का केरल के अनिवासी भारतीयों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए वहां अनिवासी भारतीय सैलों के लिए अपनी शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि केरल के अनिवासी भारतीयों द्वारा किया जाने वाला निवेश मुख्यत: राज्य में औद्योगिक विकास के लिए होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक ने बताया है कि बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय में खोला गया विशेष अनिवासी भारतीय कक्ष, केरल सहित भारत के सभी राज्यों में कार्यरत अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के माध्यम से, अनिवासी भारतीयों से संबंधित कार्य का समन्वय करता है। बताया गया है कि केरल में कोचीन स्थित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यालय का वर्तमान संगठनात्मक ढांचा सुव्यवस्थित है और अनिवासी भारतीयों की सहायता करने के लिए भी पर्याप्त है। केरल में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक अनिवासी भारतीयों को उपयुक्त परामर्श तथा अपेक्षित सहायता दी जाती है।

कपास का निर्यात

2943. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कपास का औसत विद्यमान मूल्य क्या रहा है;

(ख) इसी अवधि के दौरान अन्य नकद फसलों के विद्यमान औसत मूल्यों की तुलना में कपास का विद्यमान औसत मूल्य कितना है;

(ग) क्या खपत की तुलना में कपास का अधिक उत्पादन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 10 लाख से अधिक गांठें ओपन जनरल लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के आधार पर निर्यात करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) कृषि वस्तुओं की बाजार कीमतों में अलग-अलग स्थान समय तथा किस्म के अनुसार अन्तर रहता है। थोक कीमत सूचकांक इन कीमतों की यथेष्ट स्थिति दर्शाता है। विगत 3 वर्षों अर्थात 1982-83 से 1984-85 (रुई वर्षों) के लिए कपास और साथ ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी नकद फसलों अर्थात मूंगफली, रेप सीड, सरसों, की तम्बाकू तथा प्याज की वार्षिक औसत थोक कीमत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने चालू रुई वर्ष के दौरान निर्यात हेतु लम्बे तथा अधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 10 लाख गांठें, बंगाल देशी की 52,000 गांठें और येलो पिंकिंग्स की 25,000 गांठें पहले ही रिलीज कर दी हैं।

विवरण

रुई वर्षों के लिए थोक कीमत सूचकांक

	सीमा		वार्षिक औसत
	न्यूनतम	अधिकतम	(सित०-अगस्त)
कपास			
1982-83	186.3	217.8	202.9
1983-84	217.3	294.8	296.7
1984-85	228.1	296.0	245.3
मूंगफली			
1982 83	260.4	330.9	279.4
1983-84	295.9	355.2	321.1
1984-85	287.7	327.2	308.1
रेपसीड तथा सरसों			
1982-83	241.7	305.9	266.0
1983-84	266.6	407.0	320.1
1984-85	236.1	294.6	259.4
तम्बाकू			
1982-83	176.8	261.1	275.4
1983-84	174.2	258.1	221.5
1984-85	182.4	209.2	195.0
प्याज			
1982-83	274.2	461.6	352.7
1983-84	283.4	559.8	406.6
1984-85	226.7	406.7	289.9

उपभोक्ता सहकारी समितियां

2941. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में देश में डिपार्टमेंटल स्टोरों की संख्या 330 से बढ़ाने तथा 31,960 उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सातवीं योजना अवधि में इसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनकी प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) छठी योजनावधि के दौरान, शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों द्वारा 70 नए बहुविभागी भण्डार तथा 1250 खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) से (घ) छठी योजना के दौरान, 1984-85 तक, सहकारी समितियों द्वारा 46 बहुविभागी भंडार तथा 465 अन्य खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए, शहरी क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता नियुक्त की गई थी, जिससे बहुविभागी भण्डारों की संख्या बढ़कर 330 तथा अन्य खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या 31,960 हो गई।

उपर्युक्त योजना 7वीं योजना के दौरान भी जारी रखी जा रही है, ताकि सहकारी समितियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों का और विस्तार हो सके। सातवीं योजनावधि के दौरान, शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे 100 नए बहुविभागी भंडार तथा 700 बड़े आकार के खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता देने का प्रस्ताव है। इससे, सातवीं योजना के अंत तक, बहुविभागी भंडारों की संख्या बढ़कर 430 तथा अन्य खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या 32,660 हो जाने की सम्भावना है।

छापे से पीड़ित व्यक्तियों को प्राप्त सुरक्षोपाय और अधिकार

2945. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष व्यापारी/प्रतिष्ठान पर छापा मारने का निर्णय कैसे लिया जाता है और पीड़ित व्यक्ति को क्या सुरक्षोपाय और अधिकार प्राप्त होते हैं; और

(ख) क्या छापा मारने वाला दल पीड़ित व्यक्ति से उनके द्वारा लिए गये बयानों की एक प्रति उसे नहीं देता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या भविष्य में उन्हें बयान की प्रति दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जब कभी इस आशय की विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है कि अमुक व्यक्ति के पास लेखाबाह्य राशि अथवा धन है और उसके पास ऐसी राशि धन के ब्यौरों से संबंधित लेखा-पुस्तकें/दस्तावेज हैं, तो निरीक्षण निदेशक अथवा आयकर आयुक्त अथवा उप निरीक्षण निदेशक, अथवा निरीक्षी सहायक आयुक्त, जिसे भी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस संबंध में अधिकार प्रदान करे, तलाशियां लेने का अधिकार-पत्र जारी करता है। तलाशी-वारंट जारी करने से पहले, उपर उल्लिखित वरिष्ठ अधिकारी एक तुष्टि-टिप्पणी लेखबद्ध करते हैं। प्रथमदृष्ट्या लेखाबाह्य परिसंपत्तियों और अपराध आरोपणीय लेखा-पुस्तकों/दस्तावेजों के पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को प्रथमतः आयकर अधिनियम की धारा 132 (5) के अन्तर्गत और बाद में नियमित कर-निर्धारण संबंधी कार्यवाहियों के दौरान पकड़े गए धन/दस्तावेजों के स्वरूप तथा स्रोत को स्पष्ट करने का समुचित अवसर दिया जाता है। जिस व्यक्ति की तलाशी ली जाती है उसे इसके सभी अनुबंधों सहित पंचनामे की प्रति लेने का अधिकार प्राप्त है।

(ख) संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर, तलाशी दल द्वारा दर्ज किए गए बयान की एक प्रति, कर-निर्धारण या मुकदमेबाजी की कार्यवाहियों में उसके विरुद्ध प्रयुक्त करने से पहले उसे उपलब्ध कराई जाती है।

सुपर बाजार/केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं खोलने का प्रस्ताव

2946. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को उचित दरों पर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए सुपर बाजार/केन्द्रीय भण्डार की केवल एक या दो शाखाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक कालोनी में सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं खोलने तथा उस क्षेत्र में सुपर बाजार का एक बड़ा वितरण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भण्डार के ऐसे और वितरण केन्द्र तथा शाखाएं खोलने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रत्येक कालोनी में सुपर बाजार और/या केन्द्रीय भण्डार की एक-एक शाखा खोलने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) उपभोक्ताओं को उचित दरों पर दैनिक जरूरत की आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने

के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सुपर बाजार (दि को-आपरेटिव स्टोर्स लि०) नई दिल्ली की 99 शाखाएं और केन्द्रीय भण्डार की 40 शाखाएं कार्य कर रही हैं।

(ख) 1986-87 के दौरान सुपर बाजार का दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 15 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, यमुना पार क्षेत्र में यमुनापुरी में इसका एक क्षेत्रीय वितरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय भण्डार ने बताया है कि उसकी शाखाओं का विस्तार करना, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की रिहायशी कालोनियों में उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से उनके द्वारा विकसित हर नई कालोनी/शापिंग काम्पलेक्स में सुपर बाजार की शाखा के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करने के लिए तत्काल अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय भण्डार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी शाखाएं केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों और सरकारी कार्यालय भवनों में स्थान मिलने पर खोलेगा।

काफी के अधिकतम उत्पादन के लिए प्रस्तावित योजना

2947. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बागानों में काफी का अधिकतम उत्पादन करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार काफी बोर्ड की मार्फत अनेक योजनाएं क्रियान्वित करती रही है। ये हैं—अनुसंधान कार्यक्रम, विस्तार सेवाएं, काफी प्रदर्शन फार्म, प्रशिक्षण कार्यक्रम क्वालिटी बीजों का उत्पादन तथा सप्लाई और विकास योजना के अधीन ऋण तथा उपदान सहायता जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन को अधिकतम करना है।

राशनिंग को केवल कमजोर वर्गों तक सीमित रखने का प्रस्ताव

2948. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों की राशनिंग केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सीमित रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की राशनिंग को समाज के केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सीमित करने का कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आयात के लिए ओ० जी० एल० के अन्तर्गत वस्तुएं

2949. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान किन-किन वस्तुओं को आयात के लिए ओ० जी० एल० के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) इन वस्तुओं के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार आयात में वृद्धि को देखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना सं० 1/85-88 के द्वारा दिनांक 12-4-1985 को आयात तथा निर्यात नीति, 1985-88 की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार औद्योगिक मशीनों की 201 मदें तथा कच्चे माल तथा संघटकों आदि की 547 मदें खुले सामान्य लाइसेंस में शामिल की गई थीं। आयात तथा निर्यात नीति में बाद में हुए संशोधनों को सार्वजनिक सूचनाओं के द्वारा अधिसूचित किया गया है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। उपरोक्त आयात तथा निर्यात नीति तथा सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) 1985 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत हुए मदों के आयातों से संबंधित आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय में अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) उत्पादन को अधिकतम करने और साथ ही निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर आयात निर्यात नीति की समीक्षा करने का स्थायी प्रबन्ध है।

दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के देशों में भारतीय निवेश

2950. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के देशों ने अपने देशों में भारतीय निवेश की अनुमति दे दी है जैसा कि 15 फरवरी, 1985 के इकोनोमिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अवसर का अधिकतम उपयोग विदेशों में भारतीय उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा; और

(ग) क्या पूंजी के निर्यात को उदार बनाकर दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के देशों में भारतीय पूंजी के प्रोत्साहन को सुनिश्चित किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एशियान की किसी विशिष्ट पहल के विषय में हमें जानकारी नहीं है।

(ख) व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) भारत पूंजी का निवल आयातक है। इसलिए, भारतीय पूंजी के भारी बहिर्गमन को हम प्रोत्साहित नहीं करते।

[हिन्दी]

अहमदाबाद में आठ कपड़ा मिलों का पुन: खोला जाना

2951. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद में आठ सूती कपड़ा मिलों को पुन: खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये मिलें कब तक फिर से काम करना आरम्भ कर देंगी;

(ख) इन बन्द मिलों को पुन: खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध करायी गई और यह राशि कब उपलब्ध करायी गई; और

(ग) बन्द पड़ी मिलों में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और बेकार हुए मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए क्या साधन उपलब्ध कराये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में 12 बंद पड़ी सूती वस्त्र मिलों का, उनका पुनर्निर्माण करने तथा पुन: सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से राष्ट्रीयकरण किया है जिससे कि कुछ के अर्थक्षम एकक तैयार किए जा सकें।

(ख) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीयकरण की योजना कार्यान्वित करने के लिए 65 करोड़ रु०

की अग्रिम योजना सहायता रिलीज करने के लिए सहमत हो गई है जिसमें से राज्य सरकार को 1-1-86 को पहले ही 30 करोड़ रु० रिलीज किए जा चुके हैं।

(ग) राष्ट्रीयकरण के समय इन 12 मिलों के उपस्थित रजिस्टर में कर्मचारियों की संख्या लगभग 26,000 थी। राज्य सरकार की राष्ट्रीयकरण की योजना में कुछ कर्मचारियों को पुन: रोजगार देने तथा कर्मचारियों का अन्तिम लाभ देकर सुव्यवस्थीकरण करने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

सिक्किम में केन्द्रीय भाण्डागार

2952. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में कोई केन्द्रीय भाण्डागार है;

(ख) यदि हां, तो इन भंडारों की क्षमता क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सिक्किम को भारत के अन्य भाग के साथ जोड़ने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग पर भारी भू-खलन के कारण आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बार-बार अवरोध को देखते हुए सिक्किम में केन्द्रीय सरकार द्वारा भंडारों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के पास सिक्किम में 1200 मीटरी टन की किराए की क्षमता है। इसके अलावा सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे उपयुक्त केन्द्रों का पता लगाएं जहां पर निगम खाद्यान्नों और अन्य जिंसों का भंडारण करने के लिए अपने भांडागारों की स्थापना कर सके।

हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

2953. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान हरियाणा में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 30 नवम्बर, 1985 को हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की 864 शाखाएं थीं ?

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिए जो लाइसेंस दिए जाएंगे वे 1985-90 की अवधि के लिए चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति के उद्देश्यों के अनुरूप और नीति के अनुसार पता लगाए गए केन्द्रों के संदर्भ में जारी किए जाएंगे। अतः किसी राज्य में बैंक कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने के वास्ते लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल होटल को पुनः खोलना

2955. **श्री विष्णु मोदी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल, जो हाल ही में आग लगाने के कारण बन्द हो गया था, को पुनः खोलने की मन्जूरी देने का है; और

(ख) अन्य पांच सितारा होटलों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सिद्धार्थ कांटीनेंटल, नई दिल्ली ने होटल को पुनः खोलने की अनुमति के लिये सरकार को कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। होटल को पुनः खोलने की सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने पर तभी विचार किया जायेगा, जब इस प्रकार का कोई आवेदन-पत्र मिलेगा।

(ख) दिल्ली के सभी पांच सितारा होटलों का मुख्य अग्निशमन अधिकारी और दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन देखने के लिये निरीक्षण किया जा रहा है। महानगर परिषद ने अभी हाल ही में अग्नि निरोधक और अग्नि सुरक्षा बिल पारित किया है, जिसे संसद में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

कालीनों के निर्यात के लिए बीमे की आसान दरें

2956. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीनों के निर्यात पर बीमे की समान दरों की मांग करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को आशा है कि ऐसा करने से भारत के कालीन निर्यात में वृद्धि होगी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस समय भारतीय आयातकों अथवा भारतीय निर्यातकों पर मार्गस्थ माल का बीमा करवाने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है, ताकि वे माल के बीमा के बारे में पोतयंत निशुल्क (एफ० ओ० बी०) या लागत बीमा और भाड़ा (सी० आई० एफ०) में से किसी भी विकल्प को चुनने में स्वतन्त्र हों। जब कोई निर्यातक बीमा दावे सम्बन्धी अच्छा अनुपात प्राप्त करता है तो वह अपनी खुली पालिसी (ओपन पालिसी) के नवीकरण के समय बीमा कम्पनी के साथ बातचीत के समय प्रीमियम दर कम करवाने के लिये बल दे सकता है और इस प्रकार प्रत्येक निर्यातक अधिकांशत: अन्ततोगत्वा अपने दावों की संख्या को देखते हुए उचित प्रीमियम ही देता है। निर्यात विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। निर्यात किए जा रहे कालीनो की कुल लागत में बीमा की रकम का भाग बहुत कम होता है यह अनुभव किया गया है कि केवल बीमा प्रीमियम की एक समान दर या भिन्न-भिन्न दर लेने के कारण बीमा लागत में होने वाले थोड़े से अन्तर के कारण निर्यात की मात्रा पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता।

[अनुवाद]

गैर बासमती चावल का निर्यात

2957. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1986-90 की अवधि के लिये गैर-बासमती चावल के निर्यात का कुल वर्ष-वार लक्ष्य क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सार्वजनिक अभिकरणों के पास चावल की सुखद स्टाक-स्थिति और देश में इसकी सुकर उपलब्धता देखते हुये ऐसा विनिश्चय किया गया है कि 4000/रु० प्रति एम० टी० एफ० ओ० बी० की न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन एक निर्धारित सीमा में गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी जाए। 1986-90 की अवधि के दौरान निर्यात की मात्रा फसल-स्थिति, उपलब्ध होने वाले निर्यात योग्य सभावित अधिशेष, और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दशाओं पर निर्भर करेगी।

न्यूयार्क में कन्नड़ भवन के निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा लेना

2958. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने न्यूयार्क में कन्नड़ भवन के निर्माण के लिए 12 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या अमरीका में कर्नाटक के काफी लोग रहते हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार उपरोक्त कन्नड़ भवन के लिए 12 लाख रुपये मंजूर करने के लिए तैयार है जिसके लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या अपेक्षित विदेशी मुद्रा दे दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) किसी देश विशेष में रहने वाले भारतीयों की संख्या राज्य-वार नहीं रखी जाती।

(ग) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता और उत्तरी बंगाल के कुछ भागों में मादक पदार्थों की तस्करी

2959. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और उत्तरी बंगाल के जिलों में कुछ भाग मादक पदर्थों की तस्करी का अड्डा बनते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कौन से देशों से हशीश और मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) से (ग) भारत को पिछले कुछेक वर्षों से अधिकतर निकट तथा मध्य पूर्व क्षेत्र के देशों से लाई जाने वाली तथा पश्चिमी देशों को भेजी जाने वाली हेरोइन, चरस और अफीम, के पारगमन यातायात की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के अलावा, भारत-नेपाल सीमा भी गांजे के तस्कर-आयात के लिए एक सुगम क्षेत्र है।

यह देश में पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से स्पष्ट है। वर्ष 1985 में पश्चिम बंगाल में पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा से भी इस प्रवृत्ति का पता चलता है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों में मिलावटी आयातित चीनी की सप्लाई

2960. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में उचित दर की दुकानों पर मिलावटी आयातित चीनी की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा): (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि राजधानी में राशन की दुकानों पर कोई अपमिश्रित आयातित चीनी नहीं बेची जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण

2961. श्री श्रीकांत वत्त नरसिंहराव वांडियार : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अब तक कितने करघे लाये गए हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने करघों के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 1.15 लाख करघे सहकारी क्षेत्र में तथा लगभग 1.20 लाख करघे सहकारी क्षेत्र के बाहर।

(ग) सहकारी समितियों के अन्तर्गत 1.25 लाख करघों तथा सहकारी समितियों के बाहर 1.30 लाख करघों के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गए ऋण

2962. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवश्यकता पर आधारित सहायता के रूप में कितनी धनराशि के ऋण दिए गए हैं; और

(ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृषि, लघु उद्योगों तथा लघु व्यवसायियों केप्राथमि कता वाले क्षेत्रों को आवश्यकता पर आधारित कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1983 और दिसम्बर, 1984 के अन्त में मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राथमिता वाले क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(राशि करोड़ रुपए)

	दिसम्बर,'1983	दिसम्बर, 1984
कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र	193.45	237.12
जिसमें से		
(i) कृषि	114.41	122.48
(ii) लघु उद्योग	42.45	54.93
(iii) लघु व्यवसाय	4.76	7.39

तम्बाकू का निर्यात

2963. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) तम्बाकू की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या तम्बाकू के निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अनिर्मित तम्बाकू की निर्यात मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	मात्रा मे०टन में
1982-83	93853
1983-84	89985
1984-85	74745

(स्रोत: तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर)

(ख) और (ग) विश्व निर्यातों में भारतीय शेयर में जो मामूली गिरावट आई है उसका कारण मुख्य रूप से पश्चिमी विश्व में बढ़ता हुआ धूम्रपान अभियान कहा जा सकता है जिससे उनकी आयात-जरूरतों पर प्रभाव पड़ा है।

(घ) तम्बाकू के विश्व निर्यातों में भारतीय शेयर बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :—

(1) अनिर्मित तम्बाकू पर निर्यात शुल्क समाप्त करना;

(2) आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट 16 के अन्तर्गत निर्यात उत्पादों की चयन सूची में अनिर्मित तम्बाकू शामिल करना;

(3) 1986 फसल के तम्बाकू की सभी किस्मों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत (एम०ई०पी०) 1985 के स्तर पर बनाए रखना; और

(4) विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

विधिक माप विद्या में प्रशिक्षण देने वाले संस्थान

2964. श्री डी० बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधिक माप विद्या में प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के नाम क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता कितनी है तथा उनके पाठ्यक्रम की अवधि क्या है;

(ग) आज तक कितने व्यक्तियों ने इस प्रशिक्षण का लाभ उठाया है;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कमी को दूर करने का है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के०पंजा): (क) भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्थान, रांची ।

(ख) संस्थान विधिक माप-विज्ञान पर चार महीने का मूलभूत पाठ्यक्रम चलाता है और इस पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण क्षमता 40 की है ।

(ग) अब तक 1582 व्यक्तियों ने संस्थान में प्रशिक्षण सुविधा का लाभ उठाया है ।

(घ) जी नहीं । विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं तथा औषधियां वितरित किये जाने का प्रस्ताव

2965. श्री डी० बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने की एक योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाणी के माध्यम से किन-किन अतिरिक्त वस्तुओं को वितरित किया जाएगा;

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या जीवन रक्षक औषधियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाणी के माध्यम से अथवा किसी अन्य अधिकरण के माध्यम से वितरित करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों के लिए 7 आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति तथा सप्लाई करने की जिम्मेदारी ले रखी है। ये वस्तुएं हैं : गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, साफ्ट कोक, नियन्त्रित कपड़ा तथा मिट्टी का तेल। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में आम खपत की किसी अन्य वस्तु को भी स्वयं उनकी अधिप्राप्ति तथा वितरण का प्रबन्ध करके इसमें शामिल कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ने उन्हें समय-समय पर सलाह दी है कि वे उचित दर दुकानों के जरिए अधिक वस्तुएं बेचें, ताकि आम आदमी को आम खपत की ओर अधिक वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराई जा सकें। विभिन्न राज्यों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि कुल मिलाकर, देश में उचित दर दुकानों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी बेची जा रही हैं। चूंकि औषधियां, जिनमें जीवन-रक्षक औषधियां भी शामिल हैं, केवल अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के माध्यम से ही बेची जा सकती हैं, अतः उचित दर दुकानों के माध्यम से इनकी बिक्री कराना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, विभिन्न राज्यों में बड़े उपभोक्ता सहकारी भण्डार औषधियों की दुकानें चला रहे हैं।

अखबारी कागज पर कर

2966. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने दिसम्बर, 1984 में यह निर्णय दिया था कि अखबारी कागज पर लगने वाले कर को साधारण करों से भिन्न समझना चाहिए तथा अखबारी उद्योग की क्षमता का उचित आकलन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुसार कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 को उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि अखबारी कागज पर आयात-शुल्क अथवा उपसंगी शुल्क लगाने के सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाए। तदनुसार, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने एक विस्तृत अध्ययन किया था जिन्होंने यह महसूस किया कि अखबारी कागज के घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात शुल्क 1300 रुपये प्रति मीटरी टन हो सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के अभिमतों और अन्य संगत कारणों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया कि अखबारी कागज पर आयात शुल्क 550 रुपये प्रति मीटरी टन होना चाहिए। अपेक्षित अधिसूचना दिनांक 19-12-85 को जारी कर दी गई थी।

कलकत्ता शहर में उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

2967. डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान कलकत्ता शहर में उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा कितने छापे मारे गए; और

(ख) इसमें कितनी राशि शामिल थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने 1985-86 के दौरान कलकत्ता शहर में 119 परिसरों की तलाशी ली थी।

(ख) ग्रस्त राशि इस अवस्था पर निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि इनमें से कई मामलों में जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

1985-86 के बजट में कपड़ा क्षेत्र को दी गई छूट के परिणामस्वरूप लाभ

2968. श्री० के० कुन्जम्बु : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 के बजट में कपड़ा क्षेत्र को दी गई छूट से उपभोक्ताओं को कोई लाभ हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों आदि में किस सीमा तक कटौती हुई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सरकार ने वस्त्र उद्योग की हालत में सुधार करने तथा वर्ष 1985-86 के दौरान उपभोक्ताओं को उचित दाम पर स्वीकार्य क्वालिटी के कपड़े की उपलब्धिता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। उन उपायों के फलस्वरूप वर्ष 1985-86 के दौरान वस्त्र मदों की कीमत स्थिति सामान्य रूप से संतोषजनक रही। वास्तव में वर्ष 1984-85 के तुलना में वर्ष 1985-86 की अवधि के दौरान काटन यार्न, नाईलान, टैरीन तथा मिश्रित वस्त्र जैसी मदों की कीमत में निश्चित कमी देखने में आई है।

चालू वर्ष में घाटे की अर्थव्यवस्था

2969. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष में (एक) लगभग 9000 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था, (दो) राजसहायता में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि, (तीन) बाजार से ऋण में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि और (चार) विदेश-व्यापार में 8000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) उपर्युक्त का सातवीं पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि संसाधनों की कमी के कारण सातवीं योजना को प्रभावित नहीं किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या आश्वासन अभी पूरा किया जाएगा ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) चालू वर्ष में बजटीय घाटा, संशोधित अनुमानों के अनुसार, 4,490 करोड़ रुपये का रखा गया है। संशोधित अनुमानों में प्रमुख राज-सहायताओं में, 1985-86 के बजट अनुमानों की तुलना में, लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जैसा कि बजट अनुमान था, बाजार से केन्द्र के निवल ऋण 5,100 करोड़ रुपये के ही रहे हैं जहां तक व्यापारिक घाटे का सम्बन्ध है, 1985-86 के पूरे के लिए कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। सातवीं आयोजना के पहले दो वर्षों में वास्तविक रूप में परिव्यय आयोजना अवधि के कुल परिव्यय का लग-भग 40 प्रतिशत है। जो कि अपने आपमें एक उपलब्धि है। केन्द्रीय सरकार का यह प्रयास है कि अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएं और आयोजना-भिन्न व्यय को उचित सीमाओं में रखा जाए ताकि सातवीं योजना के लिए पर्याप्त संसाधन मिल सकें।

अनिवासी भारतीयों द्वारा धन भेजना

2970. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1985 के दौरान अनिवासी भारतीयों ने प्रति माह अनुमानत: कितनी धनराशि भेजी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1985 के दौरान भारतीय मूल/राष्ट्रिकता के अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश निम्नलिखित की स्थिति

(करोड़ रुपये)

1	2	3	4	5	6	7
	31-1-85	28-2-85	31-3-85	30-4-85	31-5-85	30-6-85
(i) प्रत्यक्ष निवेश (अनुमोदित प्रस्ताव)	233.20	239.16	244.87	248.58	259.75	315.96
(ii) पोर्टफोलियो निवेश (शेयर और वास्तविक खरीदारी)	उ० न०	उ० न०	46.87	उ० न०	उ० न०	51.37
(iii) बैंक जमा (एन०आर० ई०/एफ० सी० एन० आर० खातों में बकाया शेष)	3588.55	2724.90	5818.57	3893.99	3960.09	4095.23

(अ) — अनन्तिम

उ० न० — उपलब्ध नहीं।

8	9	10	11	12	13
31-7-85	31-8-85	30-9-85	31-10-85	30-11-85	31-12-85
321.26	402.61	419.33	438.48	453.27	477.23
उ० न०	उ० न०	52.29	उ० न०	उ० न०	53.03(अ)
4271.97	4451.22	4581.85	4674.49 (अ)	4814.66 (अ)	उ० न०

सिक्किम में विदेशी पर्यटकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटाना

2971. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम में पर्यटन के विकास में एक मुख्य बाधा वहां विदेशी पर्यटकों पर लगा प्रतिबन्ध है;

(ख) क्या सिक्किम सरकार से उक्त प्रतिबन्ध हटाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सिक्किम सरकार के अनुसार, विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबन्ध सिक्किम में पर्यटन-संवर्धन में बाधक हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जुलाई, 1985 में कुछ छूटें प्रदान की गई थीं। भारत सरकार सुरक्षा संबंधी विचारणाओं के प्रकाश में सिक्किम और अन्य क्षेत्रों में आने वाले विदेशियों के आवागमन पर लगाए गए प्रतिबन्धों की समय-समय पर पुनरीक्षा करती है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर तस्करी का माल पकड़ा जाना

2972. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हवाई अड्डे पर 1 अप्रैल, 1985 से 31 जनवरी, 1986 तक कुल कितने रुपये मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा गया;

(ख) इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने व्यक्ति इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया अथवा अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी थे; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1985 से 31 जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान 5.3 करोड़ रुपये मूल्य का निषिद्ध माल और 182 व्यक्ति, जिनमें एयर इंडिया के दो कर्मचारी और इंडियन एयरलाइन्स का एक कर्मचारी शामिल है, दिल्ली हवाई अड्डे पर तस्करी की गतिविधियों के सम्बन्ध में, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए थे।

(ग) तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय तौर पर तथा न्यायालय में मुकदमे चलाकर सख्त कार्यवाही की जाती है। माल को जब्त करने और वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाये जाने के अलावा, उचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबन्दी भी की जाती है। तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को संबंधित एयरलाइन्स द्वारा मुअत्तल कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ स्थानान्तरण भत्ता

2973. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण भत्ता और बढ़ाया गया है जैसा कि 18 फरवरी, 1986 के "इकनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III और श्रेणी-IV के कर्मचारियों के लिए कुल कितना परिव्यय रखा गया है और उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के लिए परिव्यय की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी श्रेणियों के कर्मचारियों विशेषकर निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते बढ़ाने का है क्योंकि वे सबसे अधिक प्रभावित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय के दिनांक 3-1-1986 के का० ज्ञा० सं० 19018/1/85—संस्था० IV [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० -2339/86] में दी गई शर्तों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली स्थानान्तरण अनुदान की दरों में संशोधन कर दिया गया है और उन्हें पैकिंग भत्ता दिया गया है। चूंकि "स्थानान्तरण यात्रा भत्ते" के रूप में कोई पृथक व्यय शीर्ष नहीं रखा जाता तथापि "यात्रा के दर्जे" की हकदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है; अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव केवल स्थानांतरण अनुदान और पैकिंग भत्ते में हुई वृद्धि के कारण होगा, जो अधिक नहीं होगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। चौथे वेतन आयोग को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के सम्पूर्ण ढांचे की जांच करनी है।

टेलीविजन सैट निर्माताओं द्वारा कर अपवंचन

2974. **श्री जगन्नारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1986 के इंडियन एक्सप्रेस में "रुपीज 100

करोड़ लाख ड्यू टू टी० वी० रैकिट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली में नकली नामों के टी० वी० निर्माता करोड़ों रुपये के आय कर, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क का अपवंचन कर रहे हैं;

(ग) क्या इन उद्योगों पर पिछले एक वर्ष के दौरान कोई छापा मारा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्य क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) विभाग के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि दिल्ली के अप्रमाणिक टेलीविजन विनिर्माताओं, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, आय कर तथा बिक्री कर का अपवंचन कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक राज्य को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति

2975. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने राज्य में विद्यमान भयंकर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय पूल से चावल, मिट्टी के तेल, खाद्य तेल और चीनी की कितनी-कितनी मात्रा की मांग की है; और

(ख) केन्द्र द्वारा राज्य को उपर्युक्त मदों की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रतिमाह 5000 मी०टन चावल, 2000 कि० लीटर मिट्टी के तेल तथा 2000 मी०टन खाद्य तेल की अतिरिक्त मात्रा देने का अनुरोध किया था। इन मांगों के प्रति कर्नाटक को जनवरी, 1986 के महीने के लिए मिट्टी के तेल की 1000 मी०टन अतिरिक्त मात्रा का आवंटन किया गया, जिससे उक्त महीने के लिए कुल आवंटन बढ़कर 31365 मी०टन हो गया। चावल के मामले में, दिसम्बर, 1985 के दौरान किये गये 45,000 मी०टन के मासिक आवंटन को जनवरी, फरवरी और मार्च, 1986 में बनाए रखा गया। इसके अलावा, कर्नाटक को जुलाई और नवम्बर, 1985 में क्रमशः 20000 मी०टन और 25000 मी०टन चावल का विशेष अतिरिक्त आवंटन किया गया था। कर्नाटक को दिसम्बर, 1985 के दौरान किये गये खाद्य तेलों के 2000 मी०टन के मासिक आवंटन को जनवरी और फरवरी, 1986 में बनाये

रखा गया । कर्नाटक में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लेवी चीनी के अतिरिक्त आवंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

उद्योगों में पूंजी निवेश के लिये अनिवासी भारतीयों से प्राप्त धनराशि

2976. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों से औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीनिवेश के लिये कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ख) इस पूंजी निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों से प्राप्त कुल रकम का ब्यौरा इस प्रकार है :—

		(करोड़ रुपए) 31-12-1985
(i)	प्रत्यक्ष निवेश (अनुमोदित प्रस्ताव)	477.23
(ii)	पोर्टफोलियों निवेश (शेयरों और ऋणपत्रों की वास्तविक खरीद)	53.30 (अ०)
(iii)	बैंक जमा (एन०आर०ई०/एफ०सी०एन०आर० खातों में बकाया शेष)	4814.66*

(अ०)—अनन्तिम

*—30 नवम्बर, 1985 को

(ख) ऐसे निवेशों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

बम्बई में हेरोइन और ब्राउन-शूगर का पकड़ा जाना

2977. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर बम्बई के बैंगवारा क्षेत्र में हेरोइन और ब्राउन-शूगर पकड़ी गई है जैसा कि, 3 जनवरी, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं और पकड़े गए इन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि बम्बई पुलिस ने बम्बई के बैंगवाडी क्षेत्र से 13.230 किलोग्राम गर्द (ब्राउन शूगर) और 10.240 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी थी। इस सम्बन्ध में दो व्यक्ति, जिनके विवरण इस समय तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, गिरफ्तार किए गये हैं और संगत कानूनों के तहत समुचित कार्यवाही किए जाने के लिए एक मामला दर्ज कर लिया गया है।

[अनुवाद]

रुकावटों को दूर करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन

2978. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कुछ उपबन्धों के कार्यान्वयन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने हेतु कोई विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी ग्रुप की नियुक्ति की है जो विदेशी मुद्रा विनियमों की समीक्षा करेगा। यदि इस ग्रुप द्वारा ,'फेरा" में कोई संशोधन करने का सुझाव दिया गया तो सरकार इस पर उपयुक्त समय पर विचार करेगी।

———

12.00 मध्याह्न

श्री पी० कुलनदेईवेलु खड़े हुए—

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आपने हमसे वायदा किया था कि आप राज्यपाल की भूमि पर चर्चा करने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे वायदा नहीं किया था। मैंने कहा था कि इसे आप मुझ पर छोड़ दें।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसके बारे में आपकी क्या राय है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा और इसके बाद हम इसके बारे में निर्णय लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि कार्य मंत्रणा समिति की प्रतीक्षा न की जाये। महाराष्ट्र के राज्यपाल के विरुद्ध दिया गया मेरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके क्षेत्राधिकार में है और इसके बारे में यथाशीघ्र कार्यवाही करें। राज्यपाल को बर्खास्त करने से पूर्व; हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले से व्यस्त हूं। मुझे कुछ समय चाहिये, मैं फिलहाल इसे नहीं कर सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : तो हमें इस पर चर्चा करने का समय नहीं मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : दिल्ली में मस्तिष्क ज्वर के महामारी बहुतायत से फैल रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में कदम उठा चुका हूं। मैं इसके बारे में कार्यवाही करने वाला हूं। किन्तु यह तरीका तो नहीं है, किसी बात को उठाने का यहां। मेरे पास पहले से काम पड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैंने विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की भूमिका के बारे में सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसका उत्तर दे चुका हूं। कृपया बैठ जाइये।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : मैंने भी आपको बम्बई में परमाणु विस्फोट के बारे में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसका पता लगायगे।

डा० वी० वेंकटेश : यह सूचना मिली है कि बम्बई में एक परमाणु विस्फोट हुआ है। यह बहुत गम्भीर बात है। दो सप्ताह पूर्व यह घटना घटी थी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बारे में इस प्रकार कार्यवाही करने का तरीका नहीं है।

श्री संफुद्दीन चौधरी : यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला गम्भीर हो सकता है किन्तु इसके बारे में इस प्रकार चर्चा करने का कोई तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं; इसका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा): मैंने बड़ौदा में हुए गैस रिसाव के बारे में ध्यानाकर्षण दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में मुझसे मिल सकते हैं। आपका सदा स्वागत है।

12.03 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचना दो, भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, तथा इन पत्रों को विलम्ब से रखने के कारणों का,विवरण, निर्यात निरीक्षण परिषद एवं निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली का 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, आदि, आदि···

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

[श्री पी० शिव शंकर]

(1) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नाशक जीवमार का निर्यात और उनके नुस्खे (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1986, जो 1 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 781 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) काजू गिरी निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1986, जो 1 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 783 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल०टी०—2238/86]

(2) (एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०— 2239/86]

(4) (एक) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 16 के उपनियम (3) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद् एवं निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद् एवं निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—2240/86]

(5) (एक) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—2241/86]

(7) (एक) गर्म मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, एरणाकुलम, कोचीन के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) गर्म मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, एरणाकुलम, कोचीन के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—2242/86]

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2242/86]

(9) (एक) प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री पी० शिव शंकर]

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—2243/86]

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—2243/86]

भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

योजना मन्त्रालय में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—2245/86]

निक्षेप बीमा और ऋण प्रत्याभूति निगम सामान्य विनियम 1961, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1986, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनायें आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निक्षेप बीमा और ऋण प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 की धारा 50 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा और ऋण प्रत्याभूति निगम सामान्य विनियम, 1961 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—2246/85]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1986, जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 325(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—2247/85]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 318(अ), जो 26 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 99/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 319(अ), जो 26 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 163/85-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 320(अ), जो 26 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 136-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 321(अ), जो 26 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो जस्ते के कसेन्ट्रैन्टों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे माल के अवधारित मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पांच) सा०का०नि० 322(अ), जो 26 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को, उस पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है, जितना उक्त तालिका की कालम (3) में तद्भुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

(छः) सा०का०नि० 323(अ), जो 26 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा पिछली पांच अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है।

(सात) सा०का०नि० 324(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 43/85-सी० शु०/ 44/85-सी०शु० और 46/85-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(आठ) सा०का०नि० 341(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 102-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(नौ) सा०का०नि० 342(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 फरवरी 1986 की अधिसूचना संख्या 133/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दस) सा०का०नि० 343(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 51-सी०शु०, 66-सी०शु०, 67-सी०शु०, 69-सी०शु०, 92-सी०शु० और 95-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[श्री जनार्दन पुजारी]

(ग्यारह) सा०का०नि० 480(अ), जो 4 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 188/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(बारह) सा०का०नि० 481(अ); जो 5 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 150/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है। [पंचालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—2248/86]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 326(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 जून, 1981 की अधिसूचना संख्या 123/81-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 327(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 7 अक्तूबर, 1976 की अधिसूचना संख्या 260/76-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 328(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 29 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या 151/81-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 329(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 5 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 330(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 29 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या 150/81-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(छः) सा०का०नि० 345(अ), जो 1 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 1979 की अधिसूचना संख्या 167/79-के०उ०शु० रद्द की गई है।

(सात) सा० का० नि० 346 (अ), जो 1 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 27 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 108/86—के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(आठ) सा० का० नि० 475 (अ), जो 3 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय मदों पर उत्पाद-शुल्क पिछली दरों को सब मिलाकर बनाये रखना है।

(नौ) सा० का० नि० 476 (अ), जो 4 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 5 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 213/83-के० उ० शु० रद्द की गयी है।

(दस) सा० का० नि० 477 (अ), जो 4 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 79/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 479 (अ), जो 4 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 22 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना संख्या 149/82-के० उ० शु० रद्द की गई है।

(बारह) सा० का० नि० 482 (अ), जो 6 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 20 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना संख्या 130/82-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2249/86]

(5) जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1985 के 15वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2250/86]

12.05 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है : मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 10 मार्च 1986 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे और यह संकल्प करती है कि श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती की मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थान को उक्त संयुक्त समिति में भरने के लिए सभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करे"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री के० गोपालन, राज्य सभा के सदस्य को उक्त संयुक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित किया गया।

12.06 म० प०

एयर इंडिया के जम्बो जेट "कनिष्क" के 23 जून, 1985 को दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त "न्यायालय" के निष्कर्षों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : महोदय, 23 जून, 1985 की सुबह एयर इंडिया का बोइंग—747 विमान वी० टी० ई० एफ० ओ० "कनिष्क" मांट्रीयाल से अनुसूचित यात्री उड़ान (ए 1—182) पर था और दिल्ली तथा बम्बई के मार्ग से लन्दन जा रहा था। आयरलैंड के शैनान हवाई अड्डे के राडारस्कोप से विमान पर निगरानी रखी जा रही थी। जी० एम० टी० समय के अनुसार 0714 बजे यह विमान राडारस्कोप पर अचानक गायब हो गया और यह विमान जो लगभग 31,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, 51°3.6' उ० अक्षांश और 12°49' प० देशांतर पर आयरलैंड के दक्षिण पश्चिम की ओर अटलांटिक सागर में डूब गया। भारत

के विमानन इतिहास में यह भयंकरतम विमान दुर्घटना थी जिसमें सभी 307 यात्री और कर्मीदल के 22 सदस्य मारे गए।

इस दुर्घटना की औपचारिक जांच करने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी० एन० कृपाल को नियुक्त किया था। पांच निर्धारकों द्वारा इस न्यायालय की सहायता की गई थी। इस न्यायालय ने "डिजिटल फ्लाइट डैटा रिकार्डर" और "काकपिट वाइस रिकार्डर" की व्यापक जांच की। समुद्र के तल में पकड़े हुए संपूर्ण मलबे का नक्शा और चित्र लिया गया मलबे का कुछ हिस्सा निकाला गया और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र; बम्बई में उपलब्ध सुविधाओं पर उसकी विस्तृत जांच की गई। कुल मिलाकर न्यायालय ने 13 गवाहों से जिरह की जिनमें विमान निर्माताओं, रायल कनाडियन माउंटेड पुलिस, कनाडा विमानन सुरक्षा बोर्ड, भारत के नागर विमानन महानिदेशक, एयर इंडिया, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्रतिनिधि तथा रायल एयर फोर्स और भारतीय वायुसेना के डाक्टर शामिल थे। आयरलैंड के डाक्टरों से प्राप्त शव-परीक्षा रिपोर्टों, न्यायालय द्वारा गठित संरचना ग्रुप की रिपोर्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र कनाडा विमानन सुरक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यू० एस० ए० तथा यू० के० की दुर्घटना अन्वेषण शाखा द्वारा किए गए काकपिट वाइस रिकार्डर के विश्लेषणों की रिपोर्टों और भारत के नागर विमानन विभाग के दुर्घटना निरीक्षक की रिपोर्ट की न्यायालय द्वारा जांच की गई। न्यायालय ने आयरलैंड और तोक्यो के नरीटा हवाई अड्डे का भी दौरा किया।

न्यायालय ने 26 फरवरी, 1986 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। सभी पांचों निर्धारकों ने निष्कर्षों और सिफारिशों पर सहमति के रूप में रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। असहमति की कोई टिप्पणी नहीं है।

पारिस्थितिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि यह दुर्घटना विमान के अगले भाग में माल रखने वाले स्थान में बम विस्फोट के कारण हुई। न्यायालय ने कुछ सिफारिशें भी की हैं। ये सिफारिशें विमान सुरक्षा, विमान संरक्षा आदि मामलों पर की गई हैं और इनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ, एयरलाइनों, सरकार और विमान विनिर्माताओं से है। अगली कार्रवाई करने के लिए सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है।

12.08 म०प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एच० के० एल० भगत।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अगले सप्ताह की विषय-सूची में कृपया 'महाराष्ट्र के राज्यपाल' को शामिल करें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 17 मार्च, 1986 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में सरकारी कार्य-सूची में ये विषय होंगे : (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप श्रद्धांजली दे रहे हैं ? आप चुप क्यों हैं ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, वह सुनते नहीं हैं वह न तो सुनते हैं और न ही वह आपको सुनने देते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय उचित रूप से क्या आप एक भी शब्द उसमें से सुन सकते हैं जो उन्होंने पढ़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं क्योंकि आप कार्य मन्त्रणा समिति में थे, शायद वह समझते हैं कि आप इस बारे में जानते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह पूरी तरह से अश्रव्य था। मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने क्या पढ़ा है।

श्री एच० के० एल० भगत : प्रो० मधु दण्डवते बोलते जाएंगे और मैं पढ़ूंगा।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 17 मार्च, 1986 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्य सूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) रावी और व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा रावी और व्यास जल अधिकारण विधेयक, 1986 पर विचार एवं पारित करना।

(3) निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने संकल्पों पर चर्चा तथा इसके साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) संशोधन अध्यादेश, 1986

(ख) प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986

(4) निम्नलिखित मंत्रालयों के नियन्त्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान:

(1) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

(2) विदेश

मेरे दोस्त क्या अब आप संतुष्ट हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप महाराष्ट्र के राज्यपाल को शामिल करते तो मुझे बहुत खुशी होती।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आशा करता हूं कि यह उस कारण नहीं था कि आपने मुझे इसे दोबारा से पढ़ने के लिए कहा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले सप्ताह के लिए सभा के कार्य के बारे में सदस्यों के विचार सुनेंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाए :

उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र से हजारों मजदूर दिल्ली में रोजगार के लिए आते हैं क्योंकि वहां बहुत बेरोजगारी हैं उनमें से कुछ दिल्ली में रहते हैं तथा शेष पंजाब और हरियाणा में जीविका की तलाश में जाते हैं। उनका दोनों दिल्ली और पंजाब तथा हरियाणा में शोषण किया जाता है।

दिल्ली में उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है और अत्यन्त अस्वास्थ्यकर स्थितियों में एक दिन में 12/14 घंटे काम करने के लिए कहा जाता है। उन पर कोई श्रमिक कानून लागू नहीं होता है। उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। न ही उन्हें भविष्य निधि और उपदान आदि सुविधाएं दी जाती हैं।

पंजाब और हरियाणा में जमींदार और बड़े किसानों के दलाल उनको झूठे वायदों के द्वारा फंसाते हैं। एक बार वे पंजाब और हरियाणा के भीतरी क्षेत्र में पहुंच जाएं तो वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं और सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए असहाय कैदियों की जिन्दगी बिताते हैं। वे अनगिनत दुःखों को सहन करते हैं और अपने अच्छे प्रयासों के बावजूद अपने मालिकों के शिकन्जे से बाहर नहीं जा सकते हैं।

इस प्रकार केन्द्रीय श्रम मन्त्री जी को उनकी दशा पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोरबन्दर) : अगले सप्ताह की विषय सूची में अगले पृष्ठ पर निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

[श्री जी० एम० बनातवाला]

(i) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थिर सुविधा भत्ते और वेतन में वृद्धि करने के बारे में सरकार के आश्वासन को लागू करने में विचारणीय विलंब चिन्ता का विषय है। मैं सरकार से अगले सप्ताह में अपेक्षित विधान को पुरःस्थापित तथा पारित करने का आग्रह करता हूं।

(ii) अगले सप्ताह की विषय सूची में मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर संरक्षण का अधिकार) विधेयक 1986 पर विचार करने और उसे पारित करने का कार्य भी शामिल करने की आवश्यकता है। इस विधेयक का विशेषकर उन मुसलमानों ने जोरदार स्वागत किया है जो इसके शीघ्र पारित किए जाने की आशा लगाए हैं ताकि विकृत साम्प्रदायिक ताकतों और तानाशाही दृष्टिकोण वाले तत्व विलंब का लाभ उठाकर तनाव पैदा न कर सकें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की सूची में सम्मिलित किया जाए।

इस समय पूरे देश में टिटनेस से बचाव के लिए ए० टी० एस० नामक दवा का बड़े पैमाने पर अभाव है। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में काफी लोगों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इन्जेक्शन के अभाव में पूरे प्रदेश में दो रुपया अस्सी पैसे प्रति एम्पुल मिलने वाली यह औषधि इस समय तीस-तीस रुपये प्रति एम्पुल के भाव से चोरी-छिपे, अवैध रूप से बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पा रही है। ज्ञात हुआ है कि ए० टी० एस० निर्माण करने वाली कंपनियों ने प्रति एम्पुल पच्चीस से तीस पैसा दाम बढ़ाने का सरकार से आग्रह किया था किन्तु मूल्य में वृद्धि की इजाजत सरकार द्वारा न देने के कारण काफी औषधि निर्माताओं ने ए० टी० एस० का निर्माण या तो बन्द कर दिया है अथवा इतना कम निर्माण कर रहे हैं जिससे इसकी मांग से पूर्ति के कम होने के कारण जन साधारण तक सुलभ नहीं हो पा रही है। वास्तविकता जो भी हो एक बार टिटनेस हो जाने के बाद इसका इलाज करा पाना साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाता है और अन्ततोगत्वा अर्थाभाव में उसे अपनी जान गवां देनी पड़ती है।

अतः केन्द्रीय सरकार से सर्वसाधारण के मूल्यवान जीवन की सुरक्षा हेतु मांग करता हूं कि ए० टी० एस० के निर्माण को मांग के अनुरूप बनाए रखने तथा उचित मूल्य पर सुलभ कराने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री कमोदी लाल जाटव (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषय आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाए।

मध्य प्रदेश के चम्बल संभाग में विद्युत की सप्लाई गांधी सागर से होती है जो कि भिण्ड व मुरैना से करीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे उपभोक्ता हमेशा परेशान होते रहते हैं तथा हरिजन आदिवासियों के घरों में सरकार की मंशा के अनुसार अभी तक सिंगल पाइप कनेक्शन नहीं

लगाये हैं जबकि मुरैना जिले में करीबन नौ नदियां बहती हैं, जैसे चंबल, कूनों आदि। अगर सरकार इन नदियों में थर्मल प्लांट लगाने की ,व्यवस्था कर दे तो चाम्बल संभाग की जनता की परेशानी दूर हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : आगामी सप्ताह के कार्य में निम्न विषय सम्मिलित किया जाये :

यह ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार तिरूचिरापल्लि में निर्माणाधीन एक परियोजना के लिए 26 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा से मशीनरी को आयात करने के बारे में सोच रही है, जबकि एच० एम० टी० ने जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हीरा समझा जाता है, स्वदेशी मशीन यन्त्र और आयातित स्वचालित और संगणक उपकरणों से आवश्यकता की पूर्ति करने की पेशकश की है। यह पता लगाया गया है कि एच०एम०टी० की पेशकश सभी दृष्टि से तकनीकी, वाणिज्यिक, मूल्य की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा की बचत की दृष्टि से, सुपुर्दगी की आवश्यकताओं की पूर्ति आदि की दृष्टि से बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को देखे और यह सुनिश्चित करे कि परियोजना अधिकारीगण हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देंगे और इस प्रकार आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, देंगे।

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : महोदय, आगामी सप्ताह के कार्य में शामिल किए जाने के लिए मैं निम्नलिखित अनुरोध करता हूं।

केन्द्रीय सरकार के अधिकतर सभी निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों का कार्यचालन बद से बदत्तर हो गया है इनमें से अधिकांश भारी घाटे में चल रही हैं और सरकारी धन को नष्ट कर रही हैं। लगभग सभी निगमों और सार्वजनिक उद्यमों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। उन्हें नियन्त्रित करने की आवश्यकता है।

अत: सरकार के निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यचालन में सुधार लाने के उपायों पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि कि अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय को सभा की अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

यह चिंता का विषय है कि तानिकाशोथ (मेनिनजाइटिस) पहले ही महामारी का रूप धारण कर चुका है और इस राजधानी शहर में ही इससे काफी लोग मर रहे हैं जैसा कि प्रतीत होता है

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

संबंधित अधिकारियों द्वारा यथोचित चेतावनी न दिए जाने के कारण और क्या सावधानियां अपनाई जानी चाहिए इसका समुचित प्रचार न होने के कारण लोग भयग्रस्त हैं। यही समय है कि चिकित्सा प्राधिकारीगण बीमारी की गंभीरता को और दिल्ली और दिल्ली के अन्य भागो में विद्यमान स्थिति को समझें और अविलम्ब रोधात्मक और रोगनाशक दोनों तरह के आवश्यक उपाय करें।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : महोदय, निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए।

तंगभद्रा बोर्ड—रायल सीमा वासियों के लिए इसका अस्तित्व आवश्यक है

भारत के राष्ट्रपति ने 10-3-1955 को इस बोर्ड का गठन किया था और बोर्ड को आंध्रप्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों के तुंगभद्रा परियोजना से सम्बन्धित सभी मामलों की जिम्मेदारी लेनी है तथा उन्हें निपटाना है। इसका काम नहरों साझी वितरक नदियों के साझे हिस्सों की देख रेख करना तथा पन बिजली का उत्पादन करना और उसका वितरण करना दोनों राज्यों के बीच जल वितरण—कर्नाटक को 139 टी० एम० सी० तथा आंध्र प्रदेश को 73 टी० एम० सी०—करना है।

कर्नाटक राज्य नदी के ऊपरी भागों में है और इसलिए इसे सभी प्राकृतिक लाभ प्राप्त हैं जब कि आंध्र प्रदेश इसके अन्त में है, इसलिए इसे बहुत हानियां हैं।

यदि इस बोर्ड को समाप्त कर दिया जाता है तो आंध्र प्रदेश के हितों को बहुत नुकसान पहुंचेगा और आंध्र प्रदेश को जितना पानी मिलना चाहिए, उससे वह वंचित रह जाएगा। यदि बोर्ड समाप्त किया जाता है तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश के हिस्से में से अधिक पानी ले सकता है क्योंकि इस बात की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा कि पानी की कितनी मात्रा ली गई। अतः कर्नाटक चाहता है कि इस बोर्ड को समाप्त किया जाए।

अतः मेरा अनुरोध है कि संघ सरकार कर्नाटक के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दे और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक दोनों के हितों को देखते हुए इस बोर्ड को बना रहने दे।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा किए गये अनुरोध को बड़े धैर्य से सुना है और निश्चय ही मैं कार्य मंत्रणा समिति को उनके बारे में बताऊंगा। यद्यपि वे मामले उठा सकते हैं किंतु इनके बारे में निर्णय कार्य मंत्रणा समिति लेती है। तथापि मैं माननीय सदस्यों को सुझाव दूंगा कि इस पर विचार करें कि क्या उन्हें यह पसन्द है या उन्हें स्वीकार है या नहीं ? कि जैसा कि वे जानते हैं विभिन्न मन्त्रालयों की अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चाएं होने जा रही हैं और यदि वे उचित समझें तो वे ये मामले वहां उठा सकते हैं। लेकिन मैं कार्य मंत्रणा समिति का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

12.20 म०प०

समिति के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सदस्य अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : --

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.21 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की क्षमता में कमी करना

[अनुवाद]

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं इस्पात और खान मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

[श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति]

"विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की क्षमता में कमी करने के केन्द्रीय सरकार के कथित निर्णय और उसके परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में होने वाली कमी तथा इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : महोदय, संयंत्र के विक्रेय प्रॉडक्स-मिक्स में परिवर्तन के बावजूद विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में रोजगार के अवसरों में कमी नहीं की गई है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना लगभग 3,900 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 1982 में स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1985 में परियोजना की पूंजीगत लागत का पुन: अनुमान लगाने पर पता चला कि मूल्यों में वृद्धि तथा लागत आदि के बढ़ जाने तथा पहली लागतों का अनुमान कम होने के परिणामस्वरूप परियोजना की अद्यतन लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपये होगी। यह पाया गया कि इस प्रकार की अधिक पूंजीगत लागत से परियोजना की अर्थ-क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस्पात संयंत्र निर्माण परियोजनाओं में हाल के विकास से पता चला है कि इस्पात संयंत्र के रूपांकन की पहले की धारणाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कम पूंजीगत लागत से परियोजना के कार्यान्वयन और अर्थ-क्षमता में सुधार करने के लिए विकल्पों का गहराई से अध्ययन किया गया था और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना ने एक संशोधित परियोजना धारणा तैयार की। संशोधित युक्तिसंगत परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

युक्तिसंगत धारणा के अन्तर्गत संयंत्र की तप्त की धातु की वार्षिक क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा अर्थात् वार्षिक क्षमता 34 लाख टन रहेगी। द्रव इस्पात की क्षमता 34 लाख टन से घटकर 30 लाख टन होगी, जिसके परिणामस्वरूप विक्रेय इस्पात की वार्षिक क्षमता 29.8 लाख टन से घटकर 26.6 लाख टन रह जाएगी। परन्तु बिक्री के लिए कच्चे लोहे की वार्षिक क्षमता 2.2 लाख टन से बढ़कर 5.7 लाख टन हो जाएगी। अत: इस परियोजना से लोहे तथा इस्पात का कुल बिक्री योग्य उत्पादन पहले के 32.0 लाख टन के वार्षिक अनुमानित स्तर की तुलना में 32.3 लाख टन होगा। प्राडक्ट-मिक्स में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप परियोजना को अपनी पूंजीगत लागत 1,500 करोड़ रुपये कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह आठवीं तथा 9वीं योजनावधि के लिए इस्पात तथा कच्चे लोहे की मांग संतुलित ढंग से पूरी करेगी। यह सम्भावना भी है कि युक्तिसंगत धारणा से संयंत्र को जून, 1990 तक पूरा करने में मदद मिलेगी अर्थात् जुलाई, 1991 में पूरा करने की पहले की समय-सूची से लगभग एक वर्ष पूर्व यह संयंत्र पूरा हो जाएगा।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र जैसे आधुनिक इस्पात संयंत्र में रोजगार के अवसरों की गुंजाइश सीमित है। लगाए गए नवीनतम अनुमान के अनुसार 13,000 श्रमिक काम पर लगाए जाएंगे। खानों तथा बस्ती, चिकित्सा, प्रशासन जैसी अन्य सेवाओं सहित कुल श्रमिकों की आवश्यकता 15,000 के आसपास होने की संभावना है। संयंत्र के कार्मिकों की संख्या में किसी वृद्धि से संयंत्र की अर्थ-क्षमता पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संशोधित धारणा को अन्तिम रूप देने से पूर्व परियोजना प्राधिकारियों ने 5,000 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, बशर्ते वे रोजगार पाने के लिए उपयुक्त हों। युक्तिसंगत परियोजना धारणा में किसी भी प्रकार से श्रमिकों की संख्या में कमी नहीं की गई है। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना ने 1,339 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दे दिया है तथा लगभग 3,500 से 4,000 विस्थापित व्यक्तियों को ठेकेदारों द्वारा रोजगार दिया गया है। राज्य सरकार के सहयोग से विस्थापित व्यक्तियों को अनुषंगी तथा निम्नप्रवाही (डाउन स्ट्रीम) उद्योग में रोजगार दिलवाने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

12.24 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : महोदय, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना अधिकारियों द्वारा हाल ही में लिया गया कथित निर्णय, जिस पर इस समय संघ सरकार विशाखापत्तनम स्थित इस्पात संयंत्र के आकार को कम किए जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है तथा इसकी जांच कर रही है, अविलम्बनीय तथा जनता की चिन्ता का विषय बन गया है। इससे आंध्र प्रदेश की 6 करोड़ जनता में उत्तेजना तथा क्षोभ की भावना पैदा हो गई है। यह निर्णय आंध्र प्रदेश की जनता के लक्ष्य, इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं के विरुद्ध है। जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं कि संयंत्र के आकार में कमी करने के बाद यह एकीकृत संयंत्र नहीं रहेगा। अधिक से अधिक यह अर्द्ध-एकीकृत इस्पात संयंत्र होगा और बुरे से बुरा भी मानें तो कच्चे लोहे का संयंत्र होगा। प्रोडक्ट-मिक्स में परिवर्तन हो जाता है। यूनिवर्सल-बीम जो संयंत्र का एक आवश्यक और मूल घटक है, बेकार हो जाएगा और इसे बनाने के सरकार के उद्देश्य में मूल परिवर्तन हो जाएगा। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि वह 8वीं तथा 9वीं योजनावधि के लिए इस्पात तथा कच्चे लोहे की मांग को पूरा करेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार इस देश में कच्चे लोहे की मांग के बारे में सोच रही है, इस्पात की मांग के बारे में नहीं।

इस समय जो कुछ कहा गया है, उसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि उनका विचार कच्चे लोहे की मात्रा को बढ़ाना है ताकि 8वीं और 9वीं योजनावधि आदि में देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उसका अर्थ है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में आमूल परिवर्तन किया जा रहा है और यह अन्ततः कच्चे लोहे का बड़ा संयंत्र बन जाएगा। इसीलिए मैंने इसे विकृत या कटा-छंटा इस्पात संयंत्र कहा है। आंध्र प्रदेश तथा इस देश की जनता के समक्ष वास्तविक संयंत्र को विकृत रूप में रखा गया है।

सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय से कुछ जानना चाहता हूं। यह दावा किया गया है कि संयंत्र जून, 1990 के अन्त तक पूरा हो जायेगा। 1500 करोड़ रुपए की कटौती के बाद कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अभी तक करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 7वीं योजना अवधि में 2500 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 5000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह 1000 करोड़ रुपए अभी भी शेष बचेंगे। फिर यह कैसे संभव है कि वह 7वीं योजनावधि के दौरान ही संयंत्र को पूरा कर लेंगे ? मुझे आश्चर्य है। मैं उनका तर्क समझ नहीं पाया हूं। मेरा सबसे

[श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति]

बड़ा विवाद यही है। मंत्री महोदय के लिए किसी भी हालत में 7वीं योजनावधि में इस संयंत्र को पूरा करना संभव नहीं है। इसका काम 8वीं योजनावधि तक जारी रहेगा। उस मामले में इस पर पुनर्विचार करने, पुनः समीक्षा करने और वास्तविक धारणा तथा इसके गठन में संशोधन करने की तथा इसमें कटौती करके परिव्यय में भारी कमी करने की क्या जल्दी है? यह न अच्छा है न उचित। अतः मैं पुनः मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह पूरे मामले की जांच कराएं और इस पर पुनर्विचार करें।

मैं अन्य बात यह कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव की समूची कठिनाइयों को सभा के समक्ष, लोक सभा के सदस्यों के समक्ष रखा जाए। कम से कम परामर्श समिति में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। अब तक समिति को वैसा अवसर प्रदान नहीं किया गया था। इस समय मेरा सुझाव यह है कि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व मंत्री महोदय को दोनों सदनों में आंध्र प्रदेश के सदस्यों, सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुलाएं और इस मामले की पूरी चर्चा करें। उन्हें चर्चा कराने में क्या कठिनाई है? वास्तविकता यह है कि परामर्श समिति की हाल ही में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पृथक इस्पात संयंत्र के संबंध में, संबंधित सदस्यों के साथ तथा जिन सदस्यों की इसमें रुचि हो उनके साथ अलग से चर्चा की जाएगी। मंत्री महोदय को मेरे द्वारा स्मरण कराये जाने के बावजूद कोई चर्चा नहीं कराई गई है। अतः किसी एक सदस्य के साथ चर्चा कराने के अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय तथा लोक सभा तथा राज्य में आंध्र प्रदेश के सदस्यों के बीच चर्चा कराई जानी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करा पाते तो मैं मंत्री महोदय को यही सुझाव दूंगा कि हम स्वयं एक बैठक बुला लेते हैं और मंत्रालय तथा मंत्री महोदय उसमें पूरा विवरण देकर चर्चा में भाग लें। हमने अपने मामले, शंका और आशंकाएं बताई हैं। उन्हें इनका उत्तर देना चाहिए। जब तक इस मामले पर पूरी तरह चर्चा नहीं हो जाती और इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। उन्हें इस बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तब तक मंत्री महोदय को इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए। चूंकि यह मामला आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित है, अतः मुख्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है जिसका उत्तर अभी नहीं दिया गया।

माननीय मंत्री का कहना है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया और इसकी जांच हो रही है, मामला अभी विचाराधीन है। इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए गए थे। ऐसे कई मामलों में जिनमें कि अंतिम निर्णय न लिया गया हो और मामला विचाराधीन हो, सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दे देती है ताकि, लोगों के दिमाग में रोष न रहे। फिर इस मामले में सरकार ने ऐसा करने का निर्णय क्यों किया। क्योंकि उनके सोचने का तरीका वही है। वे अपने निदेशों के मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। वे संयंत्र का आकार कम करना चाहते थे। वे इसकी काट-छांट करना चाहते थे। यदि मंत्री जी का यही उद्देश्य है तो मुझे खेद है कि वे इस समस्या को सुलझा नहीं सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने रवैये को पुनः देखें। यह बिल्कुल गलत है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि संयंत्र की क्षमता 34 लाख टन से कम करके 30 लाख टन कर दी जाएगी। इसमें केवल 4 लाख टन की क्षमता कम की जाएगी अधिक नहीं।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान यूनिवर्सल बीम की ओर दिला सकता हूं जिसकी क्षमता 8 लाख टन है। यदि यूनिवर्सल बीम को हटा दिया जाये तो 8 लाख टन क्षमता कम हो जाती है। तो 34 लाख टन की क्षमता को कम करके 30 लाख टन ही क्यों रखा जा रहा है और कम क्यों नहीं किया गया।

इसके बाद व्यय की बात आती है। पहले कुल कितने व्यय की परिकल्पना की गई थी अनुमानित व्यय 7500 करोड़ रुपए था। इसमें से 1500 करोड़ रुपए बचाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग 20 प्रतिशत की बचत। तब इसका परिणाम यह कैसे हो गया कि केवल 4 लाख टन क्षमता कम हुई है। स्पष्ट है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आंखों के सामने नहीं हैं। इस प्रस्ताव का तात्पर्य सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। यही सही है। ये आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय को एक बात और बहुत साफ बताना चाहता हूं। यह प्रस्ताव किसने किया है? ये कहा गया था कि ये प्रस्ताव इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों द्वारा रखा गया था। यह बहुत बड़ी परियोजना है, देश में सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम और समुद्र तट पर स्थित ऐसी पहली परियोजना है जिसमें अत्यन्त आधुनिक उपकरण हैं। हम उस परियोजना की बात कर रहे हैं। क्या हम इसके आकार और क्षमता के प्रश्न को केवल विशाखापत्तनम के प्रबन्धकों के हाथों में ही छोड़ देंगे। क्या उन्हें इसकी क्षमता में कमी करने का प्रस्ताव रखना होगा? क्या आप इसे सही समझते हैं? क्या विशेषज्ञों के किसी सक्षम दल ने इसकी जांच की है? उनकी रिपोर्ट क्या है? उन्होंने इस मामले की जांच कब की? ये मामला यहां तक कैसे पहुंचा? क्या मन्त्री जी ये बातें बतायेंगे?

यह परियोजना सोवियत संघ के सहयोग से शुरू की जा रही है। क्या आपने उनसे विचार-विमर्श किया है। क्या आपने अपने परामर्शदाता दस्तूर एण्ड कम्पनी से परामर्श किया है? उनकी इस संबंध में क्या राय है? जिस प्रकार पूरी प्रक्रिया को छोटा करके इस्पात संयंत्र के स्थानीय प्रबन्धकों को प्रस्ताव देने की अनुमति दी जा रही है, उससे पूरे संयंत्र के आधार को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करें। पहले विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र की अनुमानित लागत 2256 करोड़ रुपये थी। बाद में इसे संशोधित करके 3897 करोड़ रुपए किया गया। इसमें और वृद्धि करके 7500 करोड़ रुपए किया गया। अंतिम संशोधन के समय सरकार कोई निर्णय न ले सकी। यह मामला $1\frac{1}{2}$ से दो वर्ष तक केंद्रीय सचिवालय में दबा रहा। सरकार कोई फैसला न कर सकी अब भी, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है। क्या आपने इस पर स्वीकृति दे दी है? यदि आप एक अनुमान पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते जो विभिन्न प्राधिकारियों के बीच से गुजरा हो और जिसमें $1\frac{1}{2}$ वर्ष या इससे अधिक का समय लगा हो, तो आप अचानक यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि इस्पात संयंत्र की क्षमता को कम किया जा सकता है और वो भी अचानक? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है...

सभापति महोदय : नियमानुसार आपके पास केवल 10 मिनट का समय बचा है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : अन्य सदस्य नहीं बोल रहे। मैं उनका समय ले रहा हूं।

हमें दिए गए एक नोट में सरकार ने कहा है कि "दक्षिण कोरिया में एक इस्पात संयंत्र पर कम पूंजी लागत आने का कारण अधिष्ठापित उपकरणों से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है।" अतः प्रश्न उत्पादन तथा उपयोग की अधिक प्रतिशतता का है। यह ऐसा प्रश्न है जो परियोजना के पूरा होने पर ही उठता है। प्रश्न क्षमता के पूर्ण उपयोग का है। कृपया अगली पंक्ति भी सुनें।

"इस बात को ध्यान में रखते हुए विशाखापत्तनम संयंत्र के प्राधिकारियों द्वारा संयंत्र की पुनः जांच की गई..."

संयंत्र प्राधिकारियों द्वारा सरकार अथवा विशेषज्ञ दल द्वारा नहीं। संयंत्र के प्राधिकारियों ने जांच की और अब उन्होंने इस परियोजना में कटौती करने का निर्णय किया है। "अतएव इसलिए परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा कुछ उपकरणों में 1500 करोड़ रुपए तक की कटौती करने का निर्णय किया गया।" उन्होंने उपकरणों में कटौती करने का फैसला किया। ये सब संयंत्र के प्राधिकारियों के कहने पर किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने यह सब किस हैसियत से किया। लेकिन उन्होंने ऐसा किया है और यही कहा जा रहा है।

हम अन्य मौके पर हमें एक नोट में यह बताया गया था कि रोजगार के अवसरों में बहुत कमी आई है। योजना आयोग के कार्यकारी दल ने पहले यह महसूस किया कि इस्पात संयंत्र की रोजगार क्षमता लगभग 21000 से कुछ अधिक होगी, और अब यह बताया गया है कि "इसकी उत्कृष्टता, आधुनिकता तथा उच्च तकनीक के कारण रोजगार क्षमता केवल 12000 होगी। मैं हमारे बीच परिचालित किए गए नोट में से संबंधित उद्धरण पढ़ता हूं :

> "उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों ने श्रम-शक्ति की आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर तक लाने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए एक अध्ययन किया।"

केवल प्रबन्धक ही श्रमशक्ति की आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना चाहते थे। यानि 22000 से 12000 तक। ऐसा अभूतपूर्व है। इस प्रकार ये सब हुआ। इसके तर्कसंगत परिणाम क्या हैं? पहली बार इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों को कुछ करने की अनुमति दी गई और उन्होंने रोजगार क्षमता में कमी कर दी। दूसरी बार अनुमति मिलने पर उन्होंने संयंत्र के आकार में कमी की। अगर उन्हें तीसरी बार मौका दिया गया तो पता नहीं संयंत्र का क्या होगा? संयंत्र का भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा।

मंत्री महोदय का कहना है कि इससे रोजगार क्षमता में बिल्कुल कमी नहीं होगी। ये मंत्री जी के वक्तव्य की प्रथम पंक्ति है :

"विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में बिक्री योग्य मिश्रित उत्पाद में परिवर्तन के बावजूद रोजगार के अवसरों में कटौती नहीं की गई।"

जहां तक रोजगार के अवसरों का सम्बन्ध है, मैं कुछ पूछना चाहूंगा—विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र जैसी बड़ी परियोजनाओं के संदर्भ में भारत सरकार की मूल नीति क्या है? एक वचनबद्ध नीति है। विस्थापित परिवारों से एक-एक सक्षम सदस्य को रोजगार प्रदान करना। ये आधारभूत नीति है। सदन में यही उत्तर दिया गया था। कई अवसरों पर हमें यही कहा गया था। आधारशिला रखते समय तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा यही वचन दिया गया था। यह आश्वासन दिया गया था कि विस्थापित परिवारों में से कम से कम एक सक्षम व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। स्टील अथारिटी को इस बात की जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपने पहले वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि 'भारत सरकार की नीति विस्थापित परिवारों के एक सक्षम सदस्य को रोजगार देने की है।' यह स्थिति है। 13000 विस्थापित परिवार हैं। इसलिए 13000 व्यक्तियों को अवश्य ही रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। किंतु अभी तक केवल 1300 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। शेष लोगों का क्या होगा? उस नीति का क्या हुआ जो आज नहीं वर्षों पहले बनी थी? क्या इसमें संशोधन किया गया है या इसे उल्टा कर दिया गया है? आपने नीति में संशोधन कब किया? ऐसा किसने किया? क्या आपने इस संबंध में लोक सभा को कभी सूचना दी है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवीय तत्व को भुलाया जा रहा है। लोग मशीनों के शिकार हो गए हैं, जिनकी सरकार पूजा करती है। आप गांधी जी के आदर्शवाद की बात करते हैं। हो सकता है आपने शुरू के दिनों में गांधी जी के आदर्शवाद का पालन किया। किंतु अब मनुष्य की कठिनाइयों को भुलाया जा रहा है। मानवता-मूल्यों को अनदेखा किया जा रहा है। विस्थापितों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। मैं मंत्री जी के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए एक बार फिर यही दोहराता हूं कि ऐसा करना मानवीय न होगा। उनके साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं किया गया। राऊरकेला में क्या हुआ? अन्य कई इस्पात संयंत्रों का क्या हुआ? सभी विस्थापित व्यक्तियों को राऊरकेला में रोजगार दिया गया। बोकारो और दुर्गापुर में भी ऐसा ही किया गया। भिलाई में भी विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। कुछ लोग अभी भी रहते हैं और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उन्हें शीघ्र ही रोजगार दिया जाएगा। किंतु केवल विशाखापत्तनम के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है।

मैं एक और पहलू की बात करता हूं। भिलाई में कितनी रोजगार क्षमता है? ये 40 लाख टन क्षमता वाली परियोजना है और इसमें 64769 लोगों को रोजगार दिया गया है। दुर्गापुर की क्षमता 16 लाख टन है और वहां 34905 लोगों को रोजगार मिला है। राऊरकेला की क्षमता 18 लाख टन है और रोजगार 39827 लोगों को दिया गया है। बोकारो की 17 लाख टन की क्षमता है और 35200 लोगों को रोजगार दिया गया है। जहां तक विशाखापत्तनम का संबंध है, इसकी क्षमता 634 लाख है—रोजगार क्षमता क्या है? केवल 12000? हमारी दशा खेदजनक और शोचनीय हो गई है। मैं यही कहना चाहता हूं।

मैं फिर से इस्पात संयंत्र के वार्षिक प्रतिवेदन का हवाला देता हूं। उसमें स्पष्टतया यह कहा गया है कि विस्थापितों के लिए ऐसा रोजगार ढूंढने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जो उनके लिए ठीक

[श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति]

हो। वे ऐसा रोजगार ढूंढना चाहेंगे जिसके लिए विस्थापित व्यक्ति ठीक हों। उन्होंने शर्तें नहीं बताई हैं। वे योग्यताएं मांगते हैं। योग्यताएं निर्धारित नहीं की गईं। जिस किसी काम के वे योग्य हों, उन्हें वही काम दे दिया जाएगा। इन कामों का पता लगाया जाएगा और फिर रोजगार दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति क्या है ? उनका कहना है कि इस्पात संयंत्र में केवल योग्य, सक्षम, उच्च तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जाएगा। क्या आपने अपनी नीति बदल दी है ? क्या आप मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में जो बताया गया है, उसे भूल रहे हैं। यह अनुचित है। इस संबंध में मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने इरादे पर पुन: विचार करें।

वार्षिक प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि—मैं वार्षिक प्रतिवेदन में से ही उद्धृत करता हूं—"विस्थापित व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यताओं तथा अन्य संबंधित विवरणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है।" किसलिए ? उनके लिए उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए, ताकि विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा किये जाएं। परियोजना के प्राधिकारियों का मूल उद्देश्य यही था। वे विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहते थे। वे उस उद्देश्य से शैक्षिक तथा प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना चाहते थे। यह बताया गया है। यही उनका मूल उद्देश्य था। उनका यही करने का विचार था। अब मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी का क्या विचार है। उन्होंने बिल्कुल ही अलग निर्णय लिया है। उनका तर्क है कि "जो कोई भी योग्य और सक्षम होगा उन पर ही विचार किया जाएगा।" इसका मतलब है शेष लोगों पर विचार नहीं किया जाएगा। उनका वर्तमान तर्क यह है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सही नहीं है। यह सरकार द्वारा लिए गए नीति निर्णय के अनुसार नहीं है। मैं एक और पहलू की बात करूंगा। मैं एक और बात कह रहा हूं जो उन विस्थापित व्यक्तियों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जो संकट में रह रहे हैं, कई वर्षों से मुखमरी के शिकार हो रहे हैं। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, केन्द्र सरकार तथा इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों द्वारा उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : सुझाव यह है कि केन्द्र सरकार को संयंत्र लगाना है। आप यही कहना चाहते हैं।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : यह समस्या पहले नहीं उठी थी। मैं जब भी बोलता हूं, मुझे पूरी सहानुभूति से सुनते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जो आपने कहा है उसे पढ़िए। आप इसे कल पढ़ेंगे।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मैं ऐसा अवश्य करूंगा। यह मेरे दिल की आवाज है। यह मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है। मेरा फर्ज है कि इस दयनीय स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाऊं। लोक सभा में उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे यह करना ही चाहिए। यह मेरा कर्त्तव्य है। किसी और कारण से मैं इस मामले को नहीं उठा रहा। ये सब स्थिति के मूलभूत कारण हैं।

मंत्री जी का क्या कहना है ? मंत्री जी का कहना है कि विस्थापितों को शैक्षिक और तकनीकी प्रशिक्षण देना आन्ध्र सरकार का कर्त्तव्य है। चलिए देखते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट में क्या उल्लेख है ? उसमें उल्लिखित है कि यह इस्पात संयंत्र प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है। आज मंत्री जी ने क्या कहा ? विस्थापितों को शैक्षिक और तकनीकी प्रशिक्षण देने का दायित्व राज्य सरकार का है। अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए वे अपनी जिम्मेवारी किसी और पर थोप रहे हैं। ऐसा करना उपयुक्त नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है।

1984 में कुछ कठिनाइयां होने पर एक बैठक का आयोजन किया गया था। वहां विचार विमर्श हुआ। विस्थापितों और जिला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श तथा चर्चा की गई। बैठक के कार्यवृत को रिकार्ड भी किया गया है। इसकी एक प्रति मेरे पास है। मैं इसमें से पढ़ता हूं :

> "विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का प्रबंध वर्ग 1984-85 से 1987-88 (4 साल) के दौरान शेष 3,861 विस्थापितों की भरती कार्यक्रम का पूरी तरह अध्ययन करेगा तथा इस संबंध में विस्थापितों के नेताओं और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को प्रबन्ध वर्ग आगे और चर्चा करेगा। इस प्रकार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र 1987-88 तक अपने यहां कुल 5,000 विस्थापितों, इस संयंत्र में रोजगार पा चुके 1139 व्यक्ति शामिल हैं, की भरती कर सकेगा।" मैंने कार्यवृत की प्रति में से पढ़ा है। इस पर प्रबंध निदेशक श्री के० आर० संगमेश्वरम्, निदेशक श्री एम० वी० राघवैया, निदेशक श्री एच० डी० ऐंडले तथा अन्य विभिन्न व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं।

क्या प्रस्ताव रखा गया था ? प्रस्ताव रखा गया था कि वे इस्पात संयंत्र में इनको खपाने के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करेंगे। इस पर स्वीकृति दी गई थी। लेकिन आज क्या हुआ ? मंत्री जी का क्या रवैया है। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में उनके द्वारा दिए उत्तर में से मैं पढ़ता हूं। मैंने प्रश्न पूछा था कि अगले तीन सालों में (क) इस्पात संयंत्र (ख) सहायक उद्योगों और (ग) अपना रोजगार कार्यक्रमों में कितने लोगों को खपाए जाने की संभावना है। देखिए मंत्री जी ने क्या उत्तर दिया :

> "परियोजना अभी निर्माणाधीन है। भरती की दर विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के शुरू होने रिक्तियों के स्वरूप अपेक्षित योग्यता करने वाले विस्थापितों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। यह बताना संभव नहीं है कि अगले तीन सालों में कितने लोगों की भरती की जाएगी।"

इससे पहले मैंने 1984 की बैठक का उल्लेख किया था। इस विशेष समझौते से पता चलता है कि परियोजना अधिकारियों को विस्थापितों की भरती के लिए वर्षवार प्रस्ताव तैयार करने पड़े। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा करना असंभव है। सारी समस्या के प्रति वे उदासीन हो गए हैं···

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिए···

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मैं एक और बात कहना चाहता हूं···

सभापति महोदय। आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : और सदस्य नहीं बोल रहे हैं, उनके समय को समायोजित किया जा सकता है···

सभापति महोदय : उनका समय मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अन्य सदस्यों को समय देने की स्वीकृति देने की प्रथा नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है। कृपया समाप्त करिए।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : सलाहकार समिति की बैठक में मामले पर चर्चा की गई थी। मैं बैठक के कार्यवृत में से पढ़ता हूं।

सभापति महोदय···

उस समय सभापति श्री बसंत साठे थे।

"सभापति महोदय ने बताया कि संयंत्र विस्थापितों के लगभग 5,000 आश्रितों को ही खपा सकता है। शेष के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता तथा निचले स्तर के तथा सहायक उद्योगों में रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। सदस्य महोदय ने कहा···"
अर्थात् मैंने कहा।

"सदस्य महोदय ने कहा कि अगर विस्थापितों को इस्पात संयंत्रों में रोजगार देना संभव नहीं है तो उन्हें कहीं और रोजगार दिया जाए। सभापति महोदय ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने राज्य मंत्री से अनुरोध किया कि वह एक महीने के अन्दर राज्य सरकार के साथ एक बैठक का आयोजन करें ताकि इस संबंध में एक कार्यक्रम तैयार किया जा सके कि इस समस्या को किस तरह हल किया जा सकता है।"

यह अगस्त महीने की बात है। उन्होंने कहा था—कि एक महीने के अन्दर इस निर्णय का क्या हुआ ? कई महीने बीत गए पर कोई परिणाम नहीं निकला। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें। योजना के आकार को छोटा नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन्हें सरकार के समर्थन की सख्त जरूरत हैं, जो विस्थापित है उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएं।

अंत में, समाप्त करने से पूर्व मैं एक और अति महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हर बार लगता है कि आप समाप्त करने वाले हैं पर आप दोबारा से

एक और बात शुरू कर देते हैं।

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इससे समस्त राज्य का संबंध है। बहरहाल मुझे आपके विनिर्णय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं बैठ जाता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें मैंने बहुत ध्यान से सुना है। इस परियोजना के संबंध में मैंने उनके साथ बहुत सी चर्चाएं की हैं, पर सम्भवत: मैं उन्हें यह समझाने में असफल रहा कि सरकार इस परियोजना को समय पर पूरा करना चाहती है और इसे व्यवहार्य बनाने के लिए तथा संसाधनों की दिक्कतों पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार इस परियोजना के लिए हर स्रोत से पैसा जुटा रही है।

वह अच्छी-खासी जानकारी रखते हैं। मुझे आशा नहीं थी कि वह इस्पात संयंत्र के बारे में इस तरह बोलेंगे। उन्होने कहा कि यह कच्चा लोहा आदि बनाने वाला संयंत्र है। शब्दाडम्बरों की भी सीमा होती है।

महोदय, पूर्व योजना के अन्तर्गत 3.40 लाख टन की तुलना में एक इस्पात संयंत्र—इस मामले में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र—की क्षमता 30 लाख टन तरल इस्पात होनी चाहिए। मैंने आंकड़े दिए है कि कच्चे लोहे की उत्पादन क्षमता .022 से बढ़कर 0.570 लाख टन सालाना हो जाएगी। बिक्री योग्य लोहा और इस्पात का उत्पादन भी विगत की तुलना में अधिक ही होगा कम नहीं। 3.20 लाख टन सालाना की तुलना में अब बिक्री योग्य लोहा तथा इस्पात का उत्पादन 3.23 लाख टन हो गया है। इसके बाद विशाखापत्तनम संयंत्र से लोहा तथा इस्पात की कुल बिक्री बढ़ेगी कम नहीं होगी।

उन्होंने कच्चे लोहे की उत्पादन क्षमता में वृद्धि पर आपत्ति की है। ऐसा नहीं है कि इसकी क्षमता में वृद्धि नये उपकरण को लगाने के कारण बढ़ी है। बात यह है कि संयंत्र के कच्चा लोहा उत्पादन वाले भाग को यथापूर्व रखा गया और उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या वह चाहते हैं कि इसमें कमी की जाए? क्या उनका यह सुझाव है, क्या उनका यह प्रस्ताव है? देश में कच्चे लोहे की जरूरत है और यह भी सही है कि किसी ने भी कच्चे लोहे की उत्पादन क्षमता में कमी करने की कोशिश नहीं की क्योंकि पैसे की बचत तो कहीं और भी की जा सकती है। संयंत्र के कच्चा लोहा भाग को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आशा है मेरे माननीय मित्र इससे सहमत होंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यूनिवर्सल बीम प्लांट के बारे में प्रश्न पूछा है। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि ·40 लाख से अधिक उत्पादन क्षमता होने के कारण अगर यह चालू रहता है तो कुल .04 लाख टन की कमी क्यों की गई है। पहली बात तो महोदय यह है कि 3.4 से तात्पर्य तरल इस्पात से है न कि बिक्री योग्य इस्पात से। इसके अलावा भी जरूरी मुद्दा यह है कि चाहे स्टील कन्वर्टर्स हो या रोलिंग मिल्स, कार्य क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और पूरा प्रयास यह रहा है कि वही उपकरण अधिक उत्पादन कर सके। इसलिए उसी उपकरण से रोलिंग मिल्स में उत्पादन बढ़ाना और इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाना सम्भव है। एक परिवर्तन किया गया है कि इस्पात पिघलाने की एक शॉप को बन्द कर दिया गया है। इस्पात पिघलाने की दूसरी शॉप की उत्पादन क्षमता बढ़ा दी गई है निजी कन्वर्टरों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा दी गई

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

है। यह सब किया गया है। यह एकीकृत इस्पात संयंत्र बना रहेगा।

महोदय, दुर्गापुर, भिलाई और राऊरकेला इस्पात संयंत्रों की आरम्भिक उत्पादन क्षमता 10 लाख टन थी जबकि यह इस्पात संयंत्र 30 लाख टन उत्पादन क्षमता से शुरू होगा। मेरे मित्र का कहना है कि यह संयंत्र कुछ नहीं बल्कि एक विकृत संयंत्र है। मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। महोदय, यह पूरी तरह से एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। उन्होंने एक और मामला उठाया है जो मामले के मर्म को छूता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कैसे हुआ कि आपने पूंजीगत लागत में 1,500 करोड़ रुपये की कमी की लेकिन इस्पात क्षमता को .40 लाख टन ही कम किया है। प्रस्ताव का यही तो सार है। प्रस्ताव का महत्व इसी में है कि पूंजीगत लागत में कमी करके हम अधिक मात्रा में इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है। और किस तरह से उत्पादन लागत में कमी करके संयंत्र को व्यवहार्य बनाया जा सकता है।

महोदय, मैंने सोचा था कि शिकायत करने की बजाय वह इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने समय के मामले को भी उठाया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा संयंत्र है जिसकी लागत 7500 करोड़ रुपये हो सकती है। अब इसकी लगत 6000 करोड़ रुपये हो जाएगी। सातवीं योजना में 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। 2000-2100 करोड़ रुपये के लगभग इस पर व्यय हो चुका है। इसलिए क्या सरकार इसे समय पर पूरा कर सकेगी? इसलिए उन्होंने यह भी कहा था कि जल्दी क्या है इसमें देरी होने दी जाए। एक जिम्मेदार सदस्य द्वारा यह विस्मय में डालने वाला वक्तव्य है। आपने कहा कि क्या जल्दी है? इसमें जल्दी किस लिए की जा रही है? (व्यवधान)

महोदय, मैंने उनके बोलने में व्यवधान नहीं डाला। अधिक समय लग जाने के कारण लागत में और वृद्धि हुई है। वस्तुतः सारे सदन ने सरकार और संयंत्र के प्रबन्ध वर्ग पर दबाव डाला है कि इस संयंत्र को समय पर पूरा किया जाए ताकि यह एक व्यवहार्य संयंत्र बन सके और इसकी लागत यथा सम्भव कम हो सके। सदन के सभी पक्षों की ओर से यही मुद्दा होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि यह तत्काल पूरा हो। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि क्या जल्दी है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मैंने यह नहीं कहा कि क्या जल्दी है मैंने कहा था कि क्षमता में कमी करने की क्या जल्दी है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन्होंने कहा था कि यह पूरा नहीं होगा। संसाधनों की कमी है इसलिए क्या जल्दी है। वह अपने कहे को पढ़ सकते हैं। मुझे आशा थी कि विशाखापत्तनम के मामले के लिए, जो न तो तेलुगुदेशम न ही आन्ध्र के मित्र का है, जोर लगाने के लिए वह मुझे धन्यवाद कहेंगे। मेरे विचार से यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और हमें इस पर गर्व है। इसलिए पैसे की कमी होगी तो वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री से कहेंगे और आपको और पैसा दिलाएंगे ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके।

1.00 म० प०

वह इसे एक व्यवहार्य परियोजना बनायेगा, जो आंध्र प्रदेश के हित में होगी, वह इस्पात संयंत्र के और देश के हित में भी होगी··· (व्यवधान)

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : यह तो प्रधान मन्त्री हैं जिन्होंने हमें सहायता दी है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हां, प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की वजह से हमें इस परियोजना के लिए धन प्राप्त हो सका।

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : और हमने उन्हें व्यक्तिगत रूप से और पत्रों द्वारा और अन्य प्रकार से कई मर्तबा धन्यवाद दिया है, मैं सदन में आज फिर से ऐसा कहता हूं। गत वर्ष निर्धारित राशि को बढ़ाने में उन्होंने हमारा समर्थन किया।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं खुश हूं, मैं आपसे कुछ कृतज्ञता प्राप्त कर सकूंगा··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केवल गत वर्ष ही नहीं, इस वर्ष भी प्रधान मन्त्री ने विजाग के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने में सहायता की। इस वर्ष भी आप उन्हें धन्यवाद दें, यही संगत होगा; केवल गत वर्ष ही नहीं, इस वर्ष भी। (···(व्यवधान), कुछ एहसानमन्द होने से इस वर्ष भी आपकी मनोदशा पर अच्छा असर रहेगा।

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : बजट सत्र के बहुत पहले ही इस्पात सचिव ने विशाखापत्तनम में ही इस वर्ष के बजट आंकड़े बता दिये थे। क्या मैं आपको समाचार पत्र दिखाऊं? क्या मुझे इस्पात सचिव अथवा मन्त्री को धन्यवाद देना चाहिए? इस्पात सचिव ने स्वयं ही समाचार पत्रों में घोषित किया कि 700 करोड़ रुपये इस वर्ष दिये जाने थे··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगर कुरनूल) : आप जोश में मत आइए। आप तो बहुत अनुभवी हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं जोश में नहीं हूं।

श्री वी० तुलसीराम : आपके टाइम में कुछ हो जाना चाहिए। आप कुछ दीजिए। नुकसान हो रहा है इसलिए हम जोश में आए हैं।··· (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आप भी काफी अनुभवी हैं, मेरे साथ रह चुके हैं बहुत साल भट्टम साहब भी मेरे साथ बहुत साल रह चुके हैं।

···(**व्यवधान**)

श्री वी० तुलसीराम : आपके टाइम में कुछ हो जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आपको याद नहीं होगा, जब 1970 में इसका एलान हुआ तो उस वक्त मैं ही इस्पात मंत्रालय में था।

श्री वी० तुलसीराम : इसीलिए कहता हूं कि कुछ हो जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमें आपकी मदद चाहिए, यह मैं कह रहा हूं।

श्री वी० तुलसीराम : हम आपके साथ हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं भी वही कह रहा था।

···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

मेरे मित्र ने कहा कि मुझे लोक सभा के सदस्यों से मिलना चाहिए, किन्तु उन्होंने यह उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं समझी कि केवल गत सप्ताह या दस रोज पहले मैं उनके साथ-साथ तेलगु-देशम के सभी सदस्यों से मिल चुका हूं और इस खास परियोजना की चर्चा की।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : बिलकुल नहीं और इस प्रश्न पर नहीं···(**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस प्रकार आगे कैसे बढ़ूंगा ?

सभापति महोदय : प्रत्येक चरण पर उनका विरोध न करें। भट्टम जी, मन्त्री को सुनें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने विजाग संयंत्र की चर्चा की।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : हमने विस्थापित व्यक्तियों की चर्चा की।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हां, हमने विस्थापित लोगों की समस्या पर चर्चा की जो कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मुख्य मुद्दा है। आप इसे पढ़ सकते हैं; यह आपका प्रस्ताव है।

जैसा मैंने कहा, उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया। मैं उन्हें या किसी अन्य सदस्य को मिलने का हमेशा इच्छुक रहता हूं। मेरा उन्हें न मिलने का प्रश्न ही नहीं है। मैं उनसे हमेशा मिला हूं और उन्हें जिस समय भी वे मिलना चाहें, पूरी छूट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह उन्हें कहना चाहिए था, क्योंकि हमने चर्चा की थी।

उन्होंने दक्षिण कोरिया का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि संयंत्र अधिकारियों को दक्षिण कोरिया में उपकरणों का अधिकतम लाभ उठाने की बात को ध्यान में रखते हुए उपकरण की जांच हेतु सुझाव देने चाहिए थे। जो कुछ हुआ वह इस प्रकार है। जब संयंत्र के लिए अनुमानित खर्च तीन हजार करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि से 7500 करोड़ रुपये तक बढ़ गया और वर्तमान संसाधनों की कमी के कारण इस संयंत्र को न केवल 1991 तक पूरा करने में असमर्थता देखी गई, अपितु इस पर अगले तीन-चार सालों तक भी कार्य चालू था, तब एक दल दक्षिण कोरिया भेजा गया था। इस्पात संयंत्र के इस्पात सचिव, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने एक उत्कृष्ट इस्पात संयंत्र जो कि दक्षिण कोरिया में एक आधुनिकतम इस्पात संयंत्र है का दौरा किया। उन्होंने अपने संयंत्र को जल्दी निर्धारित समय में पूर्ण करने और एक उच्च स्तरीय तकनीकी कार्यक्षमता प्राप्त करने और कार्य-निष्पादन बनाये रखने और कीमत नीचे लाने के लिए उनके द्वारा उपयोग लायी गई तकनीक का अध्ययन किया। वे वास्तव में एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूं, हमारे सभी मित्र जो इस विषय में उत्सुक हैं उस विशेष इस्पात संयंत्र के बारे में जानते हैं और उनके वापस आने के उपरान्त ही इन प्रस्तावों को रखा गया। तकनीकी लोगों द्वारा संयंत्र चलाने हेतु इन सुझावों पर उनकी आपत्ति को मैं नहीं समझ पाया हूं। और कौन इन सुझावों को देगा? और कौन संयंत्र से इतनी अच्छी तरह वाकिफ है? यह स्वाभाविक है कि जो लोग संयंत्र को चलाते हैं उन्हें कीमत कम करने के उपायों पर विचार करने हेतु बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जब वे कुछ प्रस्तावों के संग आगे आएं, जैसा उन्होंने स्वयं कहा है तब सरकार द्वारा, सलाहकारों द्वारा उन पर विचार किया जाए, केवल वे ही अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। उन्होंने फैसले का जिक्र किया। वह अच्छी तरह जानते हैं कि वे स्वयं महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। निःसन्देह सुझाव उनकी ओर से आने हैं। चाहे हमारे पास कुछ सुझाव हों, पर सुझाव हमें उनके पास भेजने पड़ेंगे ताकि वे उनका स्थानीय परिस्थितियों, उपकरणों इत्यादि को ध्यान में रख कर निरीक्षण कर सकें। अतः इस आपत्ति में मुझे कोई तथ्य नहीं दिखता। तब उन्होंने पूछा कि क्या किसी और ने भी इसकी जांच-पड़ताल की है और उन्होंने दस्तूर एण्ड कम्पनी का जिक्र किया। यह तर्कसंगत सिद्धान्त विजाग इस्पात संयंत्र द्वारा अपने प्रमुख सलाहकारों, दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ विचार-विमर्श द्वारा तय किया गया था।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : सोवियत संघ से भी विचार-विमर्श किया गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सोवियत संघ की भी सलाह ली गई है और वे सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गए हैं। वास्तव में दस्तूर मुझे मिले थे और मैंने पहली बार जाना था कि तर्कसंगत प्रस्ताव स्वयं दस्तूर की ओर से था। उसने मुझे एक ग्राफ दिया जिससे मुझे ज्ञात हुआ कि यह विशेष परिवर्तन संयंत्र को किस प्रकार अधिक व्यवहार्य बनायेगा। वही व्यक्ति सर्वप्रथम यह प्रस्ताव मेरे पास लेकर आया। तब रोजगार क्षमता का प्रश्न सामने आया। उसने कई बैठकों का जिक्र किया जो हो चुकी थीं और उसने कहा कि राऊरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों में तमाम विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दे दी गई थी। यहां मेरे पास विस्थापित व्यक्तियों के आंकड़े हैं। भिलाई में, संख्या 3791 है। दुर्गापुर में यह 2150 है और राऊरकेला में संख्या 4665 है। अतः ये आंकड़े हैं जो मेरे पास हैं।

श्री पीयूष तिरकी : बोकारो की क्या स्थिति है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बोकारो में संख्या अधिक है। यह 14512 है। भिलाई और राऊरकेला संयंत्र 20 साल पुराने संयंत्र हैं। इसके अलावा यह एक विवाद का विषय है और मैं विवाद के विषयों का जिक्र नहीं करना चाहता। वास्तविकता यह है कि वर्तमान इस्पात संयंत्रों की पूंजी लागत उन इस्पात संयंत्रों की पूंजी लागत की अपेक्षा बहुत अधिक है। मेरे साथी यह जानते हैं। पूंजी लागत उत्पादन लागत में विशेष वृद्धि करती है और इसलिए यदि हमें इस्पात बेचना है तो इस्पात का उत्पादन एक निश्चित उत्पादन लागत स्तर पर करना होगा। जब पूंजी लागत इतनी ऊंची जाती है तो स्पष्टतया परिचालन लागत कम करनी पड़ेगी। और यदि हम परिचालन लागत को कम करने की कोशिश नहीं करते हैं तब निःसंदेह हम इस्पात नहीं बेच पाएंगे और प्रारम्भ से ही विजाग एक सफेद हाथी होगा। मेरा विचार है कि हममें से यह कोई नहीं चाहता। अतः यह हमारे सामूहिक हित में है कि हम देखें कि यह संयंत्र कुशल ढंग से चलाया जाये और यह केवल उतने ही व्यक्तियों को नियोजित किया जाये जितने व्यक्तियों की इसे आवश्यकता है। इस पर क्या आपत्ति हो सकती है ? किसी को अनावश्यक भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। किसी को अनावश्यक रूप से संख्या घटानी भी नहीं चाहिए परन्तु अनावश्यक भीड बढ़ानी भी नहीं चाहिए। अन्ततः इस सभा की यह नीति नहीं हो सकती, इस सरकार की यह नीति नहीं हो सकती और हमारे देश की भी यह नीति नहीं हो सकती।

तब मेरे साथी ने दो बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केवल तकनीकी तौर पर दक्ष लोगों को ही एक अवसर मिलेगा। यह भी उसने मेरे मुंह से ही कहलवाया। उसने कहा कि ऐसा मैंने कहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। मेरे वक्तव्य में आपको यह नहीं मिलेगा। मैंने केवल यह कहा था "जो योग्य है।" जो योग्यता प्राप्त नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जायेगा। अब विषय का सार यह है कि चयन के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की छूट दी गई है। और मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि प्रशिक्षण के संदर्भ में छूट के साथ-साथ विस्थापित व्यक्तियों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह दूसरी बात है जिसका उसने जिक्र किया था। अब मैं विभिन्न रियायतों को पढ़कर सुना सकता हूं। परन्तु मैं बीच-बीच में उल्लेख करूंगा। उदाहरण के तौर पर एक रियायत यह है कि न्यूनतम निर्धारित योग्यता दसवीं के साथ आई० टी० आई० योग्यता प्राप्ति है, इसकी तुलना में विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके पास आई० टी० आई० की योग्यता है परन्तु वे मैट्रिकुलेट नहीं हैं, को भी कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थियों के रूप में लिया गया था। साथ ही जो वाञ्छित योग्यता प्राप्त थे परन्तु जो वी० एस० पी० परीक्षाएं पास नहीं कर पाये, उनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : अब आई० टी० आई० में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक स्तर में छूट से सम्बन्धित एक प्रस्ताव केन्द्र के पास विचाराधीन है। आप उस पर भी विचार कर सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : तब महोदय, सामान्यतया जो चालक आठवीं कक्षा पास हैं और कुछ अनुभव प्राप्त हैं, चालक के रूप में भर्ती किये जा रहे हैं। परन्तु विस्थापित व्यक्तियों के पास भारी वाहन चालन लाइसेंस होना चाहिए और वे अंग्रेजी में दी गई हिदायतों को पढ़ने में सक्षम होने चाहिएं। यह सब कुछ है जो वाञ्छित है।

चालकों का आठवीं पास होना आवश्यक है, परन्तु विस्थापित व्यक्तियों को फिर एक छूट

दी गई है, वह उनकी आयु सीमा में छूट के बारे में है।

अब, मेरे साथी आई० टी० आई० प्रशिक्षणार्थियों की ओर इशारा कर रहे हैं। विस्थापित व्यक्तियों की आयु सीमा, योग्यताओं और दूसरे क्षेत्रों में छूट दी गई है। मैं अनावश्यक रूप से सभा का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि हम समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं हैं। हम सब कर रहे हैं जो हम देख सकते हैं कि इन लोगों को रोजगार दिया गया है परन्तु कुल संख्या को मद्देनजर रखते हुए और योग्यताओं की परिसीमा में।

अब मैं चाहूंगा कि मेरे साथी ये समझें कि कुल संख्या जो लगभग 15,000 है में से निर्माण कार्य में लगी मानवशक्ति 13,000 की आवश्यकता है और खान प्रशासन को मिलाकर कुल जरूरत 15,000 व्यक्ति है। इसमें से उच्च तकनीकी दक्षता प्राप्त लोग 12,900 हैं अर्थात् जो आवश्यकता है, अतकनीकी सहायता इत्यादि 1,000 हैं, अदक्ष 1,100 हैं। जब अप्रशासनिक पदों के लिए चयन किया गया, 1,027 अदक्ष चयनित व्यक्तियों में से 955 विस्थापित व्यक्ति हैं। परन्तु जब आप उच्च दक्षता प्राप्त लोगों को लेते हैं तो 200 में से केवल चार विस्थापित व्यक्ति हैं क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों में उच्च दक्षता प्राप्त लोग नहीं हैं। अतः इस बारे में कोई क्या कर सकता है? अदक्षता प्राप्त श्रेणी में विस्थापित व्यक्तियो को लेना आसान है परन्तु उच्च दक्षता प्राप्त श्रेणी के पदों के लिए यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, कोई उनको कैसे ले सकता है? अतः यह व्यवहारिक समस्या है जिसका सामना करना पड़ता है। उनको श्रेणीबद्ध करना पड़ेगा। आप उनके आंकड़ों का ढेर नहीं लगा सकते और यह नहीं कह सकते कि नहीं-नहीं प्रत्येक को नौकरी अवश्य देनी पड़ेगी। मेरे पास पूरे आंकड़े भी हैं। हमने 1,383 विस्थापित व्यक्तियों का चयन किया है। फिर एक विशेष रोजगार विभाग है जो विशेष तौर पर केवल उनके लिए ही खोला गया है। और उस विशेष रोजगार विभाग के चालू रजिस्टर में विस्थापित व्यक्तियों की संख्या 7,870 है। अब मैं इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा। इन 7,000 से कुछ अधिक व्यक्तियों की अलग-अलग योग्यता का हिसाब करना पड़ेगा और यह अलग-अलग योग्यता क्या है यह मैं अब आपको बताऊंगा।

मानविकी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त	—	19
मानविकी में उपाधि प्राप्त	—	120
तकनीकी उपाधि प्राप्त	—	8
डिप्लोमा प्राप्त	—	29
तकनीकी प्रशिक्षणार्थी	—	382
दसवीं पास तथा इसके ऊपर	—	500
आठवीं कक्षा पास तथा इससे ऊपर	—	770
पढ़े-लिखे	—	1453
अशिक्षित	—	4589

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

यह निश्चित रूप से कुछ सीमाएं सामने आती हैं। अतः इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए हम चयन योजना के अन्तर्गत जितने अधिक विस्थापित व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं, उसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे। परन्तु निश्चित रूप से यहां बैठे मेरे साथियों में से किसी ने भी इन समस्याओं का सामना नहीं किया होगा। और योजना हित में मुझे कुछ निर्णय लेने होंगे जो शायद आज उनको पसन्द के नहीं होंगे। परन्तु यदि वे इस विषय में ठंडे दिमाग से विचार करें तो मेरा विचार है कि वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

महोदय, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है कि शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। मैंने सोचा कि तेलगुदेशम् राज्यों के अधिकारों के प्रति बहुत सचेत हैं और शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण को केन्द्र सरकार को सौंपना पसंद नहीं करेगी।

अगर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया हो—मैं भूतपूर्व राज्य शिक्षा मन्त्री से बात कर रहा हूं—मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : जिस हद तक आप यह अवसर उन लोगों को नहीं देते, हमारा मत विरोधी है···

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या आप चाहेंगे कि शिक्षा केन्द्र के हाथ में आ जाये ?

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : आपने जो जिम्मेदारी ली है मैं उसका हवाला दे रहा हूं। आप इससे बच नहीं सकते।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न से बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि शिक्षा का काम केन्द्र अपने हाथ में ले ले ? अन्यथा यह राज्य की जिम्मेदारी है। अथवा प्रौद्योगिक शिक्षा ? मैं इसका स्वागत करूंगा। क्या आप ऐसा करेंगे ?

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : विस्थापित लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। आप इसके लिए बचनबद्ध हैं। जहां कहीं भी अपना वचन दिया है वहां पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपने शिक्षा का हवाला क्यों दिया ? आपने शिक्षा विषय छोड़ दिया है। जब सभा में शिक्षा नीति पर चर्चा का समय आयेगा तो हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आपको अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मुझे यह मालूम है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जब आप इस बात पर आपत्ति करते हैं कि शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, यह अवश्य ही किसी की जिम्मेदारी होगी। शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस पर आपत्ति होने का प्रश्न ही कहां उठता है ?

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : मैं आपके अपने वार्षिक प्रतिवेदन से पढ़ रहा हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यही मैं कह रहा हूं इस बात पर आपत्ति कैसे हो सकती है ?

अन्त में, उन्होंने कहा कि श्री साठे ने विस्थापित लोगों के लिए अवसर देने के लिए राज्य सरकार से सहयोग करने के सम्बन्ध में बातचीत की है। मैंने यही बात कही है। सहायक उद्योगों इत्यादि के विकास के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए। मूल रूप से हमें यह समझ लेना चाहिए कि विस्थापित लोगों की, देश की प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में, जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। यह कोई नई बात, या कोई नई नीति नहीं है। हमेशा से ऐसा ही है। हम हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं; और हम सहयोग करेंगे। परन्तु निश्चित ही राज्य सरकारों को हमारे साथ परामर्श करना होगा; उन्हें हमसे पूछना होगा; हम उनसे बातचीत करेंगे। इस तरह से जहां कहीं हम सहायता कर सकते हैं, हम सहायता करेंगे। ये विभिन्न मापदण्ड हैं जिनके अन्दर रहकर यह समस्या हल की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : इन्होंने क्या बोला, आपने क्या बोला, इसको छोड़िए, तकरार में मत पड़िए, वहां जो जमीनें गई हैं, गरीब लोगों को परेशानी है, उनके साथ न्याय कीजिए, यही मैं आपसे चाहता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आइन्दा से अपना समय इनको मत दीजिए, खुद सवाल पूछिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।

1.15 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86
तथा
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1983-84

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मद संख्या 11 और 12 पर एक साथ चर्चा की जायेगी, अर्थात्

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1983-84।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

(1) "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

मांग संख्या 1, 2, 9 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 97, 98, 99, 101, और 105"

(2) कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियो से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या "17, 20, 22, 23, 34, 40, 57, और 78"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय		**राजस्व रुपए**	**पूंजी रुपए**
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	6,43,000	...
2.	कृषि	8,59,61,000	...

1	2	3	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	151,02,29,000	98,26,00,000
वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय			
10.	वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय	12,73,000	...
11.	विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन	2,000	...
12.	वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग	27,44,34,000	9,06,53,000
13.	पूर्ति और निपटान	35,00,000	...
संचार मंत्रालय			
16.	डाक सेवाएं	...	1,58,00,000
17.	दूर संचार सेवाएं	...	36,00,00,000
रक्षा मंत्रालय			
18.	रक्षा मंत्रालय	42,17,24,000	37,74,00,000
19.	रक्षा-पेंशनें	4,38,50,000	...
20.	रक्षा सेवाएं-सेना	153,89,90,000	...
22.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	38,34,50,000	...
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	13,92,00,000
शिक्षा मंत्रालय			
25.	शिक्षा	6,000	...
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय			
27.	वन तथा वन्य जीवन विभाग	...	1,08,00,000

1	2	3	
विदेश मंत्रालय			
28.	विदेश मंत्रालय	17,64,94,000	10,83,00,000
वित्त मंत्रालय			
29.	वित्त मंत्रालय	1,04,14,000	...
30.	सीमा-शुल्क	8,71,32,000	29,50,000
32.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर	7,38,10,000	...
33.	स्टाम्प	74,59,000	...
34.	लेखा परीक्षा	6,97,98,000	...
35.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	57,99,07,000	13,32,63,000
36.	पेशनें	28,71,73,000	...
38.	राज्य सरकारों को अन्तरण	259,44,25,000	...
40.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	...	48,79,00,000
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय			
41.	खाद्य विभाग	10,48,32,000	1,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
43.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	1,75,000	...
44.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	5,000	12,83,88,000
गृह मंत्रालय			
46.	गृह मंत्रालय	41,92,000	...
47.	मन्त्रिमण्डल	1,56,99,000	...

1	2	3	
48.	पुलिस	60,02,38,000	...
49.	अन्य प्रशासनिक और सामान्य सेवाएं	45,74,70,000	5,63,86,000
51.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	17,98,49,000	10,27,23,000
52.	दिल्ली	5,88,00,000	30,66,66,000
53.	चंडीगढ़	9,01,99,000	8,83,43,000
54.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,97,07,000	...
56.	लक्षद्वीप	54,30,000	25,93,00
उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय			
57.	उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय	3,00,000	...
58.	उद्योग	...	50,25,00,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
60.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	16,41,000	...
62.	प्रसारण	27,53,24,000	5,18,01,000
सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय			
63.	सिंचाई विभाग	1,000	...
श्रम मंत्रालय			
65.	श्रम मंत्रालय	3,11,000	...

1	2	3	
	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
73.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	1,000	...
76.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग	36,00,000	1,30,00,000
77.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	4,35,01,000	...
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
78.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	29,47,000	...
79.	सड़कें	14,96,24,000	4,11,82,000
80.	पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन	38,23,84,000	95,78,19,000
81.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	...	1,64,00,000
	समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय		
82.	समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय	8,90,52,000	...
	इस्पात खान और कोयला मंत्रालय		
83.	इस्पात विभाग	63,17,92,000	45,13,50,000
84.	खान विभाग	...	9,43,46,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
87.	विमानन	...	17,05,60,000

1	2	3	
निर्माण और आवास मंत्रालय			
89.	निर्माण और आवास मंत्रालय	7,56,000	...
90.	लोक निर्माण	...	3,000
92.	आवास और नगर विकास	1,000	1,000
93.	लेखन सामग्री और मुद्रण	8,22,46,000	...
संस्कृति विभाग			
97.	संस्कृति विभाग	1,000	...
98.	पुरातत्व	55,80,000	...
इलेक्ट्रोनिकी विभाग			
99.	इलेक्ट्रोनिकी विभाग	64,81,000	...
कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग			
101.	कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग	1,27,29,000	...
संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग			
105.	राज्य सभा	22,50,000	...

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1983-84 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
		रुपए
I राजस्व खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय		
20.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	15,87,57,204
22.	रक्षा सेवाएं-पेंशनें	15,26,44,781
40.	पेंशनें	3,51,01,906
57.	चण्डीगढ़	7,01,44,453
78.	सड़कें	33,36,832
II पूंजी खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय		
17.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	4,81,28,839
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	28,06,91,426
34.	सीमा शुल्क	72,70,828
57.	चण्डीगढ़	5,34,21,491

सभापति महोदय : अब श्री नामग्याल।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, सप्लीमैंटरी डिमांड्ज फार ग्रान्ट्स, 1985-86, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें 66 ग्रान्टस हैं और 3 एप्रोप्रियेशन हैं जिसका

खर्चा 2809.75 करोड़ का है जो कि हमारे हाउस के सामने रखा है।

इन 66 ग्रान्ट्स को कवर करना मुश्किल होगा, इसलिये मैं 2,3 ग्रान्ट्स पर अपने ख्यालात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली ग्रान्ट सिविल एवीएशन पर जो आपने रकम मांगी है, उस पर मैं अपने चन्द ख्यालात रखना चाहता हूं। इसमें आपने कहा है कि हेलीकाप्टर कारपोरेशन जो कि आप सैट-अप करने जा रहे हैं, उसके लिए रकम चाहिए। उसको आपने पिछले साल अमल में लाना था, शायद नहीं ला पाये, इसलिये अब रकम मांगी है।

जहां तक हेलीकाप्टर कारपोरेशन का सवाल है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी जो दो एयरलाइंस और वायुदूत सर्विस हैं, वह अभी ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। इस पर अभी आपको और तवज्जह देने की जरूरत है। आपकी जब तक एयर इंडिया, इंडियन एयर-लाइंस और वायुदूत सर्विस पूरी तरह इस्टैबलिश न हो जायें तब तक हेलीकाप्टर कारपोरेशन सैट-अप करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं इससे लोगों को और सरकार को कितना फायदा होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि सरकार के जो एग्जीक्यूट क्लास के लोग और बड़े-बड़े अफसर लोग है, वही लोग हेलीकाप्टर में सफर करेंगे। कल ही राज्य-सभा में श्री टाइटलर साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि इंडियन एयरलाइंस के जो पैसेंजर्स हैं उसमें से सिर्फ 2 परसेंट आम लोग सफर करते हैं। बाकी जो 98 प्रतिशत हैं वह सारे सरकारी अफसर, बड़ी-बड़ी कम्पनियों के अफसर और सेक्रेट्रीज आदि ही सफर करते हैं। आपकी हेलीकाप्टर सर्विस किस तरह कामयाब होगी, कहा नहीं जा सकता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप इसमें सोच-समझ कर प्लान बनायें।

आज के पेपर में मैंने पढ़ा है कि आप डोरनियर एयरक्राफ्ट यहां पर असेम्बल करने जा रहे है बाहर से लाये गये डोरनियर जहाज से कीमत दुगना होना बताते हैं क्योंकि स्पेयर पार्ट्स पर काफा टैक्स लगाया है मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी प्लैनिंग को ठीक ढंग से नहीं बनाया गया है। इसपर आपको ध्यान देना चाहिए।

जहां तक इंडियन एयरलाइंस का सवाल है, उसके सम्बन्ध में चन्द बातें आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। आज तकरीबन इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें देश के सभी हिस्सों को कवर करती हैं। मेरी कन्सटीचूअंसी यानी लद्दाख एरिया, एक ऐसा एरिया है जो कि साल में 6-7 महीने बन्द रहता है। उसके लिए कोई और दूसरा सोर्स आफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। सर्दियों में जब वहां पर बर्फ पड़ती है तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं जिससे वहां कोई जा नहीं सकता है। मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूं कि वहां के लिए इंडियन एयरलाइंस की सर्विस को बढ़ाया जाये। इस वक्त हफ्ते में पांच बार सर्विस चलाते हैं दो चण्डीगढ़ के रास्ते और तीन सर्विसेज श्रीनगर के रास्ते लेकिन उसमें भी इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि सीटें ही नहीं मिलती हैं।

यह भी एक हकीकत है कि वहां का एरिया इस तरह का है कि विन्टर मंथ्स में दिसम्बर के

[श्री पी० नामग्याल]

बाद लोग वहां से आना शुरू होते हैं और यहां से तकरीबन कम लोग भी जाते हैं। और जनवरी के बाद ऐसी स्थिति होती है कि यहां से जाने वाले ज्यादा हैं लेकिन वहां से जहाज में आने वाले बहुत कम हैं। तो कोई न कोई बहाना बनाकर वहां की सर्विसेज नहीं बढ़ाई गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लद्दाख को देश का एक हिस्सा समझते हैं तो आपको इस बात पर गहराई के साथ सोचना चाहिए कि आखिर हमें भी कोई मीन्स आफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसको कोई नहीं सोचता है। इस वक्त चण्डीगढ़ में बहुत सारे पैसेंजर्स फंसे पड़े हैं। इन सर्विसेज को ज्यादातर पैरा मिलिटरी फोर्सेज—जैसे आई० टी० बी० पी०) (I. T. B. P.) के लोग यूटिलाइज करते हैं। कुछ दिनों में आर्मी पर्सोनेल की फेमिलीज वहां पर जानी शुरू हो जायेंगी। यह जो पैरा मिलिटरी फोर्सेज के लोग हैं या आर्मी पर्सोनेल की फेमिलीज हैं वे 50 परसेन्ट कन्सेशन पर वहां जाते हैं। एअर लाइन्स को इसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यह एक हकीकत है लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसी बात है कि आई० टी० बी० पी० (I. T. B. P.) वाले जो हैं उनकी ओर से होम मिनिस्ट्री इस नुकसान को मीट करे क्योंकि इसकी वजह से हमको तकलीफ उठानी पड़ती है। उसी तरह से डिफेन्स पर्सोनेल के जो फैमिली मैम्बर कन्सेशन पर जाते हैं उनके लिए डिफेन्स मिनिस्ट्री नुकसान को मीट करे। नतीजा यह है कि इन लोगों के पास सारे प्राविजन्स हैं—ट्रांजिट कैम्प है, खाने के लिए भी इन्तजाम है और जब भी चाहें तब उनका नाम वेटिंग लिस्ट में डाल कर रख दिया जाता है लेकिन हमारे जेन्युइन पैसेंजर्स को सीटें नहीं मिलती हैं। इनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती और पैसा एग्जास्ट (exhaust) होकर दर-बदर होना पड़ता है। तो इसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। यह 50 परसेन्ट कन्सेशन वाली जो बात है उसकी वजह से इन सर्विसेज को लास पर चलाना पड़ता है जिसका खमयाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। इंडियन एअर लाइन्स को अगर कुछ लास होता है तो डिफेन्स मिनिस्ट्री वाले और होम मिनिस्ट्री वाले उसको मीट करें। इससे जनरल पब्लिक को फायदा पहुंचेगा।

एक दूसरी गुजारिश यह है कि वहां के लिए जो सर्विस है—एक चण्डीगढ़ से और एक श्रीनगर से—उसको बढ़ा देने से यानी डेली सर्विस कर देने से आपको फायदा होगा। उस रूट पर आप फारेन एक्सचेंज भी कमाते हैं। इस देश में जो फारेनर्स आते हैं वे लद्दाख जरूर जाते हैं, इंडियन एयर लाइन्स के प्लेन से ही जाते हैं। वे श्रीनगर या दूसरी जगहों को जाना नहीं चाहते लेकिन तिब्बत जबसे चाइना के कब्जे में चला गया है तबसे अगर कुछ तिब्बत के कल्चर का नमूना रह गया है तो लद्दाख ही रह गया है इसलिए उसको वे जरूर देखना चाहते हैं। पंजाब में जब इतने फसादात और गड़बड़ी चली उसके बावजूद वे लोग सीधे दिल्ली से लद्दाख जाते थे और वापिस आ जाते थे। तो आप इन फारेनर्स से काफी फारेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। हर साल कम से कम बीस तीस हजार फारेनर वहां पर जाता है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए···(व्यवधान) अभी तो मैं एक ही प्वाइन्ट पर बोला हूं। एक दो आगे प्वाइन्ट्स पर और बोलना है। थोड़ा-सा टाइम और दीजिए।

अब मैं आपसे केवल दो ही बातें और कहना चाहता हूं। एक बात मैं मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे लेह में रेडियो स्टेशन भी है और लद्दाख में दो टी० वी० रिले स्टेशन भी है। हमारे लिए जो टी० वी० रिले स्टेशन दिया है, उसके लिए हम मशकूर हैं, लेकिन लेह में जो टी० वी० का ट्रांसमीटर लगा है, वह ऐसी जगह पर लगा है, जिससे आम लोगों में कवरेज नहीं होता है। यदि आप इस ट्रांसमीटर को 'स्मतोक' में शिफ्ट कर दें, जो कि दरिया के पार है, तो उससे 50 परसेंट से ज्यादा पोपुलेशन कवर होगा! इस वक्त जो टी० वी० कवरेज हो रहा है, बीच में छोटी-छोटी पहाड़ियां आ जाने की वजह से कवरेज नहीं हो रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप इस तरफ तवज्जह दें।

तीसरी बात, रेडियो स्टेशन में आपने मखौल बनाकर रखा हुआ है। न वहां पर स्टेशन डायरेक्टर है, न न्यूज एडिटर है और टैक्नीकल एडवाइजर भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे इसको आपने नैग्लैक्ट करके रखा हुआ है। इस मौजू पर मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं, लोग बोर्डर पार के रेडियोज को ज्यादा सुनने लगे हैं। हमारे ट्रांसमीटर की पावर ज्यादा नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे मशीनें घिस गई हैं, खराब हो गई हैं। इसलिए मशीनों को बदलने की जरूरत है। उसको थोड़ा अच्छे ढंग से चलाने की जरूरत है। जो वहां पर जाने वाले अच्छे आफिसर हैं, उनको आप एलाउन्सेस दीजिए। एलाउन्सेस नहीं देंगे, हाई एल्टीचूड एरिया है, वहां पर कोई नहीं जाएगा। लोगों का वहां ट्रांसफर होता है, लेकिन मैडिकल सर्टिफिकेट देकर वे लोग दिल्ली में ही बैठे रहते हैं और वहां की पोस्ट खाली पड़ी रहती है। इसलिए इस तरफ भी आपको देखने की जरूरत है।

अन्तिम बात मैं हैल्थ मिनिस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। डिटेल में न जाते हुए, मैं सिर्फ दो-तीन मुद्दों की तरफ ही आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की हालत ऐसी है, वहां लोगों को बैठने तक की सुविधा नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में तीन-तीन पेशेंट एक-एक बैड पर रखे गए हैं। वहां की लिफ्ट की हालत ऐसी है कि वह चलती तक नहीं है। मरीजों को तीसरी मंजिल तक उठाकर ले जाना पड़ता है। कई बार लिफ्ट आउट-आफ-आर्डर भी पाई गई है। स्टाफ में काम करने वाले खासकर जूनियर डाक्टर, नर्सेस और कम्पाउन्डर इनका रवैया मरीजों के साथ अच्छा नहीं है। वे बड़े रूडली बिहेव करते हैं। यदि कोई मरीज एक्सीडेंट से पीड़ित होता है, उसकी हड्डी टूटी होती है, तो उसको ऐसे ही उठा लेते हैं। उनके दिलों में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप उनको एजूकेट करें कि कैसे बिहेव करना चाहिए। यह सही है कि बाड्स की कमी है, मरीजों को ज्यादा अकमोडेट करने के लिए फैसिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। यही हाल सी० जी० एच० एस० डिसपैन्सरी का है। यदि वहां पर चार पांच बार जायें, तो हमको पांचवीं बार मुश्किल से दवा मिलेगी। परसों की ही बात है, मैं अपने दो बच्चों के लिए दवाई लेने गया, तो जवाब मिला कि दवाई अवेलेबल नहीं है, मंगा कर देंगे। दूसरी बार गया तो अवेलेबल नहीं है। फिर डाक्टर के पास जाकर प्रिसक्रिपशन को चेंज कराना पड़ता है कि यह दवा नहीं मिल रही है। इसलिये हर दवाई का स्टाक रखना चाहिये। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं है।

[श्री पी० नामग्याल]

मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जिन तीन कन्सर्न्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में बोला हूं उनको नुक्तों के बारे में बता दें और उनको नोट भेज दें कि यह यह मसले हैं, वे इन पर ध्यान दें।

जो ग्रांट्स पेश की गई हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एक्सप्लेनेटरी नोट में जाऊं। जो कुछ आपने कहा है वह ठीक ही है। मेरे पास इसके डिटेल में जाने का वक्त नहीं है।

चेअरमैन साहब, आपने जो मुझे बोलने का वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। धन्यवाद।

शिरी बी. नाम गियाल (लद्दाख)

सभापति महोदय, पार्लियामेंटरी डिमांडज फार ग्रांट्स ८७-१९८५ जो हम ने डिसकस करने जा रहे हैं इस में ७७ ग्रांट्स हैं और ३ अपरोप्रियेशन हैं। इस का खर्चा ७५-९-२८ करोड़ का है जो कि हमारे हाउस के सामने रखा है।

इन ७७ ग्रांट्स को कवर करना मुश्किल होगा इस लिये मैं दो तीन ग्रांट्स पर अपने खयालात आप के सामने रखना चाहता हूं। पहली ग्रांट सिविल एविएशन पर जो आप ने रकम मांगी है इस पर मैं अपने चंद खयालात रखना चाहता हूं। इस में आप ने कहा है कि हेली कापटर कारपोरेशन जो कि आप सेटअप करने जा रहे हैं। इस के लिये रकम चाहिये। इस को आप ने पिछले साल अमल में लाना था। शायद नहीं ला पाये इस लिये अब रकम मांगी है।

जहां तक हेली कापटर कारपोरेशन का सवाल है मैं इस के खिलाफ नहीं हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप की जो दो एयर लाईनस और दो एविएशन सर्विस हैं वह अभी ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। इस पर अभी आप को और तवज्जह देने की जरूरत है। आप की अब तक एयर इंडिया इंडियन एयर लाईनस और दो एविएशन सर्विस पूरी तरह इस्टेबलिश न हो जायें तब तक हेली कापटर कारपोरेशन सेटअप करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं इस से लोगों को और सरकार को कितना फायदा हो गा लेकिन इतना जरूर होगा कि सरकार के जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग और बड़े बड़े आफिसर लोग हैं वही लोग हेली कापटर पर सफर करेंगे। कल ही राजीव सभा में शिरी टाटिल साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि इंडियन एयर लाईनस के जो पैसेंजर हैं उन में से सिर्फ दो पर सेंट आम लोग सफर करते हैं जो बाकी ९८ पर सेंट हैं वह सारे आफिसर बड़ी बड़ी कंपनियों के आफिसर और सेक्रेटरीज ही सफर करते हैं। आप की हेली कापटर सर्विस किस तरह कामयाब हो गी कहा नहीं जा सकता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप इस में सोच समझ कर प्लान बनायें।

आज के पेपर में मैं ने पढ़ा है कि आप टोरनसर एयर क्राफ्ट यहां पर असेंबल करने जा रहे हैं जो बाहर से लाये गये दो रुपये जहाज से कीमत दो गुना बताते हैं क्योंकि सेपर पार्टस पर काफी टैक्स लगा है मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी प्लानिंग को ठीक ढंग से नहीं बनाया गया है। इस पर आप को ध्यान देना चाहिये

जहां तक इंडियन एयर लाईंस का सवाल है, इस के सम्बन्ध में चन्द बातें आप के नोट में लाना चाहता हूं आज तकरीबन इंडियन एयर लाईंस की उड़ानें देश की सभी हिस्सों को कवर करती हैं मेरा कांस्टीचुएंसी यानी लद्दाख एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि साल में ७-८ महीना बंद रहता है। इस के लिए कोई और दूसरा सर्विस आफ ट्रांसपोर्ट नहीं है सर्दियों में सब वहां पर बर्फ पड़ती है तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं जिस से वहां कोई जा नहीं सकता है। मैं कई बार यह कह चुका हूं कि वहां के लिए इंडियन एयर लाईंस की सर्विस को बढ़ाया जाए। इस वक्त हफ्ते में पांच बार सर्विस चलाते हैं दो चंडीगढ़ के रास्ते और तीन सर्विसेज श्रीनगर के रास्ते लेकिन इस में भी इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि सीटें भी नहीं मिलती हैं।

यह भी एक हकीकत है कि वहां का एरिया इस तरह का है कि नवम्बर दिसम्बर के बाद लोग वहां से आना शुरू होते हैं और यहां से तकरीबन कम हो जाते हैं और जनवरी के बाद ऐसी स्थिति होती है कि यहां से जाने वाले ज्यादा हैं लेकिन वहां से जहाज में आने वाले बहुत कम हैं। लोग कोई न कोई बहाना बना कर हमें और सर्विसेज को नहीं बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लद्दाख को देश का एक हिस्सा समझते हैं तो आप को इस बात पर गहराई के साथ सोचना चाहिए कि आखिर वहां की कोई मीन्स आफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस वक्त कोई नहीं सोचता है। इस वक्त चंडीगढ़ में बहुत सारे पैसेंजर फंसे पड़े हैं। इन सर्विसेज को ज्यादा तरजीह मिलिट्री फोर्सेज जैसे आई टी बी पी (I.T.B.P.) के लोग ट्रांसफर करते हैं। कुछ दिनों में आर्मी पर्सोनल की फैमिलीज वहां पर जानी शुरू हो जाएंगी। यह जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं या आर्मी पर्सोनल की फैमिलीज हैं वह ५० पर्सेन्टेज पर वहां जाते हैं। एयर लाईंस को इस की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यह एक हकीकत है लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसी बात है कि आई टी बी पी (I.T.B.P.) वाले जो हैं उन को और होम मिनिस्ट्री इस नुकसान को मेट कर क्योंकि इस की वजह से हम को तकलीफ उठानी पड़ती है। इसी तरह से डिफेंस पर्सोनल के जो लोग कंसेशन पर जाते हैं उन के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री नुकसान को मेट करे। नतीजा यह है कि इन लोगों के पास सारे पासेज हैं ट्रांजिट कैम्प के खाने के लिए भी इंतजाम है और जब भी चाहें तब इन का नाम वेटिंग लिस्ट में डाल कर रख दिया जाता है लेकिन हमारे जेनुइन पैसेंजर्स को सीटें नहीं मिलती हैं। उन के पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती और जब इमरजेंसी हो कर दर बदर होना पड़ता है तो इस की तरफ आप को ध्यान देने की जरूरत है। यह ५० पर्सेन्ट कंसेशन वाली जो बात है इस की वजह से इन सर्विसेज को लास पर चलाना पड़ता है। इस का खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। इंडियन एयर लाईंस को अगर कुछ लास होता है तो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले और होम मिनिस्ट्री

वाले इस को सैट करें। इस से जनरल पब्लिक को फायदा पहुंचेगा।

एक दूसरी गुजारिश यह है कि वहां के लिए जो सर्वस हैं एक चंडी गढ़ से और एक श्री नगर से बढ़ा देने से यानी डेली सर्वस कर देने से आप को फायदा होगा। इस रूट पर आप फारन एक्सचेंज भी कमाते हैं। इस सैक्शन में जो फारनर्स आते हैं वह लद्दाख जरूर जाते हैं। इन्हें एयर लाईनस के प्लेनों से भी जाते हैं वह श्री नगर या दूसरी जगहों को जाना नहीं चाहते लेकिन तिब्बत जब से चाईना के कब्जे में चला गया है तब से अगर तिब्बत के कुछ कल्चर का नमूना रह गया है तो लद्दाख ही रह गया है इस लिए इस को वह जरूर देखना चाहते हैं। पंजाब में जब आतंकवादी गतिविधियां और गड़बड़ी चली इस के बावजूद वह लोग सीधे दिल्ली से लद्दाख जाते थे और वापस आ जाते थे। तो आप इस फारनर्स से काफी फारन एक्सचेंज कमाते हैं। हर साल कम से कम बीस तीस हजार फारनर वहां पर जाता है। आप इस को कैलकुलेट कीजिए। (इन्टरप्शन) अभी तो मैं एक ही ग्राउंड पर बोला हूं। एक दो ग्राउंडस पर बोलना है थोड़ा सा टाईम और दीजिए।

अब मैं आप से कुछ दो ही बातें और कहना चाहता हूं। एक बात मैं मिनिस्ट्री आफ इन्फारमेशन एंड ब्राडकास्टिंग के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे लेह में रेडियो स्टेशन भी है और लद्दाख में दो टी वी रे स्टेशन भी हैं। हमारे लेह में जो टी वी रे स्टेशन दिया है इस के लिए हम शुक्रगुजार हैं लेकिन लेह में जो टी वी का ट्रांसमीटर लगा है वह ऐसी जगह पर लगा है जहां से आम लोगों को रिसीव नहीं होता है। यदि आप इस ट्रांसमीटर को कारगिल में शिफ्ट कर दें जो कि दरिया के पार है तो इस से 50 परसेंट से ज्यादा पापुलेशन होगा। इस वक्त जो टी वी को रिसीव होता है बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां आ जाने की वजह से रिसीव नहीं हो रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप इस तरफ तवज्जो दें।

तीसरी बात रेडियो स्टेशन में आपने मकान बना कर रखा हुआ है। न वहां पर स्टेशन डाईरेक्टर है न नियो राईटर है और टेक्निकल स्टाफ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस को आप ने नेगलेक्ट करके रखा हुआ है। इस मौजूद में मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं लोग बार्डर पार के रेडियोज को ज्यादा सुनने लगे हैं। हमारे ट्रांसमीटर की पावर ज्यादा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मशीन घिस गई है खराब हो गई है इस लिए मशीनों को बदलने की जरूरत है। इस को थोड़ा अच्छे ढंग से चलाने की जरूरत है जो वहां पर जाने वाले आफिसर हैं उन को आप अलाउंसज दीजिए। अलाउंसज नहीं देंगे हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां पर कोई नहीं जाएगा। लोगों का वहां ट्रांसफर होता है लेकिन मैडीकल सर्टीफिकेट दे कर वह लोग दिल्ली में ही बैठे रहते हैं और वहां की पोस्ट खाली पड़ी रहती है। इस लिए इस तरफ भी आप को देखने की जरूरत है।

आखिर बात मैं हैल्थ मिनिस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। डेलीगेशन में जाते हुए मैं सिर्फ दो तीन बातों की तरफ ही

आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राम मनोहर लोहिया हास्पिटल की हालत ऐसी है वहां लोगों को बैठने तक की सुविधा नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में तीन तीन पेशेन्टस एक एक बेड पर रखे जाते हैं वहां की लिफ्ट की हालत ऐसी है कि वह चलती तक नहीं है। मरीजों को तीसरी मंजिल तक उठा कर ले जाना पड़ता है कई बार लिफ्ट आउट आफ आर्डर भी पाई गई है। स्टाफ में काम करने वाले खास कर जो नियर डाक्टर्स सर्जन और कम्पाउंडर्स ड्यूटी पर रहते हैं उनका रवैया मरीजों के साथ अच्छा नहीं है। वह बड़े रूड तरीके से बिहेव करते हैं। यदि कोई मरीज एक्सीडेन्ट से पीड़ित होता है उसकी हड्डी टूटी होती है तो उसको ऐसे ही उठा लेते हैं। उनके दिलों में दया नाम की कोई चीज नहीं है। इस लिये कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिये कि आप उनको एजुकेट करें कि कैसे बिहेव करना चाहिये। यह सही है कि वार्डस की कमी है मरीजों को ज्यादा एकोमोडेट करने के लिये फैसिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। यही हाल सी जी एच एस डिस्पेन्सरी का है। यदि वहां पर चार पांच बार जाइये तो हम को पांचवीं बार मुश्किल से दवा मिलेगी। परसों की ही बात है मैं अपना दवा लेने के लिये दवाई लेने गया तो जवाब मिला कि दवाई एवेलेबल नहीं है मना कर देंगे। दूसरी बार गया तो एवेलेबल नहीं है। फिर डाक्टर के पास जा कर प्रेस्क्रिप्शन को चेंज कराना पड़ता है कि यह दवा नहीं मिल रही है। इस लिये यह दवाई का स्टाक रखना चाहिये।

मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो तीन कंसर्नड मिनिस्ट्रीज के बारे में बोला हूं उन पाइंटों के बारे में बता दें और उन को नोट भेज दें कि ये मसले हैं वह उन पर ध्यान दें।

जो ग्रांट्स पेश की गई हैं उन को मैं सपोर्ट करता हूं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एक मेमोरेंडी नोट में जाऊं। जो कुछ आपने कहा है वह ठीक ही है। मेरे पास उस के डिटेल में जाने का वक्त नहीं है।

चेयरमैन साहब आपने जो मुझे बोलने का वक्त दिया उस के लिये मैं आप का शुक्रगुजार हूं।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

*श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, चूंकि मेरे पास बहुत थोड़ा समय है अतः मैं अपने भाषण को देश में तथा विशेषतः अपने राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति तक सीमित रखूंगा। मैं सरकार का ध्यान भयंकर सूखे की ओर दिलाना चाहता हूं। बार-बार होने वाला सूखे का मुकाबला करने के लिए न केवल अल्पकालीन अपितु दीर्घकालीन उपाय करने की आवश्यकता है मांग करता है। हाल में मुझे राजस्थान जाने का अवसर मिला। अतः पहले मैं राजस्थान के बारे में कहूंगा तथा बाद में आंध्र प्रदेश में बारे में। राज्य में सूखे की भयंकर स्थिति के कारण अपनी दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसानों को विपक्षी दलों के नेतृत्व में 'जेल भरो' आन्दोलन चलाना पड़ा। स्थिति इतनी भयंकर है कि उनके पास पीने के लिए पानी तथा खाने के लिए कुछ नहीं है। इसी कारण उन्होंने जेल भरो आन्दोलन शुरू किया। सरकार को वहां की स्थिति की भयंकरता समझनी चाहिए। लगभग तीस हजार लोगों ने गिरफ्तारियां दी। उनमें से कुछ के साथ मेरी सीकर जेल में मुलाकात हुई। भयंकर सूखे का सामना न कर सकने के कारण वे जेलों में गये। गुजरात की भी ऐसी ही स्थिति है। अन्य कई राज्य भी सूखे की गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। कई वर्षों से पूरा देश भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। इस पर नियंत्रण करने के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय करने की आवश्यकता है। हमें बहुत सी परियोजनाओं को हाथ में लेना है ताकि पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तभी हम प्रति वर्ष होने वाले सूखे से बच सकेंगे।

महोदय, अब मैं आंध्र प्रदेश की स्थिति को लेता हूं। हमारा राज्य आन्ध्र प्रदेश पिछले 15 वर्षों से कष्ट उठा रहा है। इन 15 वर्षों में से 9 वर्षों से भयंकर सूखे के कारण तकलीफ उठा रहा है। कुल 1100 मंडलों में से 700 मंडल प्रभावित हुए हैं। हाल ही में केन्द्रीय दल ने भी राज्य का दौरा किया। स्थिति अत्यन्त भयंकर है। एक प्रमाणिक अनुमान के अनुसार 800 करोड़ रुपए की हानि हुई है। केन्द्रीय दल ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। वहां स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। इस समय वहां पर विशेष रूप से रायल सीमा तथा तेलांगना में चारे अनाज तथा पीने के पानी की भयंकर कमी है। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं है। पशुओं को वधशाला भेज दिया गया है। बहुत से जिलों के लोग विशेषतः तेलंगाना के महबूबनगर जिले तथा रायल सीमा के अनन्तपुर और कुछ अन्य जिलों के लोग कर्नाटक जा रहे हैं। यह सरकार के एक प्रमाणिक सर्वेक्षण से भी सिद्ध होता है। मुझे यह कहना है कि जब केन्द्रीय दल ने क्षेत्र का दौरा किया तो हानि 800 करोड़ रुपए की थी परन्तु सहायता केवल 32 करोड़ रुपये की दी गई। ऐसा क्यों है। क्या यह आन्ध्र के छः करोड़ लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं है। यह मेरा प्रश्न है। बेशक यह राज्य सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य है परन्तु यह राज्य सरकार की क्षमता से बाहर है। अब इस संबंध में यदि काफी समय से पड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया होता, यदि राहत के उपाय किये गये होते, यदि स्थाई राहत कार्य किये गए होते तो इस परिस्थिति से बचा जा सकता था। परन्तु हुआ क्या ? पिछले 20 वर्षों से हमारे राज्य की कुछ सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं उन्हें केन्द्र

*मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बी० एन० रेड्डी]

द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। हाल ही में तेलुगु गंगा परियोजना को खटाई में डाल दिया गया है तथा इसमें विलम्ब हो रहा है। तेलुगु गंगा परियोजना के अन्तर्गत रायल सीमा के कुछ क्षेत्र आते हैं और मद्रास को पीने की पानी मिलता है और इसके साथ ही रायल सीमा में तुंगभद्रा हाई लेवल कनाल के अन्तर्गत कुछ अन्य क्षेत्र तथा अकाल ग्रस्त क्षेत्र आते हैं तथा श्री सेलम लेफ्ट बैंक कनाल के अन्तर्गत तेलंगना क्षेत्र नलगोंडा जिले के अधिकांश क्षेत्र आते हैं तथा गोदावरी से श्रीराम सागर का जल भी काफी क्षेत्रों को दिया जा सकेगा। जबकि ये परियोजनाएं 20 वर्षों से केन्द्र के पास विचाराधीन पड़ी हैं, परन्तु उन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य के केवल 35 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी सप्लाई किया जा सकेगा। यह कैसे हुआ ? स्थिति इतनी गम्भीर है कि सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं और उन्हें मंजूरी नहीं दी जाती। ऐसा क्यों है ? नई परियोजनाओं को भी विवादास्पद बना दिया गया है। तेलुगु गंगा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह मसला राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच है न कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच। अब केन्द्र कहता है कि राज्य सरकार को अन्य राज्य सरकारों से अवश्य ही परामर्श करना चाहिए अतः इस परियोजना को केन्द्र द्वारा अवश्य ही मंजूरी दी जानी चाहिए। अकाल को देखते हुए, अत्यन्त गम्भीर स्थिति को देखते हुए करोड़ों लोगों के जीवन को खतरे को देखते हुए केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए और युद्ध स्तर पर साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैं इसी पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मेरी अंतिम बात श्रीराम सागर गोदावरी परियोजना तथा कृष्णा लेफ्ट बैंक कनाल परियोजना को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए ताकि राज्य को मिलने वाले पानी को अधिकांश अकालग्रस्त क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जा सके।

श्री राम प्यारे पनिका : जब राज्य-केन्द्र की शक्तियों का मामला होता है तब वे विरोध करते हैं परन्तु केन्द्र को···(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों का लाया जाना केन्द्र के लिए सामान्य बात है। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का सच्चे हृदय से समर्थन करती हूं। (व्यवधान)

हमारी सरकार गरीबों की सहायता के लिए वचनबद्ध है तथा प्रशासन को स्वच्छ बनाना चाहती है। यह सर्वमान्य सच्चाई है कि अच्छे कार्य की आलोचना होती है तथा कांग्रेस के प्रगतिशील रवैये से विपक्ष के समक्ष मुख्य बाधा पैदा हो गई है। इससे वे भयभीत हैं।

महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों का मैं हृदय से समर्थन करती हूं और स्वागत करती हूं। इस वर्ष का बजट कमजोर वर्गों, मध्यम वर्गों, नौकरी पेशा लोगों के हितों का संरक्षण करने वाला है।

शहरी क्षेत्रों के लोगों को राजसहायता युक्त ऋणों के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के लिए आबंटन में 65% वृद्धि की गई है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आबंटित धन लाभार्थियों को मिल सके। इस बात की जांच के लिए कि धन ठीक ढंग से खर्च होता है या नहीं पर्यवेक्षण एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए।

महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि वह एन० आर० ई० पी०, आई०आर०डी०पी० तथा एल०ई०जी०पी० कार्यक्रमों के लिए बेरोजगार युवकों के लिए, विशेषरूप से स्व-रोजगार कार्यक्रम के लिए तथा शरणार्थियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए, लघु उद्योगों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए महिला कल्याण और आदिवासी कल्याण के लिए अधिक धन आबंटित किया जाए।

महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांग (सामान्य) में वर्ष 1985-86 में 8,59,61,000 रुपये कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए आबंटित किये गये हैं तथा संचार मंत्रालय के लिए 36 करोड़ रुपए···

श्री राम प्यारे पनिका : पश्चिम बंगाल को कितना मिलेगा ?

कुमारी ममता बनर्जी : यह सभी के लिए है। शिक्षा मन्त्रालय 6000 करोड़, राज्य सरकारों को अन्तरण 259,44,25,000 रुपये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं उसे ले रही हूं। चिन्ता मत करें।

गृह मन्त्रालय—41,92,000 रु० उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय—3,00,000 रुपये।

चूंकि समय कम है अतः मैं कुछ बातें करना चाहूंगी। अतः मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर रही हूं। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाए और उनकी पूर्ति के लिए कुछ किया जाए। हमें इस सभा में जनता के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है ताकि हम लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दिला सकें और उन्हें हल करा सकें। अतः सरकार को गरीब लोगों के उत्थान के लिए ठोस निर्णय लेने चाहिए। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं क्योंकि गरीब लोगों की सहायता करने में उसकी काफी रुचि रही है और उसने बिजली, सिंचाई सुविधाएं दी हैं, और विशेषरूप से 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों को सभी सुविधाएं दी हैं। परन्तु सरकार को आई०आर०डी०, एन०आर०ई०पी०, डी०आर०डी० तथा स्व-नियोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिक आबंटन करना चाहिए। मैं युवकों में रुचि रखती हूं क्योंकि मैं जानती हूं बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह मैं कई बार बता चुकी हूं। महोदय, पंजीकृत पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों की संख्या 2.5 करोड़ थी तथा यदि इसमें अशिक्षित बेरोजगारों को भी जोड़ दिया जाये तो यह संख्या 7 करोड़ पहुंच जाती है। ये सभी युवा लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। लम्बे समय से केन्द्रीय

[कुमारी ममता बनर्जी]

सरकार में भर्ती पर रोक लगी हुई है। युवकों के सम्बन्धियों को वेतन उचित रूप में नहीं मिल रहा है तथा जैसा कि आप जानते हैं राज्य में शासक दल से सम्बन्ध रखने वाले लोग अपने लोगों से शासक दल से सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं जबकि सामान्य युवकों को कोई नौकरी नहीं मिल रही। अतः हमारी सरकार ने निर्धन लोगों के लिए स्व-नियोजन कार्यक्रम बनाये हैं। परन्तु मेरे राज्य में क्या हुआ ? मेरे राज्य का हित मेरा हित है। जब मैं इस सभा में आई हूं तो केन्द्रीय सरकार मेरी माता के समान है तथा राज्य सरकार···

एक माननीय सदस्य : पिता के समान।

कुमारी ममता बनर्जी : पिता के समान नहीं, राज्य सरकार के कुछ दायित्व हैं। अतः मैं चाहती हूं कि राज्य सरकार आर्थिक दृष्टि से कुछ सुधार करे। यदि मेरे राज्य की सरकार आर्थिक दृष्टि से कुछ सुधार करती तो, श्रीमान, हम गरीब जनता के लिए कुछ कर सकते हैं।

मैं इसे जानती हूं क्योंकि अब विपक्ष के ये दोस्त 20-सूत्री कार्यक्रम से बहुत डरते हैं। वे स्वतः रोजगार योजना से बहुत डरते हैं। ये लोग हमेशा कुछ कहते रहते हैं कि केन्द्र पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं कर रहा है और इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यह सही नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से ग्रामीण पुनर्गठन को स्थापित करने का अनुरोध करती हूं, जो इन सब मामलों को देखेगा। आप राज्य को धन दे रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि क्या इस धन का उचित उपयोग किया जाता है या नहीं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आई०आर०डी०पी०, आर०एल०ई० जी०पी०, एन०आर०ई०पी० और डी०आर०डी०ए० के अन्तर्गत योजनाओं में उचित तरीके से धन का उपयोग किया जाए। स्वतः रोजगार योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह विशेषरूप से युवाओं के लिए हैं। लेकिन हमारे राज्य में इस योजना की कार्य निष्पादन से वास्तव में मुझे शर्मिन्दगी हुई है। डी०आई०सी० की क्या गतिविधियां हैं ? हम पूरी तरह से इसके काम के बारे में अंधेरे में हैं; डी०आई०सी० क्या कर रही है ? मैंने उद्योग मन्त्रालय की सलाहकार समिति में कई बार कहा है कि डी०आई०सी० का क्या कार्य है ? सरकारी परिपत्र के अनुसार सभी संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को परामर्शदाता समिति का सदस्य होना चाहिए। लेकिन हम अंधेरे में हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि धन कहां जा रहा है ? सी० पी० एम० इन सभी योजनाओं को डी०आई०सी० में उपयोग कर रहा है। डी०आई०सी० से इन ऋणों को लेने के लिए क्या नियम हैं ? सरकार को इन सभी मामलों की जांच करने के लिए एक गैर-सरकारी समिति का गठन करना चाहिए। आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी० और डी० आर० डी० ए० कार्यक्रमों के बारे में सरकार को एक ग्रामीण पुनर्गठन बार्ड की स्थापना करनी चाहिए।

20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में मेरे पास माननीय मंत्री के लिए एक सुझाव है। कृपया इस कार्यक्रम के पीछे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाये। तब यदि राज्य सरकार यहां-वहां कुछ राजनीति करती हैं तो लोगों को इस कार्यक्रम के अधीन न्याय मिलना चाहिए। यदि इस कार्यक्रम के

अन्तर्गत कोई पैसे का दुरुपयोग करता है तो लोगों का क्या कसूर है ? लोगों को इस कार्यक्रम से न्याय मिलना चाहिए। मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल अपने राज्य के लोगों के कल्याण में दिलचस्पी है। मुझे अपने राज्य के युवाओं के विकास और कल्याण में दिलचस्पी है। मुझे अपने राज्य के अध्यापकों के कल्याण में रुचि है। मुझे अपने राज्य की महिलाओं के कल्याण में दिलचस्पी है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सभी मामलों पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

महोदय, छोटी चीज सुन्दर होती है। यह दर्शन है। यह गांधी जी का दर्शन है। लेकिन मेरे राज्य में छोटे-छोटे उद्यमी की हालत बहुत खराब है। क्योंकि छोटे उद्योग के उद्यमी अब बेसहारा हो गए हैं। उन्हें राज्य वित्तीय निगमों से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इन्हें आई०आर०बी०आई० से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उन्हें यू०बी०आई० से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उन्हें बैंकों से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आप हमारे राज्य में इस छोटे उद्योग को किस प्रकार से स्थापित करेंगे ? लोक सभा में मेरा निर्वाचन होने के बाद से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ज्वलन्त समस्या के कारण प्रत्येक दरवाजा खटखटा रही हू। स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्ट लिमिटेड नामक एक कम्पनी भी लगभग 5 वर्ष पहले बन्द कर दी गई थी जबकि श्री सोमनाथ चटर्जी उस यूनियन के अध्यक्ष थे। इस यूनियन ने प्रबन्धकों को इसे बन्द करने के लिए मजबूर कर दिया। अब 2,000 मजदूर बेकार हैं। इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। वे भूखों मर रहे हैं। यह केवल इस कम्पनी में नहीं है। मेरे राज्य में वामपंथी सरकार के नेतृत्व के अन्तर्गत अब कई कारखाने बन्द हैं। पश्चिम बंगाल में हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। उनको कौन देखेगा ? यदि मुख्य मन्त्री जी से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। यदि हम केन्द्रीय सरकार से पूछते हैं तो हमें एक लाइन का उत्तर मिलेगा : मामले पर विचार किया जा रहा है। हम नहीं जानते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि क्या करें। हमें कुछ करना होगा। अन्यथा, यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा अनुरोध है। कृपया उन बेकार हो गए मजदूरों के लिए कुछ करें। मैं कई बार आई०आर०बी०आई० के लोगों से मिली। वे मुझसे कहते हैं कि : "आपको उद्यमी का पता लगाना चाहिए और तब हम उनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे" क्या उद्यमी को ढूंढना मेरा काम है ? क्या यह आई०आर०बी०आई० का काम नहीं है ? यह मेरा काम नहीं है। उद्यमी का पता लगाना सरकार का काम है। यदि वे कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें आई०आर०बी०आई० में रहने की क्या आवश्यकता है ? इसलिए हमें माननीय मन्त्री से न्याय मिलना चाहिए। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। अन्यथा मैं बहुत स्पष्ट तथा साफ साफ अनुरोध करती हूं कि यदि हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं यहां अधिक समय तक बने रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। यह मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है।

मैं अन्य बात का भी उल्लेख करना चाहती हूं। मेरे राज्य में शरणार्थी की समस्या ज्वलंत समस्याओं में से एक है। चुनावों के दौरान सी०पी०एम० के लोग शरणार्थी समस्या को हल करने के लिए पर्चे बांट रहे थे। सी०पी०एम० के लोग कहते हैं कि वे शरणार्थी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मैंने कई बार प्रधान मन्त्री जी और गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की। मुझे केन्द्रीय सरकार से पत्र मिला है कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, शरणार्थी समस्या समाप्त हो चुकी है। यह विभाग वर्ष 1974 में बन्द हो गया है। मैं आपसे

[कुमारी ममता बनर्जी]

अनुरोध करती हूं कि शरणार्थी समस्या न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि सारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। वहां भेदभाव है। हमारी सरकार ने दो प्रकार के पट्टों का वितरण किया है। एक 99 वर्ष और दूसरा 999 वर्षों के लिए हैं। वहां कुछ अन्तर है। शरणार्थियों का आर्थिक पुनर्वास भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। केन्द्रीय सरकार धन दे रही है। लेकिन यह धन सी०पी०एम० केडर की जेब में जा रहा है। कृपया इस मामले की गम्भीरता से जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति भेजी जाए। कृपया पीने के पानी की समस्या के बारे में निर्धन लोगों के लिए कुछ किया जाए। हमारे राज्य में यह मुख्य समस्याओं में से एक है। वहां बहुत से गांव हैं। लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। कृपया इन सब चीजों को देखने के लिए कोई दल भेजा जाए।

मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। कृपया कुछ करिये हर समय आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे। परन्तु यदि मन्त्री जी मदद नहीं करते हैं और यदि हमें राज्य सरकार से भी कोई सहायता नहीं मिलती है तो यहां रहने की क्या आवश्यकता है ?

पश्चिम बंगाल के पक्ष में मेरा सुझाव है कि गरीब लोगों के उत्थान के लिए ऋण शिविर (क्रेडिट कैम्प) बनाए रखे जाने चाहिए और पश्चिम बंगाल में लोगों को सुरक्षित रखा जाए। गरीब लोगों के उत्थान के लिए ऋण शिविरों के संचालन के लिए आपको और अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस बारे में हम आपके रवैया का स्वागत करते हैं। हम आपका पश्चिम बंगाल में स्वागत करते हैं। कृपया आइए और गरीब लोगों में ऋण वितरण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं वर्ष 1986-87 की जो अनुपूरक मांगें माननीय वित्त मन्त्री जी ने पेश की हैं, उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जो बजट पेश किया वह यथार्थवादी था। उस यथार्थवादी बजट के माध्यम से उन्होंने इस देश के अन्दर गरीबी हटाने के जो कार्यक्रम थे, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर पहुंचाने के जो कार्यक्रम आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० जी० पी० और आई० आर० डी० तथा सैल्फ एम्पलायमेंट थे, इन सब में इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा दुगनी राशि अलाट की है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि 1982 में स्व० नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाल किले की प्राचीर से सैल्फ-एम्पलायमेंट की स्कीम की घोषणा की थी। यह स्कीम अत्यन्त पापुलर हुई है और बेरोजगार नौजवानों ने इसको अपने लिए एक बहुत बड़ा सहारा समझा है। जो नौजवान लोग वर्षों से रोजगार-दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे और उनको रोजगार मुश्किल से ही मिलता था, उन्होंने अपने देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए सैल्फ-एम्पलायमेंट स्कीम का सहारा लिया है।

जब से यह स्कीम लागू हुई है, तब से इन पिछले तीन वर्षों का मेरा अनुभव यह है कि जितना पैसा इस स्कीम के लिए आबंटित किया गया था, उससे बहुत कम लोगों को फायदा पहुंचा है। फायदा पहुंचा है, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं, किन्तु बहुत कम लोगों को फायदा पहुंचा है। अब इस धनराशि को दुगनी कर दिया गया है, तो पहले से दुगने लोगों को इससे लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा निवेदन इसमें यह है कि इस कार्यक्रम के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी समाप्त हो और उनको फायदा पहुंच सके।

सभापति महोदय, जनप्रतिनिधि होने के नाते, हम लोग पूरे देश में, प्रदेश में और अपनी कांस्टीट्यूएंसी में घूमते हैं जो लोग इस बजट के बारे में हल्ला मचा रहे हैं वे सारे ऐसे लोग हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं तथा जिनके ऊपर सरकार ने हाथ डाला है।

2.00 म० प०

इसके लिए हमारे वर्तमान वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। आज तक उन छोटे-छोटे लोगों के ऊपर हाथ डाला जाता था जो कि तंग करते थे, लेकिन वित्त मन्त्री जी ने उन लोगों के ऊपर हाथ डाला है जो करोड़पति अरबपति हैं और जो कि बड़े-बड़े घरानों से आते हैं। आज यही बड़े-बड़े लोग देश और विदेश में उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी छवि पर हमला कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि देश के जो बड़े-बड़े अखबार हैं, वे उनके बारे में सही खबर नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह बड़े-बड़े अखबार बड़े-बड़े उद्योगपतियों के और बड़े-बड़े घरानों से जिनका सम्बन्ध है, उन्हीं के हैं।

वह जब देखते हैं कि उनके यहां से टैक्स चोरी आदि पकड़ी गई है तो वह गलत समाचार देकर जनता को गुमराह करते हैं। वह अखबार एक महीना पहले वित्त मंत्री और प्रधान मन्त्री जी की तारीफ करते थे, लेकिन छापे आदि पड़ने के बाद गलत खबर देश के लोगों को दे रहे हैं। महोदय, मैं गरीब जनता में घूमा हूं उनका प्रतिनिधि हूं, इसलिए उनकी ओर से कह सकता हूं कि जब किसी करोड़पति और अरबपति के यहां छापा पड़ता है और करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी का समाचार गरीब आदमी पढ़ता है तो वह गरीब आदमी ताली बजाता है। वह आपको धन्यवाद देता है कि आपने सही जगह हाथ डाला है। आप किसी की धमकी के आगे नहीं झुकें। यह कार्यवाही लगातार चलती रहनी चाहिये। मैं अपने विपक्ष के भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि जब ऐसे लोगों पर छापा मारा जाये और काला धन निकाला जाये तो उन्हें वित्त मंत्री का समर्थन करना चाहिये क्योंकि यही पैसा देश के विकास पर, स्व-रोजगार योजना पर, लघु उद्योगों पर और गरीबी दूर करने पर खर्च होगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सिक्योरेटी पेपर मिल है। वह मिल नोटों के लिये कागज बनाती है। इस मिल के नवीनीकरण के लिये 1981-82 में 23 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई थी जिससे कि उस मिल का उत्पादन दुगना हो सके। 23 करोड़ रुपया उस मिल पर खर्च किया गया, बड़ी-बड़ी मशीनें विदेशों से मंगायी गईं, लेकिन वह मशीनें लगने के बाद भी चालू नहीं हैं। लक्ष्य था कि नवीनीकरण के

[श्री रामेश्वर नीखरा]

बाद उत्पादन दुगना होगा, लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जितना पहले उत्पादन होता था, आज भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। वित्त मंत्रालय में बैठे हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि उसकी प्लैनिंग कर रहे हैं, उनकी प्लैनिंग ठीक नहीं है। शायद इसमें कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो नहीं चाहती हैं कि नोट बनाने के कागज का अच्छा उत्पादन हो। इसकी आप पूरी खोज-बीन कराइए।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां की प्लैनिंग इस ढंग की की गई है कि रोज एक टन पल्प कास्टिक पानी के माध्यम से बहाया जाता है जिससे एक लाख रुपये का नुक्सान होता है। अब तक कुल 10 करोड़ रुपये का नुक्सान हो गया है। साथ-साथ 2500 टन कागज को जला भी दिया गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अधिक नुक्सान हुआ है। इसके लिये मजदूरों को दोषी ठहराकर परेशान किया जा रहा है। इस वजह से आज उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा है। जब आपकी प्लैनिंग गलत है, मशीनें गलत लगी हैं जब 2500 टन कागज जला दिया गया है, दस करोड़ रुपए का कागज बहा दिया गया है तो उसमें मजदूर की कहां तक जिम्मेदारी है? मजदूर की इंसेंटिव स्कीम को बिना सोचे-समझे समाप्त कर दिया गया, उसके ओवर-टाइम को समाप्त कर दिया गया, एसमा रूल्स को उस पर लागू कर दिया गया, 44 कर्मचारियों को सस्पेन्ड कर दिया गया लेकिन उसके बावजूद वहां के मजदूर नव-निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। वे राजीव गांधी पर पूरा विश्वास रखते हैं। वे इक्कीसवीं शताब्दी में जाने और उत्पादन बढ़ाने में भी विश्वास रखते हैं। इसके बाद भी मैनेजमेन्ट उनके ऊपर इतने अत्याचार कर रहा है। हर प्रकार से उनको सताया जा रहा है। उनकी सारी सुविधायें समाप्त कर दी गई हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां के मैनेजमेन्ट से आपके पास कोई सही जानकारी नहीं आती है। मेरा निवेदन है कि आप एक हाई लेवल कमेटी का निर्माण करें। इस देश में आपका सिक्योरिटी प्रेस केवल एक ही है। वहां पर करोड़ों रुपया समाप्त हो जाता है। इसलिए आप ऐसी कमेटी बनाकर उसके माध्यम से पूरी जांच करवायें कि इन बातों के लिए वहां पर कौन जिम्मेदार है तथा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कभी इस प्रकार से मजदूरों को सताया न जा सके।

हमारे विरोधी दल के भाई कहते हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोग ऊपर नहीं उठे हैं लेकिन मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं स्वयं अपने क्षेत्र में घूमकर लोगों से बात करता हूं और पूछता हूं कि और क्या सेवा करूं, सरकार आपके लिए और क्या करे तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा वे कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा आप यह कर सकते हैं कि 10-20 मजदूरों के परिवारों को लाकर इस गांव में बसा दीजिए क्योंकि वहां पर कोई काम करने वाले नहीं रह गए हैं। आई० आर० डी० पी० के माध्यम से लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। लघु और मध्यम किसानों को बड़ा लाभ पहुंचा है। लोगों को खेत मिल गए हैं और वे अपने उत्पादन में लग गए हैं, वे अब किसान बन गए हैं या लोग अपने छोटे-छोटे रोजगार कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों से बहुत बड़ा लाभ मुल्क को पहुंचा है। लेकिन हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि कोई फायदा ही नहीं हुआ है अतः मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

मैं अपने प्रदेश के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का भारी विस्तार किया गया है और उसका लाभ भी पब्लिक को मिला है। लेकिन अभी भी 45 जिलों में से 3 जिले ऐसे हैं जो इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्र में नहीं आ सके हैं अत: इनको भी शीघ्र से शीघ्र उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। वहां जो कमेटी स्टेट गवर्नमेन्ट की बनी है उसमें बैंक वालों से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि इन कार्यक्रमों को तेजी से चालू करने के लिए उनके पास फील्ड आफिसर्स की कमी है। तो आप मेहरबानी करके वहां पर फील्ड आफिसर्स की कमी को दूर करें ताकि आपकी जो भावना है, आप इतना सारा रुपया गरीबी हटाने के लिए खर्च कर रहे हैं और एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल सके। स्टाफ की कमी को पूरा करना अत्यावश्यक है।

इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश में, रिजर्व बैंक ने 15 हजार की आबादी पर बैंक खोलने की जो मान्यता रखी है, उसमें भी अभी कमी है इसलिए उस कमी को भी पूरा किया जाए ताकि बैंकों का एक जाल बिछ जाये और गरीबों को लाभ मिल सके।

एक बात और कहना चाहूंगा कि आप पूरे देश में हर गांव में स्कूल खोलते जा रहे हैं लेकिन स्कूलों के लिए बिल्डिंग्ज नहीं हैं। आप स्कूल बिल्डिंग के लिए तथा वहां पर टीचर्स के रहने हेतु अलग से आवास बनाने के लिए अलग से स्टेट गवर्नमेन्ट्स को धन उपलब्ध करें ताकि वे भी देश के नव-निर्माण में अपने को जुटा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देते हुए, आपने जो समय दिया उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : इस सरकार की वित्तीय नीति के परिणामों को इसके कार्यान्वयन से भी पहले ही बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया गया है। हमने पौंड के विरुद्ध रुपए का अवमूल्यन किया है वास्तव में सरकार द्वारा अब स्वीकार की गई वित्तीय नीति ने परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। इस सरकार ने बजट से पहले जिस प्रकार मूल्य बढ़ाए हैं, इससे आम आदमी को काफी धक्का लगा है। इसके तुरन्त बाद एक बजट आ गया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति होगी। हम सभी ने यह सुझाव दिया था कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तुरन्त ही पौंड के मुकाबले रुपये का मूल्य कम कर दिया गया है और निकट भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इसको देखना है। यदि यही नीति जारी रहती है, तो मैं कहता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण एवं देश में व्याप्त परिस्थितियों का अध्ययन यह प्रमाणित करेगा कि ये नीतियां केवल धनी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी। जिन लोगों के पास कुछ है उन्हीं को समस्त सुविधायें मिलेंगी। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा किये गये आर्थिक सर्वेक्षण एवं अध्ययन से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि हमारे देश में विकास के सभी लाभ समाज के केवल 5% लोगों को प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष तक हुए 25% विकास ने केवल हमारे समाज के 5% उच्च वर्ग की आवश्यकताओं को ही पूरा किया है। उत्पादन के नाम पर आप अधिक उत्पादन पर बल देते

[श्री थम्पन थामस]

हैं। आप कहते हैं कि उत्पादन होना चाहिये और आप नीतियों में कुछ ढील भी दे रहे हैं। आप समझते हैं कि जो लोग उत्पादन में लगे हैं उनके बारे में उन्हें खुली छूट और सहायता देकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। यह सत्य है कि उत्पादन हर कीमत पर बढ़ाया जाना चाहिये।

गरीबी तेज गति से बढ़ रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जो जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी वह आज भी गरीबी की रेखा के नीचे बनी हुई है। सरकार की वित्तीय नीति के परिणाम गरीबों के लिए अच्छे नहीं हैं। दिन प्रति दिन गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर बनते चले जा रहे हैं। इस देश में अमीर लोग गरीब लोगों की कीमत पर अपने को धनवान बना रहे हैं।

क्या आपने सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए किसी सामाजिक सुरक्षा के उपाय का सोचा है ? क्या आपने उस दिशा में कोई कदम बढ़ाया है ? जब आप कोई चीज देते हैं, तो वह उनको देते हैं जिनके पास कुछ होता है न कि उनको जिनके पास कुछ भी नहीं है। क्या चिकित्सा सुविधायें जो कि गरीबों के लिये है, वास्तव में उनके लिए उपलब्ध हैं। क्या गरीब व्यक्ति अस्पताल जाकर के उचित चिकित्सा प्राप्त कर सकता है ?

क्या एक गरीब व्यक्ति प्रवेश हेतु किसी शैक्षणिक संस्थान जा सकता है। गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का सर्वप्रथम दायित्व है। आवश्यक चिकित्सा सुविधा गरीब व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। इस देश में गरीब आदमी के लिये क्या यह सम्भव है कि वह अस्पताल जाकर के उचित उपचार प्राप्त करे ? जबकि धनी व्यक्ति, जो कि अच्छा उपचार चाहते हैं, वे भारत में या विदेश में कहीं जा सकते हैं और अच्छा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। क्या साधारण व्यक्ति के लिये यह सम्भव है कि वह सरकार के खर्चे पर अच्छा उपचार प्राप्त करे ? आपके विकास के लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाये हैं।

आगे, हमारी वितरण व्यवस्था में प्रमुख कठिनाई है। आपकी वित्तीय नीति या दीर्घावधि नीति में न्याय को कोई जगह नहीं दी गयी है और सरकार द्वारा सदैव इसकी उपेक्षा की गयी है।

कृषि क्षेत्र में, उत्पादन बढ़ रहा है। यह कहा जाता है कि 1460 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन किया जा चुका है। समस्त राष्ट्र के लिये यह पर्याप्त है। उसी समय, हमारे देश में 40% लोगों को एक दिन में एक बार भोजन नहीं मिलता है। यह आपकी वित्तीय नीति का परिणाम है। आपके पास अनाज बहुतायत में है। गोदामों में आपने उसको सुरक्षित रखा है। लेकिन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है आपकी वित्तीय नीति का उद्देश्य है कि इन चीजों को लोगों में वितरित किया जाय। यह उचित है। लेकिन उत्पादन के लिये कम्प्यूटर और अत्याधुनिक मशीनें आप उन लोगों को दे रहे हैं जो कि इस देश के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं वहां आप कहते हैं कि सरकार की यह नीति है कि उत्पादन में वृद्धि हो। जब तक आप उत्पादन में वृद्धि नहीं करते हो, देश खतरे में रहेगा। यह सदैव आपकी मांग रही है। लेकिन वास्तव में ये लाभ उन लोगों को मिल रहे हैं जो कि पहले से ही कुछ

ले चुके हैं। इसलिये मेरा यह कथन है कि सामाजिक सुरक्षा उपाय जो कि आपने प्रारम्भ किया है, अपर्याप्त है। मैं इस मुद्दे का मनोवैज्ञानिक पहलू उजागर करना चाहता हूं। ऐसा प्रतीत होता है सरकार द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा उपाय शुरू किया गया है वह है ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जो कि इस देश में साधनों पर नियंत्रण कर रहा है या उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण है या जिसका इस देश में प्रभाव है वह सोचता है कि "मुझे कल का भरोसा नहीं है, मुझे धन संग्रह कर लेना चाहिए"। उदाहरणार्थ यदि वह शासक पक्ष का राजनीतिज्ञ है, तो यह सोचेगा कि उसका प्रभाव है और वह अगले चुनाव के लिये धन एकत्र कर सकता है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं जो व्यक्ति उद्योग-पति होता है और यदि उसके नियन्त्रण में एक उद्योग होता है, तो वह सोचता है कि उसके पास दो अथवा तीन उद्योग और होते, एक उसके पुत्र के नाम में, एक उसके पोते के नाम में एक उसके दामाद के नाम में ···

एक माननीय सदस्य : उन बच्चों के नाम में भी, जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं।

श्री थम्पन थामस : जी हां, अज्ञात बच्चों के नाम में भी सरकार के दृष्टिकोण में यही मूल त्रुटि है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में सभी यही सोचते हैं "मेरे पास बहुत सारी दौलत हो, मैं धन कमाऊं, उस धन को छिपाकर रखूं और उसे दोहरा कर लूं।" निर्धनों का अहित करके यही सब हो रहा है। गरीबों का अहित कर वे धन अर्जित करते हैं। इसलिए काला धन उत्पन्न होता है जो असली धन से अधिक है। काले धन को कम करने तथा इस देश के आर्थिक ढांचे का संतुलन बनाये रखने के लिए सरकार को भारत की आम जनता के लिए सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करनी होगी।

सत्तारूढ़ दल के मेरे मित्र पेय जल की कमी की बात कह रहे थे। क्या यह मूलभूत आवश्यकता नहीं है? मैं आपका ध्यान संयुक्त राष्ट्र के हाल के इस आशय के कथन की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक मनुष्य को क्या-क्या मानव अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा मानव अधिकार है। कपड़ा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। आप इस देश की आम जनता को ये सब वस्तुएं उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं? आप इन सभी बातों में असफल रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने के विचार से आपने लम्बी अवधि की आर्थिक नीति बनाई है। वास्तव में, मैं उत्पादन बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हूं। विकासशील देशों में उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। किंतु यह कार्य इस देश की आम जनता का अहित करके नहीं किया जाना चाहिए। हर एक को न्याय दिलाने का दृष्टिकोण होना चाहिए। इसलिये, मैं एक बार पुनः जोर देकर कहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका दोहन ढंग से नहीं किया जा रहा है। भारत में संसाधन उपलब्ध हैं। भारत देश निर्धन नहीं है, किंतु भारत देश के लोग निर्धन हैं। संसाधनों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। हमारे पास संसाधन हैं। मैं केरल का निवासी हूं, जो सुदूर दक्षिण में है। मुझे पता है कि हमारा राज्य धनी है, मेरा राज्य शिक्षित है

[श्री थम्पन थामस]

वहां साक्षरता की प्रतिशतता सबसे अधिक है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर है। किन्तु राज्य की स्थिति कैसी है ? 26 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं। शिक्षित युवा बेकार हैं। वहां मानव संसाधन उपलब्ध है; वे लोग काम करने को तैयार हैं; वे अपनी सेवाएं राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहते हैं। इस देश के विकास के लिए इन मानव संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए क्या सरकार के पास कोई कार्यक्रम है ?

मेरे राज्य से लोग विदेश जा रहे हैं। यदि आप खाड़ी देश जाएं; तो हर तीन व्यक्ति में एक केरलवासी मिलेगा। वे लोग पर्याप्त विदेशी मुद्रा ला रहे हैं। क्या आपने कभी इस विदेशी मुद्रा को देश या राज्य के कल्याण के लिए उपयोग में लाने की बात सोची है ? क्या आपको पता है कि क्या हो रहा है ? उन्होंने धन जमा कर लिया है, वे लोग धन ला रहे हैं किन्तु वे इमारतें बनवा रहे हैं। वे लोग बड़ी हवेलियां बनवा कर उनमें रहते हैं और गरीब लोग ईर्शा से उन्हें देखते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा ? बहुत अधिक असमानता है; और इसलिए असंतोष बढ़ रहा है। यदि सरकार जनता को एक रूप में, भारत के नागरिक के रूप में देखना चाहती है तो उन्हें जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मेरे राज्य में लोगों के कठिन परिश्रम से विदेश जो धन प्राप्त हो रहा है, वह इस देश के विकास के लिए काम में लाया जा सकता है। मैं अनेक बार विदेश गया हूं और मैंने देखा है कि योरुप तथा खाड़ी के ये छोटे देश किस प्रकार विकसित हुए हैं। उन्होंने अपनी अर्थ-व्यवस्था विकेन्द्रित कर दी है। किंतु आप अर्थ व्यवस्था को केन्द्र में केन्द्रित कर रहे हैं, आप केन्द्र को सशक्त तथा राज्यों को कमजोर बनाना चाहते हैं। तथा आप केन्द्र के द्वारा राज्यों पर राजनैतिक नियंत्रण रखना चाहते हैं। यह बात राजनैतिक भावना से प्रेरित है। यह बात लोगों के हित में नहीं है। यदि आपका कार्यक्रम विकेन्द्रीकरण करने का है, तो आप स्थानीय निकायों और पंचायतों को शक्तियां प्रदान कीजिये। नई पीढ़ी के व्यक्ति पंचायत के बारे में नहीं जानते हैं; क्योंकि एक दशक से पंचायत चुनाव ही नहीं हुए हैं। गांधी जी ने पंचायतों और पंचायती राज, स्थानीय प्रशासन और जनता के भाग लेने की बात कही थी। छोटे बच्चे पूछते हैं, "पंचायत क्या है।" उन्हें उसके बारे में पता नहीं है; क्योंकि ऐसा कोई स्थानीय निकाय नहीं है ? क्या आप विकेन्द्रित प्रणाली चलाने को तैयार हैं ? क्या आप विकेन्द्रित रूप में ये सब बातें आम जनता को सुलभ कराना चाहते हैं ? विकसित राष्ट्रों में भी जिनमें योरोपीय देश भी शामिल हैं जो विश्व के वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, विकेन्द्रीकरण की प्रणाली विद्यमान है।

उदाहरण के तौर पर, मैंने जो कुछ देखा है उसका वर्णन करूंगा। छोटे-छोटे क्षेत्रों में वे लोगों की समितियां गठित करते हैं और उन क्षेत्रों के लोगों की असमानता कम से कम होगी। वहां टाटा जैसे सम्पन्न और गन्दी बस्ती में रहने वाले लोग नहीं होंगे। उनमें अंतर बहुत कम होगा। अन्तर कम होगा और वे उस क्षेत्र का विकास मिल-जुलकर करते हैं। वे 50,000 व्यक्तियों के लिए रोशनी का प्रबंध करने के लिए सौर ऊर्जा, बिजली घर की व्यवस्था करते हैं ताकि लोग कारखाने खोल सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। वे विकेन्द्रीकरण करते हैं क्योंकि उनमें एकता की भावना

विद्यमान है और वे स्वयं उस क्षेत्र के विकास के बारे में विचार विमर्श करते हैं। अन्ततोगत्वा तथा राष्ट्र धनवान हो जाता है।

क्या आपके पास ऐसा कार्यक्रम है ? हमारे यहां बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को लायसेंस देने का तथा उद्योगपतियों को ही और लायसेंस देने का कार्यक्रम है। किंतु आपके पास विकेन्द्रीकरण का कोई कार्यक्रम नहीं है। दुर्भाग्यवश हम जनता का सहयोग प्राप्त नहीं कर सके हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते हैं।

अनेक प्रकार से केरल इसका स्पष्ट उदाहरण है। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों से यह आगे है। पर्यटन के संबंध में, मैं हाल ही में माली गया था। माली तथा केरल में बहुत अधिक एकरूपता है। इसके बाद मैंने सोचा कि अपने राज्य में क्या ऐसे उपाय किए जायें कि वह एक पर्यटन स्वर्ग के रूप में विकसित हो सके। क्या केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्रदान कर आपका कार्यक्रम केरल को विकसित करने का है ? क्या केरल के पर्यटन स्थलों को विकसित करने का आपका कार्यक्रम है ? क्या आपने वहां उपलब्ध संसाधनों के बारे में कभी सोचा है ?

वहां पानी उपलब्ध है। नदी का पानी दक्षिण की ओर बहता है। तमिलनाडु में बिजली की आवश्यकता है। क्या आपने एक ऐसा बोर्ड गठित करने का कार्यक्रम बनाया है, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक पर बिजली के उत्पादन और वितरण के मामले में नियंत्रण रख सके ? जी नहीं; पानी का संसाधन बेकार जा रहा है। इस क्षेत्र में पन विद्युत परियोजनाएँ और अन्य परियोजनाएँ आरम्भ की जा सकती हैं तथा इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है, किंतु इसके बारे में न तो कोई विचार किया जा रहा है, न कोई चर्चा की जा रही है ?

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि इस देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

मेरा तीसरा मुद्दा श्रमिक वर्ग के संबंध में अपनाये जा रहे रवैये के बारे में है। ये लोग कार्य करते हैं, तथा जिनके कार्य का वास्तव में कोई परिणाम निकलता है। महोदय, इस समय श्रमिकों का अहित करने कई कार्य किए जा रहे हैं। उनके रहन-सहन की स्थिति खराब है। कर्मचारियों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, वे नियोक्ताओं की दया पर आश्रित हैं।

मैं आपके गैर-सरकारीकरण के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। वास्तव में, मैंने सोचा था कि निजी राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, निजी उद्योग आपके नियंत्रण में रहेंगे किंतु इसके विपरीत आप हर प्रकार से गैर-सरकारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे डर है कि एक दिन आप सभी कारखाने गैर सरकारी स्वामित्व के अधीन कर देंगे और वे लोग उन्हें चलायेंगे।

इसके सम्बन्ध में एक रेलवे स्टेशन के बारे में मेरा अनुभव है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और उसका नाम चेरियानाड है। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि लोग आन्दोलन कर रहे थे। मेरे पूछने

[श्री थम्पन थामस]

पर उन्होंने बताया कि टिकटों की बिक्री का काम गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिया जा रहा है। तब मेरी समझ में आया कि 56 एकड़ भूमि की सार्वजनिक सम्पत्ति पर आरम्भ किया गया रेलवे स्टेशन अब गैर-सरकारी संस्था को सौंपा जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने एक सूचना प्रकाशित कर रेलवे स्टेशन को गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाये जाने के लिए निविदायें आमंत्रित की हैं। चंगान्नुड के निकट चेरियानाड में यही हुआ है।

इसके अलावा, डाकघरों का भी यही हाल है। आप चाहते हैं कि डाकघर में टिकटों की बिक्री का काम गैर सरकारी पार्टियों को दिया जाये। गैर-सरकारीकरण की यह प्रक्रिया चल रही है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक ओर तो वह बहुराष्ट्रिक कम्पनी की बात करते हैं और साथ-साथ गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा व्यापार या व्यवसाय किये जाने का विरोध करते हैं···

श्री थम्पन थामस : मैं केवल यह बता रहा हूं श्रमिकों में सुरक्षा की भावना किस प्रकार विलुप्त हो गई है। जब आप गैर-सरकारीकरण की बात करते हैं, तो आप जनता के हित का ध्यान रखे बिना किस प्रकार गैर सरकारी पार्टियों को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं, ऐसी स्थिति में मैं आप से यह बात पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई भी उद्यमी होगा जो आपने परिवार की सम्पत्ति से कोई कारखाना चलाएगा ? यदि मेरे पास सौ रुपये हैं, तो बिना किसी कठिनाई के मैं बैंक से एक हजार रुपये प्राप्त कर सकता हूं। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए, यदि मेरे पास एक करोड़ रुपया हो तो मैं एक सौ करोड़ रुपये से कोई उद्योग आरम्भ कर सकता हूं। वह सार्वजनिक धन है, वह निर्धन श्रमिकों का और करदाताओं का धन है। करदाताओं के धन से गैर-सरकारी उद्यमी दिन-ब-दिन धनी होते जा रहे हैं। इस देश में यही हो रहा है। मेरा सुझाव है कि आपको इन बातों पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे आप गैर-सरकारी उद्यमियों पर अधिकाधिक नियंत्रण रख सकें और उन व्यक्तियों को रोजगार सुरक्षा प्रदान की जा सके जो देश के लिए खून और पसीना बहाते हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक मांगों के रूप में इस सभा में प्रस्तुत की गई मांगों का मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है इन मांगों में 66 अनुदान और 3 विनियोजन हैं जिनमें 2809.75 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

महोदय, सर्वप्रथम मैं कुछ मंत्रालयों और विभागों के बारे में कहूंगा। सबसे पहले मैं वित्त मंत्रालय को लेता हूं। यहां पर पेंशन, सिक्के तथा और भी बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया किंतु सबसे महत्त्वपूर्ण बात जिसकी समीक्षा की गई है और जिसके बारे में मैं उनसे कहना भी चाहूंगा,

वह यह है कि यद्यपि चौथा वेतन आयोग इन सब मांगों के बारे में विचार कर रहा है किंतु मैं माननीय मंत्री महोदय से उनके केन्द्रीय कर्मचारियों के बारे में ध्यान देने को कहूंगा जो समुद्र की सतह से 1000 मीटर से कम ऊंचाई पर तैनात हैं और जो बहुत ही कठिन, भौगोलिक दृष्टि से अधिक खराब और अधिक दूरी वाले इलाकों में तैनात है किंतु उन्हें पहाड़ी क्षेत्र भत्ता नहीं मिलता है जिसके परिणामस्वरूप वे कदाचित ही वहां ठहरना चाहते हैं और किसी न किसी बहाने वहां से स्थानांतरण करा लेते हैं।

अत: मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि समस्त पहाड़ी राज्यों और क्षेत्रों में जिनको योजना आयोग द्वारा ऐसा माना गया है जिनके लिए आप 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण दे रहे हैं—आपको यह पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता एक समान रूप से देना चाहिए क्योंकि अनुदान देना ही पर्याप्त नहीं है जबकि योग्य और अपेक्षित कर्मचारीगण न हों। इस प्रकार के स्टेशनों पर कर्मचारियों को रखने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें वही पारिश्रमिक मिले जो राज्य सरकार के कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं। इस समय वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वे भत्ते नहीं मिल रहे हैं। जोकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे हैं। एक समय था जब राज्य सरकार के कर्मचारी केन्द्रीय नौकरियों के लिए इच्छुक रहते थे। अब इसके विपरीत होता है। इसलिए इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरे बैंकों का उल्लेख किया गया है। चूंकि बैंकिंग मंत्री जी के अन्तर्गत मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नयी शाखा खोलने सम्बन्धी नीति तैयार करने में अधिक समय लिया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक शाखाओं का विस्तार करने की बजाय मौजूदा शाखाओं को शक्तिशाली बनाने के बारे में सोच रहा हूं। यह कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छा हो सकता है परन्तु यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक इससे अछूते हैं और जहां विद्यमान प्रतिमानों के आधार पर बैंक की शाखा नहीं खोली जा सकती है। अत: विशेषत: पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जनसंख्या और दूरी के प्रतिमानों में ढील दी जाये। मैं अपने राज्य हिमाचल प्रदेश का उल्लेख करता हूं जहां चार जिले एक ग्रामीण बैंक जिसे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। के अन्तर्गत आते हैं। दूसरा जिला चंबा जल में एक नव-स्थापित पर्वतीय ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत आता है। दूसरे जिले अभी तक किसी भी ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत आते हैं। चूंकि आप राज्य के समस्त जिलों के सभी ब्लाकों और पर्वतीय तराई वाले सभी क्षेत्रों के प्रति न्याय करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको उन क्षेत्रों में एक या दो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का सुझाव दूंगा ताकि सभी जिले इनके अन्तर्गत लाये जा सकें और वे सब लोग जो इन बैंकों से ऋण लेने के पात्र हैं ऋण प्राप्त कर सकें। मैं इस सम्बन्ध में प्रस्तावों के बारे में आपको लिखूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राज्य के सभी हिस्सों अथवा जिलों की ओर समान ध्यान दिया जाये और यह न हो कि कुछ जिले ग्रामीण बैंकों का लाभ उठा सकें, दूसरों की उपेक्षा की जाये और उनको रिजर्व बैंक की दया पर छोड़ दिया जाये जो शाखाएं खोलने के बारे में मापदण्डों को कड़ा बनाता जा रहा है। मैं अधिक विकेन्द्रीकरण की वकालत करता हूं और चाहता हूं कि पर्वतीय राज्यों के लिए इन बैंकों की शाखाओं का विस्तार किया जाये। यह काफी नहीं है कि आप समस्त देशों के लिए एक प्रतिमान का अनुसरण करें और 30-40 शाखाओं के लिए एक क्षेत्र

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

की स्थापना करें। क्षेत्र विभिन्न चीजों के विकास की एक मूल इकाई है। मैं निवेदन करूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और स्टेट बैंक इन बैंकों की शाखाएं हिमाचल प्रदेश में अधिक हैं, को और अधिक क्षेत्रों में शाखा खोलने की अनुमति दी जाये ताकि इस राज्य के लोग बैंकों से विभिन्न मदों के लिए ऋण प्राप्त कर सकें।

एक अन्य मुख्य बात है। वित्त मन्त्रालय के हाथ बंधे हैं और समस्त देश को लगभग जैसे एक निर्दयी आदमी गर्दन दाब कर नियन्त्रित करता है—की तरह नियंत्रित कर रहा है; 1984 से लगाये गये प्रतिबन्ध ने सारे विकास को ठप्प कर दिया है। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि छोटे डाकघरों के खोले जाने के मामले में भी जहां आपको थोड़ा धन खर्च करना पड़ता है आप प्रतिबन्ध क्यों लागू करते हैं। इसका परिणाम यह है कि 6000 डाकघर जो विद्यमान प्रतिमानों के आधार पर छठी योजना की समाप्ति तक खोले जाने चाहिये थे अभी तक भी नहीं खोले गये हैं। जब तक यह प्रतिबन्ध रहेगा एक भी डाकघर नहीं खोला जा सकता, कोई भी डाकघर अपग्रेड नहीं किया जा सकता। यह प्रतिबन्ध 1974 में पांचवीं लोक सभा के दौरान लागू किया गया था और फिर इसमें ढील दी गई थी और दो विभागों— दूरसंचार और धातुकर्म विभागों को छूट दी गई थी। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को मंत्रिमण्डल के समक्ष उठाएं और देखें कि कम से कम इस मामले में छूट दी जाए। इसके बड़े और अधिक महत्वपूर्ण कारण भी हैं। लगभग 18000 कर्मचारी जो आरक्षित प्रशिक्षित पूल के अन्तर्गत आते हैं, जो विज्ञापनों के माध्यम से यह सोचकर आये थे कि उन्हें नियमित किया जायेगा, सड़ रहे हैं और आन्दोलन कर रहे हैं। कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उनमें से अधिकांश कर्मचारियों को वह पारिश्रमिक या प्रोत्साहन भी नहीं मिल रहा है, जो कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों, तदर्थ कर्मचारियों तथा अस्थायी कर्मचारियों को मिलता है, क्योंकि आपने उन्हें आरक्षित किया है और परिणाम यह है कि इससे उनका भविष्य अवरुद्ध हो गया है। उनमें से कुछ नियुक्ति की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार करने वाले हैं। उनका क्या होगा ? उन्हें कौन रोजगार देगा क्योंकि आपने उन्हें नियमित नहीं किया है ? ये 18000 कर्मचारी कभी संचार मन्त्रालय, कभी गृह मन्त्रालय और कभी वित्त मन्त्रालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं परन्तु उनकी कोई नहीं सुनता। मैं पूरी गम्भीरता से निवेदन करूंगा कि मैंने इस मामले को नियम 377 के अन्तर्गत भी उठाया था। मैं यहां अपनी मांग फिर दोहराता हूं कि आप प्रतिबन्ध में ढील अवश्य दें या इसे पूर्णरूप से हटा लें। कम से कम आप उस आधार पर आंशिक छूट की अनुमति दें जो सरकार ने 1974 में दी थी जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री थीं और जब ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं दूरसंचार सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई थी।

कभी-कभी यह प्रतिबन्ध उत्पादन के विरुद्ध सिद्ध हो रहा है और सेवाओं में अक्षमता और गिरावट लाता है। आप 20 टेलीफोन एक्सचेंज खोल दीजिये परन्तु लाइनमैन वही दस हैं। एक लाइनमैन को दो टेलीफोन एक्सचैंजों का कार्यभार सौंपा गया है। परिणाम यह है कि स्थिति में सुधार नहीं किया जा सका है। कार्यभार बढ़ता है परन्तु स्टाफ उतना ही रहता है। आप पद उत्पन्न नहीं करते हैं,

आप रिक्तियों को नहीं भरते हैं, सेवा निवृत्ति पर भी आप कुछ नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में दूरसंचार सेवायें बदतर होती जा रही हैं और अव्यवस्था पैदा होने जा रही है। दो साल और तीन महीने पहले ही गुजर चुके हैं और इस स्थिति पर काबू नहीं पाया गया है। कृपया इस विषय पर गौर कीजिये। यह अत्यावश्यक है।

इसके पश्चात् पर्यटन विभाग आता है। यह बहुत रोचक विभाग है। उनकी परियोजनाएं उन स्थानों पर हैं जहां पर्यटक जाना पसन्द नहीं करेंगे, परन्तु वहां खर्च हो रहा है। संसद की आकलन समिति ने हिमाचल प्रदेश पर विचार किया था और एक रिपोर्ट पेश की थी और रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 6 योजनाएं केन्द्र सरकार को अग्रप्रेषित की गई थीं। परन्तु आई०टी० डी०सी० ने एक योजना को व्यवहार्य नहीं पाया और सभी वापस कर दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप छठी योजना में पर्यटन पर हुए कुल खर्च का .1% हिमाचल प्रदेश में खर्च किया गया था, जिसे भारत का स्विटजरलैंड कहा जाता है या जो काश्मीर घाटी से भी बहुत सुन्दर है। हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार या भारतीय पर्यटन विकास निगम राज्य सरकार की सुनवाई नहीं कर रहे हैं पर्यटन की विभिन्न (क्षमताओं) सम्भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं या राज्य सरकार द्वारा तैयार योजनाएं यहां भेजी गईं उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां प्राकृतिक सौन्दर्य स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं जहां लोगों की भीड़ जाती है परन्तु वहां कोई सुविधा नहीं है, ठहरने और खाने-पीने की कोई जगह नहीं है; परिवहन इत्यादि सभी कुछ गायब है। यहां तक कि कभी-कभी यह संसदीय समिति भी सिफारिश करती है कि कुछ रेल लाइनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, परन्तु आप पुरानी बातों को ही दोहराते जाते हैं: "हम विभिन्न परियोजनाओं को प्राथमिकता क्रम से लेंगे।" पर्यटन भी एक उद्योग है।

2.35 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

कुछ और राज्यों ने भी पर्यटन को एक उद्योग घोषित कर दिया है, परन्तु आप क्या कर रहे हैं? मैं निवेदन करूंगा कि पर्यटन विभाग और भारतीय पर्यटन विकास निगम के कार्यों की वित्त मन्त्रालय द्वारा गहराई से जांच की जानी चाहिए और यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वित्तों का समान एवं समान वितरण प्रणाली द्वारा वितरण कुछ एक राज्यों में सीमित न होकर सम्पूर्ण देश में हो रहा है।

अब हम गृह मन्त्रालय को लेते हैं। लगभग 90,000 स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और मुझे डर है कि उनमें कुछ वित्त मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय की उनकी पेंशन के लिए, जो बहुत दिनों से विलम्बित हैं, स्वीकृति देने से पूर्व ही मर जाएंगे, क्योंकि वे देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़े हैं। मैं नहीं कहता कि ये सभी आवेदन पत्र प्रामाणिक हैं, परन्तु इसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। आप एक समय सीमा निश्चित क्यों नहीं करते कि यह ढेर फलां तारीख तक निपटा दिया जायेगा? आप यह एक या दो वर्ष रख सकते हैं। हर बार किसी न किसी बात की घोषणा की जाती

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

है। समस्त अधिकारी तन्त्र इस समस्या को सुलझाने में लग जाता है और समस्या को और उलझा दिया जाता है, कभी यह नहीं है कभी वह नहीं है। कुछ स्वतन्त्रता सेनानी अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में हैं। उन पर दया कीजिये और उनको कह दीजिये कि उनको यह पेंशन मिल सकती है या नहीं। यदि उनको पेंशन मिल रही है तो कब तक आशा करनी चाहिये ? एक स्वतन्त्रता सेनानी को पेंशन देने का क्या फायदा है जब वह मरने जा रहा है और वह स्वयं चिकित्सा सहायता प्राप्त नहीं कर सकता जो कि उसने पेंशन की सहायता से प्राप्त कर लिया होता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मन्त्रालय को यह समझाएं कि ये सभी मामले एक निश्चित अवधि में निपटा दिये जाने चाहियें। यह अवधि एक साल या अधिकतम दो साल हो सकती है और तब आप यह कहने योग्य हो जाएंगे कि अच्छा इस योजना को अब हम समाप्त करते हैं।

हमें 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। आपको स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी सभी मामले 15 अगस्त, 1987 तक निपटा देने चाहिएं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : ये तो पैदा होते ही रहते हैं। ये नये-नये पैदा हो गये हैं।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जन्मे लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की बात कर रहा हूं, उनकी नहीं जो आपके दिमाग में हैं।

हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये कि कम से कम स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 साल के अन्दर हम इस विशाल कार्य को पूरा करने में सक्षम हो जाएं जो हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा शुरू किया गया था और पेंशन में वृद्धि श्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी। यह उनके प्रति किया गया एक शुभ कार्य था। जब तक उनको स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं हो जाता और इसके लाभ उनको नहीं मिल जाते, वे प्रसन्न नहीं होंगे। मैं 15 अगस्त, 1987 की लक्ष्य तिथि के लिए निवेदन करूंगा जिस तक सभी मामले निपटा दिये जाएंगे और स्वीकृति दे दी जायेगी।

नागर विमानन मन्त्रालय ने शिमला में हवाई पट्टी बनाने जैसी कुछ परियोजनाएं शुरू की हैं। कांगड़ा के निकट भी हवाई अड्डा बनाने की एक योजना है। हिमाचल प्रदेश में चार संसदीय चुनाव क्षेत्र हैं। श्री पुजारी महोदय कृपया ध्यान दें कि कुल्लु, मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है, शिमला, शिमला निर्वाचन क्षेत्र में है; कांगड़ा, कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र में है। हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र के साथ यह अन्याय क्यों है ? यह केवल इस कारण है कि इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है या यह आकार प्रकार में बहुत सघन है या पंजाब के निकटतम है। यदि इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव किया गया है तो हम उन तकलीफों को दूर करने के उपाय सोच सकते हैं। परन्तु इस स्थिति में फायदों में यह भी बराबर का

भागी है, कम से कम वहां भी कोई हवाई अड्डा होना चाहिए; राज्यों के विभिन्न क्षेत्र संघीय राजधानी चंडीगढ़, अमृतसर एवं दूसरे स्थानों से जोड़े जाने चाहिएं।

अब मैं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा जिसका अभी तक किसी ने भी जिक्र नहीं किया है। संस्कृति मन्त्रालय के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग की जा रही है। इस मन्त्रालय के पास तीन अकादमियां हैं और ये अकादमियां उन लेखकों को पुरस्कार प्रदान करती हैं जिनकी मूल कृतियां हैं। परन्तु हमारे देश में अनुवाद अधिक महत्वपूर्ण हैं और कम से कम मूल कृतियों के समान महत्वपूर्ण तो हैं। मलयालम में लिखने वाले व्यक्ति के लिए यह समझना सम्भव नहीं होगा कि पंजाबी मे क्या लिखा जा रहा है। हम राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं। किन्तु जब तक हम अनुवाद की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाते जिसमें सभी महान ग्रंथों का (अथवा कम से कम महत्वपूर्ण पुस्तकों का) एक क्षेत्रीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए और विदेशी भाषाओं की पुस्तकें औसत भारतीय के लिए अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा आठवीं अनुसूची में शामिल अथवा साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हों, तब तक हमारी राष्ट्रीय अखंडता पूर्ण नहीं होगी। केवल यही पर्याप्त नहीं कि हम संसद में अथवा विधान मंडलों में बैठकर बात करें और संकल्प पारित करें, जब तक कि स्कूल, कालेज अथवा विश्वविद्यालयों के छात्रों को यह न मालूम हो कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्कालरशिप प्राप्त करने वाले हमारे देश में अग्रणी लेखकों द्वारा क्या लिखा जा रहा है और सृजनात्मक विचारधारा क्या है। ऐसा कहना गलत होगा कि "एक भाषा की सृजनात्मक पुस्तकों को उसी भाषा तक ही सीमित रहने दो।" साहित्य अकादमी अथवा अकादमी के परामर्श-मंडल के केवल एक या दो सदस्य इस बात का निर्णय करने में समर्थ नहीं हो सकते कि अमुक पुस्तक उत्कृष्ट है अथवा नहीं। इसलिए, मैं आग्रह करता हूं कि अनुवाद के लिए एक परियोजना अथवा कम से कम एक संस्थान हो जो बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य करने में समर्थ हो।

एक समय था जब चीन सरकार द्वारा भारत से चीन आमन्त्रित किए गए विद्वानों द्वारा संस्कृत तथा पाली भाषा में की भारतीय साहित्य की 35,000 पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। वहां के सभी राजा तथा रानियां उन्हें भोजन करवाते थे और उनके चरण धोते थे तथा यह कहते थे कि ये वो लोग हैं जो भारत जैसे देश से हमारे देश में ज्ञान लाये हैं। अतः, यदि चीन ऐसा कर सकता है और अपने साहित्य को समृद्ध बना सकता है तो भारत क्यों नहीं।

जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो केवल पश्चिम के बारे में ही सोचते हैं। हमें पूर्व की ओर भी देखना चाहिए। चीन, जापान, इन्डोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों में कुछ अच्छा साहित्य है। वास्तव में हम अपने पड़ोसियों को सदा भूल जाते हैं और फ्रांस, पेरिस, लंदन, वाशिंगटन, न्यूयार्क आदि को ही याद रखते हैं। परिणाम यह होता है कि हम केवल पश्चिम की ओर ही देखते हैं तथा अपने पूर्वी भाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि अकादमियों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा अनुवाद के लिए एक संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए ताकि हमारा देश अन्य देशों की साहित्यिक रचनाओं तथा उनके अनुवाद का लाभ उठा सके। इससे आपसी समझ बढ़ाने में

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

मदद मिलेगी और बौद्धिकता का स्तर बढ़ेगा।

मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और यह परामर्श देता हूं कि ऐसे सभी मामलों में, जहां पर कि कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है, वित्त मंत्रालय ध्यान दे क्योंकि मंत्रालय का देश के प्रति कर्तव्य है। वे राष्ट्रीय वित्त के परिरक्षक हैं, एक प्रति अथवा एक विभाग के नहीं। वे सभी राज्यों, विभागों तथा क्षेत्रों के परिरक्षक हैं।

मेरे मित्र ने पंचायत तथा विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में जो कहा उसका मैं कुछ पंक्तियों में उत्तर दूंगा। पंचायत केन्द्र का विषय नहीं है। अनुच्छेद 40 राज्यों को अपने तरीके से पंचायतें बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कई राज्यों में पंचायत राज प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और मैं गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की ओर ध्यान दिलाता हूं कि जहां पहले पंचायत राज ने बहुत अच्छा काम किया है। अत: यदि राज्य सरकार चाहे तो पंचायतों को मनचाही शक्ति दे सकती है। पंचायत के चुनाव कराने का काम केन्द्र सरकार का नहीं है। यह राज्य सरकार का काम है। अत: शिकायत उल्टी है। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती हैं और अधिक स्वायत्तता के लिए आग्रह कर रही हैं, दूसरी ओर वे पंचायतों और जिला परिषदों को अधिक शक्तियां नहीं देना चाहती हैं। इसलिए विकेन्द्रीकरण के लिए जिला, ताल्लुक और पंचायत स्तर पर भी आवाज उठाई जानी चाहिए और इन्हें राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार इस काम में उनके आड़े नहीं आएगी और अनुच्छेद 40 इस स्थिति को स्पष्ट करता है— पंचायत राज्य का विषय है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं। वे बैंकिंग तथा वित्त के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं मैं उनसे अन्य विभागों में भी अधिक अच्छे काम की आशा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नन्दलाल चौधरी (सागर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर चर्चा हो रही है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है। गरीब लोगों के लिये यह बड़ा सुनहरा बजट है। इस बजट से उनमें नई आशाएं जगी हैं। आपने बजट में 65 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी की है, कई नई योजनाओं को भी शुरू किया गया है। इन्दिरा गृह निर्माण आवास योजना का आम जनता ने बहुत स्वागत किया है। मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के इस सदन में एक माननीय सदस्य भी हैं और जो मध्य प्रदेश में मुख्य मन्त्री भी रहे। माननीय अर्जुन सिंह जी, उन्होंने मध्य प्रदेश में गरीब झुग्गी-झोंपड़ी वालों को जमीन दी। उससे 40 लाख लोगों को लाभ पहुंचा। यह बड़ी प्रशंसा की बात है। मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। मैं यह निवेदन करता हूं कि सारे देश में जो कैन्टूनमेंट बोर्ड हैं वहां उनकी जमीनों पर गरीब लोगों ने जो अपनी झोपड़ियां बना ली हैं उनको स्थाई रूप से उसके पट्टे दिए जाएं। इसके लिए बजट में प्राविजन करने

की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे देश में जहां कहीं भी गरीब लोगों ने अपनी झोपड़ियां बना ली हों उनको पट्टे दिए जाएं। मध्य प्रदेश में यह कार्य बहुत अच्छा हुआ है। वहां पर राज्य शासन ने गरीब लोगों को झोपड़ियों में जाकर पट्टे दिए, उनको उसके लिए आवेदन तक नहीं करने पड़े।

यह जो बजट है इसमें और भी कई बातें हैं जिनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बैंकों के द्वारा गरीब लोगों को जो ऋण दिए जाते हैं उसके लिए जगह-जगह पर उनसे पैसा मांगा जाता है तथा परेशान किया जाता है। मेरा सुझाव है कि ऋण वितरण के मामले में जनप्रतिनिधियों को भी सम्बद्ध किया जाए। अभी वहां बैंक एम्पलाईज ही निर्णय ले लेते हैं कि अमुक को ऋण देना है या नहीं। उसमें जनप्रतिनिधियों से कोई भी सलाह नहीं ली जाती है। इसलिए जो शिविर लगाए जाते हैं वहां पर दो-चार प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों की कमेटी बना दी जाए और उनकी राय से ही निर्णय लिए जाएं।

किसी भी पिछड़े हुए क्षेत्र की उन्नति के लिए दो-चार बातें बहुत आवश्यक होती हैं जैसे कि औद्योगीकरण, सिंचाई की सुविधा आदि। औद्योगीकरण बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे मध्य प्रदेश के सागर जिले में भारत अर्थ मूवर्स का कारखाना लगाए जाने का प्रस्ताव था, कुछ समय पहले उसका सर्वे भी हो चुका था लेकिन वह कारखाना नहीं लगाया गया है।

इसी प्रकार से सागर जिले में सिंचाई का रकबा भी बहुत कम है। सिंचाई के लिए बीना नदी परियोजना पर 15 वर्ष से सर्वे कार्य चल रहा है परन्तु कोई काम नहीं हो सका है। पता नहीं योजना कहां तक आगे बढ़ी है। मेरा निवेदन है कि बीना नदी परियोजना को जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाए तथा उस पर काम चालू करके सिंचाई की व्यवस्था की जाए।

हमारे मध्य प्रदेश में माननीय अर्जुन सिंह जी ने उन पुराने ऋणों को जोकि वसूल नहीं हो सकते थे, माफ कर दिया था। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के ऋण जिनको गरीब लोग देने में असमर्थ हों उन ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए। मैं अपनी कांस्टीट्युएंसी में गया था वहां मैंने देखा कि अनेक लोगों को बैंकों से पैसा मंजूर किया गया था कुआं खोदने के लिए लेकिन पैसा देने में देरी होने के कारण निर्माणाधीन कुआं खिसक गया और उस गरीब किसान को कोई भी लाभ नहीं मिला। अब उन किसानों पर ऋण वसूली की कार्यवाही चल रही है। मेरा निवेदन है कि जहां पर ऋण देने में बैंक एम्पलाइज़ ने गफलत की हो, ऋण देने में देरी की हो जिससे कि किसान को नुकसान पहुंचा तो उस ऋण को माफ किया जाए।

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : सभापति महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड्स नं० 11 व 12 जो सदन में पेश की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं वित्त मन्त्री जी का मशकूर हूं कि उन्होंने इतने अच्छे प्वाइंट्स इतने अच्छे तरीके से पेश किए हैं। इससे पहले इस किस्म की डिमांड्स नहीं पेश की गई।

सभापति जी, मैं खास तौर पर पंजाब की एकोर्ड की बात करता हूं। मैं अम्बाला से आता हूं,

[चौधरी राम प्रकाश]

जो कि पंजाब के साथ मिलता है। मैं अपने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत दिलेरी के साथ सन्त लोंगोवाल जी को मजबूर किया कि तुम समझौता कर लो और अपने सूबे में अमन कायम करो, वरना उस वक्त के हालात के मुताबिक दस या बीस आदमियों के कत्ल रोजाना होते थे। पंजाब एकोर्ड में चण्डीगढ़ की बात कही गई है। मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, मैं आपको चंडीगढ़ की बात बताता हूं। हिन्दुस्तान का पहला जनरल इलैक्शन 1952 में हुआ था। उस वक्त पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की एसेम्बली शिमला थी। 1952 का सैशन शिमला में हुआ। उससे बाद कुछ तजवीजें हुईं कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना दी जाए। वहां जमीन एक्वायर की गई। जमीन एक्वायर करने के बाद वहां पर राजधानी बनाने का काम शुरू हुआ था। बहुत से साथियों को पता नहीं है कि उस वक्त अकालियों ने एजीटेशन की थी कि चंडीगढ़ राजधानी नहीं बनानी चाहिए। उस वक्त ज्ञानी करतार सिंह, फतेह सिंह और तारा सिंह और पता नहीं कितने लीडर्स थे और वहां पर काम शुरू हो गया। चंडीगढ़ बहुत फर्स्ट-क्लास बन गया। मैं 1952 से चंडीगढ़ में रहा हूं, इसलिए मुझे वहां का पता है। मेरे साथ के जो लीडर थे, जो चंडीगढ़ की मुखालिफत करते थे, चंडीगढ़ को सपोर्ट करते थे, उनमें से दो-तीन बचे हैं और बाकी सब भगवान को प्यारे हो गए।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय सदस्य पंजाब समझौते के बारे में बोल रहे हैं। महोदय, जो भी गृह मन्त्री है उन्हें मौजूद रहना चाहिए।

सभापति महोदय : कोई भी मन्त्री···वित्त राज्य मन्त्री उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता कि माननीय मन्त्री कौन हैं। जो भी गृह मन्त्री है उन्हें मौजूद रहना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : वह पूरक मांगों के बारे में बोल सकते हैं।

सभापति महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बात केवल यह है कि मैं नहीं जानता कि गृह मंत्री कौन है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय इसमें होम मिनिस्ट्री के लिए भी है। इसलिए वे बोल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा मतलब है, होम मिनिस्टर होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह निर्णय लेना पीठासीन अधिकारी का काम है, सदस्यों का नहीं।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : सभापति जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त के सारे लीडर मर गए, जो मुखालिफत करते थे। उसमें सिर्फ दो-तीन आदमी ही बचे हैं। जो परिवार के आदमी मर जाते हैं, परिवार खत्म हो जाता है, उसके बाद के जो दो-चार आदमी रह जाते हैं, बुजुर्ग रह जाते हैं, हक तो उनका रहता है, चंडीगढ़ के मुताल्लिक।

तो चण्डीगढ़ का मालिक मैं आपके सामने खड़ा हूं। किस जबान से अकाली कहते हैं कि चण्डीगढ़ हमारे हवाले कर दो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : चण्डीगढ़ का मालिक मैं आपके सामने खड़ा हूं जो चण्डीगढ़ से बिलोंग करता है। चण्डीगढ़ मैंने बनाया है। आज अकाली किस मुंह से कहते हैं कि चण्डीगढ़ हमारा है, चण्डीगढ़ हमें दे दो। हम मालिक हैं, हरियाणा मालिक है चण्डीगढ़ का। ये पंजाबी नहीं हैं, अकाली नहीं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोई माननीय सदस्य स्वयं खड़ा होकर अगर बोलता है तो जब तक मेरे द्वारा उसे बोलने की अनुमति न दी जाये, उसके भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : सभापति जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था चण्डीगढ़ के मुत्तल्लिक।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[चौधरी राम प्रकाश]

चण्डीगढ़ हमारा है, मेरा है। पंजाब का और इन अकालियों का कोई हक नहीं है जिन्होंने कि इसकी मुखालिफत की है।

उसके बाद, सभापति जी, मसला आता है, रावी, व्यास के पानी के मुत्तल्लिक। इसके पानी मुत्तल्लिक मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे अफसोस इस बात का है कि एक जिम्मेदार आदमी जो एक स्टेट का मुख्य मन्त्री भी है, सुरजीत सिंह बरनाला, उन्होंने फ्लोर आफ द हाऊस यह बात कही है कि इस नहर के मुत्तल्लिक हरियाणा का कोई हक नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 1960 में इन्टरनेशनल ट्रीटी हुई थी, उस वक्त पंजाब और हरियाणा के जो रेतीले, बंजर और पिछड़े इलाके हैं उनको पानी देने के बारे में बात हुई थी और 110 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया गया था। चूंकि यह पानी गरीब इलाकों को, गरीब आदमियों को मिलना था इस वास्ते 110 करोड़ रुपया हमारी सेन्टर की सरकार ने, जवाहर लाल नेहरू ने, हमारी इन्दिरा गांधी ने दिया था। अब उनका उस पानी पर क्या हक है ?

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके बाद 200 करोड़ रुपया, बल्कि इससे भी ज्यादा हरियाणा ने पंजाब को दिया इस नहर की खुदाई के बारे में। आज जो बरनाला जी यह कहते हैं कि हरियाणा का हक नहीं है, वह क्यों हक नहीं है ? उन्होंने दो सौ करोड़ रुपया क्यों लिया जब हरियाणा का हक नहीं है ?

आज पंजाब का इनके हाथ में कंट्रोल नहीं है।**.....
....., इनका कोई हिसाब नहीं है, उसूल नहीं है। ये हमारी क्या बात करें, मुल्क की क्या बात करें। ये तो आपस में लड़ते-लड़ते रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। अगर इन्होंने यही करना शुरू कर दिया है तो ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ये आपस में एक-दूसरे को मारेंगे।

आज पंजाब के अन्दर क्या हालत है ? वहां जंगल का राज है,**.....। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और यह मैंने प्रधान मन्त्री की मौजूदगी के अन्दर कहा था कि ये जो अकाली हैं ये अकाली**....., इनके साथ समझौता नहीं हो सकता है, इनके साथ कोई बात नहीं हो सकती है। मुझे हैरानी इस बात की है कि हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट किसलिए कमजोर पड़ गई है।**....., और कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान) मैं पंजाबी हूं, मैं जानता हूं...

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसके बाद कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसके बाद आप जो कुछ बोलेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : इसको एक्सपंज करना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, बहुत गम्भीर आरोप लगाए गए हैं···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ये आपत्तिजनक शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

(व्यवधान)*

रामप्रकाश जी, इसके बाद कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये आपत्तिजनक शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। **(व्यवधान)*** अब श्री भद्रेश्वर तांती। राम प्रकाश जी, कृपया बैठ जाइए। आप जो बोल रहे हैं उसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं श्री तांती को बोलने के लिए कह चुका हूं।

3.00 म० प०

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : अपनी शिकायतों को व्यक्त करने का मौका देने के लिए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मद्रेश्वर तांती]

मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि असम चाय, खनिज, तेल, कोयला, जूट और वन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश को इन उत्पादों पर गर्व है। देश जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है उसका 60 प्रतिशत असम द्वारा अर्जित किया जाता है। इस बजट ने उन 55 लाख चाय बागान तथा गैर चाय बागान श्रमिकों को कुछ नहीं दिया है जिन्होंने इस देश को मजबूत और अखंड बनाने के लिए अपना खून दिया है। जीविका के लिए कुछ देने की बजाय उन्हें ऐसा घटिया किस्म का खाद्यान्न दिया जा रहा है जिसे जनता के सभी वर्ग ठुकरा चुके हैं। इस खाद्यान्न की सप्लाई उन्हें उद्योगपति कर रहे हैं और काफी असंतोष होने के बावजूद सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है।

असम में 10 लाख चाय बागान श्रमिक के पास ये मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि गरीबी हटाओ के नाम पर सरकार चाय बागान श्रमिकों को ही खत्म कर रही है क्योंकि उन्हें जो खाद्यान्न सप्लाई किया जा रहा है वह बहुत घटिया किस्म का है तथा मानवीय उपभोग के योग्य नहीं है। सरकार और लोगों को सुनाई जा रही चाय बागान श्रमिकों की दुखद गाथा निरर्थक जा रही है।

"हमारे संविधान का भाग III और IV श्रमिक वर्ग के प्रति नरम है। सरकार के कहने पर संविधान असम में चाय बागान श्रमिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने में भी असफल रहा है। असम में चाय बागान तथा चाय गैर बागान श्रमिकों की संख्या 55 लाख है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के 38 सालों के बाद भी इनमें से .01 प्रतिशत से भी कम श्रमिक शिक्षित हैं। हम कहते हैं कि संविधान एक मानवीय दस्तावेज है। संविधान की प्रस्तावना में ये चार-पांच शब्द "हम भारत के लोग" मानवीय दस्तावेज और भारत के लोगों की बाईबल हैं। पर मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि 1983-84 में चुनाव अवधि के दौरान सरकार के कहने पर लाखों लोगों की हत्या क्यों की गई और सरकार क्यों मौन साधे रही? पुलिस तथा केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के कार्मिकों ने अनेक युवा लड़कियों, आदमी, औरतों तथा वृद्ध महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकाल कर मार डाला। नेल्ली दुर्घटना का क्या हुआ जिसमें निर्दोष शिशुओं को जीवन से हाथ धोना पड़ा? गोलपुर और पंका दुर्घटना का क्या हुआ? सरकार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में एकदम असफल रही है। राहत के नाम पर मेरापानी और गालाघाट में प्रत्येक परिवार को एक कम्बल दिया गया है। हमारे जैसे सभ्य समाज में 10 सदस्यों का एक परिवार इकट्ठा नहीं सो सकता लेकिन राहत के नाम पर चुनाव से एकदम पहले एक कम्बल और सी० आई० शीट दी गई। सरकार असम के उन गरीब लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बलिदान दिया है? हमारा संविधान कानून बनाने की अनुमति देता है पर काला कानून बनाने की अनुमति नहीं देता। गैर-कानूनी निर्धारण और प्रवजन अधिनियम, 1984 केवल विदेशियों के बचाव के लिए पारित किए गए हैं। हमारे देश में हर एक को अपनी शिकायतें कहने का अधिकार है तथा गैर-कानूनी विदेशियों को बाहर निकालने की मांग करने का अधिकार है। संविधान नागरिकता अधिनियम तथा विदेशी व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत विदेशियों को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब असम की जनता विदेशियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करती है

तो सरकार जनता के और लोगों के खिलाफ हो जाती है और विदेशियों का बचाव करती है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार भूमिहीनों और गरीबों को भूमि उपलब्ध नहीं करा पाई है पर उसने विदेशियों को निवास करने का अधिकार यहां तक की वन भूमि भी दे दी है। असम की जनता के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूं।

महोदय, काजीरंगा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। लेकिन अभी तक सरकार असम में या काजीरंगा के समीप पर्यटन स्थलों के विकास के लिए एक आदर्श गांव की स्थापना नहीं कर सकी है। इन पर्यटन स्थलों के माध्यम से हम करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं पर असम में इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। असम में चाय बागानों के माध्यम से भी देश काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। लेकिन इसके बदले में असम में चाय बागान श्रमिकों को केवल घटिया किस्म का खाद्यान्न दिया जाता है। असम में अस्पताल नहीं है। और जहां हस्पताल हैं वहां दवाइयां नहीं हैं। गुवाहाटी में काला पहाड़ में केवल एक टी० बी० हस्पताल है। हाल ही में मैंने इसका दौरा किया था। वहां कोई उपस्थित नहीं था। यहां तक कि स्टाफ के कर्मचारी भी उपस्थित नहीं थे। मरीजों की देखभाल का काम जो महिलाएं करती हैं उन्हें मरीजों के लिए पीने का पानी लाने के लिए आधा मील दूर जाना पड़ता है क्योंकि मरीजों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री भद्रेश्वर तांती : मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा रवैया क्यों अपनाया गया है। हमारे देश में हर एक को ठीक से रहने का अधिकार है। इस विधि सम्मत अधिकार से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करिए।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, केवल एक मिनट और।

जहां तक संचार और रेलवे का सम्बन्ध है असम में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। वहां पर सिर्फ एक बड़ी रेल लाइन है तथा भारत के अन्य भागों की तुलना में असम में रेल संचार व्यवस्था एकदम खराब है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी जगह हालत खराब हैं।

श्री भद्रेश्वर तांती : अतः यह बजट समाज के कमजोर वर्ग के लिए नहीं है तथा विशेष तौर पर न ही यह श्रमिक वर्ग के लिए है हालांकि सभी व्यक्तियों को संविधान के अध्याय III तथा IV के अन्तर्गत अधिकार है। अतः सरकार को निर्धनतम व्यक्ति की दशा सुधारने के लिए तुरन्त कदम उठाना चाहिए

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति महोदय, डिमाण्ड्स फार ग्रान्डस और डिमाण्ड्स फार एक्सेस ग्रान्ट्स जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने 1983-84 और 1985-86 सदन के समक्ष रखी हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान दो-तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। डिमाण्ड्स फार ग्रान्ट्स और डिमाण्ड्स फार एक्सेस ग्रान्ट्स 1983-84 और 1985-86 के लिए है। अभी 1984-85 बाकी है। हमारे यहां एक बड़ी पुरानी कहावत है कि "ताते पांव पसारिए जाते चादर होय" "कट यूअर कोट अकार्डिंग टू यूअर क्लोथ" जितना हो उतना ही करें। आज जब हम आगे बढ़ने की बात सोच रहे हैं तो 1983-84 आ गया है, फिर करन्ट का आयेगा और बीच का बाद में आयेगा। इस तरह से करने का क्या कारण हो सकता है। ये सारी दिक्कतें क्या हैं। हमारी फिसकल फालिसी है, लूज बजट, अनफोरसीन बजट, क्यों ऐसा है। जरूरत इस बात की है कि इसको बहुत ही ठीक ढंग से समझ-बूझकर करें ताकि बजट करेक्ट फीगर्स में हो और जो हो वही फालो-अप हो। कोई वार आ जाए या ऐसी आपदा आ जाए जिसको नहीं समझ सकते तो अलग बात है। लेकिन यह तो परिपाटी बन गई है। इससे कुछ नहीं होगा। इससे सही स्थिति नहीं हो पाती है। मिनिस्ट्री फार एग्रीकल्चर एण्ड डवलपमेंट, कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स और कामर्स आदि पर तथा इस तरह से 101 आइटम्स पर कमी बताकर सदन के समक्ष पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि शायद ही कोई विभाग इसमें बाकी रहा हो, जिसको शामिल न किया गया हो। यदि एक्सैप्शनली कहीं कोई चीज आ जाए, एक्सीडैंटली ही कोई चीज आ जाए, तो यह विचारणीय विषय हो सकता है लेकिन हम हर साल एक कौमन प्रैक्टिस बनाकर सारी चीजों के लिए मांगें तो मान्यवर, वह कोई अच्छी बात नहीं है।

इन सप्लीमैंटरी डिमाण्ड्स फार ग्रान्ट में कुछ पैसा एग्रीकल्चर और रुरल डैवलपमैंट के लिए भी मांगा गया है। माननीय इन्दिरा जी के जमाने से ये रूरल डैवलपमैंट और एन्टी पावर्टी प्रोग्राम्स शुरू किये गये थे और अब तक इन पर काफी रुपया खर्च किया जा चुका है। हम इन कार्यक्रमों के लिए चाहे जितना पैसा दें, वह कम है। उसका कारण, मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि चाहे हम यहां से कितना ही रुपया क्यों न दे दें, लेकिन जब तक उसका प्रोपर इम्पलीमैंटेशन नहीं होगा, उसकी हम प्रोपर मोनीटरिंग सोक्योर नहीं करते, तब तक उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है और मैं यह बात पहले भी इस सदन में कई बार कह चुका हूं। उदाहरण के लिए० एन० आर० ई० पी०, मिनिमम गारंटी प्रोग्राम, आर० एल० ई० जी० पी० आदि कार्यक्रमों के लिए हम जितना भी पैसा देते हैं, मैं बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही सफाई के साथ, एन्टायर एम्फैसिज के साथ कहता हूं कि उसका 60-70 परसैंट से ज्यादा हिस्सा तो लुटेरों की जेबों में चला जाता है, अधिकारियों और ठेकेदारों के पास चला जाता है और लगभग 30 परसैंट पैसे से ही काम होता है, और इस तरह उन गरीब लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता, जिनके लिए हमने ये एन्टी पावर्टी प्रोग्राम्स, आदि बनाये हैं। जो कुछ काम आपको गांवों में दिखाई देता है, वह इन 25-30 परसैंटे पैसे से ही बना है, उससे ज्यादा खर्च नहीं हुआ है, यदि आप चाहें तो इस सदन की एक कमेटी गठित करके दिखवा लें। इस तरह गांवों में इन कार्यक्रमों का मजाक हो रहा है। यहां से जितना पैसा जाता है उसको तलवार की नोक पर, बन्दूक

के सहारे, लुटेरे लोग लूट कर खा रहे हैं, ऑफीशियल्स की जेबों में जा रहा है, अधिकारियों की जेबों में जा रहा है और उसका बहुत सा हिस्सा उन अथोरिटीज़ को जाता है जो उस पर बजट एलाट करती है या खुद पेमैंट करती है। मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। जब इस देश में 60-70 परसेंट से ज्यादा आबादी गरीब किसानों की है तो बजट बनाते समय हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। आपने इस बजट में जितना पैसा दिया है, ठीक है, लेकिन गरीबों के हित मे, किसानों के हित में ऐसी पौलिसी जरूर बनाई जाए ताकि जिस समय किसान गल्ला पैदा करे तो उसको पूरा दाम मिल जाए। यह न हो कि जब किसान से बनिये की तरफ अन्न जाए तो उस वक्त दाम कम हो और जब बनिये की तरफ से किसान की तरफ आये तो दाम ज्यादा हो। इस स्थिति से बचने की तरफ आपको ध्यान देना होगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश इस देश का बहुत बड़ा राज्य है, जहां लगभग 11-12 करोड़ जनसंख्या रहती है। छठी पंचवर्षीय योजना में यदि आप इंडस्ट्रीज के मामले में उत्तर प्रदेश को आबंटित बजट का प्रतिशत देखें तो वह कुल बजट का 2.15 प्रतिशत है जबकि आन्ध्र प्रदेश को 17.76 प्रतिशत रुपया मिला है, जबकि उसके मुकाबले वह बहुत छोटा राज्य है। यह डिसपैरिटी है और उत्तर प्रदेश के साथ उद्योगों के मामले में, कृषि के मामले में, ग्राम विकास के मामले में, जहां 12 करोड़ की आबादी निवास करती है, जो ऊब रही है, सिसक रही है, पिछड़ी हुई है, सरासर अन्याय है। उसकी बैकवर्डनैस को देखते हुए यदि हम बजट में इसी अनुपात से आबंटन करते रहे तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं कई बार इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर चुका हूं।

मान्यवर, यदि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और खास तौर से पश्चिमी बिहार के नक्शे की तरफ देखें तो हिन्दुस्तान की जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व इसी क्षेत्र में है। यदि पिछले इतिहास को देखें तो आजादी की लड़ाई में भी सबसे अधिक कुरबानी इसी क्षेत्र ने दी थी, काफी संख्या में लोग मरे थे... लेकिन यहां की निर्क्षरता, यहां का पिछड़ापन और यहां की सारी स्थिति को देखते हुए लगता है कि आजादी के तीस-चालीस साल के बाद भी यह सरकार चाहती है कि वहां का रिक्शापुलर, रिक्शापुलर ही रह जाए और वह बम्बई आदि शहरों में जाकर रिक्शा ही चलाते रहे या गल्फ कंट्रीज में मलाया में या सिंगापुर में जाए और वहां चौकीदारी करे ?

मान्यवर, उसका भला तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वहां के लिए एक अलग इकाई बना कर अलग से बजटिंग नहीं करेंगे। इसलिए वहां के लिए अलग इकाई बनाकर वहां के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान करना होगा।

मान्यवर, हमारे वित्त मन्त्री जी बड़े सम्पन्न इलाके से आते हैं। मैं चाहता हूं कि वे इन सारी चीजों के लिए व्यवस्था करेंगे।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : माननीय सभापति महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक

[श्री विजय एन० पाटिल]

तथा अतिरिक्त मांगों का समर्थन करता हूं। मुझसे पहले के वक्ता ने जो कहा उसी के आगे मैं कहूंगा कि विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली राशि राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए नहीं दी जानी चाहिये। इसके विपरीत सरकार को राज्यों द्वारा आबादी नियंत्रित किये जाने के प्रयासों को मद्देनजर रखना चाहिये। आपको धन राशि इसी बूते पर नहीं बढ़ाते रहना चाहिये कि राज्य की आबादी 12 करोड़ या अधिक है। इसी तरह से उन राज्यों को जोकि कानून के जरिये से आबादी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु विकसित हैं इसलिए धनराशि कम आवंटित की जाये। सरकार चलाने तथा विकासीय गतिविधियों को चलाने के लिए अधिक धन मुहैया करने के लिए सरकार को करों में वृद्धि करनी पड़ती है। परन्तु होता क्या है कि यदि करों में पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो बिचौलिए या व्यापारी मूल्यों में अधिक प्रतिशत की वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए यदि पैट्रोल की कीमत 10 पैसा प्रति लीटर बढ़ती है तो टैक्सी वाला 25 पैसा प्रति किलोमीटर अधिक वसूल करेगा। महाराष्ट्र में यदि हम किसानों को दूध का अधिक दाम देने के लिए एक रुपया प्रति लीटर दूध का दाम बढ़ा देते हैं तो वहां पर 100 ग्राम आइसक्रीम की कीमत में एक रुपये वृद्धि हो जाएगी। इस तरह 10 गुना वृद्धि होती है। अतः व्यापारी, बिचौलिए करों में वृद्धि का लाभ उठाते हैं। इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई नियंत्रण होना चाहिये कि कर में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है अतः मूल्यों में इतने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। यह पता लगाने के लिए भी एक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए कि किसी वस्तु का मूल्य क्या था तथा किस हद तक इसमें वृद्धि की जा सकती है। जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं तो हमें अधिकतम मूल्य वृद्धि पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा बेईमान लोग फायदा उठाते हैं, वे लोग जो अपनी वस्तुओं के उत्पादन को नियंत्रित कर सकते हैं वे इसका फायदा उठाते हैं। सरकार ने तम्बाकू पर कुछ रियायतों की घोषणा की है परन्तु सिगरेट की कीमतें कम नहीं हुई हैं। अगर आप कपास का उदाहरण लें, पिछले वर्ष कपास की कीमत 700 रुपया प्रति क्विंटल थी जबकि इस वर्ष किसानों को 400 रुपया प्रति क्विंटल भी नहीं मिल रहा है। बिचौलिए, कपड़ा मिल मालिक कपड़े की कीमतें कम नहीं कर रहे हैं। इसमें 10 या 20 प्रतिशत की कमी भी नहीं आई है। किसानों को मूल्य वृद्धि का कुछ भी नहीं मिलता है। अतः कृषि उत्पाद की कीमतों में कमी आने के बावजूद भी कीमतें बढ़ती रहती हैं। किसानों को अपने उत्पादों का पूरा पैसा नहीं मिलता है। अतः मैं कहूंगा कि लम्बी अवधि की वित्त नीति को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार की प्रगतिशील नीतियों के परिणामस्वरूप तथा 21वीं सदी की ओर जाने के लिए तथा गतिशील व्यक्तित्व वाले प्रधान मंत्री की मदद से हमें कुछ न कुछ ठोस काम करना चाहिए।

महोदय, वित्त मंत्री ने घोषित किया है कि आयकर अधिकारियों को किसी भी घर की तलाशी लेने का अधिकार होगा—निश्चित ही कोई नियंत्रण तो होगा ही। परन्तु घरों में जाना क्यों आवश्यक है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप व्यापारियों के परिचय-कार्ड को देखें तो आप पायेंगे कि उस पर बहुत सी फर्मों के नाम लिखे होते हैं। प्रबन्ध निदेशक एक ही है। आप इस बात को क्यों

नहीं जांच करते कि कितने लोग, फर्में कर दे रही हैं ? वे लोग कर नहीं देते हैं क्योंकि एक वर्ष में वे अपनी फर्मों को बन्द कर देते हैं। बम्बई में 10 × 15 वर्ग फीट के एक फ्लैट में 10-15 फर्में विभिन्न नामों से होती हैं तथा एक वर्ष के अन्दर वे अपनी फर्मों को बन्द कर देते हैं या उनके नाम बदल देते हैं तथा इस तरह से करों की चोरी करते हैं। अगर आप सम्पूर्ण भारत में करों की संख्या का सर्वेक्षण करें तो सरकारी एवं कम्पनियों की कारों को छोड़कर, जो निजी व्यक्तियों द्वारा रखी गई कारों की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें से कितने कार मालिक करों का भुगतान कर रहे हैं ? दिल्ली में अगर आप ग्रेटर कैलाश, महारानी बाग, साउथ एक्स्टेंशन, पंचशील एन्क्लेव तथा अन्य पोश कालोनियों में जायें तो आप प्रत्येक बंगले के बाहर 5-6 कारें देखेंगे। आपको बंगले के अन्दर जाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ कार मालिक का नाम लिख लीजिए आप पायेंगे कि कार का ड्राइवर ही मालिक है। आप प्रश्न पूछिये क्या कार का ड्राइवर जिसके नाम पर कार पंजीकृत है, कर का भुगतान कर रहा है, चूंकि कार के रख रखाव के लिए उसे 2000 रुपए प्रति माह चाहिए होता है। अगर वह कर नहीं दे रहा है तो आप कार को सरकारी गिरफ्त में ले लीजिए। करों की चोरी करने वालों का पता लगाने के लिए आपको हर बार घरों में जाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सी बातों को बंगले के दरवाजे पर ही पकड़ सकते हैं।

इसी तरह से बम्बई में पान वाले करोड़पति एवं लखपति हैं। आप देखेंगे कि एक घंटे में 500 से 600 पान की बिक्री होती है। एक पान बनाने में 50 पैसे की लागत आती है परन्तु पान वाला उसे 1.50 रुपये में बेचता है। परन्तु जब आप यह पूछते हैं क्या वह कर दे रहा है। तो जवाब होगा :

[हिन्दी]

मेरे हाथ रंगे जाते हैं, मुझे कमाई नहीं होती है।

[अनुवाद]

"मैं गरीब आदमी हूं, देखिए मेरे हाथ पान से रंगे हुए हैं।" परन्तु वह करोड़पति बन जाता है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को करदाता के जाल में लाने के लिए हमें कोई न कोई कानून बनाना चाहिए ताकि लोग करों की चोरी करने में समर्थ नहीं होंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं तथा मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। इस समय पांच मिनट ही शेष रहे हैं, इसलिए सभी मांगों पर जिक्र करना सम्भव नहीं है।

हमारी सरकार को गरीब लोगों के भले के लिए, उन्हें खाने का सस्ता अनाज देने के लिए, 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए और एन० आर० ई० पी० और अन्य कामों के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

लानी पड़ती हैं। इस डिमांड्स को लाना कोई गलत बात नहीं है, मैं कहूंगी कि यह एक कल्याणकारी राज्य की निशानी हैं।

काला धन जो कि हमारे देश के लिए एक बड़ा कलंक था, उसको दूर करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, मैं उनका दृढ़ता से समर्थन करती हूं।

आज राजस्थान में बड़ी विचित्र परिस्थितियां हैं। हम यह कहें कि त्रिकाल है जो कि काल से भी भयंकर स्थिति है तो कहना गलत नहीं होगा। वहां लगातार कई वर्षों से पानी न होने की वजह से भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान के 27 जिलों में से 23 जिले अकाल से ग्रस्त है तथा 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं। जो कुछ राशि राजस्थान के लिए आवंटित की गई है वह बड़ी अपर्याप्त है। अगर उस राशि को नहीं बढ़ाया जायेगा तो वहां के व्यक्ति प्यास से मरेंगे तथा जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं होगी।

जैसा कि कहा जाता है कि हमारा देश एक धनवान देश है, जहां पर गरीब व्यक्ति भी रहते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से सम्पदा बहुत अच्छी है। हमारे यहां भू-गर्भीय सम्पदा है और खनिज पदार्थ हैं। प्रकृति ने हमें भरपूर वरदान दिया है, परन्तु उसका सही रूप से उपयोग नहीं हो पाया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी महान् नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कहना था कि दूर दृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। यदि हम इसको लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। राजस्थान की भूमि रत्नगर्भा है परन्तु औद्योगिक दृष्टि से खनिज सम्बन्धी उद्योग वहां पर कायम नहीं हो पाए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में जनता लम्बे समय से मांग कर रही है कि वहां पर जिंक और राक फास्फेट बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, भीलवाडा और उदयपुर के क्षेत्रों में जिंक बहुतायत में पाया जाता है इसलिए सुपर जिंक स्मेल्टर वहां पर स्थापित करने की बात को सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है, सदन में भी इस बात को कह दिया गया तथा स्थान का चयन भी कर लिया गया है परन्तु बजट में उसके लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित नहीं की गई है इसलिए वह सारी की सारी योजना अधूरी रह गई है। इसलिए इसकी ओर मंत्री जी को तुरन्त ध्यान देना चाहिए ताकि वहां पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। सुपर जिंक स्मेल्टर स्थापित होने पर देश अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन भी कर सकेगा और उस विदेशी मुद्रा से विदेश व्यापार का संतुलन भी ठीक हो सकेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा धनी है साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से भी उसका बड़ा महत्व है। अतः पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान इस देश का एक महत्वपूर्ण भाग है परन्तु इस संदर्भ में भी राजस्थान की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हाल ही में पश्चिम सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना उदयपुर में करने की व्यवस्था की गई है जिसके लिए मैं सरकार को हृदय से धन्यवाद देती हूं। परन्तु चित्तौड़गढ़, जिसके कण-कण में वीर-वीरांगनाओं की कथायें छिपी हुई हैं, उसके विकास के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने वहां के लिए वायुदूत की सेवा शुरू करने का प्रयत्न किया है, वहां पर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में एक एअर-स्ट्रिप भी राज्य सरकार की मौजूद है इसलिए इस वर्ष ध्यान देकर वायुदूत सेवा चित्तौड़गढ़ को भी

दी जाए ताकि विदेशी पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हो सकें और सरकार को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो।

इसी प्रकार से सूचना प्रसारण मंत्रालय से संबंधित एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस देश की 70 प्रतिशत जनता को टेलिविजन नेटवर्क के द्वारा जोड़ने की व्यवस्था की गई है परन्तु मैंने जो ऐतिहासिक स्थल यहां पर बताए हैं जैसे कि चित्तौड़गढ़ जोकि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत धनी है उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक हाई पावर ट्रांसमीटर लगाया जाना चाहिए—चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर—ताकि आसपास की जनता लाभान्वित हो सके।

मान्यवर, राजस्थान बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है और सिंचाई की दृष्टि से इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान के लिए एक वरदान है जोकि श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृतियां अपने में छिपाए हुए हैं। परन्तु राजस्थान कैनाल को बहुत कम धनराशि दी गई है। मेरा निवेदन है कि इंदिरा गांधी कैनाल जिसका पूर्व नाम राजस्थान कैनाल था, उसको एक राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार करें ताकि वहां के पिछड़े हुए लोगों को, प्यासे लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। (व्यवधान)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सिंचाई की दृष्टि से अनेक योजनायें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ी हुई हैं उन्हें तुरन्त स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए जैसे कि उदयपुर से संबंधित एक योजना है और चित्तौड़गढ़ का एक···प्रोजेक्ट है जोकि स्वीकृत हुआ था, राजस्थान सरकार ने उस पर काम भी शुरू किया था परन्तु वह योजना केन्द्रीय सरकार को सौंप दी गई क्योंकि सुपर जिंक स्मेल्टर की जो योजना थी उसको इसी योजना से पानी मिलना था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे।

3.30 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आर० पी० सुमन (अकबर पुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिनांक 12 मार्च, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 12 मार्च, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.31 म० प०

चुनाव प्रक्रिया में सुधार संबंधी संकल्प (—जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किये गये चुनाव सुधार संबंधी संकल्प पर और आगे चर्चा करेगी। डा० गौरी शंकर राजहंस अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझार पुर) : सभापति जी, जब पिछली बार मैं बूथ कैपचरिंग की बात कर रहा था, तो मैंने यहां पर माहिया की कहानी सुनाई थी, तो सैंट्रल हाल में सदस्यों ने मुझ से कहा कि यह कहानी आप फिर से सुनाइए। श्रीमन्, यह कहानी नहीं है, यह बात सच है। माहिया से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। बहुत नामी क्रिमिनल था। वह एक सौ हाथी और एक सौ ऊंट व एक सौ जीप लेकर जिसमें करीब दो सौ अनलाइसेंस्ड आर्म्स लेकर चलता था और कहता था जो लोग मुझे वोट देंगे उनकी बड़ी मेहरबानी है। वे अपने घर में बैठें और उनको वोट डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके बदले में वोट मैं कर दूंगा और जो हमारे पक्ष में वोट नहीं देना चाहते हैं, उनकी भी बड़ी मेहरबानी होगी और यदि वे भी अपने घर में बैठे रहें, यदि वे वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर गए तो वे वापिस नहीं आयेंगे। मैं सच बात कहता हूं।··· (**व्यवधान**) ···

जो चीज बिहार में है, वह यू० पी० में भी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पीठाध्यक्ष को मुखातिब करिये।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : लोग उसके डर से वोट गिराने नहीं जाते और वह हजारों वोट से जीत जाता था, हर बार चुनाव में। बाद में वह मारा गया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इससे देश को काफी बड़ी क्षति हुई है।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : यह बात माहिया की नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस देश में।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष में हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : जो क्रिमिनल्स हैं और चुनाव जीतते हैं। यह बात मजाक में मत उड़ाइए। यह बहुत गम्भीर बात है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस देश से प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सुझाव क्या देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कृपा करके उनको नीचे न भेजें।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मेरे कहने का मतलब है कि जो बूथ कैपचरिंग करें, उनको छः साल के लिए इलैक्शन से डिबार कर दिया जाए और कोग्निजेबिल आफेंस बना दिया जाए। उन्हें फिर से इलैक्शन नहीं लड़ने दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब विरोधी पक्ष को सदन में बहुमत हासिल हो जाएगा।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : कोई हर्ज नहीं है, चाहे जो हो।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : भूतलक्षी प्रभाव से।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले जब विपक्ष का शासन था तो मैं इलेक्शन देखने गया था। (व्यवधान) जरा सुन लीजिए। मैं नया नया अखबार का आदमी था। मुझे पता नहीं था कि बूथ कैपचरिंग कैसे होता है। (व्यवधान) यह हम सब लोगों के लिए कंसर्न की बात है।

मैंने वहां क्या देखा ? एक बूथ पर 20-25 मिनट तक वोटिंग हुआ, उसके बाद उसके चारों

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

कार्नर्स पर बम फूटा। उसमें दो-चार आदमी घायल हो गये, दो-चार सौ आदमी जो बूथ पर थे वे भाग गये। (व्यवधान) मैं तो बच गया, तभी आज यहां बोल रहा हूं।

उसके बाद क्रिमिनल्स ने उस बूथ को घेर लिया और प्रीजाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसर से कहा कि आपको जान प्यारी हो तो आप काउंटर फाइल पर साइन करते जाइये नहीं तो ऊपर चले जाइये···। इसमें हमारे लोग मारे गये हैं। जिस केण्डीडेट के लिए उन्होंने कहा था वह केण्डीडेट जीत गया।

एक माननीय सदस्य : किस का केण्डीडेट था ?

डा० गौरी शंकर राजहंस : आपका केण्डीडेट है। अगर हमारा केण्डीडेट रहता तो हम में यह मोरल करेज नहीं होता कि हम खड़े होकर यह डिमाण्ड करते। (व्यवधान)

श्रीमन्, मैं कहूंगा कि आज इस चीज को हम हंसी-मजाक में न टालें। यह मामला बहुत गंभीर है और इस मामले पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आज से 10-15 साल में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी।

कुछ दिन पहले श्री श्रीपति मिश्र ने कहा था कि इस देश के बहुत बड़े भाग में दादा लोगों का राज है। (व्यवधान) जैसा कि श्री श्रीपति मिश्र जी ने कहा था कि माफिया देश के एक बहुत बड़े भाग में राज कर रहा है। माफिया कहता है कि तुम नौमिनेशन नहीं भरोगे, यदि तुमने नौमिनेशन भरा तो तुम ऊपर जाओगे। और लोग डर के मारे नौमिनेशन नहीं भरते हैं। देश में ला एण्ड आर्डर इस तरह से बिगड़ी हुई है कि लोग क्रिमिनल्स का मुकाबला नहीं कर सकते।

इसलिए मैं कहूंगा कि इस बूथ केपचरिंग के सिलसिले को जड़ से समाप्त किया जाए। इसको कग्निजेबल आफेंस बनाया जाए और जो आदमी यह करे उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उस पर मेहरबानी न की जाए।

अब मैं आपसे इलेक्शन में पैसे के महत्व के बारे में कहता हूं। इलेक्शन रिफार्म्स करते समय इसका महत्व भी कम करना पड़ेगा। अभी मैं न्यूयार्क टाइम्स में पढ़ रहा था फिलीपींस में चुनावों के बारे में। एक बहुत बड़ा किस्सा मैंने पढ़ा। (व्यवधान)

मार्कोस के समर्थक रेल के डिब्बों में, बसों में जाकर के लिफाफा देते थे। जनवरी के महीने में जब कि क्रिसमस को काफी समय बीत गया था, उस लिफाफे पर लिखा रहता था "हैप्पी क्रिसमस" और लिफाफे के अन्दर 25-30 डालर रहते थे और एक छोटा सा टाइप्ड स्लिप रहता था, उसमें छपा रहता था कि अगले चुनाव में आपको इस देश के सबसे बड़े देशभक्त मार्कोस को वोट देना है और जब आप वोट गिराने जाएंगे तो आप कृपया उधर से आपका बैलट नम्बर नोट कर लीजिए। जो लोग अपना बैलट नम्बर नोट करके यह स्लिप मार्कोस के दफ्तर में दे देंगे, उनको और 30 डालर दिए

जाएंगे। इसके बारे में न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है, उसके कारसपोंडेंट ने लिखा है कि ऐसा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपने पड़ौसी राज्य में इससे भी बड़ा अन्याय होते हुए देखा था। (व्यवधान)

मैं नाम नहीं ले रहा हूं। कुछ साल पहले किसी इलेक्शन में गया था उसके बारे में बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उस इलेक्शन में, 20 का नया नोट उन दिनों निकला था और एक पैसे वाले इलेक्शन लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट कैंडीडेट थे, उन्होंने कुछ बीस के करारे नोट बीच से ब्लेड से काट दिए, गड्डी की गड्डी और देहातों में आधा-आध नोट बांट दिया और कहा कि यदि मैं जीत गया तो जो आदमी नोट लेकर आएंगे, उनको पूरा नोट दे दिया जाएगा, आधा नोट रख लिया जाएगा, पूरा नोट दिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ये नोट जरूर नकली होंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस : महोदय, ये असली हैं।

सभापति महोदय : इसी कारण उन्हें लालच दिया गया।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और वह आदमी जीत गया। उसने 5 लाख रुपया इस तरह से खर्च किया और वह जीत गया। अगली बार 50 लाख रुपया इस तरह से खर्च करेगा और वह जीत जाएगा। इस देश में रुपये के खेल से प्रजातंत्र चलेगा, यह बहुत ही गम्भीर बात है, जिस पर आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनाव में पैसे का जो रोल है, रुपये की जो भूमिका है, उसको खत्म करना जरूरी है, जड़मूल से उखाड़ फेंकना इसको जरूरी है और जो आदमी इस तरह की मेलप्रेक्टिस में इंडल्ज करते हों, उनको परमानेंटली डीबार करना होगा। जब तक यह नहीं होता, तब तक प्रजातंत्र इस देश से दूर रहेगा। थैली वाले लोग, पैसे वाले लोग इस हाउस में और असेम्बली में बैठेंगे और जो गरीब का नुमाइन्दा होगा वह कभी असेम्बली नहीं देख सकेगा, कभी पार्लियामेंट नहीं देख सकेगा।

सभापति महोदय, यह बात अच्छी हुई कि टेबल के नीचे से पैसा देने के बजाए ऊपर से पैसा दिया जाने लगा और पालीटिकल डोनेशन को लीगलाइज कर दिया गया। इस बारे में मैं एक ही अर्ज करना चाहूंगा कि सारी पोलीटिकल पार्टीज को अपने फण्ड्स को आडिट करना चाहिये और उसे न्यूज-पेपर में पब्लिश कराना चाहिए, जिससे जनता समझ सके कि यह पैसा कहां से आया है। मैं जानता हूं, मुझे प्रेक्टीकल एक्सपीरियंस है, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन इस देश में विदेश से कैसे पैसा आता है और विपक्ष के लोगों के पास कैसे पैसा आता है, इसे मैं साबित कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप सी० बी० आई० से हैं ?

डा० गौरी शंकर राजहंस : हां, सी० बी० आई० से हूं, मैं आपके यहां भी साबित कर दूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह बात रिकार्ड में नहीं आनी चाहिए कि "मैं सी० बी० आई० से हूं"। कम से कम इसे सी० पी० आई० कहिए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं यह कहना चाहूंगा कि पालिटिकल पार्टीज अपने फण्ड्स का आडिट करवाएं और लोगों को बताएं तो इस तरह से भ्रष्टाचार बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अभी एक मिस्ट्री बनी हुई है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि पैसा कहां से आता है। आप मानें या न मानें यही पैसा देश में महंगाई को लाता है। इलैक्शन के बाद आप देखते होंगे कि इस देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ जाती है और आप लाख चिल्लाते रहें, कोई असर नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात बताता हूं।···(**व्यवधान**) इलैक्शन में आफिसर्स जितना परेशान करते हैं, कम लोग होंगे जो ऐसा परेशान करते हैं। यह तो सभी लोगों को पता होता है कि इलैक्शन होने वाला है। उस समय यह कहा जाता है कि इलैक्शन के आस-पास आफिसर्स को नहीं बदलेंगे। वह आफिसर इतनी मनमानी करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक कैंडीडेट के पास एक गाड़ी रहनी चाहिए तो वह एक गाड़ी भी नहीं रहने देता है। मेरा सुझाव यह है कि जैसे ही इलैक्शन अनाउंस हो तो सारे आफिसर्स को लाटरी निकालकर बदल देना चाहिए। एक ही जगह उस आफिसर को नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसका वैस्टेड इंटरेस्ट होगा।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : दुर्भाग्य से उन्होंने वह सिद्धांत मंत्रियों पर लागू किया है।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : एक कैंडीडेट को दो से ज्यादा जगह से नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत से लोग तीन-चार जगह से खड़े हो जाते हैं और व्यर्थ में बाइ-इलैक्शन करवाते हैं। मैं यह कहूंगा कि आप नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए। लोक सभा और असेम्बली इलैक्शन में कितना पैसा बर्बाद होता है, इसके बारे में सोचिए। लोक सभा और असेम्बली के इलैक्शन साथ-साथ होने चाहिए, अलग-अलग नहीं होने चाहिए। मेरा सुझाव यह भी होगा कि इलैक्शन कमीशन में तीन सदस्य होने चाहिए। एक सदस्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इलैक्शन कमीशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इलैक्शन कमीशन को ज्यादा पावर्स मिलनी चाहिए। उसे हाईकोर्ट की तरह ही पावर्स मिलनी चाहिए। इलैक्शन के कैसेज वहीं पर हल हो सकें,

वह हाईकोर्ट में न जाएं । पांच-पांच साल तक कैसेज चलते हैं तब तक आदमी का टर्म खत्म हो जाता है। इसके लिए एक अलग से बाडी बनाई जाए जो क्वीक डिस्पोजल कर सके । मैं यह कहूंगा कि लोगों में जागरूकता जगानी चाहिए और यह बताना चाहिए कि कम्युनिटी के नाम पर या दूसरे कन्सीडरेशन्स के नाम पर जो वोट लेने आते हैं, वह वोट बहुत ही अनमोल है। कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडीडेट खड़ा हुआ है, इलैक्टोरल रोल में भी उसका नाम नहीं रहता है, भाग-दौड़ करता रहता है, उसका नाम दिखाई नहीं पड़ता है। इलैक्टोरल रोल को बहुत ही कैअरफुली रिवाइज किया जाना चाहिए। इलैक्शन एक्सपेन्सेज के बारे में भी कहना चाहूंगा। रिटर्न कुछ और भरते हैं और खर्चा कुछ और करते हैं। जो रिजनेबल हो वह लिमिट एक्सपेन्सेज की होनी चाहिए जिसमें सब लोग वाजिब खर्च कर सकें। अगर आप इस देश में डैमोक्रेसी को रखना चाहते हैं तो सारी पालिटिकल पार्टीज को मिल-बैठकर एक कोड आफ कंडक्ट बनाना चाहिए। विदेशों में जिस तरह से स्टेट फंडिंग होता है उसी तरह यहां भी पोलिटिकल पार्टीज के लिए खासकर जो कैन्डीडेट्स खड़े होते हैं, उनका फंडिंग होना चाहिए। उनको आप कैश में भुगतान मत कीजिए, बल्कि काइन्ड में कीजिए, उसको पैट्रोल दीजिए, उसको वाउचर दीजिए और देखिए कि उसको जितना पैट्रोल दिया गया था, क्या उसने उसका उपयोग किया या नहीं, यदि किया तो कितना, उसको आप पोस्टर्स छाप कर दीजिए, उसके पोस्टल एक्सपेंसेज की बीयर कीजिए। इस तरह से काइन्ड में आप दीजिए और इस विषय पर विदेश के अनुभव से लाभ उठाइये, दूसरे देशों का इस विषय में काफी अनुभव है और हर बार विदेशों का अनुभव गलत ही नहीं होता है।

इसलिए श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इलैक्टोरल रिफार्म्स को हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि इस पर ही डैमोक्रेसी का भविष्य निर्भर करता है।

3.52 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

*डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोदय, सर्वप्रथम मैं इस संकल्प के सम्बन्ध में श्री डागा द्वारा रखे गए संशोधन का समर्थन करती हूं।

हमारे देश में कई बार चुनाव हुए हैं। यह कहा जा सकता है कि अधिकांश जगहों पर न्यूनाधिक रूप से चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। निश्चय ही हम यह नहीं कह सकते कि किसी भी जगह किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई या कोई गैर-कानूनी काम नहीं हुआ। भारत जैसे बड़े देश में चुनावों में कहीं न कहीं कोई न कोई अनियमितता होना स्वाभाविक ही है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि प्रत्येक चुनाव से पहले या बाद में बहुत शोर मचाया जाता है जैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह हमेशा सच नहीं होता। जब से इस देश में चुनाव होना आरम्भ हुआ है कोई अनियमितता या अनैतिक घटना घटती रही है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम घटीं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, अधिक से

*मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[डा० फूलरेणु गुहा]

अधिक चुनाव हो रहे हैं, भ्रष्टाचार और अनैतिक घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। हमें इस सबसे बचना है। यह खतरे की घंटी है।

महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मद अर्थात् मतदाता सूची की ओर दिलाना चाहती हूं। किसी भी चुनाव में यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक मतदाता सूची को अद्यतन और उचित तरीके से तैयार नहीं किया जाता, जब तक इसमें सभी वैध मतदाताओं का नाम नहीं आता, चुनाव कभी भी उचित तथा निष्पक्ष नहीं हो सकते। यहां मैं दो घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूं। किसी घर में 42 लोग रह रहे थे। मतदाता सूची में देखा गया कि उनमें से केवल 1 व्यक्ति का नाम इस सूची में था, शेष 41 व्यक्तियों का नाम सूची में नहीं था। कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से इस घटना पर हैरानी हुई और उन्होंने इस बारे में स्थानीय नेता से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, "इस घर में मेरे दल को वोट देने वाला केवल एक ही आदमी है और मैंने इस बात की जांच कर ली है कि मतदाता सूची में उसका नाम है। मुझे अन्य सदस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैंने उनके नामों की जांच नहीं की है।" अतः इसलिए मैंने कहा कि किसी भी चुनाव के लिए मतदाता सूची महत्वपूर्ण और आवश्यक है। सही और अद्यतन सूची के बिना चुनाव ठीक से नहीं कराए जा सकते। दूसरी घटना मैं अपने अनुभव से सुना रही हूं। मेरे घर में एक लड़का रहता था। जब वह 21 साल का हुआ तो उसमें भी वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा जागृत हुई। और मैंने भी उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन दिया। मैं स्वयं उसे अपने साथ ले गई और मतदाता सूची में उसका नाम लिखवाया। जब अन्तिम मतदाता सूची छपी तो उसका नाम उस सूची में था। विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी, जो चुनाव लड़ रहे थे, उसके वोट की पर्चियां उसे भेजीं। चुनव के दिन वह लड़का अपना वोट देने के लिए मेरे साथ मतदान केन्द्र गया। मतदान केन्द्र में देखा कि उसका नाम मतदाता सूची में से लाल स्याही से काट दिया गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात थी और जांच करने पर अधिकारी ने हमें बताया कि "मैं कुछ नहीं जानता, हमारे पास तो यही मतदाता सूची भेजी गई है। हम उसे वोट देने की अनुमति नहीं दे सकता।" मैं समय के अभाव के कारण मामले को आगे नहीं बढ़ा पाई और इसका कारण यह भी था कि मैं जानती थी कि केन्द्र में हमारे ही दल की जीत होगी, वहां किसी अन्य दल की जीत नहीं हो सकती। इस कारण मैंने मामले को आगे नहीं बढ़ाया।

इस संदर्भ में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बात का पता लगाए कि क्या देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक द्वारा मतदान किए जाना कानूनन अनिवार्य और आवश्यक बनाया जा सकता है। मैं समझती हूं कि यह बहुत आवश्यक है और इसकी समुचित जांच की जानी चाहिए।

महोदय, मैं आपका ध्यान एक और मुद्दे की ओर दिलाऊंगी। किसी भी चुनाव से पूर्व प्रायः यह देखा जाता है कि बड़ी संख्या में बाहर से लोग चुनाव-क्षेत्र में आ जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। यदि वास्तविक मतदाता बाहर रहते हैं, तो निश्चय ही वे मतदान के लिए आएंगे। लेकिन बड़ी संख्या में बाहर से लोगों को वहां आने से रोका जाना चाहिए। चूंकि मैं चुनावों से काफी लम्बे समय से सम्बद्ध हूं, सन् 1946 से, मैं देखती आ रही हूं कि चुनाव के समय

बाहरी लोगों के इस तरह चुनाव वाले क्षेत्र में आगमन से चुनाव प्रक्रिया में बड़ी बाधा पहुंचती है और इससे अशांति पैदा होती है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या कानून बनाकर इसे रोका जा सकता है। कई बार यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बैलट पत्र में इतनी जटिलता आ जाती है कि आम आदमी को इस बारे में भ्रम हो जाता है और उसे वोट देने में कठिनाई होती है।

अब मैं चुनावों के समय होने वाले खर्च की बात करूंगी। सभी चीजों के मूल्य बढ़ गए हैं। देश में सामान्य मूल्य स्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा को बढ़ाया जाए। कई बार हमने उम्मीदवारों को यह कहते सुना है कि इन्हें चुनाव लड़ने के लिए उनके मित्रों ने पैसा दिया है। ये मित्र कौन हैं ? ये अमीर लोग होते हैं।

निर्धन उम्मीदवारों के अमीर दोस्त नहीं हो सकते। केवल अमीर उम्मीदवारों के ही अमीर दोस्त हो सकते हैं अथवा अमीर लोग उन उम्मीदवारों की पैसा देकर सहायता करेंगे जिनसे वे जीतने के बाद अपने कई तरह के काम निकलवा सकते हैं। इस पहलू के बारे में भी कोई कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दलों के नियम-विनियम होते हैं जिनका वे चुनावों के दौरान पालन करते हैं। मेरा इन राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिन उम्मीदवारों का वे नामांकन करते हैं वे इन नियमों का पालन करें। जब तक सभी राजनैतिक दल यह महसूस नहीं करते कि देश पर कितना संकट है, देश में उस लोकतंत्र को बचाना कठिन होगा जिस पर हमें इतना गर्व है।

महोदय, हम 1969 से चुनावों में सुधार की बात सुनते आ रहे हैं। इसके लिए 1970 में एक समिति नियुक्त की गई थी। 1972 में नई लोक सभा के गठन के बाद पुनः एक समिति बनाई गई। उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया था। लेकिन इसके कार्यान्वयन से पूर्व ही, फिर चुनाव हो गए। जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद 1977 में इस कार्य के लिए एक उप-समिति बनाई गई। लेकिन उस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट देने से पूर्व, जनता सरकार सत्ता से बाहर हो गई। हर समय चुनाव में सुधार न करने के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी माना जाता रहा है। लेकिन जब जनता सरकार सत्ता में थी, तो उन्होंने समिति को नियुक्त करने के अलावा कोई प्रभावी काम नहीं किया। अतः मैंने यह प्रश्न उठाया कि जनता सरकार जब सत्ता में थी तो उन्होंने भी समिति नियुक्त की थी। उस समिति में उस दल के कई प्रमुख नेता थे। लेकिन क्या अपने 2½ वर्ष के शासन-काल के दौरान वे इस दिशा में कुछ कर पाए ! मैं मानती हूं कि यह कार्य बड़ा कठिन है। लेकिन काम चाहे कितना ही कठिन हो उसे करना है।

कई बार हम देखते हैं कि चुनावों के दौरान जाति और धर्म के मसले उठाये जाते हैं। यह बहुत खराब बात है। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि वह इस पर भी विशेष ध्यान दें।

महोदय, मैं बात और कहना चाहती हूं। हमारे देश में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या और क्षेत्र के बारे में कई विसंगतियां हैं। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र भी हैं जो इतने बड़े हैं कि निर्वाचन क्षेत्र के सभी स्थानों का दौरा करना असम्भव होता है। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा-निर्धारण के बारे में भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

[डा० फूलरेणु गुहा]

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यदि चुनाव सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाए तो तेजी से परिवर्तन किया जाए। इसमें ढील बरतने का कोई कारण ही नहीं है। इसे वर्षों तक और लटकाए रखना उचित नहीं है।

महोदय, चूंकि मेरा शुरू से ही देश में होने वाले चुनावों से निकट सम्बन्ध रहा है, मेरा दृढ़ विचार है कि कई स्थानों पर विदेशी मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे तथा इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करे। मैं अपने चुनाव सम्बन्धी लम्बे अनुभव से कह रही हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सन् 1946 से मैं चुनावों में जुड़ी हुई हूं। यहां शायद ही किसी को इतना अधिक अनुभव इस बारे में हो। उस समय मेरे कई मित्र बच्चे ही थे। अत: मैं सरकार और विभिन्न राजनैतिक दलों की भावनाओं से सहमत हुए बिन नहीं रह सकती।

विदेशी मुद्रा की भूमिका के संबंध में एक उदाहरण दूंगा। एक स्थान पर मैंने पाया कि कुछ राजनैतिक दलों ने बहुत गहरे रंग का उपयोग किया है। स्वाभावत: मैंने इसके स्रोत के बारे में पता किया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह विशेष रंग इतना महंगा है कि किसी उम्मीदवार के लिए उसे प्रयोग में लाना बहुत ही कठिन है। पूछताछ करने पर आपको पता चलेगा कि इस विदेशी मुद्रा की भूमिका के दो पहलू हैं। कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश की उन्नति नहीं चाहती हैं और उसके लिये वे धन देती हैं तथा देश में कुछ ऐसे दल हैं जो अपने देश की प्रगति नहीं चाहते हैं और वे इन विदेशी ताकतों से धन प्राप्त करते हैं तथा धन की ताकत से चुनाव लड़ते हैं।

अन्त में, मैं यह अनुरोध करूंगी कि निर्वाचन सम्बन्धी सुधार शीघ्रातिशीघ्र कराये जायें। जब तक सभी राजनैतिक दलों के परामर्श से यह कार्य नहीं किया जायेगा तब तक भविष्य में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हम अपने आदर्शों को प्रतिबिम्बित नहीं कर सकेंगे। शनै: शनै: हम ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे, जिसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा। श्रीमन, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

4.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल) : सभापति जी, आज एक बहुत गम्भीर विषय पर सदन चर्चा कर रहा है। यह बात सही है कि हर व्यवस्था में और किसी न किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन जो शब्द इस प्रस्ताव में प्रयोग किये गये उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है वह एकदम खराब है पैसे की वजह से, पावर की वजह से, धर्म की वजह से और दूसरी गलत प्रक्रियाओं के कारण हुई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इसमें सुधार की गुंजाइश है, यह चीज अवश्य प्रभावित करती है।

मैंने 1937 में जब मैं 10 साल की उम्र का था, उस वक्त चुनाव देखा था। यदि उस वक्त

का चुनाव इन चीजों से प्रभावित होता तो सारी असेम्बलियों में बड़े-बड़े जमींदार और ताल्लुकेदार आ जाते। क्योंकि उन लोगों के पास पैसा और ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत थी। हमने देखा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने, उस वक्त उधर के बैठने वाले बहुत से विपक्ष के सदस्य भी कांग्रेस में थे, उन बड़े-बड़े लोगों को धराशायी किया।

एक बात और देखने में आती है। हमने देखा कि 1977 में कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई और जनता पार्टी की सरकार आयी। उनके पास संगठन तो नहीं था, लेकिन पैसा कहीं से मिल गया होगा। सभी कास्ट्स का एक प्रकार से कांगलोमरेशन था, सभी का मिला जुला था, उससे कांग्रेस हार गई। फिर 1980 में जबकि जनता पार्टी सत्ता में थी और उसने कुछ स्वरूप भी ले लिया था फिर भी वह साफ हो गई। इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि भारतवर्ष की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, उसने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। केन्द्र में शासन है कांग्रेस आई का और 9 सूबों में भी कांग्रेस आई की सरकारें नहीं हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी मौका दिया गया कि वह अपना करिश्मा बंगाल में दिखाये। जनता पार्टी को अपना काम दिखाने का मौका कर्नाटक में दिया गया। तमिलनाडु में ए० आई० ए० डी० एम० के० को मौका दे दिया गया। लेकिन इसके अलावा एक मजेदार बात और दिखाई देती है। तमिलनाडु में नीचे लोकल बाडीज, स्थानीय निकायों में डी० एम० के० है। इसी तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रशासन है लेकिन बम्बई नगर निगम में शिव सेना है। हर पार्टी को विभिन्न स्तरों पर आजमाया गया है। बड़ी परिपक्व यहां की जनता है, मतदाता हैं इस बात को तो मानना पड़ेगा।

इस बात को भी हमें मानना पड़ेगा, यदि हम अपने देश के चारों ओर नजर दौड़ायें तो केवल हमारे मुल्क में ही चुनाव की प्रक्रिया कायम रही, लोकतंत्र यहां चलता रहा और शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है परन्तु जो देश हमारे साथ-साथ आजाद हुए थे वहां पर आज लोकतंत्र की प्रक्रिया ही नहीं रह गई है। तो हमारे लिए यह भी एक बड़े गर्व की बात है इसलिए हमें अपनी चुनाव प्रक्रिया को डेनिग्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ विकृतियां तो समय के साथ, युग के साथ आती है जिनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। परन्तु जब हमारा संविधान बना था तब हमारे सामने कई विकल्प थे। एक विकल्प था कि वालिग मताधिकार, जोकि हमने अपनाया है, उसको अपनाते यानी गांव-पंचायत, स्थानीय निकाय, टाउन एरिया कमेटीज, नगरपालिका, विधान सभायें संसद के लिए सीधे हम चुनाव कराते जिसको हमने अपनाया है। हम वह सिस्टम भी अपना सकते थे वहां केवल एक पार्टी होती है और उस पार्टी की लिस्ट पर वोटिंग होती है तथा 99.99 प्रतिशत वोट "न" या "हां" में पड़ते हैं। लेकिन उस सिस्टम को हमने नहीं अपनाया क्योंकि हमारे यहां इन विचारों में बहुत सारी समता नहीं है। इसलिए राजनीतिक विचारधारा के आधार पर पार्टीज बनाने की बात आई। मेरी राय में तो विकृति वहां से आई है जब राजनीतिक पार्टियों के आधार पर हमने चुनाव को अपना लिया और राजनीतिक पार्टियों को व्यावहारिक मान्यता दे दी परन्तु राजनीतिक पार्टियों का उस रूप में विकास नहीं हो सका जिस रूप में कि उनका विकास होना चाहिए था। राजनीतिक पार्टियों का विकास होना चाहिए विचारधारा के आधार पर। कुछ पार्टियों का विकास तो राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हुआ है यह मैं मानता हूं। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक विचारधारा है। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की भी एक विचारधारा है, यह भी मैं मान सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी की भी एक विचारधारा है—मैं मानता हूं लेकिन बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी अलग से कोई विचार-

[श्री ब्रह्मदत्त]

धारा नहीं है। अगर कुछ लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से नाराज हो गए तो एक दूसरी पार्टी बन गई। किसी और पार्टी में फूट हुई तो उसके भी भाग हो गये। कहीं क्षेत्रीय आधार पर या अन्य किसी आधार पर पार्टियां बन गईं। तो ये विकृतियां आई हैं जिनको दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे चुनाव की जो प्रक्रिया है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमारा एक लोकतन्त्र है जिसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। यदि हम देखें तो सारे एशिया की तरफ नजर दौड़ाने से हमें दिखाई देता है कि ऐसा केवल हमारा ही एक देश है जहां लोकतन्त्र की मशाल जल रही है और इस मशाल को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जो लोग इसको डेनिग्रेड करते हैं, इसको बदनाम करते हैं उनसे हमें दुख होता है। मैं मानता हूं किसी हद तक पैसा प्रभावित करता है, किसी हद तक जाति भी प्रभावित करती है लेकिन पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है और सारा चुनाव विकृत होगा—ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरी अपनी कास्ट के शायद 25 वोट ही होंगे साढ़े सात लाख वोटर्स में। लेकिन कोई असर नहीं होता है। यहां बहुत बड़े-बड़े पैसे वाले भी लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया हमें शुरू करनी पड़ेगी। यह काम केवल सरकार का नहीं है, सबका काम है। सब लोगों को बैठकर इस पर विचार करना पड़ेगा। पहले हमें राजनैतिक दलों को निर्धारित करना पड़ेगा। यह अफसोस की बात है, यदि किसी दिन हमारा लोकतन्त्र डूबेगा, तो वह सिर्फ हमारे राजनीतिक दलों के कमजोर आधार की वजह से टूटेगा। लोकतन्त्र को बड़ा भारी खतरा पहुंचेगा। एक बार हमने देखा कि जर्मनी रिपब्लिक बनी और यह थोड़ी सी फासिस्ट ताकतों के आगे चकनाचूर हो गई, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। जब तक जनता में विचारधारा के साथ, जनता में राजनीतिक दलों का विकास विचारधारा के आधार पर नहीं होता है तो यह खतरनाक स्थिति पैदा होती है। कोई भी आदमी किसी भी मौके पर कमजोरी का उपयोग करके लोकतन्त्र को तबाह कर सकता है। यह खतरा हमारे यहां नहीं आया है, लेकिन बगल के देशों में आया है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा, सारी राजनीतिक पार्टिया जो हमारे मुल्क की है, वे चाहे एक क्षेत्र में सीमित हों, चाहे एक सूबे में सीमित हों या सारे देश में फैली हुई हों, इसका स्वरूप हमें लोक सभा में देखने को मिल रहा है। लोकदल, जनता पार्टी, तेलगू देशम और आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० व मार्कसिस्ट पार्टी से कम हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे जरूर बातलाप करना चाहिए। वार्तालाप करें कि राजनीतिक पार्टियां कैसी बने। किस राजनीतिक पार्टी की मेम्बरशिप रजिस्टर हैं, किस राजनीतिक पार्टी को चन्दा दिया जाता है। हमारे यहां जो राजनीतिक दल है, उनको शिकायत रहती है कि दलों का आधार होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, जो देशभक्त न हो, देश के हित में न हों। रास्ते अलग-अलग हो सकते है, रास्ते अलग होने भी चाहिए। सत्तारूढ़ दल का विकल्प कभी नहीं रहा, इसके लिए हम किस को दोषी ठहरायें। आप देखें 1977 में कांग्रेस हार गई। एक गम्भीर स्थिति होते हुए भी एक नाम मात्र की पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन उस वक्त भी अगर कोई राष्ट्रीय दल था, तो कांग्रेस। इसलिए केन्द्र में जनता पार्टी का शासन होते हुए भी विपक्ष में कांग्रेस थी। प्रदेश में कहीं कांग्रेस की सरकारें थी, कहीं कांग्रेस विरोधी दल में थी। जो पार्टी केन्द्र में शासन कर रही थी, वह बहुत सी जगहों पर न विपक्ष में थी और न सरकार में। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, जिसने सरकार भी बनाई और विपक्ष में भी रही। आज भी आप देखें, सैन्टर में और नौ प्रदेशों के अलावा सब में हमारी

पार्टी का शासन है और बाकी प्रदेशों में विपक्ष में हैं। नेता विरोधी-दल हमारा है। इसलिए हर पार्टी को देखना चाहिए कि कैसे पार्टी की जड़ मजबूत की जाए। मैं मानता हूं कि जातिवाद सिर उठा रहा है। जातिवाद केवल चुनाव पर ही प्रभाव नहीं कर रहा है, बल्कि पार्टी को भी प्रभावित कर रहा है। पार्टी में विकृति ला रहा है। हमारी पार्टी में भी ला रहा है और दूसरी पार्टियों में भी ला रहा है, लेकिन इसको दूर करने की आवश्यकता है। जातिवाद को दूर करने के लिए केवल उपदेश देने से काम चलने वाला नहीं है। जब हम कोई आर्थिक कार्यक्रम लेकर चलते हैं, जब हम कोई सामाजिक कार्यक्रम लेकर चलते हैं, जब हम कोई जनकल्याणकारी कार्यक्रम लेकर चलते हैं, तो हम जाति से ऊपर लोगों को ला सकते हैं। हमारी जनता जाति से ऊपर उठकर वोट करती है। नहीं तो बहुत से सज्जन न उधर बैठे हुए होते हों और न इधर बैठे हुए होते। हमें अपनी जनता पर और अपनी प्रक्रिया पर अविश्वास नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अनेक माननीय सदस्य इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं। यदि सभा सहमत हो तो इस संकल्प के लिये हम दो घंटे का समय बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, श्रीमान।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिये दो घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्म दत्त : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जाति का प्रभाव है, यह धर्म का प्रभाव है, यह हमारी चुनाव प्रक्रिया का नतीजा नहीं है। यह हमारे सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण है। क्योंकि हमारे मुल्क में पुनर्जागरण नहीं हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि मुल्क में सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं होता है तो कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। आखिर आप जाति के प्रभाव को, धर्म के प्रभाव को और उन लोगों की प्रवृत्ति को जो लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं।

अगर हमारी सारी राजनीतिक पार्टियां स्पष्ट रूप से अपना आर्थिक कार्यक्रम बना लें और उस कार्यक्रम के आधार पर लोगों के सामने जाएं और उनसे कहें कि देखो यह हमारा आर्थिक कार्यक्रम है, यदि हम सत्ता में आये तो इस कार्यक्रम को लागू करेंगे तो हम जाति और धर्म के प्रभाव को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। यह शुरूआत पार्टियों को करनी पड़ेगी।

मैं इस भावना से सहमत हूं कि यह जिम्मेदारी सरकार की भी होगी, सब पार्टियों की नहीं। सब पार्टियां मिलकर बैठ सकती हैं, सरकार के साथ मिलकर इस काम को कर सकती हैं। लेकिन इसको करना पड़ेगा। पार्टियों को आचार-संहिता भी बनानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता उन पार्टियों को, अच्छे और ठोस कार्यक्रम अगर वे लेकर चलेंगी तो अपनी इच्छानुसार मौका देगी। मौका हरेक को दिया जाता है।

[श्री ब्रह्मदत्त]

4.16 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

हमारे यहां बूथ केपचरिंग की बात बहुत होती है। हम अपने विरोधियों पर आरोप लगाते हैं, विरोधी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। एक जमाना ऐसा आया जब सन् 1980 में उप चुनाव हुए तो मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विरोधी दल का नेता था। हम तो कह रहे थे लेकिन वहां जनता पार्टी के लोगों ने यह शिकायत की कि लोक दल वाले उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको मारा-पीटा गया है और बूथ केपचरिंग की गई है। उन लोगों ने जो शिकायत की तो उससे उनके भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर, मोरार जी भाई पर हमला हो गया। उन्हीं के एक हिस्से का शासन केन्द्र में था। वे लोग सरकार से विरोध करते रहे, उसके बारे में कोई इन्तजाम नहीं हुआ। वह भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई और हमने इस सबको उठाया। यह सब क्यों हुआ ? यह सब इसलिए हुआ कि भयंकर जातिवाद के आधार पर उस पार्टी का संगठन बना हुआ था। उसके सामने न जनता पार्टी का सिद्धांत काम करता था, न कांग्रेस का सिद्धांत काम करता था।

इसके बारे में हमारी राजनीतिक पार्टियों को, हमारे राज नेताओं को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इसको ठीक किया जाए। क्या पार्टियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, क्या उनकी मेम्बर शिप की जांच की जाए, यह सब सोचना पड़ेगा। जिस तरह से ट्रेड यूनियंस का प्रबन्ध है कुछ इस तरह का प्रबन्ध जरूर करना पड़ेगा। लेकिन आम सहमति से करना पड़ेगा। यह कानून से नहीं हो सकता है, आम सहमति से होगा।

लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है राजनीतिक पार्टियों के लिए आचार संहिता बनाना, कोड आफ कंडक्ट बनाना। यह मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी ला मिनिस्ट्री या सरकार इसको बनाये। कोड आफ कंडक्ट बनना चाहिए लेकिन आम सहमति से बनना चाहिए। हमारी सब पार्टियां मिलकर बनाएं। क्योंकि अनुशासन वही सफल होता है जो आत्मानुशासन से हो। ऊपर से अनुशासन काम नहीं करता।

हमारा चुनाव आयोग काफी निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। लेकिन इसको मजबूत करने की जरूरत है। चुनाव की व्यवस्था करने का काम इसके ऊपर है। चुनावों में होने वाली धांधलियों को रोकने और उनमें धांधली करने वाले लोगों को सजा देने की ताकत, उनके ऊपर कार्यवाही करने की ताकत, उनको सजा देने की ताकत देकर इसको मजबूत किया जाना चाहिए। सबसे डायरेक्ट बात गलत वोटिंग की आती है।

एक बात का मैं सख्त विरोध करता हूं। किसी आदमी को, किसी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा मत दीजिए। वरना यह एक भ्रष्टाचार का जरिया बन जाएगा। हां पैसा खर्च किया जा सकता है, सरकार पैसा खर्च कर सकती है, अगर सरकार पैसा खर्च करना चाहती है तो हर वोटर को आईडिएंटिटी कार्ड दीजिए, हर वोटर को दीजिए। जिस समय चुनाव हों, अब भी आपने व्यवस्था की है, रेडियो पर, टेलीविजन पर प्रचार के लिए समय देते हैं, इसकी और व्यवस्था कीजिए। आज लोकल

स्टेशन बन गए हैं, लोकल रेडियो स्टेशन हैं, टी० वी० स्टेशन हैं, उन पर स्थानीय लोगों को, स्थानीय कैंडीडेट्स को आमने-सामने आने की इजाजत मिल सके, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत खर्चा होता है प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग का एक स्टैंडर्ड बना दीजिए, पोस्टर का क्या साइज होगा, कितने पोस्टर निकाले जा सकेंगे, कितने हैण्डबिल निकाल पाएंगे, क्या क्वालिटी होगी, क्या कीमत होगी, ये तीन-चार चीजें हो सकती हैं और अगर सरकार खर्चा करना चाहे तो हर वोटर को आईडिएंटिटी कार्ड दे सकती है, यह खर्चा करने योग्य है, इससे गलत वोट देने का जो मामला है वह काफी कम हो जाएगा।

एक बात मैं यहां पर फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर पैसा इलेक्शन जीत सकता होता तो मार्कोस इलेक्शन जीत गए होते, ताकत के इलेक्शन जीता जा सकता तो मार्कोस इलेक्शन जीत गए होते। आपने सुना होगा कि एक हजार मिलियन डालर उनके नाम से जमा है और फिलीपींस के ऊपर कुछ 3000 मिलियन डालर का कर्जा है, इसका मतलब है कि एक-तिहाई कर्जा वे अपने साथ ही ले गए। चटर्जी साहब, मास्को ने भी मार्कोस का सपोर्ट किया था।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह दिवा-स्वप्न देख रहे हैं कि मैं समर्थन कर रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त : मैंने दिवा-स्वप्न कभी नहीं देखा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं मार्कोस का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त : जी नहीं, जी नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप समर्थन करते हैं ···

श्री सोमनाथ चटर्जी : मार्कोस से कुछ लोग प्रेरणा पा सकते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त : एक महीने के अन्दर, मास्को की सहानुभूति थी। मुझे खेद है, मुझे मास्को से बड़ी आशा है।

[हिन्दी]

एक बात हमने देखी कि सारी मिल्ट्री पावर उसके हाथ में थी, सारा पैसा उनके हाथ में था, लेकिन एक्विनो इलेक्शन जीत गईं। कुछ लोगों के कांशस ने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, अन्दर से विद्रोह किया और जिन लोगों को चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के काम पर लगाया गया था, वही उनको छोड़ गए और जनता खड़ी हो गई, उन मिल्ट्री टैंक्स के सामने। इसलिए अगर जनता जागृत हो तो पैसा या ताकत इलेक्शन की प्रक्रिया को खराब नहीं कर सकते।

मान्यवर, मैं यह बात फिर दोहराता हूं, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे राष्ट्रनिर्माताओं ने हमें एक प्रक्रिया दी है कि लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सके। बावजूद सब कठिनाइयों के, बावजूद

[श्री ब्रह्मदत्त]

इस बात के कि हमारे चारों तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो रही हैं, हम यहां शांतिपूर्वक शक्ति का संगठन देख सकें और यह भी देख सकें कि कैसे सहअस्तित्व होता है, प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार है और स्थानीय निकायों में दूसरी पार्टी का अस्तित्व है। हर पार्टी को काम करने का मौका यहां दिया गया है, लेकिन फिर भी गुंजाइश है और गलत व्यवस्था को रोकने के लिए आईडिएंटिटी कार्ड दिए जाने चाहिएं। हमें यह देखना होगा कि पोलीटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैसे हो, उनका संगठन कैसे हो उनका एक संविधान होना चाहिए, मेम्बरशिप का रजिस्टर होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, इन सारी बातों को देखने की आवश्यकता है। आज 500 रुपये देकर कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है और बाद में 500 के 5,000 करके वह विथड्रा कर ले, इसके ऊपर पाबन्दी जरूर लगानी चाहिए, इसके लिए रिप्रजेंटेशन आफ दी पीपल्स एक्ट में परिवर्तन करना हो तो करना चाहिए और एक आदर्श व्यवस्था बनाई जा सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बात के ऊपर चाहिए बातचीत होनी चाहिए और एक अच्छा रास्ता निकालना चाहिए, सुधार होना चाहिए, सुधार की हमेशा जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम यह मानकर चलें कि हमारी चुनाव प्रक्रिया विकृत हो गई है, यह अपने आप पर आक्षेप होगा। क्या हम उस विकृत प्रक्रिया से चुन कर यहां आए हैं, इसलिए इस तमाम प्रक्रिया को गलत बताना और यह बताना कि यह पैसे और शक्ति, धर्म और जाति से प्रभावित होकर सारा काम हो रहा है तो मैं समझता हूं कि यह तथ्यों से परे है। सुधार की गुंजाइश है, सिद्धांत के ऊपर आधारित, नियमित राजनीतिक दल जो प्रतिस्पर्धा करें, कार्यक्रमों के आधार पर, न कि जाति के आधार पर, न कि धर्म के आधार पर और इस चीज के बारे में और सख्त कानून होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यू० पी०, बिहार में होता है।

श्री ब्रह्मदत्त : यू० पी० या बिहार में ही नहीं बंगाल में भी होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कास्ट पर नहीं होता।

श्री ब्रह्मदत्त : दूसरी तरह से होता है, डंडे के आधार पर होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पोलीटिकल बेस पर होता है।

श्री ब्रह्मदत्त : किसी तरह से हो, डंडे से हो, पैसे से हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान) यह बात निश्चित रूप से नहीं भूलनी चाहिए कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमने अपनाई है, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, लेकिन भावना से सहमत हूं। इसके बारे में राजनीतिक पार्टियों को पहल करके विचार शुरू करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, आज सभी वक्ताओं ने कहा है कि निर्वाचन सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और यह कि निर्वाचकीय सुधार आवश्यक है। यहां तक कि श्री ब्रह्मदत्त, जो एक पुराने कांग्रेसी हैं, मैं नहीं जानता वह किस ब्रांड के हैं, ने कहा है कि इसके पीछे निहित भावना का वह समर्थन करते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त : मैंने कहा था कि···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपस में बातें न करें।

एक माननीय सदस्य : मौलिक ब्रांड !

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐगमार्क कांग्रेस !

एक माननीय सदस्य : अग्नि ब्रांड !

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : आई० एस० आई० ब्रांड !

श्री ब्रह्मदत्त : 40 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने कहा था···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यहां क्यों नहीं आते ? हम आपको ले लेंगे।

महोदय, यहां तक श्री ब्रह्मदत्त, जो इस देश के मूर्धन्य राजनीतिक हैं, जिनका हम लोग आदर करते हैं, ने भी दल के आदेश तथा दल बदल विरोधी कानून के कारण इस संकल्प का विरोध करना पसन्द किया है, जबकि इस संकल्प के पीछे छिपी भावना का वह समर्थन करते हैं।

महोदय, यह कोई नई चर्चा नहीं है, जो पहली बार सभा में उठाई गई हो।

इस सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा गठित की गई समिति का सदस्य होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस समिति में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि थे जिनमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अधिक प्रतिनिधि थे। सर्वसम्मति के आधार पर इसमें अनेक सिफारिशें की गई थीं। कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में मतभेद था।

एक माननीय सदस्य : आपने विरोध किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, कुछ मुद्दों पर मैंने विरोध प्रकट किया था जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। किन्तु अधिकांश सिफारिशों के बारे में कोई विरोध नहीं था। इस समय महोदय, सन् 1986 है। उन्होंने कितनी स्वीकार की हैं ? सरकार ने कितनी स्वीकार की हैं ? और मैं श्री ब्रह्मदत्त से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें और इस पर विचार करें कि इस देश के निर्वाचन कानून में अपेक्षित

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

परिवर्तन करने के प्रति कौन उत्तरदायी था और उसमें परिवर्तन कौन कर सकता है ? आपने अपेक्षित परिवर्तन करने की बात स्वीकार की थी।

क्या परिवर्तन करना आवश्यक है, अथवा किस पहलू पर जोर दिया जाए और किस पर नहीं, इसके बारे में मतभेद हो सकता है। किन्तु मेरा अनुरोध है कि आप इस बात पर विचार करें कि क्या-क्या परिवर्तन करना आवश्यक है। आप सत्ता में थे आपने ये परिवर्तन करने के लिए गम्भीरतापूर्वक क्या कदम उठाये ?

मैं विधि मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति में बहुत समय तक रहा हूं। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था और यह मामला परामर्शदात्री समिति के समक्ष कई बार आया था। मुझे विश्वास है कि यहां उपस्थित मेरे मित्र, मन्त्री महोदय, भी उस समिति के सदस्य थे और वह मेरी बात से सहमत होंगे कि उन्होंने भी ये परिवर्तन किये जाने की बात कही थी और वह इस बात पर सहमत थे कि कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। पिछले विधि मन्त्री श्री जगन्नाथ कौशल तथा जहां तक मेरा विश्वास है कि श्री शिव शंकर ने भी, जब वह विधि मन्त्री थे, निर्वाचन विधि में सुधार करने का कभी विरोध नहीं किया था।

श्री कौशल ने कहा था कि जो सिफारिशें की गई हैं। वे निर्वाचन आयोग की टिप्पणी के साथ मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति को भेज दी गई हैं, कि मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति उन पर विचार कर रही है और उन्होंने यह भी कहा था कि मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति द्वारा सिफारिशें दिये जाने तक तथा अपने विचार प्रकट किए जाने तक उनके हाथ बंधे हुए हैं। इसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और सभा भंग कर दी गई।

अभी कुछ दिन पहले ही वर्तमान विधि मन्त्री श्री अशोक सेन की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ निर्वाचन विधि में सुधार से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी निर्वाचन विधि समय की कसौटी पर खरी उतरी है – संक्षेप में उन्होंने यही कहा था और इसलिए उन्होंने इन नियमों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी। इस देश में इस सरकार का सच्चे मायनों में कौन प्रतिनिधित्व करता है ? वर्तमान विधि मन्त्री कहते हैं कि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। और अन्य माननीय सदस्य, जो सत्तारूढ़ दल की ओर से बोल रहे हैं, जोरदार शब्दों में परिवर्तन करने की वकालत कर रहे हैं, हो सकता है कि वे परिवर्तन भिन्न प्रकार के हों। किन्तु हर कोई चाहे वह सत्ताधारी दल का हो या विरोधी दल का हो, धन की शक्ति, शारीरिक शक्ति और अन्य बुराइयों की बात कर रहा है जो हमारी निर्वाचन प्रणाली में घुस आई हैं। यदि हमें कमियों और दोषों का पता चल जाय तो उन्हें दूर करने में क्या बाधा है ? 1971-72 की सर्वसम्मत सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ? इस मामले पर मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति द्वारा निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है जिसके जहां तक मैं समझता हूं वर्तमान वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री सदस्य हैं।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं किसी समिति का सदस्य नहीं हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : शायद यह मन्त्रिमण्डल का भेद है जिसे खोलना नहीं चाहते हैं।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल मौखिक सहानुभूति से यह समस्या हल नहीं होगी। जिनके पास प्राधिकार तथा ताकत है उन्हें इसे करना चाहिए। नहीं तो लोग पूरी चर्चा को दिखावा मात्र कहेंगे। हमें अपने को ढोंगी नहीं कहलवाना चाहिए। लोग कहेंगे कि चुनाव सुधारों का यह प्रश्न औपचारिक रूप से लाया जा रहा है इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति यह कह रहा है। डा० राजहंस के पास लगता है कि सभी प्रकार की सूचनाएं हैं। मैं समझता हूं कि वह उस सूचना को मन्त्री जी को दे सकते है। लगता है कि उनके पास कदाचार के प्रमाण हैं। इसलिए चुनावों में सुधारों की आवश्यकता है और उस मामले के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार की बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु हमें इसे करना चाहिए। जो इसे कर सकते हैं, उन्हें इसे करने दीजिए। क्या आप हमें एक गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को लाने की अनुमति देंगे ? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे ? आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। परन्तु आप मार्क्स की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप कहां से यह विचार लाए। क्या इस तरह के मामले पर इतने अधिक पक्षपातपूर्ण ढंग से विचार करने का यही तरीका है ? मैं इस आरोप से इतनी घृणा करता हूं जिसका यह पात्र हैं। मुझे यह खुशी है कि उन्होंने लोगों की शक्ति का उल्लेख किया अर्थात सैनिक टैंकों और साम्राज्यवादी ताकत, अमरीका द्वारा प्रोत्साहित प्रतिक्रियावादी सरकार के सैनिक बल के विरुद्ध निरस्त्र लोग खड़े हुए हैं, और वहां लोगों की जीत हुई है। यह इस सरकार के लिए न कि हमारे लिए सबक होना चाहिए।

श्री ब्रह्मदत्त : क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज श्रीमती एक्विनों के विरुद्ध कौन लड़ रहा है ?

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : इसका वाद-विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रगतिशील ताकतें हमेशा लोगों की स्वतंत्रता के लिए लडेंगी। लोग अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं।

इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि सरकार को अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह वास्तव में इस देश में चुनाव संबंधी सुधार करना चाहती है। हमें औपचारिकता के लिए इस सदन का बहुमूल्य समय नहीं लगाना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि वहां कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है लेकिन सरकार की ओर से टालमटोल की जा रही है तो उससे पता चलता है कि सत्ता दल मौजूदा चुनाव संबंधी प्रणाली की कमियों में निहित स्वार्थ रखती है क्योंकि उनको इसमें से लाभ मिल रहा है।

हमने देखा है कि तेजी से परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन राजधानी एक्सप्रेस की गति से भी अधिक या कनकार्ड विमान की गति से भी अधिक तेजी से किए गए हैं। हमने चुनाव संबंधी कानूनों में जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1975 में संशोधन करके ये परिवर्तन किए जाते हुए देखें हैं। जब

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किये गये प्रयास को विधान बनाकर निष्प्रभावी करने का प्रयत्न किया गया था लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। जो संविधान संशोधन लाया गया था उसका उद्देश्य न्यायिक निर्णय को रद्द करना था लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली परन्तु एक चुनाव को बनाए रखने में पूर्ण भूतलक्षी प्रभाव से कानूनों में परिवर्तन किया गया था। तब हमने समिति, उप-समिति, मन्त्रिमण्डल समिति संसद सदस्य समिति को नहीं पाया। ये कुछ भी आवश्यक नहीं समझा गया। अध्यादेश द्वारा चुनाव संबंधी कानूनों में परिवर्तन किया गया था। अत: यह इस सरकार की राजनीति,दृढ़ इच्छा का प्रश्न है। इसलिए विरोधी पक्ष को दोष देना ठीक नहीं है। यदि इस देश में विरोधी पक्ष चुनाव संबंधी विकृति का लाभ उठाता तो हम वहां होते और आप यहां होते। एक समय लोग यह निर्णय करेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है। उस बारे में कोई संदेह नहीं है। हमें इस बारे में डींग नहीं मारनी चाहिए। मैंने कहा है कि अपने अस्थायी बहुमत के ऊपर हमेशा घमंड नहीं चाहिए। यह अस्थायी बहुमत है। ऐसा मत सोचिए कि यह स्थायी है। यह अवास्तविक स्थिति कभी भी निरंतर नहीं रह सकती। श्री ब्रह्मदत्त ने कहा कि हम में से कुछ को यहां नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से यह आपके दल पर लागू होता है। आप में से कोई बैंडवेगन में से आए हैं। आप में से कई लोग दूरदर्शन पर बनी छवि के आधार पर आए हैं न कि योग्यता के आधार पर। आप वह सब कुछ जानते हैं।

चुनाव कानून में परिवर्तनों में से एक परिवर्तन जो हमें बताया जा रहा है वह धन के उपयोग के बारे में है। अब उम्मीदवार द्वारा अपनी ओर से खर्च किए गए धन का हिसाब-किताब देना होगा। उसके दल, मित्र, संरक्षक, समर्थक आदि द्वारा उस पर किए गए खर्च का हिसाब देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ पहले भी मिथ्या अनुपालन किया गया था परन्तु अब प्रत्येक चीज को उलट-पुलटकर रख दिया गया है। कौन सा उम्मीदवार खर्च कर सकता है या खर्च करने की ताकत रख सकता है? दल के खर्चे को भी शामिल किया गया है। हमारे अच्छे दोस्त श्री अमरनाथ चावला को बदकिस्मती से इसका शिकार बना दिया गया था। उनके चुनाव को रद्द किया गया था। श्री ब्रह्मदत्त जी आपको वह याद है। मैंने इस सदन में कहा था कि श्री चावला का दुर्भाग्य था। उनके मामले में कानून में कोई भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तन नहीं किया गया था। रायबरेली के मामले में कानून में भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तन किया गया था लेकिन श्री चावला को लाभ नहीं मिला। इन्हें बाहर जाना पड़ा क्योंकि तत्कालीन कानून के अनुसार उनके चुनाव में दल के खर्चे को शामिल किया गया था जिसे उनके चुनाव सम्बन्धी खर्चे में लिया गया और उस सीमा को पार करते हुए इन्हें बाहर जाना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। आज, उचित रूप से किसी भी धनराशि को खर्च किया जा सकता है और वह खर्च की जा रही है। श्री ब्रह्मदत्त आपके कितनी जीपें थीं, आपक बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त : वहां सड़कें नहीं थीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह ज्यादा बेहतर है। इससे आपके सरकार के कार्य निष्पादन का पता चलता है। आप वहां 30 वर्षों से हैं; आपने 38 वर्षों में आपने अपने राज्य को भी समाप्त कर

दिया है। (व्यवधान) मैं सम्मानपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध कर रहा था। मैं उनसे जिरह नहीं कर सकता। मैं क्यों करूं ?

महोदय, कृपया दूसरी बात सुनें। कम्पनी से दान की राशि की अनुमति है। किसके लिए ? उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि दलों के लिए और वे दल पूरी धन राशि खर्च कर रहे हैं। यह कहा गया था कि यह प्रणाली को स्वच्छ बनाएगी। किस प्रकार ? अब, काले धन में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। दल के कोषाध्यक्ष श्री सीताराम केसरी (व्यवधान) या सोमनाथ चटर्जी के नाम 'अकाउंट पेयी' के सभी चेक दिए जा सकते हैं। बदकिस्मती से मैं कोषाध्यक्ष नहीं हूं। हमारे पास कोई कोषाध्यक्ष नहीं है। हमारे पास हिसाब किताब को रखने की प्रणाली है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उन्हें बताने का मेरा इरादा नहीं था मैंने इसे सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिया।

वे खर्चे असीमित हो सकते हैं और दान असीमित हो सकते हैं तथा कई कम्पनियां दान दे सकती हैं जैसा कि वे कर रहे हैं। लेकिन, महोदय श्री ब्रह्मदत्त अब तुलन पत्र में कितने दान आ रहे हैं ? मैं यहां माननीय मंत्री श्री भारद्वाज जी बहुत बुद्धिमान् व्यक्ति हैं से अनुरोध करता हूं कि वह अपने कम्पनी कार्य विभाग से यह काम करायें। शायद अब यह उनके अन्तर्गत नहीं आता है। यह अब तिवारी जी के पास चला गया है। कम्पनी कार्य विभाग को इस बात की जांच करनी चाहिए कि जब से यह कानून पारित किया गया है तब से तुलन पत्र में कितने दान आए हैं। मुझे यह सूचना नहीं मिली है परन्तु मुझे यह संदेह है कि यदि इसे किसी भी तरह से तुलन पत्र में दिखाया जाता है क्योंकि यह न तो दाता की मदद करता है न ही अदाता की सहायता करता है। (व्यवधान) यदि आप उस संतोष को प्राप्त करना चाहते हैं जो प्रत्येक मामले में मिलता है तो उसे बरकरार रखिए। इसका मतलब यह है कि आप कम से कम अपने को शामिल करते हैं। (व्यवधान) तुलनात्मक दृष्टि से प्रकरीकरण अधिक अच्छा है परन्तु यह तमाम दस्तावेज के सम्बन्ध में व्यवस्था है। धन आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि चुनाव में कौन कितना खर्च करता है। कौन का राजनीति दल कितना खर्च करता है। आप हमारे विरुद्ध अपने बहुमत का उपयोग करके यहां लगातार बोल सकते हैं। हमें दोषी करार कर सकते हैं परन्तु बाहर जाइए और किसी से भी पूछिए कि कौन सा दल कितना खर्च कर रहा है या कौन अधिक खर्च कर रहा है।

हम किराये के आदमियों का सहारा लेने की बात सुन रहे हैं। यह कुछ राज्यों में चुनाव का अभिन्न हिस्सा बन गया है। जी हां, मेरे पड़ोसी राज्य में भी। जातिवाद, साम्यवाद, शारीरिक शक्ति निर्भर करती है—श्री ब्रह्मदत्त बहुत खुश हैं। कुछ मामलों में जाति का महत्व सफल नहीं रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त : अधिकांश मामलों में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कहां है। तब बन्दूक तथा अन्य शस्त्रों की मदद से शारीरिक शक्ति का प्रयोग हो रहा है···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हथी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हाथी भी। प्रो० रंगा का यह विनीत अनुभव है। मैं उनके अनुभव के आगे झुकता हूं। उन्होंने हाथियों का भी उल्लेख किया हालांकि मैं इसे चूक गया था। माफ कीजिए। इसलिए मैं समझता हूं कि हाथियों के साथ आन्ध्र, उत्तर प्रदेश के साथ तुलना नहीं कर सकता···

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने ऊंट भी कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, महोदय। परन्तु क्या किया जा रहा है। लाभ भोगी कौन है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : हम में से सभी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता था कि प्रो० रंगा इस प्रकार की बात स्वीकार कर लेंगे। मैं हमेशा उनका बहुत आदर करता हू। मैं जानता हूं कि वह सही बात का मान कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण।

एक माननीय सदस्य : आरोप सहित अपराध स्वीकरण भी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हाथियों और ऊंटों के उपयोग के लिए उनकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति से प्रो० रंगा के लिए मेरे मन में आदर कम नहीं हुआ है। हालांकि उन्हें चुनाव में जीतने के लिए धन और शारीरिक शक्ति अपेक्षित है। उनके लिए मेरे मन में आदर कम नहीं है।

सभापति महोदय : यह अभिप्रेरित स्वीकारोक्ति नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु यह रोग के बारे में बताता है और यह किस प्रकार से गया। प्रो० रंगा भी अपने चुनाव के इस प्रकार के सन्देहजनक उपाय का सहारा लेते हैं। यह हमारे देश के सम्मानित नेता हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : जी नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : रोग गहराई में गया और फैल गया। ऐसा समझा जाता है कि आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चुनावों में उनकी विजय के बारे में किसी को भी विश्वास नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त : हम अपने अनमोल राज्य में बैठे हुए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमें त्रिपुरा में अनुभव हुआ। पिछले चुनाव में इस सदन के एक तत्कालीन सदस्य को जीप में शस्त्र ले जाते हुए पकड़ा गया था। उन्हें इस वर्तमान सरकार में मंत्री का पद दिया गया है। आप किस प्रकार से किराए के व्यक्तियों की शक्ति के उपयोग को रोक सकते हैं ?

महोदय, समय समय पर विभिन्न सुझावों को बताया गया है। धन के उपयोग पर नियंत्रण

सरकार द्वारा धन देने की पद्धति या निर्वाचनों का खर्च सरकार द्वारा उठाये जाने से किया जा सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके दल के एक सदस्य ने इसका समर्थन किया है। यह अच्छा प्रस्ताव है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कई खर्चे होते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आपको यहां क्यों लाया गया है। मैं नहीं जानता। आपको अन्यथा चुनाव लड़ना होगा।

सभापति महोदय : नहीं, किसी भी तरह से यहां नहीं लाया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मान लेता हूं कि आप यहां स्वेच्छापूर्वक आए हैं। (व्यवधान) वह मेरे सम्मानित मित्र हैं। मुझे उनमें विशेष दिलचस्पी है क्योंकि वह मेरे नामराशि के हैं।

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मुख्य रूप से छपाई पर खर्चा होता है। हमारी तरह के दल के पास किराए के स्वयंसेवक नहीं हैं जैसा कि आप करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमारे पास आपका और आपके दल का भी अनुभव है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : व्यय की मुख्य मदें छपाई, परिवहन और मोटर गाड़ियां होती हैं। अब छपाई की लागत के बारे में, यह केवल हमारे दल का ही सुझाव नहीं है बल्कि कांग्रेस दल सहित विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी इसके बारे में कहा है। मैं नहीं जानता हूं कि कौन किस कांग्रेस के लिए कहता है। कोई नहीं जानता, किस कांग्रेस का कहना अर्थवान है, मैं नहीं जानता। वाक्य का क्या अर्थ निकलता है। यह कई बातों पर निर्भर करता है। इसलिए व्यय से संबंधित कारण को हालांकि यदि मंत्रिमण्डल उप समिति ने अब तक यह निर्णय लिया है तो मैं माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया बहुत स्पष्ट सुनना चाहता हूं। परन्तु इसे मंत्रिमण्डल की उपसमिति के विचारार्थ न छोड़ा जाए जिसके पास न समाप्त होने वाले बहुत से काम हैं। वह कहेंगे कि इस पर अभी भी निर्णय लेना है। किंतु यह बहुमूल्य सुझाव है और हम उन पर विचार करेंगे। ये सामान्य बातें हैं जो हम सुन रहे हैं। हम इन्हें देख रहे हैं।

चुनाव आयोग से भी कुछ सुझाव आये हैं कि छपाई लागत का कुछ भाग, कम से कम बूथ की पर्चियों पर खर्च इसे थोड़ा सा लागू किया गया है—और सरकार द्वारा मतदाता सूची की छपाई का खर्च उठाया जाना चाहिए।

श्री ब्रह्मदत्त : परिचय-पत्र के बारे में क्या स्थिति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं परिचय पत्र दिखा रहा हूं। परन्तु ब्रह्मदत्त, आपका दल इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम यह लिखकर दे सकते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त : यह आपकी भविष्यवाणी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपके दल को इतना ही जानता हूं जितना कि आप जानते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त : ऐसा लगता है कि आजकल मार्क्सवाद और ज्योतिष साथ-साथ चलते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं देखता हूं कि श्री ब्रह्मदत्त अपने दल में निराश अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जहां तक इन खर्चों का संबंध है, इसको सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। तो उस हद तक राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कम खर्च वहन करना पड़ेगा। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों में प्रत्येक व्यक्ति का निहित स्वार्थ होना चाहिए न कि चुनावों की हेरा फेरी में। हम बार-बार यह सुनते हैं कि गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। आप सभा में बहुत सी बातें कह सकते हैं। वे कैसे चुनाव लड़ सकते हैं जब तक कि उन्हें आप जैसे किसी बड़े दल का समर्थन न मिले या जब तक कि हमारी तरह से उन्हें लोकप्रिय समर्थन न प्राप्त हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : कितनी स्पष्टवादिता से आपने इसे कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः गरीब उम्मीदवारों पर मगरमच्छी आंसू बहाने की बजाय, सरकार को इस ओर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। केवल सरकार ही यह खर्च वहन करके यह कार्य कर सकती है। सरकारी खजाने से इस खर्च को वहन करना होगा।

हमने मतदान केन्द्रों पर कब्जा किये जाने की बाबत भी सुना है।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : पश्चिम बंगाल में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पश्चिम बंगाल में, कौन से वर्ष में ?

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : हर बार यह शिकायत होती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने ऐसी शिकायत 1972 में सुनी होगी। तब रंगा जी आपने हमारा समर्थन किया था। आपने स्थिति को माना था। यह 1972 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में तब चुनाव के साथ मजाक किया गया था। श्री सिद्धार्थ शंकर राय तब दिल्ली से कलकत्ता, बंगाल के मुख्य मंत्री सूबेदार बनकर गये थे। राष्ट्रपति शासन के दौरान वह केन्द्र से पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री थे, जिन्हें वहां भेजा गया था और उनके कार्य प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। अब-बीरभूम तथा बोलपुर में 98,999 मतों के अन्तर ने स्पष्ट कर दिया है। वह हार गये हैं।

श्री ब्रह्मदत्त : बंगाल में हमेशा सूबेदार रहे हैं, कोई राजा नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की बात को हमने सबसे भद्दी शक्ल में देखा है। गलती से विपक्ष के केवल 12 वामपंथी उम्मीदवारों को चुना गया था। मात्र 12, और वहां भारी बहुमत के साथ आपने क्या प्राप्त किया है ? एक बांचू आयोग मंत्रियों के भ्रष्टाचार का

पता लगाने के लिए। आपके मुख्य मंत्री, श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने पश्चिम बंगाल में एक न्यायायिक आयोग का गठन किया था ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त मन्त्रियों का पता लगाया जा सके और उसके निष्कर्षों के आधार पर दो मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा था।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : इस बार वित्त मंत्री के साथ क्या बात हुई है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उनकी अपनी विचारधारा की वजह से है, न कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण।

श्री ब्रह्मदत्त : उन्होंने विरोध में त्यागपत्र दिया है।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : बिना नाम बताये, आरोप क्या हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई आरोप नहीं।

समापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत से विकार हैं। इनके लिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृढ़ इच्छा की जरूरत है। हमने देखा है कि किस प्रकार बिना सोचे-समझे चरित्र पर दोष लगाया जाता है।

मेरा निवेदन है कि हमें प्रत्येक बात में पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैं कई बातों का समर्थन करता हूं, श्री ब्रह्मदत्त ने कहा था। कई बातों का मैं समर्थन करता हूं। परन्तु मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, "कृपया इस बारे में गंभीर रहें। कृपया कुछ कीजिए। आपके पास सत्ता है।"

श्री ब्रह्मदत्त : सरकार बहुत गंभीर है। दल-बदल विरोधी विधेयक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे उसकी याद दिला दी है। दल-बदल विरोधी विधेयक रिकार्ड समय में पारित किया गया था। दूसरे दिन प्रधान मंत्री ने उसका श्रेय ले लिया। "देखिये, कितनी जल्दी हमें दल-बदल विरोधी विधेयक प्राप्त हो गया।" आप अपने मूल्यवान अनुभव से जो दूसरे सुझाव दे रहे हैं उनका क्या हुआ, ब्रह्मदत्त जी ?

श्री ब्रह्मदत्त : समय पर वे भी आयेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक विकार आना शुरू हो गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई हवाला नहीं देना चाहता। परन्तु मुझे यह देखकर बड़ी निराशा तथा चिंता हो रही है कि सेवा निवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल बना दिया गया। सिद्धांत रूप से यह खतरनाक बात है। मैं गुजरात के वर्तमान राज्यपाल के खिलाफ नहीं हूं। व्यक्तिगत रूप से उन पर कुछ कहने को गलत न समझा जाये। परन्तु अगर उन्होंने राज्यपाल के पद को लेने से इंकार करने का निर्णय किया होता तो प्रत्येक व्यक्ति उनको सम्मान की दृष्टि से देखता। यह तरीका है जिसके द्वारा आप प्रणाली को दूषित करते हैं। आप

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

उनको लालच देकर रखते हैं। इसी कारण सिद्धांत रूप से, मेरा इस सभा से नम्र निवेदन है, पूर्व लोक सभा में भी मैंने कहा था, 'कृपया सेवा से निवृत्त होने के बाद रोजगार अथवा लाभ न्यायाधीशों को मत दीजिए।' ऐसी कई बातें हुई हैं। यह खुश करने का दृष्टिकोण, विशेषकर सेवा निवृत्त होने से पूर्व एक खतरनाक बात है। आखिरकार मानव अपने भविष्य के लाभ के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तत्पर हो जाता है। परन्तु आप ऐसा क्यों करते हैं? अब जो व्यक्ति वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत आदर है। मुझे उनके साथ बहुत सी समितियों में कार्य करने से लाभ हुआ है आदि आदि। वे प्रसिद्ध सरकारी नौकर हैं। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के लालच मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पदों पर आसीन लोगों को नहीं दिये जायेंगे। इसी कारण मांग की गयी है और वह मांग समिति की एक सर्वसम्मत सिफारिश है – मैंने पहले उल्लेख किया था—1972 में कि चुनाव आयोग को एक बहु-सदस्यीय निकाय होना चाहिए। यह विचार पहली बार पेश नहीं किया गया है। स्वयं संविधान में एक बहु-सदस्यीय निकाय बनाने की व्यवस्था है। डा० अम्बेदकर ने भी कहा था कि अगर स्थिति और अनुभव की मांग हो तो इसे आसानी से एक बहु-सदस्यीय निकाय बनाया जा सकता है। आयोग के पास बहुत सी विधिक शक्तियां हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह एक स्वतंत्र निकाय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आप उन्हें सेवा-निवृत्त होने के बाद के ये लाभ दे रहे हैं। अब यह और भी आवश्यक हो गया है कि सरकार द्वारा इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बनाया जाये। डा० राजहंस ने इसका समर्थन किया है···

श्री ब्रह्मदत्त : आप उनके सभी विचारों से सहमत हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी नहीं।

एक या दो बातें हैं। श्रीमती फूलरेणु गुहा इस सभा की एक आदरणीय सदस्या ने मतदाता सूची का उल्लेख किया है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि मतदाता सूची सही होनी चाहिए। परन्तु इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं भूल नहीं सकता···

प्रो० एन० जी० रंगा : इसे गैर-राजनीतिक बनाइये। आप इसे विवादास्पद क्यों बनाते हैं? जब आप इसे विवादास्पद बनाते हैं तो अच्छी बातें भी बेकार चली जाती हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अपने दिल में पूरे आदर से, मैं याद दिलाऊं कि 1982 में क्या हुआ था? आपका दल इस आरोप को लेकर न्यायालय गया था कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में हेरा फेरी की गयी है और आपने न्यायालय से एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की थी जिसके परिणाम-स्वरूप पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया रुक गयी। सारा मकसद यह था कि दिए गये समय के अंदर कोई चुनाव न हो सके ताकि राज्यपाल का शासन लागू किया जा सके और 1982 में 1972 की बात को दोहराया जा सके। उच्चतम न्यायालय में कई दिन लगातार पूरी सुनवाई हुई थी और उच्च-

तम न्यायालय ने कहा था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के सभी आरोप कांग्रेस दल द्वारा गढ़े गये थे। यह उच्चतम न्यायालय का फैसला है। अत: इन प्रक्रियाओं का कौन दुरुपयोग कर रहा है? श्री सिद्धार्थ शंकर राय, श्री अशोक सेन, श्री ए० के० पंजा, श्री भोलानाथ सेन उनमें से कुछ अब इस सभा के सदस्य हैं—परन्तु कई दिन तक वे उन आरोपों को सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे और उनमें से प्रत्येक उच्चतम न्यायालय में गया था और उन सभी आरोपों को झूठा करार दिया गया था। अत: आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और आपके लोग इसके प्रभारी हैं। हम इसकी मांग कर रहे हैं और हम कहते हैं कि यह आवश्यक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब देश को वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में हमारी चुनाव प्रणाली में सबसे बड़ी गड़बड़ी से बचाया जाये। सरकारें बनाई जाती हैं और हमें उन विराट बहुमत की याद दिलायी जाती है।

5.00 म० प०

जब यह सरकार अल्प मतों के आधार पर सत्ता में आ सकती है। 1977 में भी आपको कम मत प्राप्त हुए थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : 50 प्रतिशत से कम।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 1980 में, उस भारी बहुमत में, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को, जो यहां पर मेरे आदरणीय साथी हैं, प्राप्त मत, हमें प्राप्त मतों का भाग थे, विपक्ष के मत। परन्तु इसके बावजूद भी यहां कांग्रेस को अल्प मतों के साथ विजय प्राप्त हुई।···(**व्यवधान**)

इस बार भी विषय यह है कि अगर आप इस व्यवस्था की विकृति से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सभा की संरचना में लोगों की उचित राय का प्रतिनिधित्व हो, तो आपको अवश्य ही सूची व्यवस्था के साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाना होगा। अन्यथा सभा की संरचना में जनता की लोकप्रिय राय सच्चे तौर पर व्यक्त नहीं हो सकती।

(**व्यवधान**)

इसीलिए, महोदय, पूर्ण नम्रता के साथ जैसा कि प्रो० रंगा कहते हैं :

"राजनीति को बीच में मत लाओ"।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप सारे मामले को बिगाड़ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनका मामला बिगाड़ रहा हूं। मैं अपने मामले को नहीं बिगाड़ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वे एक स्वर में बोलें।

(**व्यवधान**)

हम एक बात जानते हैं कि वे एक स्वर में नहीं बोल सकते। मैं श्री डांगा के भाषण का इंतजार

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

कर रहा हूं। इसलिए, कृपया देश की खातिर; इस देश के चुनावों की शुद्धता की खातिर इसे लागू कर दीजिए। कृपया झूठी प्रशंसा मत कीजिए। यह नाम होगा कि सारी सभा तथा सारा देश एक पाखंडियों का दल है जैसे कि आप हैं।

(व्यवधान)

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : मुझे चुनाव सुधार के संकल्प पर इस चर्चा में भाग लेने पर प्रसन्नता हो रही है। परन्तु दुर्भाग्य से, पूर्व वक्ता, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस बहुत बढ़िया विषय पर एक राजनीतिक भाषण दिया है। उन्हें अपने सभी आरोपों तथा टिप्पणियों को किसी अन्य अवसर के लिए सुरक्षित रखना चाहिए था न कि चुनाव सुधार की चर्चा पर व्यक्त करने के लिए। महोदय, चुनाव सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है। हमें इस बात पर निरन्तर विचार करते रहना चाहिए कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में कौन-से सुधार किए जाने चाहिए। एक बात पर मैं श्री ब्रह्म दत्त जी के साथ सहमत हूं कि सबसे पहले हमें अपने लोकतन्त्र पर गर्व होना चाहिए; हमें अपनी चुनाव प्रक्रिया पर गर्व करना चाहिए क्योंकि यह पिछले वर्षों में समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हमारे इस विशाल देश में शांतिपूर्ण चुनाव होते रहे हैं जैसा कि अन्य कई एशिया के देशों में नहीं हो रहा है। अत: हमें ऐसा चित्रण नहीं करना चाहिए कि इस देश की सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया गलत है और जिन्हें बहुमत मिलता है उन्हें केवल धन और शक्ति के कारण यह बहुमत मिलता है। इस देश के मतदाता भी बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने प्रत्येक चुनाव में अपनी बुद्धिमता का सबूत दिया है और सदैव अच्छा नेतृत्व प्रदान किया है, एक अच्छी सरकार इस देश को दी है। हमें उनकी बुद्धिमता को नहीं भूलना चाहिए तथा मतदाता पर और जो दल सत्ता में आता है उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिये कि हमारी व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन हम इसे आदर्श बनाना चाहेंगे। हमें व्यवस्था में से कमियां या विफलताएं दूर करनी चाहिये ताकि यह बेहतर हो सके और इस देश के लिये आदर्श हो। मैं कहूंगा कि इस दृष्टिकोण से ही हमें चुनाव सुधार के प्रश्न को लेना चाहिये केवल दलगत या राजनैतिक दृष्टिकोण से ही नहीं।

जैसा कि मैंने कहा यह एक अनवरत प्रक्रिया है। 1972 से कई समितियां नियुक्त की गई हैं। इस वर्ष एक संसदीय समिति अर्थात् जगन्नाथ राव समिति नियुक्त की गई जिसका माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी उल्लेख किया है और इसकी रिपोर्ट का भी रिकार्ड है। गैर-सरकारी समितियां, जैसे 'सिटिजंस फार डेमोक्रेसी', ने भी फरवरी 1975 तथा उसके बाद अगस्त 1977 में अपनी रिपोर्ट तैयार की, न्यायमूर्ति तारकण्डे समिति की सिफारिशें भी हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने भी समय-समय पर अपनी सिफारिशें दी हैं; हमारे पास उनकी 1983 की रिपोर्ट का तथा 1984 की रिपोर्ट का भी प्रलेख है, इन रिपोर्टों में भी बहुत से सुझाव हैं।

अब सभी उन व्यक्तियों द्वारा जो कि राजनीति में हैं तथा सभी समाज सुधारकों द्वारा इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा की जानी चाहिये और जहां तक चुनाव सुधारों का सम्बन्ध है कौन से

सुधारों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिये इस विषय पर आम सहमति प्राप्त करनी चाहिये। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कांग्रेस दल सुझावों के बारे में गम्भीर नहीं है। जैसा कि कुछ सदस्यों ने पहले ही कहा, दल-बदल विरोधी कानून भी उन चुनाव सुधारों में से एक था जिस पर इस देश में कई वर्षों से जोर दिया जा रहा था और जिसे हम इस लोक सभा में पारित करने में सफल हुए हैं। दूसरा चुनाव सुधार जिस पर भी लगातार जोर दिया जा रहा था वह था जनप्रतिनिधित्व कानून के खण्ड 52 में संशोधन और वह भी पंजाब में चुनाव के दौरान पारित कर दिया गया अर्थात् केवल राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों की मृत्यु पर ही चुनाव को स्थगित किया जायेगा। उससे पहले, हमने कम्पनी अधिनियम में भी संशोधन किया जिससे कि एक और चुनाव सुधार की मांग, कि चन्दों की वैध बना दिया जाए तथा सार्वजनिक बना दिया जाये, पूरी हो गई और यह केवल कांग्रेस दल की ही मांग नहीं थी वरन् विपक्ष के कुछ दलों की भी मांग थी। वह सुधार भी एक चुनाव सुधार था और उसे इसी सरकार द्वारा हाथ में लिया गया। अतः जैसा कि मैंने कहा यह एक अनवरत प्रक्रिया है और एक के बाद दूसरे कई सुधारों पर, जिनके विषय में इस देश में एक आम सहमति हो, हम विचार कर सकते हैं।

निःसन्देह, तीन मुख्य दोष हैं : धन शक्ति; बाहुबल के अनुचित प्रयोग की शक्ति तथा संचार माध्यम की शक्ति। ये वे तीन बड़ी बुराइयां हैं जिनके विषय में हमें किसी आम सहमति पर पहुंचना है।

पहली धन शक्ति को ही लें। इसके लिये, चुनाव का खर्चा सरकार द्वारा वहन करने का सुझाव दिया गया है, और जिस पर सब जगह बहस होती है। चुनाव आयुक्तों के भी इस विषय पर भिन्न-भिन्न विचार रहे हैं। श्री शकधर पूरी तरह चुनावों का खर्चा राज्य द्वारा दिये जाने के पक्ष में थे। कुछ हद तक श्री त्रिवेदी भी इसी पक्ष में थे, लेकिन वर्तमान चुनाव आयुक्त श्री पेरी शास्त्री ने इस मुद्दे पर भिन्न विचार प्रकट किये हैं। तो, मैं यह कह रहा हूं कि इन प्रश्नों पर कोई सर्वसम्मति नहीं है और हमें उन पर उचित रूप से विचार करना होगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरी यह दृढ़ राय है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी राज्य द्वारा चुनावों के लिए खर्च दिये जाने की प्रणाली प्रारम्भ की जानी चाहिये। यह धन शक्ति के प्रभाव को भी घटायेगा जो कि बड़ी मात्रा में विद्यमान है। अतः मैं यह कहूंगा कि उस सुधार पर, जल्दी से जल्दी सभी पहलुओं से विचार किया जाना चाहिये।

श्री शकधर ने कई भाषणों में यह कहा कि इसमें लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। यदि इसको केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांट दिया जाय तो केन्द्र को 50 करोड़ रुपये तथा राज्यों को 50 करोड़ रुपये वहन करने पड़ेंगे। राज्यों के तथा केन्द्र के—दोनों के बजट में यह लागत लगभग 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के बराबर होगी। यह कोई अव्यावहारिक सुझाव नहीं है। यह एक व्यावहारिक सुझाव है जिसको यदि अपनाया गया तो दूरगामी परिणाम निकलेगा।

यदि वह सम्भव नहीं है, यदि वह व्यावहारिक नहीं है, कम से कम यह सहायता वस्तुओं के रूप में होनी चाहिये जिसपर मैं समझता हूं, एक नाम सहमति है, और भी सुविधाएं दी जानी चाहिये जैसे डाक खर्चा, तथा मान्यता प्राप्त दलों को डीजल या पेट्रोल भी दिया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारे संविधान में राजनैतिक दलों की कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिये। संविधान में राजनीतिक दलों की, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। पहले इसको परिभाषित करना होगा।

[श्री शरद विघे]

दल-बदल विरोधी कानून बनाते समय भी हमें राजनैतिक दलों से सलाह करनी पड़ी, कम्पनियों द्वारा चन्दे दिये जाने की अनुमति देते समय भी, हमें राजनैतिक दलों से सलाह करनी पड़ी। धीरे-धीरे राजनैतिक दलों को हमारे कानून में कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। अब इसको परिभाषित किया जाना चाहिये तथा हमारे संविधान में इस विचार को भी स्थान दिया जाना चाहिए ताकि न केवल इसको मान्यता मिले बल्कि राजनैतिक दलों पर कुछ नियन्त्रण भी हों—उनके खातों पर, उनके लेखा पर, उनके संविधान पर कुछ नियन्त्रण हो। इन सब बातों की जांच करनी होगी ताकि चुनाव मशीनरी में बड़ा सुधार हो सके।

आजकल इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन के विषय में अक्सर सुझाव दिया जाता है। इसको प्रयोग के तौर पर प्रारम्भ किया गया था। लेकिन श्री ए० सी० जोस बनाम श्री सेवन पिल्लई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया, यह मामला केरल से था। पारूर से कोई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार था। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने केवल दो ही बातें कहीं थी। पहली बात यह कि चुनाव आयुक्त को इसका अधिकार नहीं था। यह चुनाव आयुक्त की शक्तियों के बाहर था। इस नयी प्रणाली को प्रारम्भ करने की शक्ति उन्हें नहीं थी। दूसरे, "मतपत्र" की जो परिभाषा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में दी गई है, उसमें इस मशीन की प्रणाली की व्यवस्था नहीं है।

यदि हम कानून में उचित संशोधन या आवश्यक संशोधन कर सकें तो मैं समझता हूं कि हम इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन को अवश्य प्रारम्भ कर सकते हैं।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बहुत से अवैध मतों से बचा जा सकता है। ऐसा समाचार आया था कि पिछली बार उन स्थानों में जीत का जो अन्तर था वह अवैध मतों के बराबर या शायद उससे भी कम था, तो यदि इसको लागू किया जाय तो यह लोगों की इच्छा को उचित रूप से प्रतिबिम्बित करेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा तथा जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है इससे कई समस्याएं समाप्त हो जायेंगी।

इस प्रणाली के विषय में पहली आपत्ति यह है कि क्या हमारी अनपढ़ जनता इसका प्रयोग कर सकेगी। अनुभव ने बता दिया है कि यह कठिन नहीं है, यह बिजली का बटन दबाने की तरह है। इस प्रकार भारत के किसी अशिक्षित व्यक्ति के लिये भी इसका प्रयोग करना कठिन नहीं होगा।

जहां तक इसके वित्तीय पहलू का प्रश्न है, ऐसा कहा गया है कि देश भर में इसको लागू करने में 160 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस मशीन के बगैर हमारे वर्तमान व्यय को, या हमारी हमेशा की मतपत्र प्रणाली के व्यय को यदि देखें तो यह तीन चुनावों में वसूल हो जायेगा। अतः यह इसका 1/3 होगा।

हमारे स्वदेशी प्रतिष्ठान जैसे ई० सी० आई० एल० तथा बी० ई० एल०—दोनों सार्वजनिक क्षेत्र में हैं—इसका निर्माण करने की स्थिति में हैं। अतः इस उद्देश्य के लिये हमें किसी विदेशी मशीनरी

पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वित्तीय भार भी बहुत अधिक नहीं होगा। अतः इस सुधार पर भी जल्दी से जल्दी विचार किया जाय।

महोदय, बाहुबल के दुरुपयोग के विषय में भी कई बार उल्लेख किया गया है, यह सही है कि कुछ मामलों में बाहुबल की एक शक्तिशाली भूमिका रही है और जो उदाहरण दिये गये हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 297 चुनाव केन्द्रों के कुछ मामलों में से लगभग 69 चुनाव केन्द्रों में पुनः चुनाव का आदेश देना पड़ा था। गोपालगंज में एक उम्मीदवार ने एक इक्कड़ हाथी छुड़वा दिया तथा उसके पीछे एक और हाथी था जिसमें सशस्त्र व्यक्ति बैठे थे, मोकमेह में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के 200 सशस्त्र घुड़सवार, उसके प्रतिद्वन्दी के समर्थकों को डराते फिर रहे थे। ऐसी बातें अपवाद रूप से होती हैं लेकिन फिर भी ··

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, गोपालगंज से मैं बिलांग करता हूं, माननीय सदस्य बहुत बुजुर्ग हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं जेब से चुनाव लड़ा हूं और जेल से ही जीता हूं। पेपर्स में जो है, उस पर न जाएं।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : यह चुनाव आयोग की रिपोर्ट है, इसीलिये मैंने इसका उल्लेख किया है, ये तो उदाहरण मात्र हैं, ये सच हैं या झूठ इसका पता लगाना होगा। लेकिन ये वे आरोप हैं जो कि लगाये गये हैं और ये उदाहरण दिये गये हैं। अतः इस उद्देश्य के लिए एक कठोर चुनाव कानून बनाया जाना चाहिये ताकि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की धमकी देने या चुनाव केन्द्र पर कब्जा करने जैसी बातों का अपराधी हो उसको कठोर दण्ड दिया जाय तथा चुनावों लड़ने के लिए अगले छः वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिये।

महोदय, कई अपराधी समर्थन करते हैं, ऐसा हम कहते हैं। अब ऐसा समय आ गया जब कि स्वयं अपराधी भी चुनाव लड़ने लग गये हैं। जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या अनिवार्य सेवा कानून के तहत बन्द हैं या अपराधी सिद्ध हो चुके हैं ··

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता।

श्री शरद दिघे : आप कम से कम इतना तो मानेंगे कि जो लोग कोफेपोसा या तस्करी अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द हैं या सजा पा चुके हैं, उन्हें तो रोक दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का जहां तक सम्बन्ध है, यह एक विवादास्पद मुद्दा है। आपको डर है कि यदि ऐसा किया जाता है तो इसका एक राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाय।

[श्री शरद दिघे]

महोदय, जाली मतदान रोकने के लिए परिचय पत्र देना भी आवश्यक है। इसपर भी विचार किया जाना चाहिये। पूजा के स्थलों को भी चुनाव उद्देश्यों के लिए मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। उसके लिए भी कानून आवश्यक है। मतदाताओं की निम्नतम आयु भी 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करना आवश्यक हो सकता है।

महोदय, मैं इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व या लिस्ट प्रणाली के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इससे दलों का विखण्डन होगा तथा एक प्रकार की कमजोर तथा खिचड़ी सरकार बनेगी। हमारे देश जैसे बड़े देश में ऐसी मिली-जुली सरकार या खिचड़ी सरकार का होना तथा किसी शक्तिशाली राजनैतिक दल का सत्ता में न होना, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह सभा या संसद केवल विद्वतापूर्ण चर्चाओं के लिये ही नहीं है। आखिर यह देश को चलाने के लिए एक मजबूत सरकार बनाने के लिए है तथा आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए है, तथा एक अच्छी रक्षा व्यवस्था का निर्माण करने के लिये है और इन सारे उद्देश्यों के लिए मेरा नम्र निवेदन यह है कि, आनुपातिक प्रतिनिधित्व या लिस्ट प्रणाली हमारे लिये उपयोगी नहीं रहेगी। वर्तमान वैस्टमिंस्टर प्रणाली ही श्रेष्ठ प्रणाली है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, श्री डी० एन० रेड्डी जो रेजोल्यूशन लाये हैं, उसके बारे में मैं अपने ख्यालात रखना चाहता हूं। वैसे तो रेजोल्यूशन का स्पिरिट पहले ही खत्म हो चुका है क्योंकि माननीय प्रेसीडेंट ने अपने एड्रेस में ऐसा कहा है कि चुनावों में सुधार के लिये जल्दी ही एक बिल लाया जा रहा है। दूसरी बात इस रेजूलेशन में यह कही है कि विरोधी दलों के साथ सलाह-मशिवरा करके ही रिफार्म लाना चाहिए। यह एक अच्छी बात है। वाकई यह एक इलेक्शन का मामला है और अपने लोकतंत्र को बदस्तूर आगे ले जाना है तो विरोधी दलों के साथ सलाह-मशिवरा करना आवश्यक है।

इस सिलसिले में मैं कुछ बातें कहूं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसे डायरेक्टीव 18 फरवरी 1985 को इशू किये थे कि बूथ कैप्चरिंग जिन स्टेट्स में होता रहता है, उसको बंद किया जाये। उस डायरेक्टीव का पहला विक्टम मैं ही बना हूं। आप चाहे जो भी कानून या रूल्स बनायें, वह हर एक इलाके की परिस्थितियों, मुश्किलात और पापुलेशन को देखते हुए ही बनाये जायें। 18 फरवरी 1985 के डायरेक्टीव की कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं।

इसका सब्जैक्ट है : मतदान केन्द्रों पर कब्जा किये जाने की घटनाओं को रोकने के लिये विशेष उपाय, इसमें उन्होंने लिखा है :

[अनुवाद]

"मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आयोग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार, मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के सम्बन्ध में, वे मतदान केन्द्र जहां 90% से अधिक मतदान हुआ है और जहां मतपत्रों की गिनती के समय ऐसा पता चलता है कि उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये मत सामान्य ढंग से हटकर असामान्य हैं या लगभग पूरी की पूरी संख्या ही एक उम्मीदवार के पक्ष में गयी है तो ऐसे मतदान केन्द्रों में मतपत्रों को अलग रखा जाना चाहिये और दूसरे मतदान केन्द्रों में मतपत्रों की गणना पूरी होने के बाद यदि ऐसा पाया जाय कि पहले तथा दूसरे स्थान वाले उम्मीदवारों को प्राप्त हुए मतपत्रों का अन्तर उस मतदान केन्द्र के लिये निर्धारित मतों से कम है तो निर्वाचन अधिकारी को परिणाम घोषित नहीं करना चाहिये बल्कि मामले में आगे क्या कार्यवाही करनी है इस विषय में निर्देश तथा आदेश प्राप्त करने के लिए आयोग को हवाला देना चाहिये।"

[हिन्दी]

तो मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जहां एक पोलिंग स्टेशन में कई हजार वोटर्स हैं, 8 सौ, 9 सौ का एवरेज रहता है वहीं तो ऐसी डायरैक्टिव्ज ठीक हैं। मगर पता होना चाहिए मेरी कांस्टीट्एन्सी का एरिया बहुत बड़ा है और जो पापुलेशन है वह स्कैटर्ड है। हमारा एरिया जम्मू कश्मीर स्टेट का टू-थर्ड है लेकिन पापुलेशन बहुत कम है वहां पर—1 लाख 35 हजार ही है।

मेरी कांस्टीट्एन्सी में 336 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें से 84 पोलिंग बूथ्स के वोट्स काउन्ट नहीं किए गए। उन 84 पोलिंग स्टेशंस में सिर्फ 15 हजार वोटर्स ही थे। उसमें कम से कम एक पोलिंग स्टेशन पर चार वोटर्स थे। 65 पोलिंग स्टेशंस में 100 से कम हैं। 56 में 200 से कम हैं। 26 में 300 से कम हैं। 7 में 400 से कम हैं। 5 में 500 से कम हैं। 9 में 600 से कम है। 4 में 700 से कम है। 3 में 800 से कम है। 900 वोटर्स वाला कोई बूथ नहीं है। 2 में 1000 तक है। तीन पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें 1000 या 1100 वोटर्स हैं।

इस डायरेक्टिव के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने इसमें कहा है "टू प्रीवेंट बूथ कैपचरिंग, लेकिन जिस पोलिंग बूथ में सिर्फ 4 वोटर्स हों, 20 या 50 वोटर्स हों, क्या वहां पर बूथ कैपचरिंग हो सकती है ?

दूसरी बात यह है कि उस डायरेक्टिव में यह जरूरी है मैन्डेटरी कि किसी अपोनेन्ट ने कम्पलेंट की हो कि फलां जगह बूथ कैपचरिंग हुई है, तब उसको नहीं गिनना चाहिए। जब कोई कम्पलेंट ही नहीं है, हर कैंडिडेट कहता है कि फेयर इलैक्शन हुआ है, तब इस डायरेक्टिव को लागू करने का क्या मतलब है ? मैं तो इसको जंगल का रूल समझता हूं। मेरी गुजारिश है कि अगर आप कोई इलैक्टोरल रिफार्म लाते हैं, तो उसमें इन बातों का ख्याल रखिये।

[श्री पी० नामग्याल]

लोगों में एक खदशा हो गया, वहां पर एक पोलिंग स्टेशन दमजोग है जिसका नाम हर इलेक्शन के मौके पर रेडियो पर बराबर आता रहता है। वहां एक फैमिली इंटरनेशनल बार्डर पर हमारी साइड में है और बाकी फैमिली तिब्बतन साइड में है। पब्लिसिटी के लिये अपने 4 वोटर्स के लिए वहां पर पोलिंग बूथ बना दिया। अब 4 वोटर्स के वोट एक ही कैंडिडेट के फेवर में गये होंगे, लेकिन उनके वोट काउंट ही नहीं हुए। अब वो कहते हैं क्या हम भारतीय हैं या नहीं है ? वे पूछते हैं कि हमने वोट डाले थे, क्या आप हमें हिन्दुस्तानी नहीं समझते हैं ? तो इसका वहां पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिये इस डायरेक्शन में आपको इस चीज को देखने की जरूरत है।

इसी तरह से 50 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, जहां 50 वोटर्स से कम हैं। इसलिये यह जो रूल आप कहते हैं, वह हमेशा एप्लाई नहीं हो सकता है।

इसलिए हम समझते हैं कि इलैक्शन रिफोर्म्स के लिए कानून बनाना जरूरी है। जब आप कानून लाएं, तो इस बात का भी ख्याल रखें कि हर क्षेत्र के लोगों की मुश्किलात को देखकर कानून बनायें।

दूसरी बात मैं डि-लिमिटेशन आफ कानस्टीचूयेंसी के बारे में कहना चाहता हूं। यह नॉर्म पोपुलेशन की बेसेस पर हुआ है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक लाख स्क्वायर मीटर में है, मैं कभी अपने वोटर्स के साथ इन्साफ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं हर क्षेत्र में नहीं जा सकता हूं। यह मेरा दूसरा टैन्योर है। मैं अभी तक हर गांव में नहीं पहुंचा हूं और न कोई पहुंच ही सकता है। हां, अगर कोई दस टैन्योर यहां पर रहे, तो हो सकता है। यह बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, शायद 1991 में आप डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, उस वक्त पोपुलेशन नहीं क्षेत्र को भी देखना चाहिए। आप एरियर्स को देखते हुए इस बात को देखें कि वाकई कोई व्यक्ति एम० एल० ए० या एम० पी०; वहां पहुंच सकता है। कोई भी आदमी पांच साल के दौरान नहीं पहुंच सकता है। इसलिए मेरी आपसे तजवीज है कि जहां कान्स्टीचूयेंसी का एरिया बड़ा हो, वहां पोपुलेशन को बेस नहीं माना जाना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट और एसेम्बली में लोगों को इंसाफ मिल सके।

दूसरी बात मैं स्टेट फाइनेंसिंग के बारे में कहना चाहता हूं। इलैक्शन एक्सपैंसेज स्टेट से फाइनेंस होने चाहिए। इसमें जाहिर है कि जो कैंडीडेट आल इण्डिया या नेशनल पार्टी से संबंधित है, पार्टी जो कि रिकॉगनाइज्ड है, उनको तो इलैक्शन लड़ना ही लड़ना है। लेकिन ऐसी भी स्थिति न हो, जैसे कि अभी केरल में हुआ, एक स्थान पर तीन सौ कैंडीडेट हो गए और बैलेट पेपर न्यूजपेपर के साइज से भी बड़ा था उसको रोकने के लिए स्टेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए। जो कैंडीडेड कन्टैस्ट करे, यदि उसे किसी परसेन्टेज से कम वोट मिले और हार जाये तो यह रकम कावले वसूल होनी चाहिए इससे थोड़ा सा डर पैदा हो सकता है, नहीं तो यह समस्या बढ़ती जाएगी।

तीसरी बात, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिससे कि बोगस वोट को रोकने में मदद मिल सके। सोमनाथ चटर्जी जी यहां पर नहीं है। हमें पता है कि सोमनाथ चटर्जी जी अब की बार कैसे जीतकर आए हैं।

हमारे देश में दो ही स्टेट ऐसे हैं, जो कि बोगस वोटों के लिए मशहूर हैं – एक वैस्ट बंगाल और दूसरी जम्मू और काश्मीर। मेरी कान्स्टीचूयेंसी में मुझे पता है, मैंने कई बार इस बात को इलैक्शन कमीशन की नोटिस में लायी है। मेरी कान्स्टीचूयेंसी में 15,000 बोगस वोटर्स हैं और जहां 88,000 इलैक्टोरेट हों और उसमें दस हजार भी बोगस वोटर्स हों, तो पलटा इधर से उधर हो सकता है। चूंकि यह आबादी के लिहाज से इतना छोटा कांस्टीच्युएंसी है कि अगर वहां कुछ हजार भी बोगस वोट हों तो रिजल्ट इधर से उधर हो सकता है। लिहाजा ऐसी जगह पर तो आपको खास तौर पर रिकार्ड ठीक से रखने का इंतजाम करना चाहिए। वहां हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं। उनकी लेडीज वोट देने नहीं आती हैं। उनके मर्द लोग बुर्का पहनकर वोट डाल जाते हैं। इस तरह की जो बातें होती है उनको रोकने के लिए आयडेन्टिटी कार्ड होना चाहिए। लेडीज के लिए आप अलग पोलिंग बूथ्स बना सकते हैं। इस तरह से हमारी इलेक्शन मशीनरी इस बोगस वोटिंग को रोक सकती है। मैं समझता हूं कि यह और जगह भी होता होगा, खाली हमारे कश्मीर में ही नहीं होता होगा। जब कश्मीर में हमारे फारूख साहब की सरकार थी उस वक्त भी हुआ और बाद में भी हुआ। हमने इसके बारे में कम्पलेंट की।

दूसरी बात कम्युनल बातों के नाम पर वोटिंग कराना। प्रो० मधु दंडवते जी चले गये, उन्हे पता होगा कि काश्मीर वैली में 1977 में हम लोग कहते थे कि जनता पार्टी इलेक्शन में आने वाली है क्योंकि सारी जगहों पर जनता पार्टी के झण्डे लगे हुए थे। दूसरे दिन देखा कि सारी जगहों पर नेशनल कांफ्रेंस के झण्डे लहराते नजर आये। रातों रात झंडे बदल दिये गये। यह कह कर बदल दिये गये कि भई इस्लाम खतरे में है, आपको इस्लाम को वोट देना है या काफिर को वोट देना है। यही 1983 में भी बात हुई और 1985 में भी बात हुई। नेक्स्ट इलेक्शन जब होगा तब भी हो सकती है।

मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर वैली में हमारी पार्टी की पोजिशन कमजोर है। वह कमजोर नहीं है। लेकिन इस्लाम और पाकिस्तान का नाम लेकर हालात पलट देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मजहब के नाम पर या किसी भी कम्युनल तरीके से वोट मांगने वालों को डिस्क्वालिफाई किया जाना चाहिए। इसका कोई प्रोविजन हमारे इलेक्शन लाज में होना चाहिए। नहीं तो काश्मीर वैली जैसी जगहों पर फेअर इलेक्शन नहीं हो सकता।

इलेक्शन में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को इन्ट्रोड्यूस करना चाहिए। इसमें खर्चे का सवाल है लेकिन खर्चे को नहीं देखना चाहिए इसको इन्ट्रोड्यूस करने की जरूरत है। हमारे जैसे एरियाज में यह काफी कन्वीनियेन्ट हो सकता है। खाली बटन दबाना होता है। इसको यूज करना चाहिए और हरेक रीजन में यूज करना चाहिए।

[श्री पी० नामग्याल]

लास्ट चीज मैं यह कहना चाहूंगा। आम तौर पर पोलिंग दिसम्बर या जनवरी में होता है। मेरी तजवीज यह है कि इसको नवम्बर में कराया जाए। नवम्बर में हरेक रीजन में बारिस भी नहीं होती है, सर्दी भी नहीं होती है, बर्फ भी नहीं पड़ती है। (व्यवधान) पोलिंग पर मेरे ख्याल से हारवेस्टिंग का असर नहीं पड़ता है। यह हमने अन्तिम इलेक्शन में देख लिया है। पोलिंग पर असर वेदर का पड़ता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह नवम्बर में होनी चाहिए। सर्दी के बहाने मेरी कन्स्टीटयून्सी के इलेक्शन हमेशा बाद में किये जाते हैं हमें कोई सर्दी नहीं लगती, इलेक्शन कराने वाले कर्मचारियों की उनकी सुविधा के लिए इलेक्शन को पीछे ले जाते हैं तो अलग बात है वरना हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिसम्बर में हो या जनवरी में हो, कभी भी हो। इसलिए जब इलेक्शन हों, इकट्ठे हों तो हरएक के लिए जस्टिस हो सकता है। नहीं तो बाद में इलेक्शन होने से पूरा न्याय नहीं मिल पाता, हालांकि बाद में इलेक्शन होने से मुझे फायदा हुआ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहां सेंटर में बन गई थी और लोगों ने सोचा कि इनको वोट डालना है, लेकिन ख्वाहमख्वाह 6-7 महीने जो दिमाग परेशान रहता है, वह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

मैं अर्ज कर रहा था कि इलेक्शन के बाद जो 6-7 महीने का कैम्पेन का पीरियड होता है वह हरएक के लिए मुश्किल होता है। एक तो खर्चा ज्यादा होता है, ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम ज्यादा होती है, 6-7 महीने तक हम लड़ते रहते हैं, एक-दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे का सिर फोड़ना, यह सब होता रहता है। इसलिए इलेक्शन जब होता है, जनरल इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, यह सब एक साथ हो जाना चाहिए और 15-20 दिन में जो पता लगना है वह लग जाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

रेड्डी साहब ने जो रेजोल्यूशन रखा है, मेरे ख्याल से सरकार ने, प्रेसीडेंट साहब के एड्रेस में कहा गया है कि इस बारे में बिल ला रहे हैं और दूसरी बात बातचीत करने के बारे में सरकार भी कहती है और हमारे प्राइम-मिनिस्टर साहब हमेशा हर इश्यू पर कंसल्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, सब लोगों के साथ, तो इसमें मैं समझता हूं कि इस रेजोल्यूशन को इन्हें वापिस ले लेना चाहिए।

श्री बी. नाम गिवाल (लद्दाख)

सभापति महोदय, श्री डी. इन रेड्डी जी रेजोल्यूशन लाये हैं उस के बारे में अपने ख्यालात रखना चाहता हूं। वैसे तो रेजोल्यूशन का अस्पिरट पहले ही खत्म हो चुका है क्योंकि प्रेसीडेंट मानेक ने अपने एड्रेस में कहा है कि जनाओं में सुधार के लिए जल्दी ही एक बिल लाया जा रहा है। दूसरी बात इस रेजोल्यूशन में यह कही है कि दूरदर्शी दलों के साथ सलाह मशविरा करके ही रिफार्म लाना चाहिये। यह एक अच्छी बात है। वाकई यह एक इलेक्शन का मामला है और अपने लोक तंत्र को बरकरार आगे ले जाना है तो दूरदर्शी दलों के साथ सलाह मशविरा करना ठीक है।

इस सिलसिले में मैं कुछ बातें कहूंगा मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसे डाइरेक्टिव १८ फरवरी १९८५ को इशू किये थे कि बूथ कैपचरिंग जहां स्टेटस में होती रहती है उस को बन्द किया जाये। इस डाइरेक्टिव का पहला कदम मैं ही बना हूं। आप चाहे जो भी कानून या रूल्स बनाएं वह हर एक इलाके की पेचीदगियों मुश्किलात और पापुलेशन को देखते हुये ही बनाये जाएं १८ फरवरी १९८५ के डाइरेक्टिव की कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं। इस का सब्जेक्ट है।

Special Measures for Prevention of Booth Capturing.

इस में इन्होंने लिखा है।

"I am directed to inform you that according to existing directions of the Commission, in the matter of prevention of booth capturing, the polling stations which have recorded more than 90% votes and where at the time of counting of votes, it is found that votes cast in favour of the candidate is abnormal from normal standard or almost entire lot have gone in favour of one candidate, the votes in such polling booths should be set apart and after the counting of ballot papers of other polling stations is completed, if it is found that the margin of votes secured by the leading candidate and the next candidate is less than the votes assigned to the polling stations, the Returning officer should not declare the result but should make a reference to the Commission for its directions and orders to which further action to be taken in the matter."

तो मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जहां एक पोलिंग स्टेशन में कई हजार वोटर्स हैं

۸ سو ۹ سو کا ایوریج رہتا ہے وہاں تو ایسی ڈائریکٹو رکھنا ٹھیک ہیں۔ مگر کانسٹی چوئینسی کا ایریا بہت بڑا ہے اور جو پاپولیشن ہے وہ اسکیٹرڈ ہے۔ ہمارا ایریا جموں کشمیر اسٹیٹ کا ٹوتھ فٹ ہے لیکن پاپولیشن بہت کم ہے وہاں پر ایک لاکھ ۳۵ ہزار ہی ہے۔

میری کانسٹی چوئینسی میں ۳۳۶ پولنگ اسٹیشن ہیں جن میں سے ۴۸ پولنگ بوتھس کو دوٹس کاونٹ نہیں کئے گئے ان ۴۸ پولنگ اسٹیشنس میں صرف ۱۵ ہزار دو ٹرس تھے۔ اس میں کم سے کم ایک پولنگ اسٹیشن پر چار دوٹرس تھے۔ ۵۷ پولنگ اسٹیشنس میں ۱۰۰ سے کم ہیں۔ ۵۶ میں ۲۰۰ سے کم ہیں۔ ۲۶ میں ۳۰۰ سے کم ہیں۔ ۷ میں ۴۰۰ سے کم ہیں۔ ۵ میں ۵۰۰ سے کم ہیں۔ ۹ میں ۶۰۰ سے کم ہیں۔ ۴ میں ۷۰۰ سے کم ہیں۔ ۳ میں ۸۰۰ سے کم ہیں۔ ۹۰۰ دوٹرس سے اوپر کوئی بوتھ نہیں ہے۔ ۲ میں ۱۰۰۰ تک ہیں۔ تین پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن میں ۱۰۰۰ یا ۱۱۰۰ دوٹرس ہیں۔

اس ڈائریکٹیو کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انھوں نے اس میں کہا ہے ٹو پریویلنٹ بوتھ کیپچرنگ لیکن جس پولنگ بوتھ میں صرف ۴ دوٹرس ہوں ۲۰ یا ۵۰ دوٹرس ہوں کیا وہاں پر بوتھ کیپچرنگ ہو سکتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹیو یہ ضروری ہے مینڈیٹری ہے کہ کسی ایونینٹ نے کمپلینٹ کی ہو کہ فلاں جگہ بوتھ کیپچرنگ ہوئی ہے۔ تب اس کو نہیں گننا چاہیئے جب کوئی کمپلینٹ ہی نہیں ہے ہر کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ فیئر الیکشن ہوا ہے۔ تب اس ڈائریکٹیو کو لاگو کرنے کا مطلب ہے میں تو اس کو جنگل کا رول سمجھتا ہوں۔ میری گذارش ہے کہ اگر آپ کوئی الیکٹورل ریفارم لانے ہیں تو اس میں ان باتوں کا خیال رکھیئے۔

لوگوں میں ایک خدشہ ہو گیا۔ وہاں پر ایک پولنگ اسٹیشن دلجوگ ہے جس کا نام ہر الیکشن کے موقع پر ریڈیو پر برابر آتا رہتا ہے وہاں ایک فیملی انٹرنیشنل بارڈر پر ہماری سائڈ میں ہے اور باقی فیملی تبتن سائڈ میں ہے پبلسٹی کے لئے آپ نے ۴ دوٹرس کے لیے وہاں پر پولنگ بوتھ بنا دیا۔ اب ۴ دوٹرس کے دو ٹا ایک ہی کینڈیڈیٹ کے فیور میں گئے ہوں گے لیکن ان کے دوٹ کاونٹ ہی نہیں ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کیا ہم سمجھا رہتے ہیں

یا نہیں ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالے تھے کیا آپ ہمیں ہندوستانی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس کا وہاں پر بڑا بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ اس لئے اس ڈائریکشن میں آپ کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔

اسی طرح سے۔ ۵ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں۔ ۵ ووٹرس سے کم ہیں اس لئے آپ جو رول کہتے ہیں وہ ہمیشہ اپلائی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن۔ یفارمس کے لئے قانون بنانا ضروری ہے۔ جب آپ قانون لائیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہر شیتر کے لوگوں کی مشکلات کو دیکھ کر قانون بنائیں۔

دوسری بات میں ڈی لمیٹیشن آف کانسٹی چوئینسی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ فارم پاپولیشن کی بیسیز پر ہوا ہے۔ میرا نرواچن شیتر ایک لاکھ اسکوائر میٹر میں ہے میں کبھی اپنے ووٹرس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہوں۔ کیونکہ میں ہر شیتر میں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ میرا دوسرا ٹینیور ہے۔ میں ابھی تک ہر گاؤں میں نہیں پہنچا ہے اور نہ کوئی پہنچ ہی سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی دس ٹینیور یہاں پر رہیں تو ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی ڈفیکلٹ ایریا ہے۔ اس لئے میں عرض کر رہا ہوں شاید ۱۹۹۱ میں آپ ڈی لمیٹیشن کرنے جا رہے ہیں اس وقت پاپولیشن نہیں شیتر کو بھی دیکھنا چاہیئے۔ آپ ایریئرس کو دیکھتے ہوئے۔ اس بات کو دیکھیں کہ واقعی کوئی دیکتی ایم ایل اے یا ایم پی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی پانچ سال کے دوران نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے تجویز ہے کہ جہاں کانسٹی چوئینسی کا ایریا بڑا ہو وہاں پاپولیشن کو بیس نہیں ماننا چاہیئے تاکہ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں لوگوں کو انصاف مل سکے۔

دوسری بات میں اسٹیٹ فائننس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ الیکشن ایکسپینسز اسٹیٹ سے فائننس ہونے چاہیئے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو کنیڈی ڈیٹ آل انڈیا یا نیشنل پارٹی سے سمبندھت ہے پارٹی جو کہ ریگنائزڈ ہے ان کو تو الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے۔ لیکن ایسی بھی استھتی نہ ہو جیسے کہ ابھی کیرل میں ہوا ایک استھان پہ تین سو کینڈی ایک سے زائد ہو گئے اور بیلیٹ پیپر نیوز پیپر کے سائز

से भी बड़ा था। इस को रोकने के लिए स्टेट फाइनेंस होना चाहिए। जो कंडीडेट कंटेस्ट करे अगर उसे किसी पर सेंटेज से कम वोट मिले और हार जाए तो यह रकम वापिस मिलनी चाहिए। इस से थोड़ा सा डर पैदा हो सकता है नहीं तो यह समस्या बढ़ती जाएगी।

तीसरी बात आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। इस से कि बोगस वोट को रोकने में मदद मिल सके। सोम नाथ चैटर्जी जी यहां पर नहीं हैं। हमें पता है कि सोमनाथ चैटर्जी जी अब की बार कैसे बात कर आए हैं। * * *

हमारे देश में दो ऐसे स्टेटस हैं जो कि बोगस वोटरों के लिए मशहूर रहे हैं। एक वेस्ट बंगाल और दूसरी जम्मू और कश्मीर। मेरी कांस्टीचुएंसी में मुझे पता है मैं ने कई बार इस बात को इलेक्शन कमीशन की नोटिस में लाई है। मेरी कांस्टीचुएंसी में १५०० बोगस वोटर्स हैं और जहां ८८०० इलेक्टर्ज़ हों और उस में दस हजार भी बोगस वोटर्स हों तो पलटा इधर से उधर हो सकता है। चूंकि वह की आबादी के लिहाज से इतनी छोटी कांस्टीचुएंसी है कि अगर वहां कुछ हजार भी बोगस वोट हों तो रिजल्ट इधर से उधर हो सकता है। लेकिन ऐसी जगह पर तो आप को खास तौर पर रिकार्ड ठीक रखने का इंतजाम करना चाहिए। वहां हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं। उन की लेडीज वोट देने नहीं आई हैं। उन के मर्द लोग बुरका पहन कर वोट डाल जाते हैं। इस तरह की बातें जो होती हैं उन को रोकने के लिए आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। लेडीज के लिए आप अलग पोलिंग बूथ बना सकते हैं। इस तरह से हमारी इलेक्शन मशीनरी इस बोगस वोटिंग को रोक सकती है। मैं समझता हूं कि यह और जगह भी होता होगा खाली हमारे कश्मीर में ही नहीं होता होगा। जब कश्मीर में हमारे फारूक साहब की सरकार थी इस वक्त भी हुआ और बाद में भी हुआ। हम ने इस के बारे में कंप्लेंट की।

दूसरी बात कम्यूनल बातों के नाम पर वोटिंग कराना। प्रोफेसर मधु दंडवते जी चले गए उन्हें पता होगा कि दिल्ली में १९७७ में हम लोग कहते थे कि जनता पार्टी इलेक्शन में आने वाली है क्योंकि सारी जगहों पर जनता पार्टी के झंडे लगे हुए थे। दूसरी दिन देखा कि सारी जगहों पर कांग्रेस के झंडे लहराते नजर आए।

راتوں رات جھنڈے بدل دئے گئے۔ یہ کہہ کر بدل دئے گئے کہ بھئی اسلام خطرے میں ہے۔ آپ کو اسلام کو ووٹ دینا ہے یا کافر کو ووٹ دینا ہے۔ یہی ۱۹۸۳ میں بھی بات ہوئی اور ۱۹۸۵ میں بھی بات ہوئی۔ نیکسٹ الیکشن جب ہوگا تب بھی ہو سکتی ہے۔

میں یہ اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر دیلی میں ہماری پارٹی کی پوزیشن کمزور ہے۔ وہ کمزور نہیں ہے۔ لیکن اسلام اور پاکستان کا نام لے کر حالات پلٹ دیتا ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مذہب کے نام پر یا کسی بھی کمیونل طریقے سے ووٹ مانگنے والوں کو ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیئے۔ اس کا کوئی پراویژن ہمارے الیکشن لاج میں ہونا چاہیئے۔ نہیں تو کشمیر دیلی جیسی جگہوں پر فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا۔

الیکشن میں الیکٹریک ووٹنگ مشین کو انٹروڈیوس کرنا چاہیئے۔ اس میں خرچے کا سوال ہے لیکن خرچہ کو نہیں دیکھنا چاہیئے۔ اس کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جیسے ایریاز میں یہ کافی کنوینینٹ ہو سکتا ہے۔ خالی بٹن دبانا ہوتا ہے۔ اس کو یوز کرنا چاہیئے اور ہر ایک ریجن میں یوز کرنا چاہیئے۔

لاسٹ چیز میں یہ کہنا چاہوں گا۔ عام طور پر پولنگ دسمبر یا جنوری میں ہوتا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس کو نومبر میں کرایا جائے۔ نومبر میں ہر ایک ریجن میں بارش بھی نہیں ہوتی ہے سردی بھی نہیں ہوتی ہے۔ برف بھی نہیں پڑتی ہے۔ (انٹرپشنز) پولنگ پر میرے خیال سے ہارویسٹنگ کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہم نے آسام الیکشن میں دیکھ لیا ہے۔ پولنگ پر اثر ویدر کا پڑتا ہے اس لئے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ نومبر میں ہونی چاہیئے۔ سردی کے بہانے میری کانسٹی چیوشن میں الیکشن ہمیشہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ ہمیں کوئی سردی نہیں لگتی الیکشن کرانے والی کرچاریوں کی سوویدھا کے لئے الیکشن کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ تو الگ بات ہے ورنہ ہم لوگوں کو کوئی فری نہیں پڑنا چاہیے دسمبر میں ہو یا جنوری میں ہو۔ کبھی بھی ہو۔ اس لئے جب الیکشن ہوں اکٹھے ہوں تو ہر ایک کے لئے جسٹس ہو سکتا ہے۔ نہیں تو بعد میں الیکشن ہونے سے پورا نیائے نہیں مل پاتا حالانکہ بعد میں الیکشن ہونے سے مجھے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ کانگریس کی سرکار یہاں سینٹر میں بن گئی تھی اور لوگوں نے سوچا کہ ان کو ووٹ ڈالنا ہے لیکن خواہ

मुख्यमंत्री ७-८ महीने जो दिमाग परेशान रहता है वह ठीक नहीं है। (इंटरप्शन्स)

मैं अर्ज कर रहा था कि इलेक्शन के बाद जो ७-८ महीने का पीरियड होता है वह हर एक के लिये मुश्किल का होता है। एक तो खर्चा ज्यादा होता है लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है ७-८ महीने तक हम लड़ते रहते हैं एक दूसरे को गालियां देना एक दूसरे का सर फोड़ना यह सब होता रहता है। इसलिये जब इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं तो सब एक साथ हो जाना चाहिये और १५-२० दिन में जो पत्ता लगना है वह लग जाना चाहिये। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

रेड्डी साहब ने जो रेजोल्यूशन रखा है मेरे ख्याल से सरकार ने प्रेसीडेंट साहब के एड्रेस में कहा गया है कि इस बिल को ला रहे हैं और दूसरी बात बात चीत करने के बारे में सरकार भी कहती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा हर इश्यू पर अपोजीशन के साथ कंसल्ट करने के लिये तैयार रहते हैं। सब लोगों के साथ तो इस में मैं समझता हूं कि इस रेजोल्यूशन को इन्हें वापस ले लेना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : चुनाव सुधार आज की आवश्यकता है। हमारे लोकतंत्र में अधिकतम जनता भाग लेती है। परन्तु दुर्भाग्य से यदि हम ध्यान दें तो बिना चुनावों में सुधार किए हमारा लोकतंत्र उपहासास्पद है।

चुनाव प्रक्रिया में लोगों के भाग लेने पर ध्यान देने से वर्तमान सरकार बहुमत की सरकार नहीं है। जिस पार्टी को 50 प्रतिशत से कम मत मिले वह अधिक समर्थन रखने का दावा करती है। तुलनात्मक दृष्टि से अन्य पार्टी को बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोगों की इच्छा कैसे व्यक्त होती है जब तक लोकतंत्र में जनमत का बहुमत न हो यह कैसे व्यक्त हो सकता है अतः चुनाव प्रणाली में शीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः सदस्यों द्वारा अनुपातीय प्रतिनिधित्व के पक्ष में रखे गए विचारों का मैं समर्थन करता हूं तथा यदि इस प्रणाली को अपनाया जाता है तो कुछ हद तक भूल का सुधार हो जायेगा।

दूसरे कुछ लोगों का विचार है कि यह उनका अधिकार है कि वे मतदान में भाग अथवा न लें। परन्तु मैंने देखा है कि कुछ यूरोप तथा अन्य नये लोकतंत्रीय देशों में प्रथा है कि यदि मतदाता मतदान में भाग नहीं लेते तो उन्हें जुर्माना किया जाता है।

यह प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वे मतदान में भाग लें। इस अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे देश में ऐसी कोई अनिवार्यतः नहीं है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। यदि विश्लेषण किया जाता है तो अल्प संख्या में लोग मतदान में भाग लेते हैं तथा जिन्हें बहुमत मिलता है उन्हें प्राप्त मत 50 प्रतिशत से काफी कम होते हैं, परन्तु ये सत्ता में आते हैं। देश में लोकतंत्रीय सिद्धान्तों को बनाये रखने के लिए इस स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए।

दूसरी बात चुनावों में हेराफेरी के बारे में है। सत्ताधारी व्यक्तियों द्वारा चुनावों में हेराफेरी की सम्भावना है और यह बड़े आकार पर की जा सकती है। जो लोग सत्ता में है, चाहे केन्द्र का मामला हो अथवा राज्य का। वे चुनाव में हेराफेरी करने से नहीं चूकते। यह मेरा अनुभव रहा है। उदाहरण के तौर पर सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनावों में किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों को रिश्वत के तौर पर धन का व्यय किया जाता है, ऐसे कानून बनाये जाते हैं जिनका चुनाव पर प्रभाव पड़े विभिन्न पार्टियों के सत्ता में रहते हुए यह मेरा अनुभव रहा है। चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्रों में नई फैक्टरियों के वायदे किये जाते हैं तथा उनके शिलान्यास किए जाते हैं जो कि चुनाव के बाद भी बने रहते हैं। बहुत अधिक वचन दिये जाते हैं।

ये बातें कैसे होती हैं मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मतदाताओं के साथ बहुत से वायदे किये जाते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता।

आप देख सकते हैं, उन्होंने पंजाब को एक नई कोच फैक्टरी दी है। उन्होंने सोचा कि इससे वे मतदाताओं को खरीद सकेंगे।

[श्री थम्पन थामस]

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का संक्षेप में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 8 नवम्बर को एक गाड़ी त्रिवेन्द्रम से एर्नाकुलम जा रही थी। सभी दिन यह गाड़ी जो एक तेज गाड़ी है केवल 2 स्थानों पर रुकती है। जब निर्वाचनों की घोषणा की गई कुछ शक्तिशाली सदस्य रेल विभाग के पास गये तथा मांग की कि यह गाड़ी सभी छोटे स्टेशनों पर रोकी जाये। निर्वाचन के दिन यह सभी स्टेशनों पर रोकी गई। चुनाव के अगले दिन ही जबकि मैं चुना गया इस गाड़ी का छोटे स्टेशनों पर रोका जाना समाप्त कर दिया गया। यह केवल एक छोटा सा उदाहरण है। बड़े उदाहरण भी हो सकते हैं। सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनावों में हेराफेरी करने के लिए सरकारी अधिकारियों तथा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है।

चुनाव से कुछ समय पूर्व ईसाइयों, मुसलमानों तथा कुछ अन्य समुदायों के पक्ष में कार्यवाहियां की जाती हैं तथा वायदे किए जाते हैं।

हम इस देश में इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं ? इन चीजों को रोका जाना चाहिए। सत्ताधारी व्यक्ति लोगों को खरीद लेते हैं तथा उनका चुनाव में उपयोग करते हैं, और ये चीजें देश में हर समय होती हैं। इन चीजों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि निर्वाचन के समय सरकार की कारगुजारी पर नजर रखी जानी चाहिए। जनता को उस पर निगरानी रखनी चाहिए। इस प्रक्रिया में लोगों पर प्रभाव डालना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं इस पहलू में विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं यही बता रहा हूं कि प्रशासनिक मशीनरी के उपयोग करके चुनाव में हेराफेरी किस तरह की जाती है।

राज्य द्वारा चुनाव पर व्यय अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है परन्तु इसमें सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि भी शामिल होनी चाहिए क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी सभी धनी लोगों से उगाही कर लेती है तथा यदि उन्हें सरकारी चुनाव निधि से भी पैसा दिया जायेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। चुनाव में चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो अथवा विरोधी पार्टी हो, उनकी उचित रूप से परिभाषा करने के बाद उनको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें सत्तारूढ़ दल द्वारा की गई उगाहियां आदि भी शामिल होनी चाहिए। राज्य निधि को चुनावों के लिए खर्च किया जा सकता है। इन बातों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तथा आचार संहिता होनी चाहिए। सांसदों तथा विधायकों द्वारा पहली धोकाधड़ी जो की जाती है वह लेखे के बारे में है। व्यय की एक सीमा है। उम्मीदवार की ओर से विवरण दिया जाता है। परन्तु पार्टी तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के नाम पर हमें चुनाव में बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। हम चुनावों पर व्यय कैसे कम कर सकते हैं, हमें सरकारी धन को साझे प्रयोजन के लिए कैसे व्यय कर सकते हैं और लोगों को उम्मीदवार चुनने का अवसर कैसे दे सकते हैं ? उन्हें पार्टी के अतिरिक्त अन्य पहलुओं से उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों को अपनी इच्छा से उम्मीदवारों को चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए।

निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा व्यक्त विचार का समर्थन करता हूं। इस देश में बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग होना चाहिए जिसके सदस्यों का चयन प्रधान

मन्त्री, विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। तभी उस निकाय की मान्यता तथा महत्व बढ़ेगा। इस विषय में मैं अधिक विस्तार से नहीं जाना चाहता।

जन-संचार के बारे में जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होने की अर्हता रखता है उसको जन-संचार माध्यम का उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। निर्वाचन के दौरान सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए जन-संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। कम से कम निर्वाचन के दौरान प्रत्येक पार्टी को जन-संचार माध्यमों के उपयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

निर्वाचन की प्रक्रिया से लेकर मतों की गणना तक वर्तमान प्रणाली में सुधार होना चाहिए क्योंकि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत गड़बड़ी की काफी गुंजाइश है। अत: राजनीतिक पार्टियों के साथ परामर्श करके आवश्यक सुधार किये जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना हूं।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : श्रीमान सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए कोई झिझक नहीं होगी कि श्री रेड्डी द्वारा पेश किये गये इस संकल्प में कुछ अर्थ है।

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। परन्तु क्या मैं दोनों ओर के सदस्यों से, जो यहां उपस्थित हैं, विनम्रतापूर्वक पूछ सकता हूं कि हम किसी न किसी तरीके से स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों का मार्ग अवरुद्ध करने या ऐसा करके के लिए, उकसाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं ? कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो अवसर मिलने पर उसका लाभ नहीं उठाता है।

श्री मूल चन्द डागा : इस बारे में मैं एक अपवाद हूं।

श्री राज मंगल पांडे : यदि श्रीमान डागा अपवाद हैं तो इस सभा का प्रत्येक सदस्य अपवाद हो सकता है इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोई बीमारी लग चुकी है जो प्रजातन्त्र पथ को प्रमुख रूप से प्रभावित करने जा रही है। प्रजातन्त्र एक स्वतन्त्र चुनाव प्रणाली और एक स्वतन्त्र न्याय प्रणाली पर निर्भर करता है। इस पक्ष के एवं दूसरे पक्ष के बहुत से सदस्य हमारी चुनाव प्रणाली में लग चुकी सड़न के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। अकेला कानून ही सब चीजों की व्यवस्था नहीं कर सकता न ही वह स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों की गारंटी नहीं दे सकता। क्या फिलीपीन्स में ऐसे कानून नहीं हैं ? क्या उस समय पाकिस्तान में ऐसे कानून नहीं थे जब भुट्टो राष्ट्रपति थे ? यहां तक कि पाकिस्तान में उस समय यह अफवाह थी और तदन्तर अन्तिम रूप से यह सिद्ध हो गया कि भुट्टो ने चुनाव में हेराफेरी की थी और यह पाकिस्तान के लोगों में भुट्टो के प्रति गहन रोष का कारण था। अत: यह पर्याप्त मात्रा में सिद्ध हो चुका है कि केवल कानून अकेला ही स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव की गारंटी नहीं दे सकता, यह तन्त्र है, असल में तो लोग ही हैं जो चुनाव तन्त्र की देखरेख करते हैं, जो स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यहां तक कि जब 1967-69 तक संविधान में संशोधन नहीं हुए थे और 1971 तक भी, किसी व्यक्ति द्वारा बूथ पर कब्जा करने या चुनाव में हिंसा का प्रयोग या नकली व्यक्ति द्वारा मतदान करने की कोई घटना शायद ही होती है परन्तु 1971 के बाद यह बीमारी शुरू हुई। केवल यही नहीं, यह जोरों पर उस समय शुरू हुई जब हमारी नौकर-

[श्री राज मंडल पांडे]

शाही ने चुनाव प्रक्रिया में जाति, पन्थ, धर्म या प्रत्याशी विशेष के प्रति वैषाम्य के आधार पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बाद में यह इस हद तक विकसित हुई कि अब हमारी चुनाव प्रक्रिया इस नौकरशाही से बहुत प्रभावित हुई है क्योंकि नौकरशाही या तो इस सरकार या उस सरकार में विशेष दिलचस्पी रखती है या किसी व्यक्ति विशेष में। अतः चाहे यह कानून बदला जाता है या नहीं, चाहे कोई संशोधन किया जाता है या नहीं, ऐसा करना युक्तिसंगत होगा। हमें जो करना है वह नौकरशाही पर नियन्त्रण रखना है। यह देखना है कि नौकरशाही स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में अवांछित रुचि न ले।

अतः महोदय, हमारी समस्या यह सडन है जो लोकतंत्र में शुरू हो चुकी है, यह नौकरशाही विशेष तौर पर राज्य नौकरशाही ने यह भावना पाल ली है कि कोई भी सरकार उनके साथ सांठ-गांठ एवं समर्थन के बिना नहीं बनाई जा सकती या कायम नहीं रह सकती। और यह प्रजातन्त्र कार्य प्रणाली का बहतरीन हिस्सा है। हमें इसकी रोकथाम करनी होगी चाहे हमें इसकी कितनी भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े।

दूसरी बात यह है कि जब हम इलैक्ट्रोनिक मशीनों की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि बूथ की सुरक्षा के लिए होमगार्ड का एक साधारण सिपाही होता था और नकली मतदान एक भी नहीं होता था अथवा किसी को डराने-धमकाने की एक भी घटना नहीं होती थी, परन्तु अब सभी बटालियनों और कम्पनियों जिनको हम लगाते हैं, के बावजूद हम पाते हैं कि बूथों पर कब्जा हो रहा है चाहे यह बिहार हो या पश्चिम बंगाल या जम्मू और काश्मीर अथवा उत्तर प्रदेश में होता है कि··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमान् पांडे आप अपना वक्तव्य अगली बार जारी रख सकते हैं।

सभा सोमवार, 17 मार्च, 1986 को 11 म० पू० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म०प०

"तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 17मार्च, 1986/26 फाल्गुन, 1907 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।"

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53